वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2013-2014

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
Ministry of Minority Affairs

www.minorityaffairs.gov.in

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2013-14

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

Ministry of Minority Affairs
Government of India

Web-site : www.minorityaffairs.gov.in

विषय सूची

अध्याय सं.	अध्याय शीर्षक	पृष्ठ सं.
	कार्यकारी सारांश	I
1	प्रस्तावना	3
2	अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम	7
3	सच्चर समिति की रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई	13
4	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसडीपी)	23
5	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	27
6	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	29
7	मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना	31
8	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	33
9	नया सवेरा – निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना	35
10	नई उड़ान	37
11	पढ़ो परदेश	39
12	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	41
13	प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन	43
14	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन	47
15	अल्पसंख्यकों हेतु कौशल विकास पहल	49
16	भारत में पारसियों की कम होती जनसंख्या को रोकने की योजना	51
17	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान की योजना	53
18	आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक	55
19	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	57
20	वक्फ प्रशासन और केन्द्रीय वक्फ परिषद	59
21	दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर	69
22	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	71
23	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	77
24	जेन्डर विशिष्ट मुद्दे और जेन्डर बजटिंग	79
25	सूचना का अधिकार अधिनियम	81
26	शासकीय लेखापरीक्षा	83
27	परिणाम–ढांचा दस्तावेज, नागरिक/सेवार्थियों का चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र	85
	अनुलग्नक I से XVI	102-126

कार्यकारी सारांश

वर्ष 2013–14 के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की उपलब्धियां

- "अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास की योजना" के तहत 60875 अल्पसंख्यक महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 24 राज्यों में 425 संगठनों को ₹ 11.86 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई है।

- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के बीच समझौता ज्ञापन को दिनांक 22.08.2013 को लोकसभा में और दिनांक 19.08.2013 को राज्य सभा में रखा गया था।

- एनएमडीएफसी द्वारा आवधिक ऋण और लघु ऋण के तहत 75966 लाभार्थियों को ₹ 325.46 करोड़ की निर्मुक्ति की गई।

- 77.94 लाख मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं तथा ₹ 963.79 करोड़ की निर्मुक्ति की गई। निर्मुक्त की गईं छात्रवृत्तियों में से, 49.41% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए थीं।

- 8.90 लाख मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं तथा ₹ 515.76 करोड़ की निर्मुक्ति की गई। निर्मुक्त की गईं छात्रवृत्तियों में से, 54.92% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए थीं।

- 100428 मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं तथा ₹ 260.00 करोड़ की निर्मुक्ति की गई।

- मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए मंत्रालय ने एक निःशुल्क हेल्पलाइन नम्बर खिदमत (1800 11 2001) को अगस्त, 2013 में शुरू किया।

प्रस्तावना

1.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से 29 जनवरी, 2006 को अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिक्ख, पारसियों तथा जैनियों से संबंधित मामलों पर बल देने के लिए सृजित किया गया था। मंत्रालय का अधिदेश अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए समग्र नीति तैयार करने और योजना, समन्वयन, मूल्यांकन, विनियागक ढांचें एवं विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करना है।

संकल्पना एवं मिशन

1.2 मंत्रालय की संकल्पना अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाना तथा हमारे राष्ट्र के बहु जातीय, बहु सांस्कृतिक, बहु भाषायी एवं बहु धार्मिक स्वरूप के सुदृढ़ीकरण के लिए वातावरण निर्मित करना है।

1.3 मंत्रालय का मिशन सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाना तथा व्यापक विकास करना है ताकि प्रत्येक नागरिक को सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से भागीदारी करने का समान अवसर प्राप्त हो। अल्पसंख्यक समुदायों हेतु शिक्षा, रोजगार, आर्थिक क्रियाकलापों में समान हिस्सेदारी को सुग्राही बनाना तथा उनका उत्थान सुनिश्चित करना।

1.4 श्री के. रहमान खान तथा श्री निनोंग ईरींग ने क्रमशः अल्पसंख्यक कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री के कार्यालय का प्रभार ग्रहण किया। मंत्रालय के सचिव के कार्य में सहयोग प्रदान करने हेतु तीन संयुक्त सचिव तथा एक संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार (अतिरिक्त प्रभार) हैं। संस्वीकृत नफरी 98 की है और दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार 63 स्टॉफ तैनात थे। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक I** पर तथा पदधारिता विवरण **अनुलग्नक–II** पर दिया गया है। हालांकि मंत्रालय के अधिकांश बहु–प्रकृति के कार्य इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं, तथापि इसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधिकारी/संगठनों की सहायता मिलती रहती है।

1.5 आरंभ में, अल्पसंख्यकों के लिए 07 कल्याण योजनाएं थीं। इसके पश्चात, मंत्रालय द्वारा नवीन कल्याण योजनाओं का शुभारंभ किया गया और इस समय मंत्रालय द्वारा 17 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्यभार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। मंत्रालय का सृजन 98 की स्वीकृत क्षमता से हुआ था, जिसमें से 63 अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं। मंत्रालय का कार्यभार बढ़ गया है किंतु कर्मचारियों की कमी अभी तक चल रही है। बढ़े हुए कार्यभार से निपटने के लिए तथा विभिन्न योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्स आधार पर कंसल्टेंट्स, जूनियर कंसल्टेंट्स, सीनियर एसोसिएट्स, जूनियर एसोसिएट्स, प्रोग्राम सपोर्ट को आर्डिनेटर, प्रोग्राम सपोर्ट असिस्टेंट्स, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा चपरासियों को संविदा के आधार पर नियोजित किया है।

कार्यों का आबंटन

1.6 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 की दूसरी अनुसूची के अनुसार इस मंत्रालय को आबंटित किए गए विषय इस प्रकार हैं:

(i) अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विनियामक तथा विकास कार्यक्रमों पर समग्र नीति, योजना तैयार करना, समन्वय, मूल्यांकन तथा समीक्षा करना।

(ii) कानून और व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी मामले।

(iii) केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकार के परामर्श से अल्पसंख्यकों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए नीति की पहलें करना।

(iv) भाषायी अल्पसंख्यकों तथा आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक के कार्यालय से संबंधित मामले।

(v) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम से संबंधित मामले।

(vi) शरणार्थी सम्पति अधिनियम, 1950 (1950 का 31), (अब निरस्त) के प्रशासन के अंतर्गत शरणार्थी वक्फ़ सम्पत्तियों से संबंधित कार्य।

(vii) एंगलो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व।

(viii) विदेश मंत्रालय के परामर्श से 1955 के पंत मिर्जा समझौते के अनुसार पाकिस्तान में गैर मुस्लिम पूजा स्थलों और भारत में मुस्लिम पूजा स्थलों का संरक्षण और परिरक्षण करना।

(ix) विदेश मंत्रालय के परामर्श से पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित प्रश्न।

(x) धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान, विभाग में निपटाए जा रहे विषयों से संबंधित धर्मार्थ एवं धार्मिक स्थायी निधि।

(xi) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सहित अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक संगठनों के सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक स्थिति से संबंधित मामले।

(xii) वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) और केन्द्रीय वक्फ परिषद।

(xiii) दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 (1955 का 36)

(xiv) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वि. निगम सहित अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का वित्त पोषण।

(xv) अल्पसंख्यकों के लिए केन्द्रीय और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ साथ निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर।

(xvi) अन्य संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित उपाय करना।

(xvii) धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों के मध्य सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ।

(xviii) अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम।

(xix) अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कोई अन्य विषय।

राजभाषा का प्रयोग

1.7 मंत्रालय द्वारा सभी महत्वपूर्ण आदेश व अधिसूचनाएं द्विभाषी रूप में जारी की गई। मंत्रालय में 1 से 15 सितम्बर, 2013 के दौरान हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा पुरस्कार भी वितरित किए गए। माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित हिंदी सलाहकार समिति की प्रथम बैठक का आयोजन दिनांक 05.08.2013 को किया गया था। संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समति की बैठकें भी आयोजित की गई।

सतर्कता एकक

1.8 श्री वाई. पी. सिंह, संयुक्त सचिव को अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) नियुक्त किया गया है। वे मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच लींक का भी कार्य करते हैं। सीवीओ मंत्रालय में संयुक्त सचिव (नीति, योजना एवं प्रशासन) के रूप में अपने सामान्य कार्यभार के अलावा सतर्कता का कार्य भी देखता है।

1.8.1 सीवीओ को निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:

- मंत्रालय से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनात्मक सभी मामले।
- प्राप्त शिकायतों की जांच और उन पर समुचित कार्रवाई।
- शिकायतों के संबंध में जांच / पूछताछ / निरीक्षण तथा अनुवर्ती कार्रवाई।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग के साथ समन्वय करना और जब भी कहा जाए जांच रिपोर्टों और शिकायतों आदि के बारे में मंत्रालय के अभिमत केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रस्तुत करना।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग से, जब कभी अपेक्षित हो, सलाह लेना।
- भ्रष्टाचार प्रवण संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान तथा इन पदों पर नियुक्त अधिकारियों का समय–समय पर स्थानांतरण करना और इस प्रकार निवारक सतर्कता को प्रोत्साहित करना।

- सरकार के कार्यकरण में सत्यनिष्ठा, कार्यक्षमता और पारदर्शिता में वृद्धि करना।

1.8.2 2013 14 की अवधि के दौरान, तीन (3) शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से एक मामला बंद कर दिया गया है तथा बाकी दो (2) पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, पहले के चार (4) मामले भी बंद कर दिए गए थे। साथ ही, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 53 अधिकारियों को सतर्कता निकासी भी जारी की गई है।

1.8.3 सतर्कता अनुभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयां:

- संवेदनशील प्रकृति के अभिज्ञात क्षेत्रों पर निगरानी रखना।
- मंत्रालय में औचक सतर्कता निरीक्षण किए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय एकता सप्ताह

1.9 मंत्रालय में देशभक्ति, सांप्रदायिक सद्भाव और एकता की भावना विकसित करने के लिए 19 से 25 नवम्बर, 2013 तक कौमी एकता सप्ताह (राष्ट्रीय एकता सप्ताह) मनाया गया।

बजट

1.10 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012 17) में इस मंत्रालय को विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए ₹ 17,323 करोड़ के परिव्यय का आबंटन किया गया है। वर्ष 2013 14 के बजट अनुमान में ₹ 3,511 करोड़ के योजनागत बजट का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 2013 14 के संशोधित अनुमान में घटाकर ₹ 3,111 करोड़ कर दिया गया था। वर्ष 2013 14 के बजट अनुमान में ₹19.98 करोड़ के गैर–योजनागत बजट का प्रावधान किया गया था, जिसे बाद में 2013 14 के संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर ₹19.84 करोड़ कर दिया गया था। बारहवीं योजना की योजना/कार्यक्रमवार परिव्यय, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वर्ष 2013 14 के दौरान वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक III** में दिया गया है।

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम

2.1 अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा जून, 2006 में की गई। इसमें निश्चित लक्ष्यों के साथ कार्यक्रम विशिष्ट क्रियाकलापों की व्यवस्था है, जिन्हें निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना होता है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं (क) शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना; (ख) वर्तमान तथा नयी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में अल्पसंख्यकों के लिए समुचित भागीदारी, स्व रोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और केन्द्र व राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती सुनिश्चित करना; (ग) अवसंरचना विकास योजना से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना; और (घ) सांप्रदायिक असामंजस्य तथा हिंसा का निवारण और नियंत्रण करना।

2.2 इस नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसुविधाप्राप्त लोगों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों तक पहुंचे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अल्पसंख्यकों तक समान रूप से पहुंचें, नए कार्यक्रम में इन विकास परियोजनाओं के कुछ भाग को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवस्थित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें यह भी प्रावधान है कि जहां कहीं संभव हो, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों और परिव्ययों का 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

2.3 इस कार्यक्रम के लक्षित समूह में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों में पात्र वर्ग हैं मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसी। हालही में, जैनियों को दिनांक 27.01.2014 की अधिसूचना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। राज्यों में जहां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों में से एक समुदाय वास्तव में, अधिसंख्य में हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक/वित्तीय लक्ष्य केवल अन्य अधिसूचित समुदायों के लिए निर्धारित होंगे। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप।

2.4 इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर प्रत्येक संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है। केन्द्रीय स्तर पर, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी समग्र प्रगति की समीक्षा अन्य मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों के साथ तिमाही आधार पर की जाती है। इस कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा सचिवों की समिति द्वारा 6 माह में एक बार की जाती है तथा उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। मंत्रिमंडल द्वारा इस नए कार्यक्रम की जून, 2006 में शुरूआत के बाद से कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा छह बार की जा चुकी है। दिशानिर्देशों में की गई परिकल्पना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रगति की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समितियां गठित करनी होती हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी ऐसे ही तंत्र की परिकल्पना की गई है।

2.5 नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल एवं निर्धारण योग्य योजनाओं की सूची निम्नानुसार :

- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) जिसके तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं {महिला एवं बाल विकास मंत्रालय}
- सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) {मानव संसाधन विकास मंत्रालय}
- आजीविका {ग्रामीण विकास मंत्रालय}
- स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) {आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय}
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उन्नयन {श्रम एवं रोजगार मंत्रालय}
- प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत बैंक ऋण {वित्तीय सेवाएं विभाग}
- इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) {ग्रामीण विकास मंत्रालय}

वर्ष 2013 14 के दौरान,इन योजनाओं की वास्तविक उपलब्धियां नीचे दर्शायी गई हैं

क्रम सं.	योजना का नाम एवं संबंधित मंत्रालय / विभाग	उपलब्धि (वास्तविक)
1.	सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	
(i)	निर्मित प्राथमिक स्कूलों की संख्या	274
(ii)	निर्मित उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या	39
(iii)	निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्षों की संख्या	120
(iv)	खोले गए नए प्राथगिक स्कूलों की संख्या	131
(v)	खोले गए नए उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या	19
(vi)	शिक्षकों की स्वीकृत संख्या	120
2.	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के तहत सहायता प्रदत्त गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवार । ग्रगीण विकास गंत्रालय	3,06,154
3.	स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के तहत सहायता प्रदत्त लाभार्थी आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एवयूपीए)	
(i)	शहरी स्व रोजगार कार्यक्रम के तहत वैयक्तिक उद्यम (यूएसईपी): • वैयक्तिक सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने के लिए सहायता प्रदत्त अल्पसंख्यक शहरी गरीबों की कुल संख्या : 10,470	

- अल्पसंख्यक समुदायों हेतु समुदाय वार पृथकीकृत आकड़े (यूएसईपी के अंतर्गत अल्पसंख्यकों हेतु कुल उपलब्धि के संदर्भ में संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय की उपलब्धि का प्रतिशत :

  (क) मुस्लिम : 81.54%

  (ख) सिक्ख : 1.70%

  (ग) ईसाई : 11.32%

  (घ) बौद्ध : 5.26%

  (ङ) पारसी : 0.17%

(ii) शहरी गहिला स्व–सहायता कार्यक्रग (यूडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत शहरी गरीब गहिलाओं के स्गूहों को सहायता।

- यूडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत, स्गूह सूक्ष्ग उद्यगों के गाध्यग से कवर किए गए अल्पसंख्यक लाभार्थियों की कुल संख्या : 2,802
- यूडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटियों हेतु परिक्रामी निधि के अंतर्गत कवर किए गए अल्पसंख्यक लाभार्थियों की कुल संख्या : 27,533

(iii) शहरी गरीबों में रोजगार संवर्धन हेतु कौशल प्रशिक्षण (स्प्रेप अप)

- वास्तविक : 77,443
- अल्पसंख्यक समुदायों हेतु समुदाय वार पृथकीकृत आंकड़े (स्प्रेप अप के अंतर्गत) अल्पसंख्यकों हेतु कुल उपलब्धि के संदर्भ में संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय की उपलब्धि का प्रतिशत :

  (क) मुस्लिम : 83.25%

  (ख) सिक्ख : 0.55%

  (ग) ईसाई : 13.06%

  (घ) बौद्ध : 3.13%

4.	एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन। गहिला एवं बाल विकास गंत्रालय	293

वर्ष 2013 14 के दौरान, उन योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धि जिनमें वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

क्रम सं.	योजना का नाग एवं संबद्ध गंत्रालय / विगाग	उपलब्धि (करोड़ ₹ में)
1	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) : ग्रामीण विकास मंत्रालय	1214.69
2	स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) : आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एचयूपीए)	33.67
3	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उत्कृष्टता के केन्द्रों के रूप में उन्नत किया जाना : श्रग एवं रोजगार गंत्रालय	7.24
4	प्राथमिक श्रेत्र ऋण : वित्तीय सेवाएं विभाग (संचयी उपलब्धि)	2,40,837.98

कुल प्राथमिक क्षेत्र ऋण में से अल्पसंख्यकों को प्राथमिक क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के प्रतिशत में वर्ष 2007–08 में 10.6% से वर्ष 2013 14 के दौरान, 16.09% की सतत् वृद्धि हुई है। पीएसएल के अंतर्गत, 2013 14 के दौरान, अल्पसंख्यकों हेतु कुल उपलब्धि के संदर्भ में संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय की उपलब्धि का प्रतिशत निम्नानुसार है :

(क)	मुस्लिम	:	44.31
(ख)	सिक्ख	:	24.58
(ग)	ईसाई	:	21.87
(घ)	बौद्ध	:	2.06
(ङ)	पारसी	:	2.23
(च)	जैन	:	4.96

2.6 वर्ष 2013–14 के दौरान, प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के तहत शामिल की गयी उन योजनाओं की उपलब्धियां, जिनके तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रवाह/लाभ की निगरानी रखी जाती है, नीचे दर्शायी गयी हैं :

क्रम सं.	योजना का नाम एवं संबद्ध मंत्रालय/विभाग	उपलब्धि (वित्तीय) (कवर किए गए अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों की संख्या और स्वीकृत परियोजना लागत)
1.	शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाएं (बीएसयूपी): आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एचयूपीए)	₹6813.03 करोड़ (17 शहर)
2.	समन्वित आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) : आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	₹ 2237.06 करोड़ (103 शहर)
3.	शहरी अवसंरचना एवं शासन (यूआईजी), शहरी विकास मंत्रालय	₹ 9,476.71 करोड़ (77 शहर)
4.	छोटे एवं मध्यम नगरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (टूआईडीएसएसएमटी), शहरी विकास मंत्रालय	₹ 2,725.24 करोड़ (110 शहर)
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी): पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (डीडब्ल्यूएस) (31.12.2013 तक)	अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों में 6522 आवासों को कवर करने हेतु कुल स्वीकृत ₹ 1836.21 करोड़।

2.7 अल्पसंख्यक संस्थानों/स्कूलों हेतु विशेष पहलों के रूप में 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल योजनाओं के अंतर्गत 2013 14 की उपलब्धियां:

क्रम सं.	योजना का नाम एवं संबद्ध मंत्रालय/विभाग	उपलब्धि
1.	मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना (एसपीक्यूईएम): मानव संसाधन विकास मंत्रालय	35,376 शिक्षकों को नियोजित करते हुए 14,859 मदरसों हेतु ₹182.73 करोड़ की राशि जारी की गई।
2.	अल्पसंख्यक संस्थानों में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई): मानव संसाधन विकास मंत्रालय	229 संस्थानों हेतु ₹ 24.99 करोड़ की राशि जारी की गई।

2.8 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा यह सूचित किया गया है कि वर्ष 2012 13 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, 124 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों आदि ने 23,839 अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों की भर्ती की है, जो की गई कुल भर्ती का 6.91% बनता है।

2.9 प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। वर्ष 2009 में, सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय समितियों में लोक सभा से दो सांसद और राज्य सभा से एक सांसद को शामिल करने तथा राज्य सरकार द्वारा विधान सभा के दो विधायकों को नामित करने की मंजूरी दी थी। तथापि, राज्य स्तरीय समिति में शामिल किए गए सदस्यों में लोक सभा के एक तथा विधान सभा के सदस्य को उन राज्यों के किसी भी अल्पसंख्यक बहुल जिले में से चुना हुआ होना चाहिए, जिनमें अल्पसंख्यक बहुल जिले हैं। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति के संबंध में, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के एक सदस्य जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, के अलावा उस जिले के सभी संसद सदस्य और विधायक इस जिला स्तरीय समिति में शामिल किए जाएंगे।

अध्याय–3

सच्चर समिति की रिपोर्ट और अनुवर्ती कार्रवाई

भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़े/जानकारी एकत्र करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजिन्द्र सच्चर की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने दिनांक 17 नवम्बर, 2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में कई निर्णय लिए और विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है :

3.1 वित्तीय सेवाएं विभाग :

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को निदेश दिए गए हैं कि वे अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों में अधिक से अधिक शाखाएं खोलें। वर्ष 2013 14 के दौरान, 1,589 नई शाखाएं खोली गई। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले जिलों (एमसीडी) में 19,119 बैंक शाखाएं कार्य कर रही हैं।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ऋण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण संबंधी अपने मास्टर सर्कुलर को 1 जुलाई, 2013 को संशोधित किया है। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, ₹ 2,40,837.98 करोड़ का ऋण अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया, जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 16.09% है।

(iii) प्रमुख बैंकों की जिला परामर्शी समितियां (डीसीसी) अल्पसंख्यकों के ऋण आवेदनों के निस्तारण और उन्हें अस्वीकार किए जाने के कार्य पर नियमित मॉनीटरिंग कर रही हैं।

(iv) महिलाओं में लघु वित्त ऋण को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक महिलाओं के 6,04,698 खाते खोले गए तथा ₹ 4,439.39 करोड़ का लघु ऋण दिया गया।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/जिलों/नगरों में जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2013 14 के दौरान, ऐसे क्षेत्रों में 8,764 जागरूकता अभियान चलाए गए।

(vi) वर्ष 2013 14 के दौरान, प्रमुख बैंकों ने अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले ब्लॉकों/जिलों/नगरों में 4,585 उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए और लाभार्थियों की संख्या 1,04,630 है तथा लाभार्थियों को ₹ 219.98 करोड़ की राशि का ऋण दिया गया।

3.2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय :

सच्चर समिति द्वारा यथा इंगित मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन की समस्या के समाधान हेतु एक बहु आयामी कार्यनीति अपनाई गई है, जो नीचे दर्शायी गई है:

(क) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के मानदण्ड को 1 अप्रैल, 2008 से संशोधित किया गया है, ताकि 30% से कम ग्रामीण महिला साक्षरता वाले ब्लॉकों तथा राष्ट्रीय औसत से नीचे के महिला साक्षरता वाले शहरी क्षेत्रों को योजना में शामिल किया जा सके। अभी तक अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्वीकृत 555 केजीबीवी में से 543 को शुरू कर दिया गया है।

(ख) माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा सुलभ कराने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) नामक योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोले जाने को वरीयता देने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे योजना के तहत प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करते समय अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नए स्कूलों की स्थापना/स्कूलों के उन्नयन को प्राथमिकता दें। शुरूआत से देश में स्वीकृत कुल 10,229 नए माध्यमिक स्कूलों में से 1,160 को अल्पसंख्यक बहुल जिलों में मंजूरी दी गई है और इनमें से 864 ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

(ग) देश के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में एक एक मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित किया जाएगा। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 374 जिलों में से 67 जिले अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों में हैं। वर्ष 2013 14 के दौरान, 44 मॉडल कॉलेजों की राष्ट्रीय उपलब्धि की तुलना में, ₹ 24.80 करोड़ के व्यय से 11 नए मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना की गई है।

(घ) पालिटेक्निकों संबंधी सब मिशन की योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्तर पर 291 जिले वित्तीय सहायता हेतु लक्षित हैं, जिनमें से 57 जिलें अल्पसंख्यक बहुल जिले (एमसीडी) हैं। संचयी रूप से 2009 से 31.03.2014 तक राष्ट्रीय स्तर पर 291 पालिटेक्निकों के लिए ₹ 2,113.69 करोड़ जारी किए गए थे, जिसमें से ₹ 336.78 करोड़ (कुल निर्मुक्त निधि का 15.93%) अल्पसंख्यक बहुल जिलों के 55 पालिटेक्निकों हेतु जारी किए गए थे।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अल्पसंख्यक विशेषकर, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कालेजों और विश्वविद्यालयों में और अधिक बालिका छात्रावासों की व्यवस्था करने को वरीयता दी जाती है। वर्ष 2013–14 के दौरान, ₹ 6.314 करोड़ के व्यय से 47 महिला छात्रावासों को मंजूरी दी गई है।

(च) क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित कर दो योजनाओं में बांटा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना (एसपीक्यूईएम) की शुरूआत की गई थी। इसमें शिक्षकों को बेहतर वेतन प्रदान करने तथा पुस्तकों, शिक्षण सामग्रियों और कम्प्यूटरों के लिए अधिक सहायता प्रदान करने और व्यावसायिक विषयों की शुरुआत करने आदि जैसे आकर्षक प्रावधान शामिल है। वर्ष 2013 14 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत 14859 मदरसों तथा 35376 शिक्षकों की सहायता के लिए ₹ 182.73 करोड़ की राशि जारी की गई है। दूसरी योजना, जो सहायता–प्राप्त/सहायता–रहित अल्पसंख्यकों के निजी संस्थानों में अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी है, की भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरूआत की गई थी। वर्ष 2013 14 के दौरान, 229 संस्थानों की सहायता के लिए आईडीएमआई के अंतर्गत ₹ 24.99 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई है।

(छ) परिवर्ती उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, राज्य मदरसा बोर्डों द्वारा, जिनके प्रमाण पत्रों और अर्हताओं को तत्संबंधी राज्य बोर्डों द्वारा समकक्ष माना गया है, जारी प्रमाण पत्रों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), कॉउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन इन इंडिया (सीओबीएसई) अथवा/और किसी अन्य स्कूल परीक्षा बोर्ड के समकक्ष माना जाएगा। वर्ष 2005 से 31.07.2013 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों का दर्जा देने वाले 8,419 प्रमाण पत्र जारी किए हैं. ।

(ज) तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद में उर्दू माध्यम के अध्यापकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु अकादमियां स्थापित की गई हैं। 11वीं योजना के दौरान, 5,092 उर्दू शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा तीनों अकादमियों प्रत्येक को 4 करोड़ रु0 की राशि मंजूर की गई थी।

(झ) संशोधित योजना के तहत, ऐसे किसी क्षेत्र के सरकारी स्कूल में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है, जिस क्षेत्र में उर्दू बोलने वालों की आबादी 25% से अधिक हो। वित्तीय सहायता राज्य सरकार के स्कूलों में नियुक्त उर्दू शिक्षकों के लिए प्रचलित वेतन ढांचे पर आधारित होगी। अंश कालिक उर्दू शिक्षकों को मानदेय भी स्वीकार्य है। वर्ष 2012–13 के दौरान, पंजाब सरकार को 42 उर्दू शिक्षकों के वेतन के लिए ₹1.3 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई थी। योजना में और संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार भारत सरकार उर्दू शिक्षकों, जहां किसी कक्षा के 15 अथवा इससे अधिक छात्र इसका विकल्प लेते हैं, की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

(ञ) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्रों में समुदाय आधारित जागरूकता अभियान चलाने की सलाह दी गई है। 410 पात्र जिलों में से 372 जिलों में, जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वयस्क महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत या इससे नीचे है, साक्षर भारत क्रियान्वित किया जा रहा है। साक्षर भारत के अंतर्गत, मुस्लिम बहुल आबादी वाले 88 जिलों में से 61 जिलों को शामिल किया गया है।

(ट) संशोधित योजनाओं में जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में, देश में मुस्लिम बहुल आबादी वाले 88 जिलों में से 33 जिलों में जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जेएसएस कार्यक्रम के अंतर्गत, 31.10.2013 की स्थिति के अनुसार, अल्पसंख्यकों का कवरेज 12.31% की सीमा तक था। वर्ष 2013-14 के दौरान, 1,16,911 भर्तियों में से 14,065 अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं।

(ठ) वर्ष 2008-09 से देश के सभी क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई है तथा इसमें उच्चतर प्राथमिक स्कूलों को भी शामिल किया गया है। मुस्लिम बहुल आबादी वाले ब्लॉकों को योजना के तहत शामिल किया जा रहा है। योजना के स्वतंत्र मूल्यांकन से पता चलता है कि योजना का सकारात्मक शैक्षणिक, पौषणिक एवं सामाजिक प्रभाव पड़ा है।

(ङ) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को विद्यमान स्कूल भवनों और सामुदायिक भवनों को स्कूली बच्चों के लिए अध्ययन केन्द्र के रूप में प्रयोग में लाने की सलाह दी गई है।

(ढ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 (एनसीएफ) के आलोक में सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं। इक्कीस राज्यों ने एनसीएफ, 2005 के अनुसार अपने पाठ्यक्रमों को संशोधित कर लिया है, जबकि एक राज्य ऐसा करने की प्रक्रिया में है। दस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनसीईआरटी सिलेबस का जबकि तीन संघ राज्य क्षेत्रों ने पड़ोसी राज्यों की पाठ्यपुस्तकों अथवा एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करते हैं।

(ण) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अपवर्जन और समावेशी नीति के अध्ययन हेतु 35 विश्वविद्यालयों ने अध्ययन केन्द्रों की शुरूआत की है। यूजीसी ने 23 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 114 राज्य विश्वविद्यालयों, 12 मानद विश्वविद्यालयों तथा 2179 कॉलेजों में अल्पसंख्यक एससी/एसटी/ओबीसी के लिए 2328 समान अवसर प्रकोष्ठों की स्थापना की है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ₹ 46.07 करोड़ की निर्मुक्ति की।

3.3 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय :

(क) समान अवसर आयोग (ईओसी) की संरचना और कार्यों संबंधी अध्ययन और अनुशंसा के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट 13 मार्च, 2008 को सौंपी। विविधता सूचकांक की अवधारणा को समान अवसर आयोग में शामिल किया गया है। समान अवसर आयोग का प्रारूप विधेयक विधि एवं न्याय मंत्रालय से परामर्श करके तैयार किया गया था और प्रारूप विधेयक को मंत्रिमंडल द्वारा 20.02.2014 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है। विधेयक को संसद में पुरःस्थापित करने की कार्रवाई चल रही है।

(ख) लोक सभा द्वारा यथा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010, दिनांक 31.8.2010 को राज्य सभा की प्रवर समिति को भेजा गया। राज्य सभा की प्रवर समिति की वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010 से संबंधित रिपोर्ट राज्य सभा के पटल पर दिनांक 16.12.2011 को रखी गयी। वक्फ (संशोधन) विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तथा 1 नवम्बर, 2013 से वक्फ संशोधन अधिनियम, 2013 लागू हो गया है।

(ग) सरकार ने ₹ 500 करोड़ की प्राधिकृत पूंजी के साथ राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नावाडको) बनाया है। प्राधिकृत शेयर पूंजी में अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) का 49%, केन्द्रीय वक़्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) का 9% तथा निजी वक़्फ संस्थानों तथा सार्वजनिक का 42% अंशदान होगा।

(घ) सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के पुनर्गठन को "सिद्धान्ततः" स्वीकृति प्रदान कर दी है। निगम के पुनर्गठन संबंधी ब्यौरे तैयार करने हेतु एक कंसल्टेन्सी फर्म को नियुक्त किया गया था। फर्म ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, जिसकी मंत्रालय में जांच की गई। सचिव (अ0 का0) तथा आरबीआई, नाबार्ड के अधिकारियों को मिलाकर गठित समिति ने एनएमडीएफसी के पुनर्गठन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया। इस समिति की अनुशंसा के आधार पर एनएमडीएफसी के पुनर्गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ङ) अल्पसंख्यक बहुल अभिज्ञात 338 नगरों के विकास हेतु उपयुक्त कार्यनीति और कार्य योजना तैयार करने के लिए गठित अंतरमंत्रालयीन कार्य दल द्वारा 08 नवम्बर, 2007 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। संबंधित मंत्रालयों/विभागों को इन 338 नगरों में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। अंतरमंत्रालयीन कार्य दल ने निम्नलिखित व्यापक अनुशंसाएं कीं :

(1) शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य अवसंरचना में पता लगाई गई कमियों को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना है।

(2) मूलभूत सुविधाओं में पता लगाई गई कमियों को शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना है।

(3) वित्तीय सेवा विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों को प्राथमिक क्षेत्र ऋण का प्रतिशत 2010 तक बढ़ाकर 15% किया जाना है। तदनुसार मंत्रालयों/विभागों को समुचित सलाह दी गई थी।

(च) अल्पसंख्यक समुदाय के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाएं नामतः पहली से दसवीं कक्षा के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना, 11वीं से पीएच0डी तक की शिक्षा के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इन योजनाओं के तहत, वर्ष 2013 14 के दौरान, अल्पसंख्यक समुदाय के 87.85 लाख छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए ₹ 1339.55 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई। इसके अलावा, एमफिल तथा पीएच0डी शोधकर्ताओं हेतु मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना नामक अध्येतावृत्ति योजना कार्यान्वयनाधीन है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से वर्ष 2013 14 में 756 नई अध्येतावृत्तियां साथ ही विगत के मामलों के 3020 नवीकरणों के लिए ₹ 50 करोड़ की निर्मुक्ति की गई है।

(छ) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की योजनाओं के तहत, वर्ष 2013 14 के दौरान, 120 गैर सरकारी संगठनों को शैक्षणिक संस्थानों के अवसंरचना विकास हेतु ₹15.04 करोड़ सहायता अनुदान दिया गया है और कक्षा XI और XII की मेधावी छात्राओं को ₹ 42.19 करोड़ के व्यय की छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

(ज) वर्ष 2006 07 में संशोधित कोचिंग एवं संबद्ध योजना की शुरूआत हुई थी। वर्ष 2013 14 के लिए 6000 अभ्यर्थियों को कोचिंग देने के लक्ष्य के लिए ₹ 23.66 करोड़ का व्यय वहन करते हुए अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 9997 छात्रों/अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता दी गयी है।

(झ) वर्ष 2008 09 में 90 अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) की शुरुआत की गई। 11वीं योजना के दौरान, ₹ 3734 करोड़ के केंद्रीय शेयर से 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की योजनाएं अनुमोदित की गईं तथा 2935.30 करोड़ रु0 राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को निर्मुक्त किए गए। वर्ष 2012 13 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों हेतु ₹ 1109.74 करोड़ रु0 की जिला योजनाओं को अनुमोदित किया गया है तथा ₹ 646.42 करोड़ रु0 निर्मुक्त किए गए हैं।

सरकार ने 12वीं योजना के दौरान, बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पुनर्गठन को अनुमोदित किया है। योजना की ईकाई को बदलकर जिलों के बजाए ब्लॉकों/नगरों/गांवों के समूह को बना दिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 710 ब्लॉकों तथा 66 नगरों को कार्यान्वयन हेतु अभिज्ञात किया गया है। वर्ष 2013–14 के दौरान, ₹ 1466.98 करोड़ की परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया तथा 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार ₹ 958.23 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई है।

3.4 सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय :

सामाजिक धार्मिक समुदायों के लिए विभिन्न समाजिक आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदंडों से संबंधित आंकड़े संकलित करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में एक राष्ट्रीय डाटा बैंक स्थापित किया गया है। जनसंख्या संबंधी 97 तालिकाएं (जनगणना 2001 तथा जनगणना 2011) सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं।

3.5 योजना आयोग :

(क) उचित एवं सुधारात्मक नीतिगत निर्णय लेने के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के विश्लेषण हेतु योजना आयोग में स्वायत्त आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण स्थापित किया गया था। चूंकि दिनांक 15 जनवरी, 2011 को आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का कार्यकाल समाप्त हो गया, इसलिए योजना आयोग ने आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का पुनर्गठन किया और नवपुनर्गठित आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण ने तीन कार्य समूहों का सृजन किया। तीनों कार्य समूहों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। फिलहाल आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण का कार्यकाल 30.06.2014 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) कौशल विकास संबंधी प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद (पीएमएनसीएसडी), योजना आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वयन बोर्ड (एनएसडीसीबी) तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) को शामिल करते हुए केंद्रीय स्तर पर मई, 2013 तक कौशल विकास हेतु एक त्रि स्तरीय संस्थागत संरचना कार्य कर रही थी। तथापि, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयानुसार पीएमएनसीएसडी, एनएसडीसीबी तथा कौशल विकास संबंधी प्रधानमंत्री के सलाहकार के कार्यालय को राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) में मिला लिया गया है। एनएसडीए वित्त मंत्रालय के अधीन एक स्वायत निकाय है तथा इसे अन्य बातों के अलावा, सरकार और निजी क्षेत्र के कौशल विकास संबंधी प्रयासों में ताल मेल बिठाने और उनका समन्वयन करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है ताकि 12वीं योजना तथा इसके पश्चात के कौशल संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके तथा सामाजिक, धार्मिक, लैंगिक एवं आर्थिक विभाजन को दूर किया जा सके।

3.6 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग :

(क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सरकारी कर्मचारियों की जानकारी हेतु एक प्रशिक्षण माड्यूल तैयार किए गए हैं। ये माड्यूल प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय/राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को भेजे गये हैं।

(ख) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के थानों में मुस्लिम पुलिस कार्मिकों तथा मुस्लिम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और शिक्षकों की तैनाती करें।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के थानों में मुस्लिम पुलिस कार्मिकों तथा मुस्लिम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और शिक्षकों की तैनाती करने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए अनुदेश जारी किए हैं। प्रत्युत्तर में, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस संबंध में समुचित परिपत्र जारी किए गए हैं।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सूचित किया है कि वर्ष 2012–13 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, 124 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएससी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों आदि में 22,839 अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों की भर्ती की है, जो की गई कुल भर्तियों का 6.91% बनता है।

3.7 गृह मंत्रालय :

(क) परिसीमन अधिनियम की समीक्षा के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने सच्चर समिति की रिपोर्ट में परिसीमन योजनाओं के तहत आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में खामियों के संदर्भ में व्यक्त चिंताओं पर विचार किया है तथा अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुझाव दिए गए अनुसार परिसीमन अधिनियम पर मंत्रियों के समूह द्वारा विचार किया गया था तथा इसे मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर, परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2008 प्रख्यापित किया गया, जिसे तदनंतर परिसीमन अधिनियम, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(ख) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के कार्यसमूह द्वारा "साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा निवारण (न्याय एवं क्षतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक, 2011" शीर्षकयुक्त विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा विधेयक को दिनांक 25.7.2011 को गृह मंत्रालय को भेजा गया। इसकी जांच की गई तथा इसके उपरांत साम्प्रदायिक हिंसा निवारण (न्याय एवं क्षतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक, 2013 शीर्षकयुक्त एक नया विधेयक तैयार किया गया, जिसका 16.12.2013 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया। साम्प्रदायिक हिंसा निवारण (न्याय एवं क्षतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक, 2014 शीर्षकयुक्त विधेयक को संसद के शीत सत्र में पुरःस्थापित करने के लिए दिनांक 20.01.2014 को राज्य सभा में नोटिस दिया गया। तथापि, दिनांक 05.02.2014 को राज्य सभा में विचार विमर्श के उपरांत, इसके पुरःस्थापन को आस्थगित कर दिया गया। "साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण एवं पीड़ितों की पुनर्वास) विधेयक, 2005" शीर्षयुक्त विधेयक, जो राज्य सभा में लंबित था, 05.02.2014 को वापस ले लिया गया है।

3.8 शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय :

(i) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), शहरी अवसंरचना एवं गवर्नेंस (यूआईजी), लघु एवं मध्यम नगरों में शहरी अवसंरचना विकास की योजना (यूआईडीएसएसएमटी), समेकित आवास

एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) तथा शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवायें (बीएसयूपी) के तहत निधियों के प्रवाह को कारगर बनाने हेतु अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले नगरों और शहरों में धनराशि के प्रवाह के आवश्यक उपाय किए गए हैं, ताकि ऐसे नगरों और शहरों से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान शामिल हों।

(क) यूआईजी के अंतर्गत, अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 77 शहरों के लिए ₹ 9,476.71 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

(ख) यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत, अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 110 नगरों के लिए ₹ 2,725.24 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

(ग) आईएचएसडीपी के अंतर्गत, अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले 103 नगरों के लिए ₹ 2,237.06 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

(घ) बी0 एस0 यू0 पी0 के अंतर्गत, 17 नगरों के लिए ₹ 6,813.03 करोड़ की मंजूरी दी गई है।

(ii) आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी और केरल राज्य सरकारों को वक्फ बोर्ड परिसंपत्तियों पर किराया नियंत्रण अधिनियम से छूट दी गई है, जबकि अरूणाचल प्रदेश, दमन दीव और नागालैंड राज्यों ने सूचित किया है कि उनके राज्य में वक्फ संपत्ति नहीं है।

3.9 श्रम और रोजगार मंत्रालय :

असंगठित क्षेत्र में, जिसमें अन्य के साथ साथ गृह आधारित कामगार शामिल हैं, को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया है।

3.10 संस्कृति मंत्रालय :

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आने वाली वक्फ संपत्तियों की सूची की समीक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परिमंडलों की राज्य वक्फ बोर्डों के साथ बैठकें आयोजित की गयी हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा वक्फ संपत्तियां, जो केंद्र द्वारा संरक्षित हैं, की सूची तैयार की गई है और इसे संबंधित प्राधिकारियों को अपने अपने राज्य वक्फ बोर्डों के साथ बैठकें आयोजित करने के निर्देश देते हुए परिचालित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय एएसआई के अंतर्गत, वक्फों की सूची की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद के साथ नियमित बैठक कर रहा है। ऐसी विगत बैठक दिनांक 07.01.2013 को आयोजित की गई।

3.11 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय :

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से जुड़ी योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार–प्रसार क्षेत्रीय भाषाओं में किया जा रहा है।

3.12 पंचायती राज मंत्रालय एवं शहरी विकास मंत्रालय :

शहरी विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि निम्ननिखित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं: आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दमण दीव, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन ने सूचित किया है कि द्वीप समूह में किसी भी समुदाय को धार्मिक अथवा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित नहीं किया गया है। तथापि, मौजूदा परिषद में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखने वाले सदस्य शामिल हैं, जिन्हें निगम चुनाव की सामान्य प्रक्रिया के तहत चुना गया है। अरूणाचल प्रदेश ने अभी तक शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) का गठन नहीं किया है। छत्तीसगढ़ सरकार मामले पर विचार कर रही है। गोवा में यूएलबी में अल्पसंख्यकों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए हिमाचल प्रदेश के निगम की कार्रवाईयों में कोई व्यवस्था नहीं है।

पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल के आधार पर स्थानीय निकायों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति में सुधार लाने के लिए अपेक्षित एडवाइजरी जारी की है।

3.13 सूचना और प्रसारण मंत्रालय :

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर फिल्म चित्र जारी किए जाते रहे हैं। इन फिल्म चित्रों में छात्रवृत्ति योजनाओं तथा सच्चर समिति रिपोर्ट के अनुसरण में की गई पहलों से संबंधित जानकारी शामिल की गयी है।

बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना (एमएसडीपी)

क. सिंहावलोकन

4.1 बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) सच्चर समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तौर पर शुरू किया गया था। यह अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में वर्ष 2008 09 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। यह सामाजिक आर्थिक अवसंरचना का सृजन करते हुए तथा मूल भूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास संबंधी कमियों को दूर करने की क्षेत्र विकास पहल है।

4.2. 11वीं योजना के दौरान, अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) की पहचानः

जिला स्तर पर धर्म विशिष्ट सामाजिक आर्थिक संकेतक :

(i) साक्षरता दर;
(ii) महिला साक्षरता दर;
(iii) कार्य में भागीदारी दर; और
(iv) महिलाओं द्वारा कार्य में भागीदारी दर

जिला स्तर पर आधारभूत सुविधा संकेतक :

(i) पक्की दीवार वाले मकानों का प्रतिशत;
(ii) स्वच्छ पेयजल वाले मकानों का प्रतिशत;
(iii) विद्युत सुविधा वाले मकानों का प्रतिशत; और
(iv) जल सुविधा युक्त शौचालय वाले मकानों का प्रतिशत

4.3 अल्पसंख्यकः राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित समुदायों को एमएसडीपी के प्रयोजनार्थ अल्पसंख्यक माना जा रहा है।

ख. 12वीं पंचवर्षीय योजना में एमएसडीपी का पुनर्गठनः

4.4 सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के पुनर्गठन का इसके कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन किया है। कार्यक्रम का और अधिक प्रभावी तथा लक्षित अल्पसंख्यकों पर उच्च ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठित एमएसडीपी में जिले के बजाय ब्लॉकों/नगरों को योजना की ईकाई बना दिया गया है ताकि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान दिया जा सके। 12वीं योजना के दौरान, कार्यान्वयन के लिए इस कार्यक्रम में अब अभिज्ञात 710 ब्लॉक तथा 66 नगर हैं। इसके अलावा, 12वीं योजना के दौरान, एमएसडीपी के कार्यान्वयन हेतु निकटस्थ अल्पसंख्यक बहुल गांवों के समूहों की भी पहचान की जाएगी।

4.5 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/नगरों (एमसीबी/एमसीटी) तथा गांवों के समूहों की पहचानः

(i) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक (एमसीबी): 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़ेपन के अपनाए गए मानदंडों के आधार पर चुने गए पिछड़े जिलों में रहने वाली न्यूनतम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले ब्लॉकों की पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों (एमसीबी) के रूप में पहचान की गई है। 6 राज्यों के मामले में जहां अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्या में हैं, अल्पसंख्यक आबादी के 15% का न्यूनतम कटऑफ उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अधिसंख्या वाले अल्पसंख्यक समुदाय की अपेक्षा स्वीकार किया गया है। चुनिन्दा ब्लॉकों में उच्चतर अल्पसंख्यक आबादी वाले गांवों को ग्राम स्तरीय अवसंरचनाओं/परिसंपत्तियों के सृजन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। जनगणना, 2001 के आंकड़ों के आधार पर 155 पिछड़े जिलों में आने वाले ऐसे कुल 710 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों की पहचान की गई है। तथापि, यह जनगणना, 2011 के आंकड़ों की उपलब्धता के अध्यधीन होगा तथा वे क्षेत्र जो पुनर्गठित कार्यक्रम के क्रियान्वयन के उपरांत भी निरंतर रूप से पात्र बने रहते हैं, को कवर किया जाएगा।

(ii) अल्पसंख्यक बहुल नगर (एमसीटी) : कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय औसत से नीचे के सामाजिक, आर्थिक एवं आधारभूत सुविधा मानदंडों वाले न्यूनतम 25% अल्पसंख्यक आबादी वाले नगरों/शहरों (6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अधिसंख्या वाले अल्पसंख्यक समुदाय की अपेक्षा अल्पसंख्यक आबादी के 15%) की पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों के रूप में पहचान की गई है। अल्पसंख्यक बहुल जिलों के बाहर वाले 53 जिलों के कुल 66 अल्पसंख्यक बहुल नगरों की कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु पहचान की गई है। इन नगरों/शहरों की भारत के अल्पसंख्यकों के भौगोलिक वितरण की विवक्षाओं संबंधी टास्क फोर्स (प्रो0 मालचंद्र मुंगेकर की अध्यक्षता वाली) द्वारा और पिछड़े नगरों के रूप में भी पहचान की गई थी। यह कार्यक्रम नगरों/शहरों में अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने हेतु कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा सहित केवल शिक्षा के संवर्धन हेतु क्रियाकलाप करने के लिए अभिप्रेत है।

(iii) अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों के बाहर स्थित अल्पसंख्यक बहुल गांवों के समूह : पिछड़े जिलों में ब्लॉकों के साथ सटे हुए समीपस्थ अल्पसंख्यक गांवों के समूहों **(कम से कम 50% अल्पसंख्यक आबादी वाले)** जिन्हें अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों के रूप में चयनित नहीं किया गया है, की पहचान की जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों के गागले गें, ऐसे गांव जिनगें अल्पसंख्यक आबादी 25% है, की पहचान की जाएगी। लगभग 500 गांव, जो अल्पसंख्यक बहुल ब्लाकों के बाहर स्थित हैं, उनको चयनित किया जाना है।

ग. निगरानी तंत्र

4.6 15 सूत्री कार्यक्रम के लिए जिला एवं राज्य स्तरीय समितियां क्रमशः जिला एवं राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र में, अधिकार प्राप्त समिति भी कार्यक्रम को मॉनीटर करने के लिए निगरानी समिति के रूप गें कार्य करती है। सचिवों की समिति (सीओएस) द्वारा छह महीने गें एक बार 15 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा के साथ साथ इस कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति की भी समीक्षा की जाती है और फिर प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के साथ मंत्रिमंडल को सूचना दी जाती है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भी तिमाही आधार पर प्रगति को मॉनीटर किया जाता है।

4.7 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सचिवों के नियमित सम्मेलनों के माध्यम से इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करता है। मंत्रालय कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा के लिए जिला

अधिकारियों तथा राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित करता है। इसके अलावा, क्रियान्वयनकर्ता अधिकारियों के निरंतर फॉलोअप के तौर पर जिला एवं राज्य के अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस भी की जाती है। साथ ही, मंत्री (अल्पसंख्यक कार्य) तथा सचिव, अल्पसंख्यक कार्य की ओर से मुख्यमंत्रियों तथा प्रमुख सचिवों को उनके राज्यों में लंबित महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में ग्रहणशील बनाने के लिए पत्र भी भेजे गए हैं।

घ. एमएसडीपी के कार्यान्वयन की स्थिति:

I. 11वीं योजना के दौरान:

क) आर्थिक प्रगति: 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए ₹ 3780 करोड़ के कुल आबंटन में से ₹ 3733.90 करोड़ (आबंटन का 99%) के केंद्रीय शेयर वाली योजनाओं/परियोजनाओं को अनुमोदन दे दिया गया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ₹ 2935.93 करोड़ निर्मुक्त किए गए हैं। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार राज्य सरकारों ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए उन्हें निर्मुक्त की गई कुल निधि में से ₹ 2301.90 करोड़ (78.40%) का उपयोग किया है।

ख) वास्तविक प्रगति:

क्रम सं.	परियोजनाओं के नाम	अनुमोदित ईकाइयों की संख्या	पूर्ण किए गए कार्य	कार्य प्रगति पर
1	इंदिरा आवास योजना	301221	212801	39672
2	स्वास्थ्य केंद्र	2537	1786	367
3	आंगनवाड़ी केंद्र	27595	18388	5082
4	पेयजल आपूर्ति	35775	21881	2766
5	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	13508	7916	2721
6	स्कूल भवन	660	356	258
7	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	72	3	31
8	पालिटेक्निक संस्थान	31	0	22
9	सौर लालटेन/सौर प्रकाश	30314	13488	3941
10	छात्रावास	334	69	168

II. 12वीं योजना के दौरान:–

(क) आर्थिक प्रगति: 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस कार्यक्रम के लिए ₹ 5775 करोड़ के कुल आबंटन में से ₹2576.72 करोड़ के केंद्रीय शेयर वाली योजनाओं/परियोजनाओं को अनुमोदन दे दिया गया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31.03.2014 तक ₹1599.50 करोड़ निर्मुक्त किए गए हैं।

(ख) **वास्तविक प्रगतिः** 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, एमएसडीपी के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की कुल संख्या में अग्रलिखित शामिल है। इंदिरा आवास योजना के मकान 34522, स्वास्थ्य केंद्र 1108, आंगनवाड़ी केंद्र 6938, हैंड पम्प 16358, पेयजल सुविधा 5023, अतिरिक्त कक्षा कक्ष 7348, स्कूल भवन 432, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 45, पोलिटेक्निक संस्थान 13, छात्रावास 311, मुफ्त साईकिल 1700 तथा कौशल प्रशिक्षण 28386।

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना

5.1 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना को 30 जनवरी, 2008 को स्वीकृति मिली थी। यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से केन्द्र और राज्य के मध्य 75:25 के अनुपात में वित्तीय भागीदारी से एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से होता है। मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र छात्रों को पिछली परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए होने चाहिए तथा उनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रुपए ₹1.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.2 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012 17) के दौरान 414.50 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने और नवीकरण हेतु ₹ 5000.00 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित की गई हैं। वर्ष 2013 14 के दौरान ₹ 963.70 करोड़ की राशि जारी की गई तथा 77.94 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इसमें से 54.92% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए थीं।

5.3 मंत्रालय का यह सतत प्रयास रहा है कि छात्रवृत्ति योजनाओं में पारदर्शिता की स्थिति में सुधार लाया जाए। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रत्येक छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तरों को अपलोड कर दिया गया है। इसी प्रकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदान की गयी छात्रवृत्तियों की सूची को उनकी वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वेबसाइटों को मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in से जोड़ा गया है। मंत्रालय की वेबसाइट पर सूचनाओं को नियमित तौर पर अद्यतन किया जाता है। छात्रों की सहायतार्थ एक हेल्पलाइन की व्यवस्था की गयी है, जो कार्य दिवसों के दिन कार्य करती है।

5.4 इस योजना के तहत राज्य वार एवं समुदाय वार वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों के ब्यौरे **अनुलग्नक–IV** पर देखी जा सकते हैं।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

6.1 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की शुरूआत नवम्बर, 2007 में 100% केन्द्रीय वित्तीय सहायता वाली केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में हुई थीं और यह राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। यह छात्रवृत्ति केवल भारत में सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज तथा आवासीय सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज तथा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन द्वारा पारदर्शी ढंग से अधिसूचित चुनिंदा एवं पात्र निजी संस्थानों में अध्ययन के लिए दी जाती है। पिछली अंतिम परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए ऐसे छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं जिनके माता–पिता/संरक्षकों की वार्षिक आय ₹ 2 लाख से अधिक न हो। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित की गई हैं। यदि पर्याप्त संख्या में छात्राएं उपलब्ध नहीं होती हैं, तो छात्रवृत्तियां पात्र छात्रों को प्रदान कर दी जाती हैं।

6.2 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012 17) की योजना अवधि के दौरान 25 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान करने और नवीकरण के लिए ₹ 2850.00 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2013 14 (31.03.2014 तक) के दौरान, 8.91 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए ₹ 513.56 करोड़ की राशि निर्मुक्त की गई है। इसमें से 54.92% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए हैं।

6.3 राज्य वार एवं समुदाय वार वास्तविक एवं वित्तीय दोनों उपलब्धियों के ब्यौरे **अनुलग्नक V** पर हैं।

मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

7.1 मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो वर्ष 2007 में शुरू की गयी थी। इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से किया जा रहा है। इसका संपूर्ण व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वालों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियों के नवीकरण के अतिरिक्त 60,000 छात्रवृत्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है।

7.2 इन छात्रवृत्तियों में से 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राओं के अनुपलब्ध होने पर इनका उपयोग छात्रों द्वारा किया जा सकता है।

7.3 इस योजना के तहत व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 85 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्रों को पूरे पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। अन्य संस्थानों में अध्ययन कर रहे छात्रों को ₹ 20,000/- वार्षिक की दर से पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

7.4 छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए पात्रता यह है कि छात्र को उपयुक्त प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त किसी भी तकनीकी अथवा व्यावसायिक संस्थान में प्रवेश लिया होना चाहिए। यदि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा दिए बिना प्रवेश मिल गया हो तो उन्हें 50% से कम अंक अर्जित किया हुआ नहीं होना चाहिए। परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उपलब्धि

7.5 इस योजना की शुरूआत के समय से 31 मार्च, 2014 तक की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धि इस प्रकार रही –

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक रूप से स्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या				धनराशि (करोड़ ₹ में)
		नये	नवीकरण	योग	छात्राओं को दी गई छात्रवृत्तियां (%)	
2007-08 शुरू	20000	17258	0	17258	5009 (29.02%)	40.90
2008-09	35000	17099	9096	26195	8660 (33.06%)	64.73
2009-10	42000	19285	16697	35982	11684 (32.47%)	97.51
2010-11	55000	19518	21538	41056	14077 (34.29%)	108.75
2011-12	55000	19505	22929	42476	15640 (36.82%)	115.72
2012-13	60000	49842	18254	68096	23991 (35.23%)	181.21
2013-14*	60000	69377	31051	100428	39329 (39.16%)	**259.84**
योग	**327000**	**211884**	**119565**	**331491**		**868.66**

*आंकड़े दिनांक 31.03.2014 तक के हैं। राज्य–वार/समुदाय–वार उपलब्धि के ब्यौरे **अनुलग्नक–VI** में हैं।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

8.1 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति को अनुमोदन 1 अगस्त, 2009 को मिला था। इस योजना को 11 अप्रैल, 2009 को केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर प्रारंभ किया गया था। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 100% केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति का उद्देश्य, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को उच्चतर शिक्षा जैसे कि एम. फिल और पीएच.डी. जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में एकीकृत पांच वर्षीय अध्येतावृत्तियां उपलब्ध करवाना है। अध्येतावृत्ति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल है। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत अध्येतावृत्ति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अनुसंधान छात्रों को नियमित और पूर्ण कालिक एम0फिल और पीएच0डी0 करने के लिए दी जाने वाली अध्येतावृत्त के परिमान पर आधारित है। जेआरएफ/एसआरएफ के पुरस्कार के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु पूर्व एम0 फिल और पूर्व–पीएच0डी0 चरणों पर यूजीसी के प्रतिगानक, क्रमशः, स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना शामिल है, लागू होंगे। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति हेतु अभ्यर्थी के माता–पिता/अभिभावकों की आय सीमा ₹ 2.5 लाख प्रति वर्ष होगी।

8.2 योजनावधि (2012 17) के दौरान 12वीं पंचवर्षीय योजना में 3780 नई अध्येतावृत्तियों और नवीकरण प्रदान करने के लिए ₹ 430 करोड़ का परिव्यय उपलब्ध करवाया गया है। वर्ष 2012 13 के दौरान 66.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी और 754 नई अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई थी। वर्ष 2013 14 के दौरान नवीकरणों के साथ साथ अल्पसंख्यक समुदाय को 756 नई अध्येतावृतियों के लिए 50.00 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

8.3 अध्येतावृति योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मंत्रालय निरंतर प्रयासरत रहा है। इस उद्देश्य हेतु अध्येतावृत्ति योजना से संबंधित बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न और आनलाईन आवेदन करने में मदद, यूजीसी की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है। इसी तरह, यूजीसी द्वारा प्रदान की गई अध्येतावृतियों की सूची इसकी वेबसाइट अर्थात www.ugc.ac.in पर अपलोड की जा रही है।

नया सवेरा – निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना

9.1 अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए "निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना" नामक योजना इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.7.2007 से शुरू की गयी। इस योजना के दायरे को व्यापक बनाने के लिए इसे दिनांक 16.10.2008 से संशोधित किया गया था।

9.2 इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों और अभ्यर्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना है ताकि वे सरकारी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें तथा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में ख्यातिप्राप्त संस्थानों में प्रवेश पा सकें।

9.3 इस योजना के तहत, सरकारी और निजी क्षेत्र के कोचिंग संस्थानों को अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग/प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

9.4 इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों/अभ्यर्थियों को अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए। उनके माता–पिता/अभिभावकों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 3.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रों/अभ्यर्थियों के पास उस पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, जिस पाठ्यक्रम की कोचिंग वह लेना चाहता/चाहती है।

नया संघटक

9.5 निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत एक नया संघटक विज्ञान (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और/अथवा गणित) के साथ 11वीं और 12वीं कक्षाओं में अल्पसंख्यक छात्रों की अभिकेंद्रित तैयारी के लिए वर्ष 2013–14 से जोड़ा गया है। यह योजना प्रति केंद्र 100 अथवा अधिक छात्रों के हिसाब से लगभग 900 छात्रों के लिए प्रायोगिक आधार पर 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश तथा दिल्ली में शुरू की गई है। योजना के दिशानिर्देशों और निधियों की उपलब्धता के अनुसार बाद के वर्षों में और अधिक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इस योजना का संघटक बालकों और बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा से युक्त और विज्ञान की 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं को नियमित रूप से चलाने वाले तथा सीबीएससी/आईसीएससी अथवा राज्य शिक्षा बोर्डों से संबद्ध स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

9.6 इस योजना के अंतर्गत, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007 12) में 24,760 छात्रों/अभ्यर्थियों को परिधि में लेने के लिए ₹ 63 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया था। इसके विपरीत 11वीं योजना के दौरान उपलब्धि 27876 छात्रों/अभ्यर्थियों के लिए ₹ 54.60 करोड़ थी। वर्ष 2012 13 के दौरान, 6716 अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए संस्थानों को ₹ 13.99 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। वित्तीय वर्ष 2013–14 में 9997 अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए 116 कोचिंग संस्थानों को ₹ 23.66 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। इसमें 400 छात्रों के लिए विज्ञान विषयों के साथ 11वीं और 12वीं कक्षाओं में अभिकेंद्रित तैयारी कराने के लिए

दो संस्थानों को सहायता अनुदान जारी किया जाना भी शामिल है।

9.7 इस योजना से संबंधित सूचनाएं इस मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

9.8 कोचिंग के प्रकार और प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे तालिका में है:

क्र.सं.	कोचिंग / प्रशिक्षण / सुधारात्मक कोचिंग के प्रकार	कोचिंग / प्रशिक्षण / सुधारात्मक कोचिंग शुल्क	प्रतिमाह वृत्तिका राशि
1.	ग्रुप 'क' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹ 20,000 / – के अध्यधीन।	बाहरी अभ्यर्थियों के लिए ₹3000 / – और स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए ₹1500 / –
2.	ग्रुप 'ख' और 'ग' सेवाएं	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹15,000 / – के अध्यधीन।	तदैव
3.	तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹ 20,000 / – के अध्यधीन।	तदैव
4.	निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए कोचिंग	संस्थान द्वारा यथानिर्धारित, अधिकतम सीमा ₹20,000 / – के अध्यधीन।	तदैव
5.	नए संघटक विज्ञान के साथ 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए अभिकेंद्रित तैयारी	प्रति अभ्यर्थि प्रति वर्ष ₹1लाख की अधिकतम सीमा के अध्यधीन।	लागू नहीं

नई उड़ान

संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों हेतु सहायता की योजना

10.1 इस योजना का उद्देश्य संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वे संघ तथा राज्य सरकारों की सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने में पर्याप्त रुप से सक्षम हो सकें तथा ग्रुप 'ए' तथा 'बी' (संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी); राज्य लोक सेवा आयोगों (एसपीएससी) तथा कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) इत्यादि के राजपत्रित एवं गैर राजपत्रित पद) की प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता देते हुए सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है।

10.2 अभ्यर्थियों की सभी स्रोतों से कुल परिवारिक आय, प्रति वर्ष 4.5 लाख रु0 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा इस वित्तीय सहायता का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है। अभ्यर्थी केंद्र अथवा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की किसी अन्य समान योजना से लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

10.3 प्रत्येक वर्ष योजना के अंतर्गत देश भर में अधिकतम 800 अभ्यर्थियो को पात्रता मापदंड प्राप्त करने पर तब तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभ्यर्थियों का चयन किसी विशिष्ट समुदाय के लिए उपलब्ध स्लॉट्स की सीमित संख्या के मामले में मैरिट के आधार पर किया जाएगा। आर्थिक सहायता की दर अधिकतम पचास हजार रुपए (50,000 रु0 राजपत्रित पद के लिए: तथा 25,000 रु0 अराजपत्रित पद के लिए) केवल होगी। यह आर्थिक सहायता उन अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए होगी, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग; कर्मचारी चयन आयोग; अथवा राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित ग्रुप 'क' तथा 'ख' सीविल सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है।

10.4 वर्ष 2013–14 के दौरान, उन 483 अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 1,94.75 लाख रुपए जारी किए गए थे जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंगिक परीक्षाएं उत्तीर्ण की थी।

पढ़ो परदेश

अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद की योजना

11.1 इस योजना का उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को ब्याज इमदाद प्रदान करना है ताकि उनको विदेश में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिए जा सकें और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि की जा सके। इस योजना के अंतर्गत ब्याज इमदाद पात्र छात्रों को एक बार के लिए ही या तो स्नातकोत्तर, अथवा पीएच.डी स्तरों के लिए प्रदान की जाएगी। छात्र ने पाठ्यक्रमों के लिए विदेश में स्नातकोत्तर, एम.फिल अथवा पीएच.डी स्तरों पर अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया होना चाहिए। नियोजित अभ्यर्थियों अथवा बेरोजगार होने के मामले में उसके माता पिताओं/अभिवावाकों की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय 6.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी परिवार के एक लाभार्थी को एक बार ही यह इमदाद दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 30% लाभ महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा।

11.2 ऋण स्थगन अवधि के दौरान (अर्थात पाठ्यक्रम अवधि जमा एक वर्ष अथवा नौकरी मिलने के पश्चात छः माह, जो भी पहले हो) जैसा कि आईबीए की शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत निर्धारित है, आईबीए के शिक्षा ऋणों का लाभ उठाने वाले छात्रों द्वारा भुगतेय ब्याज का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। ऋण स्थगन अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात, बकाया ऋण राशि पर ब्याज का वहन छात्र द्वारा मौजूदा शिक्षा ऋण योजना के अनुसार, जिसमें समय समय पर संशोधन किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। अभयर्थी ऋण स्थगन अवधि के बाद मूल किस्तों और ब्याज वहन करेगा।

11.3 वर्ष 2014 15 के लिए बजट आबंटन 4.00 करोड़ रुपए हैं। वर्ष 2014 15 के लिए वास्तविक लक्ष्य 100.00 अभ्यर्थी है। जैन समुदाय के विद्यार्थी भी वर्ष 2014 15 से इस योजना के लिए पात्र होंगे।

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना

12.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2012 13 से एक नई योजना "नई रौशनी" का कार्यान्वयन आरंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य सभी स्तर पर सरकारी तंत्रों, बैंकों एवं अन्य संस्थानों के साथ संपर्क करने हेतु जानकारी, उपकरण एवं विधियां उपलब्ध कराते हुए महिलाओं का सशक्तीकरण करना तथा उनमें विश्वास जगाना है।

12.2 नेतृत्व प्रशिक्षण मॉड्यूल में अनिवार्य रूप से संविधान और विभिन्न नियमों के अंतर्गत शिक्षा, रोजगार, जीविका आदि; शिक्षा, स्वास्थ्य, आरोग्य, पोषणाहार, टीकाकरण, परिवार नियोजन, बिमारी नियंत्रण, उचित दर की दुकान, पेय जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई, आवास, स्व रोजगार, कौशल प्रशिक्षण अवसर, महिलाओं के विरुद्ध अपराध आदि से संबंधित मुद्दों और महिला अधिकारों को कवर किया जाता है।

12.3 यह योजना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है।

12.4 वर्ष 2012–13 के दौरान, मंत्रालय ने 12 राज्यों में 36950 महिलाओं को प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की जिसमें 10.45 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

12.5 वर्ष 2013 14 के दौरान, मंत्रालय का लक्ष्य 40,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का है जिस पर 15.00 करोड़ रुपए व्यय किए जाने हैं। दिनांक 31.03.2014 तक, 24 राज्यों में 60,875 महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 11.96 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं **(अनुलग्नक–VII)**।

वर्ष 2013 14 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और अब तक जारी निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

(करोड ₹ में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय (31.03.2014 तक)
2013-14	15.00	12.80	11.96

12.6 अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा इस योजना को बड़े उत्साह से लिया गया है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इसकी व्यापक मांग है।

प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन

13.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत उन संस्थानों/संगठनों को व्यावसायिक प्रभार प्रदान करता है जिन्हें विशेषज्ञता प्राप्त है और आधारभूत सर्वेक्षण/सर्वेक्षणों सहित अधिसूचित अल्पसंख्यकों की समस्याओं, मुद्दों और अपेक्षाओं पर प्रवीणता एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करने तथा अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी समवर्ती निगरानी करने के इच्छुक हैं। संगठनों को कार्यशाला/सेमिनार/सम्मेलन आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते कि कार्यशाला/सेमिनार/सम्मेलन के विषय का मंत्रालय के अधिदेश से प्रत्यक्ष संबंध हो। इस योजना के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों, योजनाओं एवं पहलों के संबंध में जागरूकता लाने हेतु सूचनाओं के प्रचार प्रसार के लिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बाह्य प्रचार सहित मल्टी मीडिया अभियान को भी कवर किया जाता है।

13.2 वर्ष 2013 14 के दौरान, विभिन्न राज्यों में जागरुकता मुद्दों से संबंधित 141 कार्यशालाओं/सेमिनारों के लिए वित्तपोषण किया गया है **(अनुलग्नक-VIII)**।

13.3 निम्नलिखित अध्ययन, जो वर्ष 2012 13 के दौरान शुरू किए गए थे, पूरे कर लिए गए हैं:

क) अनुसंधान और विकास पहल (आरडीआई), नई दिल्ली के माध्यम से मैट्रिक पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्तियों का मूल्यांकन और प्रभाव आकलन।

ख) हैदराबाद के केंद्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति का मूल्यांकन और प्रभाव आकलन।

13.4 मंत्रालय पूरे वर्ष नियमित रूप से मल्टी–मीडिया अभियान चलाता रहा है। वर्ष 2013–14 के दौरान, डीएवीपी के माध्यम से 28 प्रिंट विज्ञापन जारी किए गए हैं। वर्ष 2013 14 के दौरान, जारी प्रिंट विज्ञापनों की भाषाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

भाषा	2013–14 (31–03–2014 तक)
हिंदी	2063
अंग्रेजी	765
उर्दू	1861
देशज भाषाएं	1227
योग	**5916**

13.5 वर्ष 2013 14 के दौरान, प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम (महत्वाकांक्षी कार्यक्रम), अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृति, निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना जैसे विषयों पर 40/35 सेकेंड अवधि के पांच रेडियो जिंगिल्स/स्पॉटस आकाशवाणी नेटवर्क पर हिंदी और नौ देशज गाषाओं अर्थात्, असगी, बंगाली, पंजाबी, गराठी, गुजराती, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलगू में प्रसारित किए गए थे। इन्हें निजी एमएम चैनलों पर भी संपूर्ण भारत में प्रसारित किया गया। प्रसारण के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	चैनल	अवधि	दिनों की संख्या	तारीख
2013 14	37 विविध भारती स्टेशन, 24 एफएम चैनल, राष्ट्रीय समाचार और 190 प्राथगिल तथा स्थानीय रेडियो चैनल	35/40 सेकेंड	130 दिन	5 जून, 2013 से 12 अक्तूबर, 2013 तक।

13.6 वर्ष 2013 14 (31 03 2014 तक) के दौरान, प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम (महत्वाकांक्षी कार्यक्रम), अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृति, मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृति, निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना जैसे विषयों पर पांच दूरदर्शन कोंमर्शियल्स हिंदी और नौ देशज भाषाओं अर्थात्, असमी, बंगाली, मलयालम, तमिल, कन्नड, तेलगू, पंजाबी, मराठी और गुजराती में क्षेत्रीय और पूर्वोत्तर केंद्रों सहित दूरदर्शन नेटवर्क पर टेलिकास्ट किए गए थे। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	चैनल	अवधि	दिनों की संख्या	तारीख
2013 14 (31.03.2014 तक)	डीडी–I, डीडी न्यूज, डीडी भारती, डीडी उर्दू, डीडी स्पोर्ट्स, पूर्वोत्तर केंद्र एवं क्षेत्रीय केंद्र	30/40 सेकेंड	180 दिन	10 जुलाई, 2013 से 5 फरवरी, 2014 तक।

13.7 वर्ष 2013 14 के दौरान, मंत्रालय की 12 योजनाओं पर प्रत्येक नए ऑडियो स्पॉट्स/जिंग्लिस (प्रत्येक 60 सेकेंड के) और 15 गिनट के प्रायोजित रेडियो कार्यक्रगों का निर्गाण और गंत्रालय की 11 योजनाओं पर वीडियो स्पॉट्स (प्रत्येक 60 सेकेंड) का निर्माण एनएमडीएफसी द्वारा पूरा कर लिया गया है।

13.8 पिछली वित्तीय तिमाही में, 12 नए ऑडियो स्पॉटस/जिंग्लिस के साथ आकाशवाणी एफएम चैनलों सहित निजी रेडियो एफएग चैनलों पर गीडिया अंगियान चलाया गया था।

13.9 फरवरी, 2014 में 11 नए टीवी चैनलों के साथ निजी टीवी चैनलों पर मीडिया अभियान चलाया गया।

13.10 वर्ष 2013 14 के दौरान, पूर्वोत्तर में 73 थिएटरों सहित संपूर्ण भारत में 2046 थिएटरों में डीजिटल सिनेमा के गाध्यग से टीवी कागर्शियल्स टेलीकास्ट किए गए थे।

13.11 मंत्रालयों की योजनाओं और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए एक 16 मिनट का वृत्तचित्र ईटीवी उर्दू और डीडी–उर्दू चैनलों पर पूरे राष्ट्र में टेलीकास्ट किया गया था।

13.12 बाह्य प्रचार : वर्ष 2013 14 के दौरान, मंत्रालय ने अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थलों पर होर्डिंग्स और 14.11.2013 से 27.11.2013 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित भारत– अंतराष्ट्रीय मेला (आईआईटीएफ) में टिकटों/बिजनेस पासों आदि पर सामाजिक संदेशों के माध्यम से भी प्रचार किया है।

13.13 एनएमडीएफसी के साथ मंत्रालय ने 1 फरवरी से 15 फरवरी, 2014 तक सूरजकुंड अंतराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में भाग लिया। मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं का प्रचार किया है और एनएमडीएफसी ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अल्पसंख्यक दस्तकारों और स्व सहायता समूहों को उनके उत्पादों के वितरण के लिए सहायता भी की है।

13.14 उपर्युक्त के अलावा, **"सूचना एवं प्रसारण के भारत निर्माण अभियान"** में, इस मंत्रालय के कार्यक्रम नामतः अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम का भी प्रचार किया गया है।

13.15 वार्षिक योजना 2014 15 के लिए अनुमानों सहित 12वीं पंचवर्षीय योजना के 2012 13 और 2013 14 (31.12.2013 तक) के दौरान, जारी की गई वर्ष वार निधियां निम्नानुसार हैं:

(करोड़ ₹ में)

वित्तीय वर्ष	आबंटन		व्यय
2013-14	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	
मीडिया:	39.50	39.22	39.22
अनुसंधान	5.50	3.20	3.20
उप–योग	**45.00**	**42.42**	**42.42**

- वर्ष 2013 14 के दौरान जारी निधियों के ब्यौरे अनुलग्नक IX पर है।
- मंत्रालय ने 21.12.2013 को बंगलूरू में **"अल्पसंख्यक कार्यक्रम की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरुकता"** के लिए गैर–सरकारी संगठनों का दक्षिणी क्षेत्र सम्मेलन आयोजित किया।
- एक तिमाही त्रिभाषी (हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू) मैगजीन **"माईनॉरिटी वूडे"** और मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों को दर्शाते हुइ वर्ष 2014 का कैलेंडर प्रकाशित किया गया।
- डिजिटल सशक्तिकरण फाउंडेशन के सहयोग से अल्पसंख्यकों की डिजिटल साक्षरता हेतु एक प्रायोगिक परियोजना **"अल्पसंख्यक साईबर ग्राम"** पीपी मोड में गांव बंदौली, जिला अलवर, राजस्थान में शुरू की गई।
- **"नालन्दा परियोजना"**, अल्पसंख्यकों के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए संकायी विकास कार्यक्रम इंडिया इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र में 03.03.2014 को शुरू किया गया था।

पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन

14.1 मंत्रालय को वर्ष 2013 14 के बजट अनुमान में विभिन्न योजनागत स्कीमों के लिए ₹3,511 करोड़ आबंटित किए गए, जिसे वर्ष 2013 14 के संशोधित अनुमान में घटाकर ₹3,111 करोड़ कर दिया गया था।

पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम के लिए योजना वार निर्धारित धनराशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	योजनाओं के नाम	निर्धारित राशि (करोड़ ₹ में)	
		बजट अनुमान 2013–14	संशोधित अनुमान 2013–14
1	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और सम्बद्ध योजनाएं	2.50	1.41
2	एनएमडीएफसी के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान	0.20	0.20
3	प्रचार सहित विकास योजनाओं के अनुश्रवण/अध्ययन निगरानी और मूल्यांकन की योजना (व्यावसायिक सेवा)	0.30	0.30
4	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	9.00	0.01
5	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	0.30	0.30
6	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	1.50	1.50
7	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना	95.00	95.00
8	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	55.00	53.29
9	अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	140.00	116.99
10	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मैरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	27.00	27.00
11	एनएमडीएफसी की इक्विटी में अंशदान	12.00	3.96
12	विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता	0.20	0.07
13	कौशल विकास संबंधी पहलें	2.00	2.00
14	संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता	0.30	0.30
15	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	0.70	0.70
	योग	**346.00**	**303.03**

अल्पसंख्यकों हेतु कौशल विकास पहल

15.1 मंत्रालय ने "सीखो और कमाओ (Learn & Earn)", अल्पसंख्यकों का कौशल विकास, ब्रांड नाम से एक महत्वकांक्षी कार्यक्रम की शुरूआत 23 सितम्बर, 2013 को की है। योजना विभिन्न आधुनिक / पारंपरिक व्यवसायों में उसकी शैक्षणिक योग्यता, मौजूदा आर्थिक रूझान एवं बाजार की क्षमता के आधार पर अल्पसंख्यक युवाओं के कौशलों का उन्नयन करेगी, जिससे उन्हें उचित रोजगार मिलेगा अथवा वे स्व रोजगार के लिए उपयुक्त रूप से कुशल हो सकेंगे।

15.2 योजना के अंतर्गत, व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) द्वारा अनुमोदित मॉड्यूलर रोजगार योग्य कौशलों (एमइएस) पर कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा किए जा रहे पारंपरिक कौशलों का भी विकास किया जाएगा और उन्हें बाजार से जोड़ा जाएगा।

15.3 यह योजना प्रशिक्षित अल्पसंख्यक युवाओं के न्यूनतम 75% को रोजगार की गारंटी देगी और उसमें से 50% संगठित क्षेत्र में होगा। मंत्रालय प्रशिक्षण के अंत में परियोजना कार्यान्वित एजेंसियों से नौकरी पत्र सुनिश्चित करेगा। न्यूनतम 30% सीटें अल्पसंख्यक लड़कियों / महिलाओं के लिए आरक्षित है।

15.4 परियोजना कार्यान्वित एजेंसियों के लिए प्रशिक्षित अल्पसंख्यक युवाओं को 1 (एक) वर्ष का प्लेसमेंट पश्चात सहयोग देना अनिवार्य है।

15.5 आई एल एंड एफएस कौशल विकास निगम के सहयोग से पांच स्थानों नामतः दिल्ली, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), बंगलुरू (कर्नाटक), बरनाला (पंजाब) तथा शिलॉंग (मेघालय) में पहले से ही 500 अल्पसंख्यक युवाओं हेतु एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की जा चुकी है।

15.6 मंत्रालय ने एनएमडीएफसी के माध्यम से "अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों को ड्राईवर का प्रशिक्षण" देने के लिए मारूति सुजुकी इंडिया लि0 (एमएसआईएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एमएसआईएल के साथ 17 नवम्बर, 2013 को बंगलूरू (कर्नाटक) में 650 अल्पसंख्यक युवाओं हेतु ड्राईवर प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की गई है।

15.7 मंत्रालय ने अब तक भारत में 33 गुणता विकास प्रशिक्षण प्रबंधकों को पैनल में शामिल किया गया है, जो कि रोजगार सुनिश्चित करने में सक्षम है।

15.8 वर्ष 2013 14 के दौरान मंत्रालय का लक्ष्य तीन वर्टीकलों नामतः एमएसडीपी, सीखो और कमाओ योजना और एनएमडीएफसी की योजनाओं के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए की राशि से 75,00 अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण करने का है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय सुनिश्चित रोजगार के साथ 3.50 लाख अल्पसंख्यक युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 700 करोड़ रुपए खर्च करेगा।

भारत में पारसियों की कम होती जनसंख्या को रोकने की योजना

16.1 भारत में पारसियों की जनसंख्या 1941 में 1,14,000 थी जो 2001 की जनगणना के अनुसार कम होकर 69,001 रह गई है। जनसंख्या में कमी के महत्वपूर्ण कारणों में से है देर से विवाह करना और विवाह नहीं करना, प्रजनन क्षमता में कमी, उत्प्रवास, वाह्य–विवाह और संबंध विच्छेद तथा तलाक है।

16.2 पारसी समुदाय के सदस्यों के गिरते रुझान को रोकने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग थी और भारत सरकार ने पारसी जनसंख्या के गिरते रुझान को रोकने तथा उनकी जनसंख्या को न्यूनतम स्तर से ऊपर लाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप को जरूरी समझा।

16.3 इसलिए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा 23 सितम्बर 2013 को भारत में पारसियों की कम होती जनसंख्या को रोकने के लिए एक नई महत्वपूर्ण योजना "जियो पारसी" ब्रांड नाम से आरंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य वैज्ञानिक नवाचार और ढ़ांचागत हस्तक्षेप अपनाकर पारसी आबादी के गिरते रुख को उलटना और उनकी जनसंख्या को बनाए रखना तथा भारत में पारसियों की जनसंख्या बढ़ाना है।

16.4 100% निधियन के साथ यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। योजना का कार्यान्वयन स्थानीय अंजुमनों और पारसी समुदाय की पंचायतों के परामर्श के साथ पारजोर फाउंडेशन और बॉम्बे पारसी पंचायत के माध्यम से किया जाएगा।

16.5 लक्षित समूह वह दंपति है जो शिशु उत्पन्न करने की आयु के हैं, जो योजना के अंतर्गत सहायता चाहते हैं और वयस्क/युवा/युवती/किशोर/किशोरियों वन्ध्यत्व उत्पन्न करने वाली बीमारियों की जांच हेतु किशोरों/किशोरियों की जांच के लिए माता–पिता/कानूनी अभिवावकों की लिखित सहमति अनिवार्य होनी चाहिए।

16.6 घटती जनसंख्या को रोकने के लिए, त्रिकोणीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी अर्थात (क) पक्षसमर्थन (ख) चिकित्सा सहायता। प्रत्येक लक्षित समूह के लिए मानक चिकित्सा नवाचार का अनुसरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से किया जाएगा। मरीजों के नाम और पहचान संबंधी गोपनीयता को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा।

16.7 12वीं योजना के दौरान 2 करोड़ रुपए प्रति वित्तीय वर्ष के साथ 10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 2013 14 के दौरान अब तक पक्ष समर्थन और व्यापक क्रियाकलापों हेतु पारजोर फाउंडेशन को 0.41 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान की योजना

17.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से करता है। ये एजेंसिया सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा नामित की जाती हैं। राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां लाभार्थियों की पहचान, ऋणों को सूत्रबद्ध और लाभार्थियों से वसूली का कार्य करती हैं। तथापि, अधिकांश राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना बहुत कमजोर है, जिस कारण उनकी वितरण प्रणाली भी कमजोर है। फलस्वरूप, एनएमडीएफसी के कार्य का विस्तार और कार्य निष्पादन में सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक इन एजेंसियों की अवसंरचना में सुधार न लाया जाए।

17.2 मंत्रालय ने वर्ष 2007 08 के दौरान राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों की अवसंरचना की स्थिति में सुधार के लिए उन्हें सहायता अनुदान देने की योजना शुरू की थी। यह योजना 12वीं योजना अवधि के लिए संशोधित की गई है। पहले इस योजना के अंतर्गत सहायता समान आधार पर थी, केंद्र और राज्य सरकार 90:10 के अनुपात में अंशदान करती थी लेकिन संशोधित योजना के अनुसार, 10% राज्य का हिस्सा समाप्त कर दिया गया है और यह योजना 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना बना दी गई है। योजना के विभिन्न संगठनों पर व्यय की सीलिंग/सीमा को हटा दिया गया है क्योंकि यह एससीए द्वारा निधियों के उपयोग में मुख्य बाधा बन रहा था। सहायता के मानदंड जो पहले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अल्पसंख्यक आबादी से जुड़े थे उनमें संशोधन किया गया है और संशोधित योजना में, सहायता अनुदान उन एससीए को प्रदान की जाती है, जो अच्छा कार्य निष्पादन कर रहे हैं। मंत्रालय द्वारा इस योजना के लिए आबंटित और निर्मुक्त राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ ₹ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	इस मंत्रालय द्वारा जारी की गई राशि
2007-08	10.00	10.00	10.00
2008-09	5.00	2.30	0.00
2009-10	2.00	2.00	2.00
2010-11	4.00	4.00	3.83
2011-12	2.00	2.00	1.35
2012-13	2.00	0.60	0.00
2013-14	2.00	2.00	2.00

आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक

18.1 राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 350 ख के प्रावधानों के अनुसरण में भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त (सीएलएम) के कार्यालय का गठन जुलाई, 1957 में हुआ था। अनुच्छेद 350 ख के अनुसार भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वे भारत में संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करें और ऐसे अंतराल पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे और इन्हें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारों/प्रशासनों को भी भिजवाएंगे। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद में है, जिसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय बेलगांव, चेन्नई और कोलकाता में हैं। भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त, भाषाजात अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक उपबंधों और राष्ट्रीय स्तर पर तय रक्षोपायों के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से संपर्क करते हैं। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक की जुलाई, 2011 से जून, 2012 की अवधि के लिए 49वीं रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर क्रमशः 22 08 2013 और 19 08 2013 को रखी गई थी।

18.2 भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक संरक्षोपाय

भारत के संविधान के अंतर्गत, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को कतिपय संरक्षोपाय प्रदान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने और उनकी भिन्न भिन्न भाषाओं, लिपियों अथवा संस्कृतियों को संरक्षित रखने के उनके अधिकार को मान्यता देने तथा उनके विकल्प के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और चलाने की संकल्पना है। अनुच्छेद 347 में, किसी राज्य अथवा उसके किसी भाग की आबादी के पर्याप्त अनुपात द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को, जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट हो, किसी भाषा की शासकीय मान्यता हेतु राष्ट्रपति के निदेश की व्यवस्था है। अनुच्छेद 350 संघ/राज्यों में प्रयुक्त किसी भाषाओं में संघ अथवा राज्य के किसी प्राधिकरण को शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 350 क में भाषायी अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चों की शिक्षा के प्राथमिक चरण पर मातृभाषा में अनुदेश देने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 350 ख संविधान के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के लिए प्रावधान किए गए संरक्षोपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच करने के लिए भाषायी अल्पसंख्यक समूहों हेतु आयुक्त के रूप में विनिर्दिष्ट एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

19.1 भारत सरकार ने जनवरी, 1978 में, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष आदेश के माध्यम से "अल्पसंख्यक आयोग" गठित किया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग एक सांविधिक निकाय बन गया और इसे पुनः "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग" का नाम दिया गया।

19.2 प्रथम सांविधिक आयोग का गठन 17 मई 1993 को किया गया था। भारत सरकार ने 23 अक्तूबर, 1993 की अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत पाँच धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिमों, ईसाईयों, सिक्खों, बौद्धों तथा पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया था।

19.3 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और ख्यातिप्राप्त तथा योग्य और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से केन्द्र सरकार द्वारा नामित पांच सदस्य होंगे, परन्तु अध्यक्ष सहित सभी 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 4(1) के अनुसार अध्यक्ष सहित सभी सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

19.4 आयोग का मुख्य कार्य अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उपबंधित और केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विधियों में दिए गए रक्षोपायों के कार्यकरण को मॉनीटर करना और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच करना है। यह आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी करता है और अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की अनुशंसा भी करता है।

19.5 वर्तमान आयोग का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल करके किया गया है:–

1.	श्री नसीम अहमद	:	अध्यक्ष
2.	सुश्री माबेल रिबेलो	:	सदस्य
3.	प्रो0 फरीदा अब्दुल्ला खान	:	सदस्य
4.	श्री परवीण डावर	:	सदस्य
5.	श्री केकी एन दारूवाला	:	सदस्य
6.	श्री टी नमगयाल शानु	:	सदस्य
7.	डॉ0 अजायब सिंह	:	सदस्य

19.6 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 12 के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है और मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अनुसार, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और इसमें उल्लिखित केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन, इन सिफारिशों में से किसी सिफारिश को स्वीकार न किए जाने के कारणों सहित, यदि कोई हों, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी होती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9 (3) के अनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से संबंधित सिफारिशों को उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाता है।

19.7 दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 तक पूर्ववर्ती अल्पसंख्यक आयोग की 1978 79 से 1992 93 तक की चौदह (14) वार्षिक रिपोर्टें और सांविधिक आयोग की वर्ष 1993 94 से 2009 10 तक की सत्रह (17) रिपोर्टें संसद में प्रस्तुत की जा चुकी हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की प्रथम तीन वार्षिक रिपोर्टों को इस मंत्रालय के गठन से पहले ही अनुवर्ती कार्रवाई ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों में रख दिया गया था। इस मंत्रालय के गठन के बाद की गई कार्रवाई ज्ञापन सहित 14 वार्षिक रिपोर्टों को उनमें की गई अनुशंसाओं के साथ संसद में रखा गया था।

19.8 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने सांविधिक राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन कर लिया है। पंजाब और केरल की राज्य सरकारों ने असांविधिक आयोग का गठन किया है। मंत्रालय ने शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से इन आयोगों का गठन करने का भी अनुरोध किया है।

19.9 केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत पहले से ही अधिसूचित पांच अल्पसंख्यक समुदायों के अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में जैन समुदाय को भी शामिल कर लिया है।

वक्फ प्रशासन और केन्द्रीय वक्फ परिषद

20.1 यह मंत्रालय वक्फ अधिनियम, 1995 (पहले वक्फ अधिनियम, 1954) के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, जो 01 जनवरी, 1996 से लागू है। यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है। तथापि, एक व्यापक धारणा थी कि अधिनियम औकाफ प्रशासन को प्रभावी बनाने में कारगर नहीं रहा।

वक्फ अधिनियम, 1995 को औकाफ (वक्फ संपत्तियों/परिसंपत्तियों) के प्रभावी प्रशासन हेतु और प्रोत्साहन देने, तथा बेहतर संरक्षण, औकाफ का प्रबंधन और विकास करने के लिए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित किया गया है। किए गए मुख्य संशोधन निम्नानुसार हैं:

(i) वक्फ की परिभाषा को गैर मुस्लिमों को भी वक्फ की स्थापना की अनुमति देते हुए संशोधित किया गया है;

(ii) नए अधिनियम के लागू होने के तीन माह के अन्दर सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए और सर्वेक्षण को एक वर्ष के अन्दर पूरा करना अपेक्षित होगा।

(iii) राज्य सरकार अथवा बोर्ड जैसा भी मामला हो, राज्य में वक्फ बोर्ड के निष्पादन की सूचना केंद्रीय वक्फ परिषद को प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय वक्फ परिषद निदेश भी जारी करेगा। जिनका पालन संबंधित बोर्ड संबंधित राज्य सरकार को सूचित करते हुए करेगा।

(iv) परिषद द्वारा जारी निदेश से उत्पन्न किसी विवाद को केन्द्र सरकार द्वारा गठित न्याय निर्णयत बोर्ड को संदर्भित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति द्वारा की जाएगी।

(v) जहां अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अपेक्षा अनुसार वक्फ बोर्ड की स्थापना नहीं की गई है, राज्य सरकार को ऐसे बोर्डों की स्थापना वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के लागू होने से छः माह के अंदर करनी होगी।

(vi) बोर्ड में नियुक्त कम से कम दो सदस्य महिलाएं होंगी।

(viii) एक पूर्णकालिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो एक मुस्लिम हो और उप सचिव के ओहदे से कम का न हो, को सभी राज्य वक्फ बोर्डों में नियुक्त करना अपेक्षित होगा।

(viii) राज्य के जिले का जिला मैजिस्ट्रेट या उनकी अनुपस्थिति में अपर जिला मैजिस्ट्रेट अथवा उप प्रभागीय मैजिस्ट्रेट बोर्ड के निर्णयों को लागू करेगा। जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से सूचित किया जाएगा और बोर्ड जहां आवश्यक समझें, अपने निर्णय के कार्यान्वयन के लिए अधिकरण से निर्देश मांग सकता है।

(ix) बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना वक्फ की संपत्ति होते हुए किसी चल या अचल संपत्ति का कब्जा करना या वक्फ संपत्ति का हस्तांतरण करना एक अवधि के कठोर कारावास जिसे दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडनीय होगा। किया गया अपराध एक संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध है।

(x) वक्फ संपत्तियों के हस्तांतरण को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों की 'बिक्री', 'दान', 'गिरवी', 'विनिमय' को निषिद्ध किया गया है।

(xi) राज्य सरकार की अनुमति के साथ वाणिज्यिक क्रियाकलापों, शिक्षा और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए तीस वर्षों तक की अवधि के लिए वक्फ संपत्तियों के 'पट्टे', की इजाजत दी गई है। कृषि भूमि के पट्टे की अधिनियम अवधि तीन वर्ष निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 3 वर्षों से अधिक का पट्टा राज्य सरकार को सूचित किया जाएगा और यह केवल 45 दिन पश्चात ही प्रभावी होगा। मस्जिद, दरगाह, खानकाह, कब्रिस्तान और इमामबाड़ा का 'पट्टा' निषिद्ध है।

(xii) एक नई धारा शामिल की गई है जिसमें प्रावधान है कि यदि कोई वक्फ संपत्ति दोनों सरकारी एजेंसियों द्वारा घेरी गई है तो इसे अधिकरण के आदेश की तिथि के छः माह के भीतर बोर्ड अथवा मुतव्वली को वापस करना होगा। यदि संपत्ति जन उद्देश्यों के लिए है या जैसा कि गागला हो तो सरकार किराये के निर्धारण के लिए आवेदन कर सकती है जिसका निर्णय अधिकार द्वारा मौजूदा बाजार मूल्य पर किया जाएगा।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर, जिसका अपना अधिनियम है, 31 राज्यों ने वक्फ बोर्डों का गठन कर लिया है।

20.2 राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नावाडको)

जस्टिस सच्चर समिति (2006) के साथ साथ वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने देश की वक्फ संपत्तियों का विकास करने तथा उनकी आय को मुस्लिम समुदाय के लाभ हेतु उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम की स्थापना करने की सिफारिश की थी।

राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नावाडको) का कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 31.12.2013 को वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी ढंग से एवं व्यावसायिक तौर पर विकास करने ताकि औकाफ के उद्देश्यों के अनुसार मुस्लिम समुदाय के लाभ हेतु उनकी आय की वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके, निगमीकरण किया गया था। निगम की अधिकृत शेयर पूंजी 100 करोड़ रु0 की प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी के साथ 500 करोड़ रु0 है। नावाडको में (12) निदेशक होंगे। शेयर होल्डिंग प्रतिरूप निम्नानुसार है:

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) – 49%
- केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्लयूसी) 9%
- वक्फ संस्थान तथा सार्वजनिक – 42%

नावाडको के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:

- वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए वित्तीय सेवाओं को विकसित करने और मुहैया कराने हेतु विशेषीकृत वित्तीय और विकासात्मक संस्थान के रूप में काम करना, मुतवल्लियों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, वक्फ बोर्डों, के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित कर देश में वक्फ की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यावसायिक रूप में अर्थक्षम परियोजनाओं की पहचान करना।
- इस्लामिक शरिया सिद्धांत पर वक्फ संस्थान के लिए स्वतंत्र रूप से अथवा किसी व्यक्ति, सरकार अथवा किसी अन्य एजेंसी चाहे वह अग्रिमों, इक्विटी, पुनः वित्तपोषण अथवा किसी अन्य रूप में समाविष्ट हो, के सहयोग से वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना।

- निवेशकों से पूंजी जुटाना और इन निधियों के निवेश की व्यवस्था देश की वक्फ संपत्तियों के विकास में करना।

- वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए परामर्शी सेवा संचालित करना और इसमें व्यावसायिक परिसरों, आवास परियोजनाओं आदि के डिजाइन तैयार करने में वक्फ बोर्डों, मुतवल्लियों, न्यासों और वक्फ बोर्ड से पंजीकृत एसोसिएसनों को परामर्शी सेवा मुहैया कराना और ऐसी परियोजनाओं का निगम अथवा ऐसी परियोजनाओं के विकास में लगी अन्य एजेंसियों के सहयोग से निष्पादन करना शामिल होगा।

- संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से योजना बनाने हेतु अग्रिम उपलब्ध कराना और वक्फ संपत्तियों के विकास हेतु अग्रिम अनुदान देना तथा शरिया सिद्धांतों पर चलने वाली कंपनियां जो वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए पूर्णतः या आरंगिक रूप से वित्तपोषण या ऐसे क्रियाकलापों में है, के साथ मिलकर सभी मूल्यों के स्टॉक, शेयर और प्रतिभूति जारी करने के लिए ग्राहक के रूप में कार्य करना।

- स्कूलों, कॉलेजों जैसी शैक्षणिक अवसंरचना और अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों और मुतवल्लियों के साथ पट्टे पर अथवा संयुक्त उद्यम स्थापित करके निर्माण करना।

- इस्लामिक म्यूच्यूल फंड हेतु संपत्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में कार्य करना अथवा शरिया सिद्धांतों के साथ म्यूच्यूल फंड को प्रोत्साहित करना और ऐसी निधियों को वक्फ संपत्तियों और शैक्षिक अवसंरचनाओं के विकास में निवेश करना।

SONIA GANDHI
United Progressive Alliance
NAWADCO
राष्ट्रीय वक़्फ़ विकास निगम लि.
का उद्घाटन
डॉ. मनमोहन सिंह
श्रीमती सोनिया गांधी
जनवरी 29, 2014

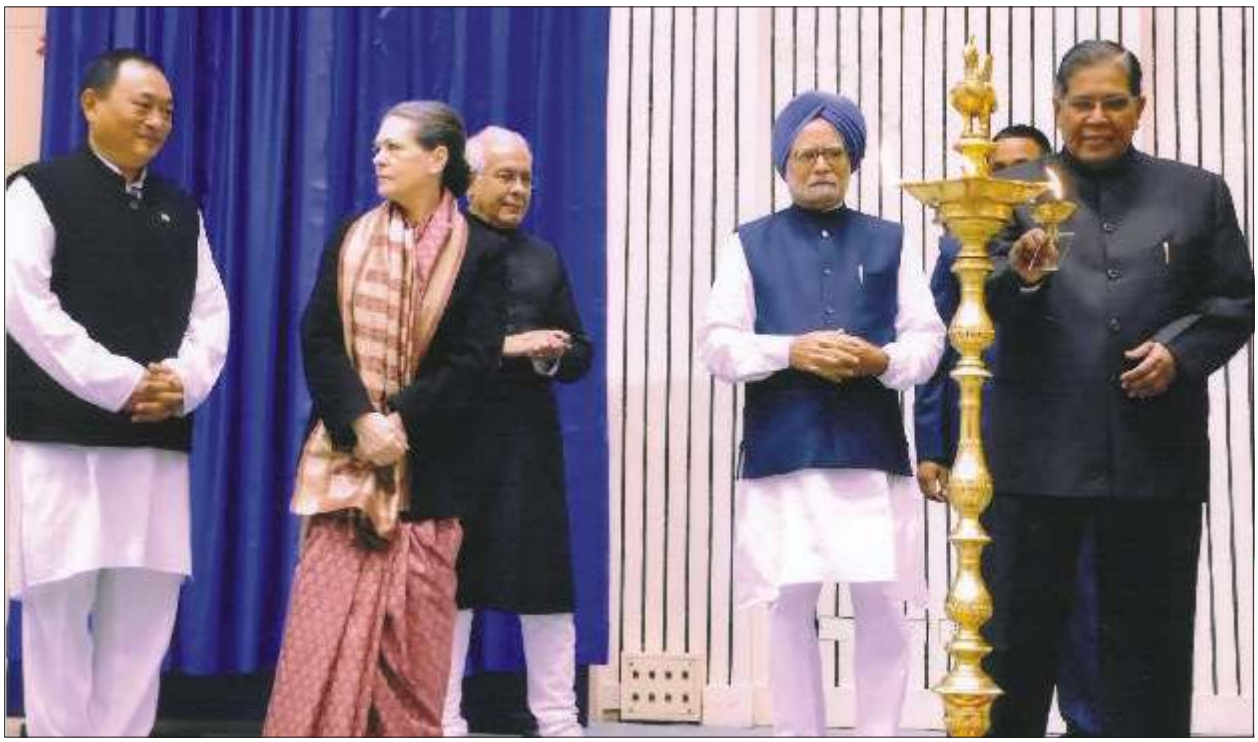

माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 29.01.2014 को राष्ट्रीय वक्फ़ विकास निगम लि. (नावाडको) का उद्घाटन।

20.3 वक्फ प्रभाग निम्नलिखित तीन योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

(i) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की योजना:

वक्फ परिसंपत्तियां पूरे देश में फैली हैं, किन्तु अधिकांश राज्यों में वक्फ परिसंपत्तियों का प्रभावी सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। वक्फ भूमि के रिकार्डों के रख रखाव को कारगर बनाने, सामाजिक लेखा परीक्षा शुरू करने और पारदर्शिता लाने तथा वक्फ बोर्डों के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण तथा एकल वेब आधारित केंद्रीकृत अनुप्रयोग विकसित करने की दृष्टि से केन्द्रीय वित्तीय सहायता से जम्मू कश्मीर सहित राज्य वक्फ बोर्डों, के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की अनुशंसा वक्फ से संबद्ध संयुक्त संसदीय समिति द्वारा अपनी नौवीं रिपोर्ट में की गई थी। इस प्रस्ताव को 25 नवम्बर, 2009 को स्वीकृति मिली थी और राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण की योजना दिसम्बर, 2009 में शुरू की गई थी।

योजना का मुख्य उद्देश्य अभिलेखों के रख रखाव को कारगर बनाना, पारदर्शिता लाना और वक्फ बोर्डों के विभिन्न कार्यों/प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण करना है। भारत में वक्फ प्रबंधन प्रणाली (वामसी) हेतु निम्नलिखित मॉड्यूलों वाली एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कार्य कर रही है।

क. परिसंपत्ति पंजीकरण प्रबंधन;

ख. मुतवल्ली रिटर्न्स प्रबंधन;

ग. परिसंपत्तियों को पट्टे पर दिए जाने संबंधी प्रबंधन;

घ. वाद निस्तारण प्रबंधन;

कम्प्यूटरीकरण की योजना एक समान रूप से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड सहित सभी 30 राज्य वक्फ बोर्डों के लिए लागू है। इस परियोजना के कार्यों को वास्तविक रूप से संभालने के लिए राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा कुछ कम्प्यूटर कार्मिकों को किराये पर लेने तथा नई प्रणाली को स्थिर करने और वक्फ बोर्डों के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें न्यूनतम वित्तीय सहायता देते हुए दो वर्षों की अवधि के लिए हैंड होल्डिंग सहायता दी जाएगी। योजना के आरंभ से एसडब्ल्यूबी, सीडब्ल्यूसी और एनआईसी को 16.18 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है जिसमें वर्ष 2013 14 के दौरान (31.03.2014 तक) की 2.98 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है। केन्द्रीय गणक सुविधा केंद्र (सीसीएफ) की व्यवस्था 27 राज्य वक्फ बोर्डों में की गयी है तथा डाटा प्रविष्टि का कार्य भी प्रगति पर है। केंद्रीय डाटा बेस में 2,98,032 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया गया है। 1,15,913 वक्फ अभिलेखों के अंकीकरण की तैयारी भी पूर्ण कर ली गई है।

(ii) राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण की योजना (एसडब्ल्यूबी):

संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी नौवीं रिपोर्ट में यह अनुशंसा की थी कि राज्य वक्फ बोर्डों को केंद्रीय वित्तीय सहायता देनी चाहिए क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा मौजूदा स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही सहायता ना केवल नाकाफी है बल्कि असगान है। औकाफ के प्रशासन की प्रथम जिम्मेदारी राज्य सरकारों में निहित है। राज्य सरकारें राज्य वक्फ बोर्डों के प्रभावी रूप से करना सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण की योजना स्कीम का निर्माण वक्फ बार्डो को सुदृढ़ करने जिसका परिणाम उनकी वक्फ संपत्तियों का अधिक पारदर्शी प्रबंधन होगा और जवाबदेह प्रशासन और प्रबंधन होगा तथा आय सृजन में आत्म निर्भरता में सुधार की गुंजाईश होगी। यह उन्हें अपना प्रवर्तन स्कंध मजबूत कर वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण में भी मदद करेगा। केंद्रीय सहायता 12वीं योजनावधि अर्थात राज्य वक्फ बोर्डों के अतिरिक्त आय सृजन के साथ आत्मनिर्भर बनने की अपेक्षित अवधि के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसी निधियां निश्चित शर्तों के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी जो यह सुनिश्चित करेगा। कि राज्य वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली और संस्थागत क्षमता उनके आय सृजन को बेहतर करती है और वह आत्मनिर्भर हो जाते हैं। उनकी क्षमता में बेहतरी उनकी आय में वृद्धि को सुगम बनाएगी जो कुछ समय पश्चात् बाहरी वित्तीय समर्थन पर उनकी निर्भरता समाप्त कर देगा। इसलिए केंद्रीय सहायता को मंत्रालय द्वारा सीडब्ल्यूसी को उपलब्ध कराई जाएगी जो बदले में राज्य वक्फ बोर्डों को विधि एवं लेखा अनुभागों को सुदृढ़ीकरण के साथ एसडब्ल्यूबी के प्रशिक्षण और प्रशासनिक लागत के लिए जारी करेगी। सहायता को वक्फ संपत्तियों गैर कानूनी अतिक्रमण हटाने के तंत्र को मजबूत करने के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2013 14 के दौरान सीडब्ल्यूसी को 191.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है जो कि योजना को कार्यान्वित करने वाली नोडल एजेंसी है।

(iii) शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास की योजनाः

औकाफ वल और अवल संपत्ति का स्थायी समर्पण है जिसके उद्देश्य को मुस्लिम कानून में पवित्र, धार्मिक और धमार्थ की मान्यता है। उनके धार्मिक पहलुओं से अलग, औकाफ सामाजिक कल्याण के लिए साधन भी है क्योंकि लाग सागाजिक और शिक्षा क्षेत्रों के जरूरतगंदों को प्राप्त होते हैं। तथापि, देश गें गौजूद औकाफों की आमदनी सीमित और स्थिर है। इसका परिणाम यह होता है कि मुतवल्ली (औकाफ के प्रबंधक) के लिए प्रायः वक्फ के उद्देश्य को पर्याप्त रूप से पूरा करना मुश्किल होता है जिनके लिए इन वक्फों का निर्माण किया गया था। शहर की बहुत सी वक्फ भूमियों में विकास की संभावनाएं हैं किन्तु मुतवल्ली और यहां तक कि वक्फ बोर्ड इस स्थिति में नहीं होते कि पर्याप्त संसाधन एकत्र कर सकें अथवा इन भूमियों पर आधुनिक क्रियाशील ईमारतों का निर्माण करा सकें।

औकाफों और औकाफ बोर्डों की वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से और उनके कल्याण क्रियाकलापों के क्षेत्र को विस्तृत करने हेतु केंद्र सरकार 1974 75 से शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए देश के वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों को अग्रिम वित्तीय सहायता के विशिष्ट उद्देश्य से केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता अनुदान प्रदान करती आ रही है।

केन्द्रीय वक्फ परिषद राज्य वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों को परिषद द्वारा अनुमोदित विशिष्ट आर्थिक/वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है। इन परियोजनाओं गें वक्फ भूमियों पर वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक का निर्माण व पुनर्निर्माण शामिल हैं। बढ़ी हुई आय का उपयोग वक्फ बोर्डों/वक्फ को उनकी वित्तीय स्थिति को गजबूत करने गें सक्षग बनाने और उनकी कल्याण और धगार्थ गतिविधियेां को विस्तृत करने के लिए होता है। इसका समग्र उद्देश्य समाज की समग्र उन्नति और विकास में सहयोग देना है।

भारत सरकार ने 1974 75 से सीडब्ल्यूसी को 44.33 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान जारी किया है जिसमें 2013–14 (31.3.2014 तक) जारी 268.00 लाख रुपये भी शामिल है।

वर्ष 2013–14 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए जारी की गई थी:

(लाख ₹ में)

क्रम सं.	जिले के नाम	राशि
1.	मस्जिद ए उम्मुल हुसनैन, इंदिरा नगर, बंगलुरू (कर्नाटक) की विकास परियोजना	30.00
2.	मिल्लत सोशल वेल्फेयर एंड एज्यूकेशन सोसायटी, बेतगिरी, गदग (कर्नाटक) की विकास परियोजना	45.00
3.	डॉ0 जाकिर हुसैन कॉलोनी, मुस्लिम जमात, मुल्लांडा, नाका गदग (कर्नाटक) की विकास परियोजना	33.00
4.	कर्नाटक सोशल वेल्फेयर एंड एज्यूकेशन सोसायटी, चन्नागिड़ी (कर्नाटक) की विकास परियोजना	26.50
5.	मुस्लिम हॉस्टल, सरस्वतीपुरम, (कर्नाटक) की विकास परियोजना	03.00
6.	पारेक्कुलम जुमा मस्जिद, परिपालना कमिटी, तिरूर, मलप्पुरम, (केरल) की विकास परियोजना	9.00
7.	पुथुपल्ली शेख फरीद वलीउल्लाह मखम, मीनचिल, इरात्तुपेट्टा, कोट्टायम, (केरल) की विकास परियोजना	38.50
8.	कोठाटी पुतिया जूमा अथ पल्ली, तिरूर, जिला. मलप्पुरम, (केरल) की विकास परियोजना	39.00
9.	हैदरिया मस्जिद महल्लू कमेटी ओट्टपालम, (केरल) की विकास परियोजना	02.00
10.	अज़ीज़ुर्रहमान खान वक्फ नं0 19 क, रामपुर (उत्तर प्रदेश) की विकास परियोजना	24.00
11.	इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ हरियाणा वक्फ बोर्ड, (हरियाणा) की विकास परियोजना	10.00
12.	महमूदा शिक्षा और ग्रामीण विकास बहु उद्देश्यीय वक्फ संस्था, नागपुर, (महाराष्ट्र) की विकास परियोजना	05.00
13.	वक्फ अखाड़ा मस्जिद, उज्जाद नेट देवास कार्यालय 268, ए0 बी0 रोड, देवास (मध्य प्रदेश) की विकास परियोजना	03.00
	योग	**268.00**

20.4 केन्द्रीय वक्फ परिषद:

देश में औकाफ के समुचित संचालन और राज्य वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली से जुड़े मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने के मुख्य उद्देश्य से वक्फ अधिनियम, 1954 (अब वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 की उपधारा 1 के रूप में पठित) की धारा 8क के उपबंधों के तहत भारत सरकार द्वारा 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना की गई थी। परिषद का एक अध्यक्ष है, जो केंद्रीय वक्फ प्रभारी मंत्री हैं। इस समय श्री के0 रहमान खान, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत सरकार केंद्रीय वक्फ परिषद के अध्यक्ष हैं। परिषद में

वक्फ अधिनियम में यथा उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों से 20 अन्य सदस्य हैं। वर्तमान परिषद का गठन दिनांक 12.05.2011 को पांच वर्षों की अवधि के लिए किया गया था।

केन्द्रीय वक्फ परिषद का कार्यालय भवन अभी शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आवंटित 1008 वर्ग मीटर के क्षेत्र के प्लॉट सं0 पी 13 एवं पी 14, पुष्प विहार, एम.बी.रोड, नई दिल्ली पर निर्माणाधीन है जिसका 2014 तक पूरा होने का अनुमान है।

20.4.1 केन्द्रीय वक्फ परिषद की विनियामक शक्तियां:–

वक्फ अधिनियम, 1995 को संशोधित किया गया है और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013, 1 नवम्बर, 2013 से प्रभाव में आ चुका है। संशोधित अधिनियम के अंतर्गत सीडब्ल्यूसी को राज्य वक्फ बोर्डों को निदेश जारी करने की विनियात्मक शक्तियां प्रदान की गई है। परिषद राज्य सरकारों अथवा बोर्ड से वक्फ बोर्डों के निष्पादन विशेषकर उनके वित्तीय निष्पादन, सर्वेक्षण, वक्फ विलेखों के रख–रखाव, राजस्व अभिलेखों, वक्फ संपत्ति का अतिक्रमण, वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्टों के बारे में सूचना परिषद द्वारा निर्धारित समय और तरीके के अनुसार प्राप्त कर सकता है। परिषद संबंधित सरकारों को सूचित करते हुए एसडब्ल्यूबी को निदेश जारी कर सकता है यदि वह संतुष्ट होता है कि वहां प्रथम दृष्टया अधिनियम के उल्लंघन के साक्ष्य थे।

20.4.2 केन्द्रीय वक्फ परिषद की विनियामक शक्तियां:–

शहरी वक्फ परिसंपत्तियों के विकास की योजना में ऋण अदायगी तथा बकाया ऋण पर 4% की दर पर दान देने की परिकल्पना की गई है। वापस चुकाई गई ऋण राशि से परिषद की परिक्रामी निधि का निर्माण होता है, जिसे पुनः ₹50.00 लाख तक की लघु परियोजनाओं के लिए ऋण देने में उपयोग में लाया जाता है। परिषद राज्य वक्फ बोर्डों को ₹50.00 लाख तक के ऋण वाली और विकासात्मक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है। योजना के अंतर्गत, परिषद ने 91 परियोजनाओं के लिए ₹ 5.29 लाख की राशि का ऋण दिया है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, पट्टीहारा जुम्मा मस्जिद, ओट्टपालम, पालक्कड, केरल की विकास परियोजना के लिए उक्त योजना के अंतर्गत ₹ 25.00 लाख की राशि मंजूर की है।

20.4.3 केन्द्रीय वक्फ परिषद की विनियामक शक्तियां:

केंद्रीय वक्फ परिषद गैर सरकारी संगठनों तथा तकनीकी संस्थानों को अनुदान देते हुए, स्कूल पुस्तकालयों आदि में पुस्तक बैंक का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए, आईटीआई और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और सुदृढ़ीकरण सरीखे विभिन्न वित्तीय सहायता कार्यक्रमों का संचालन करते हुए समुदाय के सामाजिक और कल्याण संबंधी कार्यों का निष्पादन करने में सक्रिय रूप से शामिल रही है। शैक्षिक योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों का वित्तपोषण परिषद की शिक्षा निधि में से किया जाता है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए ₹ 49.60 लाख का अनुदान स्वीकृत/निर्मुक्त किया गया था।

दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेर

21.1 राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक विश्व प्रसिद्ध वक्फ है। दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (आर.ए.) को प्राप्त धर्मार्थ दान के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन की व्यवस्था है। इस केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत, दरगाह के स्थायी निधि के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन दरगाह समिति के रूप में निहित है।

21.2 दरगाह समिति के कार्य और शक्तियां

- दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन।
- दरगाह शरीफ की चार दीवारी के भीतर के भवनों तथा सभी मकानों, दुकानों की उचित देखभाल तथा उन्हें अच्छी हालत में रखना।
- दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान की समस्त राशि और अन्य आय प्राप्त करना।
- यह देखना कि धर्मार्थ प्राप्त दान की राशि दानदाताओं की इच्छा के अनुरूप खर्च की जाती हैं।
- दरगाह को प्राप्त धर्मार्थ दान की आय अथवा राजस्व की ओर से देय या उस पर प्रभारित सभी अन्य का भुगतान करना और वेतन भत्ते तथा अनुलाभ का भुगतान करना।
- खादिमों के विशेषाधिकारों को निर्धारित करना तथा यदि समिति इसे आवश्यक मानती है तो उन्हें उनकी ओर से लाईसेंस प्रदान कर दरगाह में उनकी उपस्थिति नियमित करना।
- सलाहकार समिति की शक्तियों और कर्त्तव्यों को निर्धारित करना।
- दरगाह के साथ मिलकर सज्जादनशीन द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और कार्यप्रणाली का निर्धारण।
- दरगाह के कर्मचारियों की नियुक्ति, उनका निलंबन तथा उनकी बर्खास्तगी।
- ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गरीब वंशजों और उनके परिवारों तथा भारत में रह रहे गरीब खादिमों और उनके परिवारों को शिक्षा और गुजारा के लिए वे प्रावधान करना जिसे समिति दरगाह की वित्तीय स्थिति के अनुरूप सुसंगत समझे।
- जैसा समिति उचित समझे, नाजिम को कार्य और शक्तियां प्रदान करना।

- अन्य सभी कार्य करना जो दरगाह के दक्ष प्रशासन के लिए अनुषंगी अथवा सहायक हों।

21.3 उर्स तथा धर्म संघों का प्रबंधन :

मई, 2013 के वार्षिक उर्स और नवम्बर, 2013 के लघु उर्स (मुहर्रम) का सफलतापूर्वक प्रबंध किया गया। दरगाह समिति, राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन, अजमेर द्वारा अवसंरचनात्मक प्रबंध किया गया था।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)

22.1 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) का गठन अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों में आर्थिक तथा विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 सितम्बर, 1994 को किया गया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994, के अनुसार देश में मुस्लिमों, सिक्खों, ईसाईयों, बौद्धों, जैनों और पारसियों को अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित किया गया है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एनएमडीएफसी पारिवारिक आय, जो इस समय शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमशः ₹1,03,000 वार्षिक और ₹ 81,000 वार्षिक है, वाले अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र लाभार्थियों को स्व–रोजगार क्रियाकलापों और आय सृजक क्रियाकलापों के लिए रियायती वित्त प्रदान करता है।

22.2 एनएमडीएफसी दो चैनलों के द्वारा असली लाभार्थियों तक पहुंचता है (i) संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से और (ii) गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से। एससीए कार्यक्रमों के अंतर्गत, वैयक्तिक लाभग्राहियों के लिए सावधि ऋण, शिक्षा ऋण और लघु ऋण की योजना का कार्यान्वयन एससीए के माध्यम से किया जाता है। लघु ऋण योजना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से भी क्रियान्वित की जा रही है।

22.3 एनएमडीएफसी की योजनाओं और कार्यक्रमों को 1 अप्रैल, 2013 से कार्यान्वयन के लिए संशोधित किया गया था। योजनाओं के संशोधित नियम निम्नलिखित है:

i. ऋण योजनाएं

क. **सावधि ऋण योजना:** इस योजना के अंतर्गत व्यैक्तिक लाभार्थियों को ₹10.00 लाख तक की लागत की परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके लिए 3% की ब्याज दर पर एससीए को निधि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि लाभार्थियों को 6% की दर से और ऋण दिया जा सके।

ख. **शैक्षिक ऋण:** इस योजना के अंतर्गत एससीए को 1% पर निधियां उपलब्ध करायी जाती हैं, जिसे वह आगे लाभार्थी को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा पूरी करने हेतु 3% की वार्षिक ब्याज दर पर ऋण देते हैं। एनएमडीएफसी अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित पात्र अभ्यर्थियों को ₹10.00 लाख (भारत में पाठ्यक्रमों हेतु) और ₹ 20.00 लाख तक (विदेशों में पाठ्यक्रमों हेतु) प्रदान करता है।

ग. **माइक्रो फाइनेंसिंग योजना :** एससीए के साथ साथ एनजीओ द्वारा कार्यान्वित इस योजना के अंतर्गत ₹ 50,000 प्रत्येक एससीए/एनजीओ स्व सहायता के समूह के सदस्यों को 1% की दर से निधि उपलब्ध कराई जाती है, जिसे 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से आगे स्व सहायता समूह के सदस्यों को ऋण के रूप में दिया जाता हैं।

ii. संवर्धनात्मक योजनाएं

क. **व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमः** एनएमडीएफसी व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसमें प्रति माह प्रति अभ्यर्थी 2,000 रु0 की राशि को अधिकतम छः माह की अवधि के लिए अल्पावधि रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है। 1000 रु0 का वजीफा भी प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान किया जाता है।

ख. **विपणन सहायता योजनाः** इस योजना के अंतर्गत एनएमडीएफसी एससीए के माध्यम से प्रमुख विपणन प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु शिल्पकारों को स्टॉल का किराया, यात्रा लागत और दैनिक भत्तो की प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने पर विचार करता है।

ग. **कौशल विकास कार्यक्रमः** उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के उन अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) के लक्षित समूहों को रोजगारोन्मुख कौशल प्रदान करने के लिए, जहां पर वर्तमान में एससीए इच्छित परिणाम देने में असफल रही है, एनएमडीएफसी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एनएमडीएफसी द्वारा कार्यान्वित 'सीखो और कमाओ' नामक योजना के अंतर्गत कौशल विकास का कार्य कुछ प्रशिक्षण एजेंसियों को दे दिया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2013 14 के दौरान कौशल विकास कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश के आठ अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) अर्थात गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बदायूं, बिजनौर, बुलंदशहर एवं बागपत तथा उत्तराखंड के दो एमसीडी अर्थात हरिद्वार और उधमसिंह नगर में आरंभ किया गया है।

इस योजना की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रशिक्षण एजेंसियों ने सफल अभ्यर्थियों के कम से कम 80% को प्लेसमेंट उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है जिसमें से 50% को संगठित क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा।

घ. **ड्राईवर प्रशिक्षण कार्यक्रमः** एनएमडीएफसी ने मारुति सुजूकी इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर ड्राईवर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरंभ किया है। कर्नाटक (660), गुजरात (630), हरियाणा (510), महाराष्ट्र (1290), उत्तर प्रदेश (810), राजस्थान (330), पंजाब (180) और दिल्ली (300) राज्यों में प्रशिक्षण के लिए कुल 3,900 अभ्यर्थियों को मंजूरी प्रदान की गई थी।

22.4 अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए, एनएमडीएफसी के पास ₹ 1500 करोड़ की प्राधिकृत अंशपूंजी है, जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा ₹ 975.00 करोड़ है (65%) और राज्य सरकारों का हिस्सा ₹ 390.00 करोड़ (26%) है। ₹ 135.00 करोड़ (9%) अल्पसंख्यकों में रूचि रखने वाले व्यक्तियों/संस्थानों द्वारा अंशदान दिया गया है।

22.5 भारत सरकार ने अब तक एनएमडीएफसी की इक्विटी में ₹975 करोड़ (100%) का अंशदान दिया है, जबकि ₹ 226.51 करोड़ (58.08%) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिया गया है। अल्पसंख्यकों में रूचि रखने वाले संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा ₹ 0.01 करोड़ दिया गया है।

22.6 उपलब्धियां:

क. 31.03.2014 तक, एनएमडीएफसी ने 25 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में **4,08,484** लाभार्थियों को **₹1883.20** करोड़ की सावधि ऋण सहायता दी है। पिछले वित्त वर्ष 31 मार्च, 2014 तक, **2138 लाभार्थियों** को ₹ 202.50 करोड़ की राशि संवितरित की गयी है।

ख. वर्ष 1998 99 से माइक्रो वित्त प्रबंध नामक योजना का कार्यान्वयन एनएमडीएफसी द्वारा एनजीओ के माध्यम से किया गया है और बाद में इसके कार्यान्वयन में एससीए को शामिल किया गया है। 31.03.2014 तक **5,73,091** लाभार्थियों को माइक्रो वित्त योजना के अंतर्गत कुल ₹ 706.23 करोड़ संवितरित किए जा चुके हैं। पिछले वित्त वर्ष 2013 14 में दिनांक 31 मार्च, 2014 तक **54,648 लाभार्थियों के लिए** एससीए को **₹122.96 करोड़ का माइक्रो ऋण** संवितरित किया जा चुका है।

ग. अपने गठन से लेकर 31 मार्च, 2014 तक, उक्त दो कार्यक्रमों के अंतर्गत एनएमडीएफसी द्वारा **9,81,575 लाभार्थियों को ₹ 2589.43** करोड़ की समेकित राशि संवितरित की गई है। चालू वित्त वर्ष में दिनांक 31.03.2014 तक **75,996 लाभार्थियों** के लिए ₹ 325.26 करोड़ की समेकित राशि वितरित की गई है।

घ. कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गतः जैसा कि नीचे दिया गया है 8.11 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय लागत से 7295 अभ्यर्थियों को मंजूरी जारी की गई है। अनुमोदित वित्तीय निहितार्थ के

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	कुल अभ्यर्थी	कुल राशि
1.	चौ0 रमेश चंद चैरिटेबल ट्रस्ट (सीआरसीसीटी), गाजियाबाद	2,400	2.01
2.	एनआईआईटी यूथ ज्योति लि0 (एनवाईजे), गुडगांव	1,200	1.56
3.	आरवीएस राईज स्किल सोल्यूशन प्राईवेट लि0 (आरवीएसआरएसएस), नई दिल्ली	1,200	0.98
4.	द इंस्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर अकाउंटेंटस (आईसीए), दिल्ली	600	1.07
5.	पाथब्रेकर्स कम्यूनिकेसन प्राईवेट लि0 (पीबीसीपीएल), नई दिल्ली	900	0.72
6.	त्रिपुरा अल्पसंख्यक सहकारी विकास निगम (इंडस इंटीग्रेटेड इंफॉमेशन मेनेजमेंट)	720	1.12
7.	इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंगलुरू	275	0.66
	कुल योग	7,295	8.11

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने "सीखो और कमाओ" नामक योजना के अंतर्गत 2.25 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। एनएमडीएफसी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को बची हुई 5.86 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के लिए आग्रह किया है।

22.7 इसके साथ निम्नलिखित निष्पादन चार्ट संलग्न हैः

i. एनएमडीएफसी भारत सरकार द्वारा शेयर पूंजी आवंटन और योगदान।

ii. एनएमडीएफसी वर्ष वार सहायता दिए गए लाभार्थी।

iii. एनएमडीएफसी वर्ष वार वितरित निधियां।

iv. वर्ष 2013 14 के दौरान हुए कार्यक्रमों के फोटोग्राफ।

v. पूर्वोत्तर राज्यों में जेन्डर मुद्दे और एनएमडीएफसी कार्यक्रम पर टिप्पणी।

vi. 2013–14 के दौरान (31/03/2014 तक) उपलब्धियों के लिंग–वार विश्लेषण का ब्यौरा। **(अनुलग्नक–X)**

vii. पूर्वोत्तर क्षेत्र में वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां। **(अनुलग्नक XI)**

viii. वर्ष 2013 14 (31/03/2014 तक) के दौरान राज्य वार वित्तीय उपलब्धियां। **(अनुलग्नक–XII)**

ix. वर्ष 2013 14 (31/03/2014 तक) के दौरान वास्तविक उपलब्धियां। **(अनुलग्नक-XIII)**

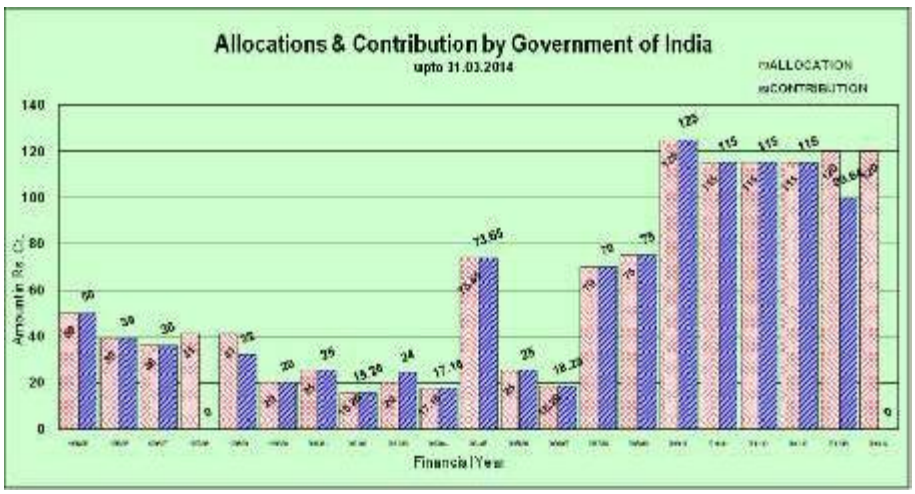

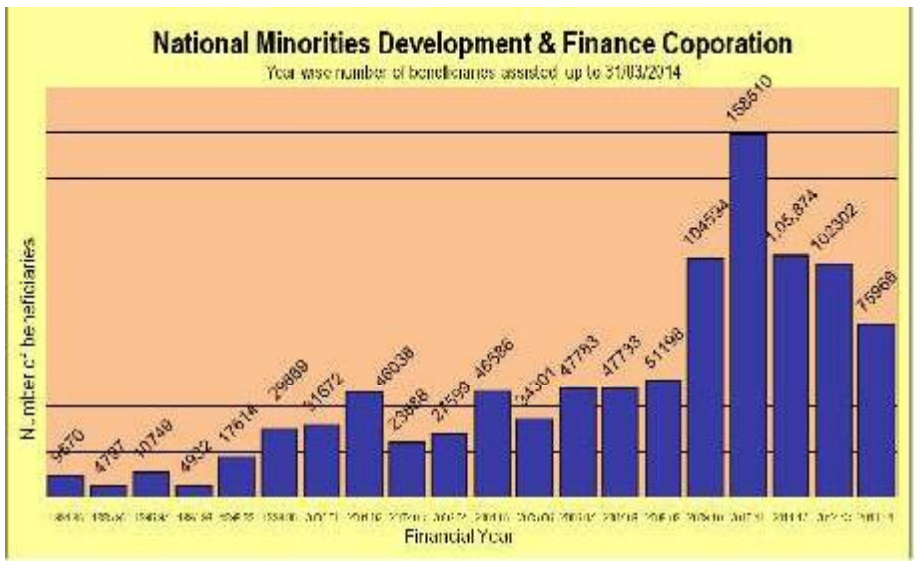

एनएमडीएफसी के 19वें स्थापना दिवस का कार्यक्रम 30 सितम्बर, 2013 को गिर्जा गालिब, हॉल, स्कोप सम्मेलन केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ0 ललिता के0 पंवार, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई।

एनएमडीएफसी के 19वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर एन्एमडीएफसी के संशोधित योजना दिशानिर्देशों और एनएमडीएफसी के पोस्टरों के साथ नई पुस्तिका जारी करते हुए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनएमडीएफसी के कार्यक्रम का कार्यान्वयन

एनएमडीएफसी पूर्वोत्तर क्षेत्र के रहने वाले अल्पसंख्यकों को ऋण उपलब्धि पर विशेष ध्यान देता है। अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों में एनएमडीएफसी की योजनाएं एससीए के माध्यम से परिचालित है। सावधि ऋण एवं लघु ऋण योजनाओं के अंतर्गत 31/03/2014 तक देश भर में अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराए गए 2589.43 करोड़ रुपये में से 47,929 लाभार्थियों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा 159.68 करोड़ रुपये (6.61%) रहा है। मौजूदा वर्ष में देश में 563.00 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से पूर्वोत्तर राज्यों को 56.00 करोड़ रुपये (9.95%) का आवंटन किया जा चुका है और 31 मार्च, 2014 तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में एससीए को 13.96 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के अंतर्गत जेन्डर मुद्दों पर टिप्पणी

इस तथ्य को देखते हुए कि देश में अल्पसंख्यकों के बीच महिलाएं सबसे कमजोर कड़ी है, एनएमडीएफसी महिलाओं की ऋण जरूरतों पर विशेष ध्यान देता है। यह गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं पर मुख्य ध्यान केन्द्रित करने वाली सूक्ष्म वित्त योजना चला रहा है। एनएमडीएफसी की सूक्ष्म वित्त योजना का मुख्य लक्ष्य एनजीओ/एसएचजी के माध्यम से अनौपचारिक रूप से उनकी ऋण जरूरतों को पूरा करते हुए उनके सशक्तिकरण पर है। एनएमडीएफसी ने अब तक (31/03/2014 तक) 706.23 करोड़ रुपये के लघु ऋण के साथ लगभग 5,73,091 लाभार्थियों की सहायता की है जिनमें से 90% से अधिक लाभर्थी महिलाएं हैं।

महिला समृद्धि योजना

इसके अतिरिक्त, एनएमडीएफसी ने महिला समृद्धि योजना आरंभ की है जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण के पश्चात लघु ऋण दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गम महिलाओं को छः माह की अवधि के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके बाद आय सृजन क्रियाकलापों हेतु 7% वार्षिक ब्याज दर से 50000 रुपये तक का अपेक्षित लघु वित्त दिया जाता है।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

23.1 भूमिका:

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर राजनैतिक, गैर लाभकारी समाज सेवा संगठन है, जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है। जुलाई, 1989 में, सोसाइटी के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन इसका पंजीकरण किया गया था।

23.2 मुख्य उद्देश्य: इस प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य विशेषतः शैक्षिक तौर पर पिछड़े अल्पसंख्यकों और सामान्यतः कमजोर वर्गों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना है।

23.3 एमएईएफ की संरचना: अल्पसंख्यक कार्य मामलों के केन्द्रीय मंत्री इस प्रतिष्ठान के पदेन अध्यक्ष हैं। प्रतिष्ठान के सामान्य विकास में 15 सदस्य हैं, जिनमें 6 पदेन सदस्य और 9 नामित सदस्य होते हैं जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। इसके कार्यों का प्रबंधन इसके शासी निकाय के सुपुर्द है, जिसमें छः सदस्य होते हैं, इसमें अध्यक्ष एमएईएफ, उपाध्यक्ष एमएईएफ, खजांची एमएईएफ, भी शामिल है और तीन सदस्य सामान्य निकाय में से चुने जाते हैं।

23.4 एमएईएफ के संसाधन: इसके आय का एकमात्र साधन एमएईएफ निवेश की गई संचित निधि पर अर्जित ब्याज है।

संचित निधि: एमएईएफ ने भारत सरकार से संचित निधि के रूप में 2013 14 तक कुल 910 करोड़ रु0 प्राप्त किए हैं, जिन्हें बैंकों में सावधि जमा के रूप में निवेशित रखा गया गया है और इससे मिलने वाले ब्याज का उपयोग एमएईएफ की शैक्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन में किया जाता है। एमएईएफ ने एचपीसीएल, सेल और आईडीबीआई बैंक से संचित निधि के लिए 12 लाख रु0 का अंशदान भी प्राप्त किया है।

23.5 मौजूदा शैक्षणिक योजनाएं: एमएईएफ निम्नलिखित दो मुख्य योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

23.5.1 एनजीओ को सहायता अनुदान: शैक्षणिक संस्थानों के अवसंरचना विकास के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है:

- स्कूलों/बीएड कॉलेजों/बीटीसी/आईटीआई/पॉलिटेक्निक और छात्रावास भवनों का निर्माण/विस्तार
- विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण/फर्नीचर की खरीद।
- तीन साल से चल रहे और मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान, जिसमें 50% से अधिक अल्पसंख्यक छात्र हैं, का प्रबंधन करने वाले एनजीओ आवेदन कर सकते हैं।
- उच्चतम सीमा 30 लाख रु0 है।

23.5.2 मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति अल्पसंख्यकों से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए: छात्रवृत्ति अल्पसंख्यकों से संबंधित छात्राओं को रु0 12 हजार प्रति छात्रा की दर से (रु0 6,000 की दो किस्तों में) निम्नलिखित

मापदंडों के आधार पर दी जाती है:

- दसवीं कक्षा में न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना।
- 11वीं कक्षा में स्थायी दाखिला होना।
- माता/पिता की वार्षिक आय रु0 1 लाख प्रतिवर्ष से कम होना।
- चयन राज्य वार कोटे में मेरिट के आधार पर किया जाता है।

मौलाना आजाद सेहत योजना शीर्षक वाली एक नई योजना को 04.03.2014 को आरंभ किया गया है।

23.6 उपलब्धियां:

एमएईएफ की योजनाओं ने देश भर में बहुत ख्याति प्राप्त की है। एमएईएफ अपनी योजनाएं बिना किसी मध्यवर्ती एजेंसी के हस्तक्षेप के सीधे ही कार्यान्वित करती है। इसकी योजनाओं के लाभ भारत के लगभग प्रत्येक भाग में पहुंचे है:

23.6.1 सहायता अनुदान: 31.03.2014 तक एमएईएफ ने 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैली 1423 एनजीओ को रु0 185.96 करोड़ के सहायता अनुदान स्वीकृत किए हैं। इसमें से, प्रतिष्ठान ने चालू वित्त वर्ष अर्थात 2013 14 (31.03.2014 तक) के दौरान, 120 एनजीओ को रु0 15.04 करोड़ स्वीकृत किए है। एमएईएफ द्वारा (शुरुआत से) 31.03.2014 तक और चालू वित्त वर्ष 2013 14 में स्वीकृत किए गए सहायता अनुदान का राज्य वार विवरण क्रमशः **अनुलग्नक XIV** और **XV** में संलग्न है।

23.6.2 छात्रवृत्ति: मौलाना आजाद छात्रवृत्ति के अंतर्गत, 2013 14 तक एमएईएफ ने 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैली 1,37,318 छात्राओं को रु0 162.61 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। प्रतिष्ठान ने 2003 04 से 2011 12 तक अल्पसंख्यकों से संबंधित 77,003 मेधावी छात्राओं के लिए रु0 90.24 करोड़ स्वीकृत किए हैं। 2013 14 तक स्वीकृत की गई छात्रवृत्तियों का राज्य वार सारांश **अनुलग्नक XVI** में संलग्न है।

23.7 एमएईएफ द्वारा महिलाओं के लिए चलाए जाने वाले व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र:

प्रतिष्ठान महिलाओं के लिए अजमेरी गेट, दिल्ली में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी चला रहा है, जहां पर लड़कियों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे कटिंग एण्ड टेलरिंग, टैक्सटाईल डिजाईनिंग, ब्यूटी कल्चर, आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स और कम्प्यूटर्स के अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

23.8 भविष्य के कार्यक्रम:

- मौलाना आजाद पब्लिक स्कूलों की स्थापना।
- आईटीआई/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना।
- मौलाना आजाद पीठों की स्थापना।
- पुस्तकायलों की स्थापना।
- छः अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों की स्थापना।
- छात्रवृत्ति कार्यक्रम का विस्तार करना।
- मौलाना अबुल कलाम आजाद चिकित्सा सहायता योजना

जेन्डर विशिष्ट मुद्दे और जेन्डर बजटिंग

24.1 मंत्रालय ने वर्ष 2012 13 से "अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास" के लिए एक नई योजना "नई रोशनी" का कार्यान्वयन आरंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक गहिलाओं और उसी गांव/मुहल्ले में रहने वाली अन्य समुदायों के उनके पड़ोसियों को सरकारी तंत्रों, बैंकों और सभी स्तर पर मध्यस्थों के साथ संपर्क करने के साधन, तकनीकें और जानकारी उपलब्ध कराकर उनमें विश्वास की भावना भरना और उन्हें सशक्त बनाना है। नेतृत्व प्रशिक्षण मॉड्यूलों में अनिवार्य रूप से संविधान और विभिन्न अधिनियमों के अतर्गत महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, आजीविका आदि से संबंधित मुद्दों और महिला अधिकारों, और शिक्षा, स्वास्थ्य, आरोग्य, पोषणाहार, टीकाकरण, परिवार नियोजन, बीमारी नियंत्रण, उचित दर की दुकान, पेय जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई, आवास, स्व रोजगार, मजदूरी रोजगार, कौशल प्रशिक्षण अवसर, महिलओं के प्रति अपराध आदि के क्षेत्रों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत अवसरों, सुविधाओं और सेवाओं को कवर किया गया है। यह योजना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2012–13 के दौरान, गंत्रालय ने 10.45 करोड़ रुपए के साथ 12 राज्यों गें 36950 गहिलाओं को प्रशिक्षण गें सहायता दी है। वर्ष 2013 14 के दौरान, मंत्रालय का लक्ष्य 15 करोड़ रुपए की राशि के साथ 40,000 महिलओं को प्रशिक्षित करने का है। दिनांक 31.03.2014 तक, 24 राज्यों में 60,875 महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 11.96 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

24.2 देश में अल्पसंख्यकों के बीच महिलाएं सबसे कमजोर वर्ग हैं, इस तथ्य के आलोक में एनएमडीएफसी महिलाओं की ऋण संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान देता है। यह निगम अल्पसंख्यक समुदायों की निर्धन महिलाओं के लिए सूक्ष्म वित्तपोषण योजना चला रहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के लघु वित्तपोषण योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को अनौपचारिक ढंग से गैर सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने पर केंद्रित करता है। एनएमडीएफसी ने शुरू से लेकर 31.03.2014 तक 5,73,095 लाभार्थियों को 706.22 करोड़ रु0 का लघु ऋण उपलब्ध कराया है, जिसमें से लगभग 90% लाभार्थी गहिलाएं हैं।

24.3 महिला समृद्धि योजना

महिला समृद्धि योजना नामक एक विशेष योजना भी लागू की है, जिसके माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद गाइक्रो ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत गहिलाओं को छह गाह का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद आय सृजन संबंधी कार्य शुरू करने के लिए 7% वार्षिक ब्याज की दर से 50,000/- रुपए तक का लघु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

25.1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ख) के प्रावधानों के अनुसार, इस मंत्रालय ने सभी आवश्यक सूचना अर्थात् मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य और कर्तव्य, मंत्रालय में उपलब्ध अभिलेख और दस्तावेज आदि को आम जनता की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर अपलोड किया है। इसमें, मंत्रालय और इसके विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी सूचना उपलब्ध करायी गई है।

25.2. बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत प्राप्त उपलब्धियों के आंकड़े तथा इन योजनाओं/कार्यक्रमों के संबंध में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है और उसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत राज्य सरकारें छात्रवृत्ति प्रदत्त छात्रों के नामों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती हैं और उसे मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ती हैं। इसके अतिरिक्त, बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अपेक्षित होता है कि पूर्ण हुए और चल रहे कार्यों के फोटोग्राफ प्रस्तुत करें, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करना होता है। मंत्रालय ने अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित लाभार्थियों की शंकाओं के समाधान और सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए एक हेल्प लाइन की भी व्यवस्था की है।

25.3. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चौदह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी और आठ प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया है। वर्ष 2013 14 में (31 मार्च, 2014 तक) आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत 900 आरटीआई आवेदन और 93 अपील प्राप्त हुए थे, जिन्हें निस्तारित कर दिया गया था। आरटीआई आवेदनों और अपीलों से संबंधित स्थिति की तिमाही रिपोर्ट केन्द्रीय सूचना आयुक्त की वेबसाइट पर भी नियमित रूप से अपलोड की जा रही है।

25.4. "केंद्रीय सचिवालय के निष्पादन प्रबंधन प्रभार के शिकायत निवारण तंत्र के लिए सीपीग्राम्स लिंक दर्शाते हुए एक स्क्रीन शॉट मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत सभी दायित्व केंद्रों (आरसीएस) को उनके वेबसाइट पर सीपीग्राम्स लिंक दिए गए हैं। सभी आरसीएस को यूजर आईडी कोड और पासवर्ड आवंटित किए गए हैं तथा मंत्रालय सीपीग्राम्स लिंकों के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में आरसीएस से संबंधित शिकायतें अग्रेषित करता है। वर्ष 2013 14 के दौरान, कुल 361 (90 अग्रेनीत सहित) शिकायतें प्राप्त हुई थीं और 320 शिकायतों का विधिवत समाधान कर दिया गया था।"

शासकीय लेखापरीक्षा

26.1 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (केंद्रीय व्यय), नई दिल्ली से मार्च, 2013 तक समाप्त वर्ष के लिए मांग संख्या 67 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के संबंध में दो मसौदा पैरे अभिमत के लिए प्राप्त हुए थे। मौजूदा स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:–

क्रम सं.	लेखापरीक्षा पैरा	की गई कार्रवाई
1.	संपूर्ण प्रावधान का उपयोग न किया जाना	मसौदा ऑडित पैरे पीपी प्रभाग और आईएम प्रभाग को भेज दिए गए हैं। बार बार अनुरोधों के बावजूद, उनका उत्तर अभी प्रतीक्षित है।
2.	अवास्तविक बजटीय संकल्पना	

परिणाम–ढांचा दस्तावेज, नागरिक/सेवार्थियों का चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र

27.1. 4 जून, 2009 को संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के सम्बोधन में की गयी घोषणा के अनुसरण में, प्रधानमंत्री ने 11 सितम्बर, 2009 को सरकारी विभागों के लिए निष्पादन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली की रूपरेखा के मसौदे को अनुमोदित कर दिया।

इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक मंत्रालय/विभाग से यह अपेक्षा की गयी है कि वह सरकार द्वारा समय समय पर संसूचित घोषणा कार्यसूची, राष्ट्रपति के संबोधन, संबंधित मंत्री द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकताओं को शामिल करते हुए परिणाम ढांचा दस्तावेज तैयार करे। इस मंत्रालय ने 30 नवम्बर, 2009 को वर्ष 2009 10 के लिए अपना प्रथम परिणाम ढांचा दस्तावेज (आर एफ डी) तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया। सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए "सरकार की घटती क्वांटिटी" से "सरकार की बढ़ती गुणवत्ता" में अंतरण की दिशा में इस कार्य की शुरूआत थी।

2702. वर्ष 2013 14 के लिए मंत्रालय का नागरिक/सेवार्थियों का चार्टर, जो 'सेवोत्तम' हेतु अनुवर्ती एवं अनिवार्य आवश्यकता है, तैयार कर लिया गया तथा और 29 मई, 2014 को मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वर्ष 2014 15 के लिए मंत्रालय का आरएफडी भी मंत्रिमंडल सचिवालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। निष्पादन प्रबंधन प्रभाग की सलाह के अनुसार, वर्ष 2013 14 के और तत्संबंधी उपलब्धि तथा समेकित अंक निम्नलिखित है।

27.3. मंत्रिमंडल सचिवालय में निष्पादन प्रबंधन प्रभाग के शिकायत निवारण तंत्र के लिए सीपीग्राम्स लिंक वाले एक स्क्रीन शॉट को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए

आरएफडी

(परिणाम–ढांचा दस्तावेज)

(2013–14)

परिच्छेद 1:

संकल्पना, मिशन, उद्देश्य एवं कार्य

संकल्पना

अल्पसंख्यक समुदायों का सशक्तिकरण करना तथा हमारे राष्ट्र के बहु–सांस्कृतिक, बहु–भाषायी तथा बहु–धार्मिक अभिलक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए अनुकुल वातावरण सृजित करना।

मिशन

सकारात्मक कार्रवाई तथा व्यापक विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में बेहतरी लाना ताकि प्रत्येक नागरिक को मजबूत राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से भागीदारी करने का समान अवसर प्राप्त हो सके। अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षा, रोजगार, आर्थिक क्रियाकलापों में समान हिस्सेदारी को सुकर बनाना तथा उनके उत्थान को सुनिश्चित करना।

उद्देश्य

1. अल्पसंख्यक समुदायों का शैक्षणिक सशक्तिकरण
2. अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों, नगरों एवं गांवों में क्षेत्र विकास
3. अल्पसंख्यक समुदायों का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण
4. संस्थागत सुदृढ़ीकरण

कार्य

1. नीतिगत कार्य
2. सम्मेलनों; पुनरीक्षण तंत्रों, नियमित बैठकों; आदि के माध्यम से निगरानी कार्य
3. विकास पहलें (क्षेत्र विकास; अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास; शिक्षा के माध्यम से सामाजिक–आर्थिक विकास)
4. विनियामक कार्य (एनसीएम अधिनियम, वक्फ अधिनियम, दरगाह अधिनियम)

परिच्छेद 2:
महत्वपूर्ण उद्देश्यों, सफलता संकेतकों और लक्ष्यों के आधार पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता संकेतक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	पर्याप्त	अपर्याप्त
						100%	90%	80%	70%	60%
(1) अल्पसंख्यक समुदायों का शैक्षणिक सशक्तीकरण	34.00	(1.1) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियों को मंजूरी देना	(1.1.1) संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या लाखों में	15.00	27	25	23	21	19
		(1.2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों को मंजूरी देना	(1.2.1) संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या लाखों में	13.00	5.25	4.80	4.40	4.20	3.80
		(1.3) मेरिट–सह–साधन योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों को मंजूरी देना	(1.3.1) संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या हजारों में	4.00	20	18	16	14	12
		(1.4) निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत कोचिंग के लिए सहायता	(1.4.1) लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	2.00	5760	5184	4608	4032	3456
		(1.5) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत अध्येतावृत्तियां	(1.5.1) अध्येतावृत्तियों की संख्या	संख्या	4.00	756	680	574	452	326
		(1.6) छात्रवृत्ति योजना के संबंध में मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट	(1.6.1) अभिकरण की अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट प्राथमिकता	दिनांक	2.00	16.1.2012	01.2.2012	29.2.2012	15.3.2012	01.3.2012
		(1.7) कक्षा IX में पढ़ने वाली छात्राओं को साईकिल की मंजूरी	(1.7.1) पुनः संरचित बहु– क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों को जारी करना	संख्या	1.00	–	–	–	–	–
		(1.8) सिविल सेवा परीक्षाओं के प्रारंभिक उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए कोचिंग कलासेस हेतु वित्तीय सहायता	(1.8.1) योजना की स्वीकृति के बाद दिशा–निर्देश जारी करना	संख्या	2.00	800	720	640	560	480
(2) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों नगरों एवं गांवों में क्षेत्र विकास	35.00	(2.1) बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पुनः संरचना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन	(2.1.1) पुनः संरचित बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के दिशा–निर्देश को जारी करना	दिनांक	10.00	15.7.2013	15.8.2013	15.9.2013	15.10. 2013	15.11.2013
		(2.2) राज्य सरकारों से योजना प्रस्तावों का अनुमोदन	(2.2.1) मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राशि	करोड़ रु0 में	13.00	1250	1150	1000	900	800
		(2.3) अनुमोदन पर पुनः संरचित बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियां	(2.3.1) बजट अनुमान 2013–14 के उपयोग का प्रतिशत	बजट आबंटन का प्रतिशत	6.00	95	85	80	75	70
		(2.4) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पुनः संरचित बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयुक्त निधियां	(2.4.1) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रयुक्त राशि	करोड़ रु0 में	6.00	800	750	700	650	600
(3) अल्पसंख्यक समुदायों का सामाजिक –आर्थिक सशक्तिकरण	8.00	(3.1) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास	(3.1.1) लाभार्थियों की संख्या	संख्या	3.00	38000	35000	30000	27000	23000
		(3.2) सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को तिमाही प्रतिवेदन समय पर भेजे जाने	(3.2.1) तिमाही के अंत में 30 दिनों के भीतर तिमाही रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतीकरण	संख्या	1.00	4	3	2	1	0
		(3.3) प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को तिमाही प्रतिवेदन भेजे जाने	(3.3.1) तिमाही के अंत में 30 दिनों के भीतर तिमाही रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतीकरण	संख्या	1.00	4	3	2	1	0
		(3.4) प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय	(3.4.1) छमाही के अंत में 45 दिनों के	संख्या	1.00	2	1	0	0	0

		कार्यक्रम तथा सच्चर समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में सीओएस/मंत्रिमंडल सचिवालय को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन समय पर भेजे जाने	भीतर अर्धवार्षिक रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतीकरण							
		(3.5) प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम तथा सच्चर समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में सीओएस/मंत्रिमंडल सचिवालय को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन समय पर भेजे जाने	(3.5.1) छमाही के अंत में 45 दिनों के भीतर अर्धवार्षिक रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतीकरण	संख्या	1.00	2	1	0	0	0
	(3.6) कौशल विकास पहल		(3.6.1) कौशल प्रदत्त व्यक्तियों की संख्या	संख्या	1.00	6000	5400	4800	4200	3600
(4) संस्थागत सुदृढ़ीकरण	8.00	(4.1) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण – केन्द्रीय कंप्यूटिंग सुविधा केन्द्रों का निर्माण पूरा करना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।	(4.1.1) दिशा–निर्देशों को जारी करना	संख्या	4.00	5	4	3	2	1
		(4.2) राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	(4.2.1) दिशा–निर्देशों को जारी करना	दिनांक	2.00	01.9.2013	15.9.2013	30.9.2013	15.10.2013	31.10.2013
			(4.2.2) बजट अनुमान निर्मुक्ति का प्रतिशत	प्रतिशत (%)	2.00	100	90	80	70	60
* आरएफडी प्रणाली का प्रभावी कार्य करना	3.00	अनुमोदन के लिए समय पर आरएफडी मसौदे 2014–15 का प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	2.0	05.3.2014	06.3.2014	07.3.2014	08.3.2014	11.3.2014
		2012–13 हेतु परिणामों का समय पर प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.0	01.5.2013	02.5.2013	03.5.2013	06.5.2013	07.5.2013
* मंत्रालय/विभाग की आंतरिक दक्षता/अनुक्रियाशीलता /सेवा डिलिवरी में सुधार लाना	6.00	सिटिजन/क्लाइंट चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का %	%	2.0	100	95	90	85	80
		शिकायत निपटान–तंत्र के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का %	%	2.0	100	95	90	85	90
		12वीं योजना की प्राथमिकताओं के साथ ताल–मेल बिठाने के लिए विभागीय रणनीति के अद्यतित करना	रणनीति का समय से अद्यनीकरण	दिनांक	2.0	10.9.2013	17.9.2013	24.9.2013	1.10.2013	8.10.2013
*प्रशासनिक सुधार	6.00	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए योजना चलाना	कार्यान्वयन का %	%	1.0	100	95	90	85	80
		अनेमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 को कार्यान्वित करना	कार्यान्वयन का %	%	2.0	100	95	90	85	80
		इलोवेशन एक्शन प्लान (आईएजी) को कार्यान्वित करना	प्राप्त लक्ष्यों का %	%	2.0	100	95	90	85	80
		दूसरी एआरसी सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग का कोर और नॉन–कोर क्रियाकलापों को अभिज्ञात करना	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.00	01.10.2013	15.10.2013	30.10.2013	10.11.2013	20.11.2013

* अनिवार्य उद्देश्य

परिच्छेद 3:
सफलता संकेतकों का रूझान मूल्यांकन

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता संकेतक	यूनिट	वास्तविक मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 11/12	वास्तविक मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 12/13	लक्षित मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 13/14	प्रक्षिप्त मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 14/15	प्रक्षिप्त मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 15/16
(1) अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक सशक्तीकरण	(1.1) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियों को मंजूरी देना	(1.1.1) संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या लाखों में	25	64.50	40	70	–
	(1.2) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों को मंजूरी देना	(1.2.1) संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या लाखों में	4.80	7.55	5.00	9.5	–
	(1.3) मेरिट–सह–साधन योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों की मंजूरी देना	(1.3.1) संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या हजारों में	20	68.1	60	85	–
	(1.4) निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत कोचिंग के लिए सहायता	(1.4.1) लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	5184	6716	6000	6500	–
	(1.5) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत अध्येतावृत्तियां	(1.5.1) अध्येतावृत्तियों की संख्या	संख्या	756	754	756	756	–
	(1.6) छात्रवृत्ति योजना के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट	(1.6.1) अभिकरण की अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट प्राथमिकता	दिनांक	–	–	15.1.2014	–	–
	(1.7) कक्षा IX में पढ़ने वाली छात्राओं को साईकिल की मंजूरी	(1.7.1) पुनःसंरचित बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों को जारी करना	संख्या	–	–	–	–	–
	(1.8) सिविल सेवा परीक्षाओं के प्राथमिक उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए कोचिंग क्लासेस हेतु वित्तीय सहायता	(1.8.1) योजना की स्वीकृति के बाद दिशा–निर्देश जारी करना	संख्या	–	–	800	–	–
(2) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/नगरों एवं गांवों में क्षेत्र विकास	(2.1) बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पुनः संरचना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन	(2.1.1) पुनः संरचित बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के दिशा–निर्देश को जारी करना	संख्या	–	–	15.8.2013	–	–
	(2.2) राज्य सरकारों से योजना प्रस्तावों का अनुमोदन	(2.2.1) मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राशि	करोड़ रु0 में	–	–	1150	–	–
	(2.3) अनुमोदन पर पुनः संरचित बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियां	(2.3.1) बजट अनुमान 2013–14 के उपयोग का प्रतिशम	बजट आबंटन का प्रतिशत	–	–	85	–	–
	(2.4) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पुनः संरचित बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयुक्त निधियां	(2.4.1) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वरा प्रयुक्त राशि	करोड़ रु0 में	–	–	750	–	–
(3) अल्पसंख्यक समुदायों का सामाजिक –आर्थिक सशक्तिकरण	(3.1) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास	(3.1.1) लाभार्थियों की संख्या	संख्या	–	36950	20000	22000	–
	(3.2) सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को तिमाही प्रतिवेदन समय पर भेजे जाने	(3.2.1) तिमाही के अंत में 30 दिनों के भीतर तिमाही रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतीकरण	संख्या	–	03	3	3	–
	(3.3) प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में	(3.3.1) तिमाही के अंत में 30 दिनों के भीतर तिमाही	संख्या	–	03	3	3	–

	प्रधानमंत्री कार्यालय को तिमाही प्रतिवेदन भेजे जाने	रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतीकरण						
	(3.4) प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम तथा सच्चर समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में सीओएस/मंत्रिमंडल सचिवालय को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन समय पर भेजे जाने	(3.4.1) छमाही के अंत में 45 दिनों के भीतर अर्धवार्षिक रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतीकरण	संख्या	–	01	1	1	–
	(3.5) प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम तथा सच्चर समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में सीओएस/मंत्रिमंडल सचिवालय को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन समय पर भेजे जाने	(3.5.1) छमाही के अंत में 45 दिनों के भीतर अर्धवार्षिक रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतीकरण	संख्या	–	0	1	1	–
	(3.6) कौशल विकास पहल	(3.6.1) कौशल प्रदत्त व्यक्तियों की संख्या	संख्या	–	0	3000	4000	–
(4) संस्थागत सुदृढ़ीकरण	(4.1) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण – केन्द्रीय कंप्यूटिंग सुविधा केन्द्रों का निर्माण पूरा करना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।	(4.1.1) दिशा–निर्देशों को जारी करना	संख्या	4	3	5	5	–
	(4.2) राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	(4.2.1) दिशा–निर्देशों को जारी करना	दिनांक	–	–	15.9.2013	–	–
		(4.2.2) बजट अनुमादन निर्मुक्ति का प्रतिशत	प्रतिशत (%)	–	0	90	90	–
* आरएफडी प्रणाली का प्रभावी कार्य करना	अनुमोदन के लिए समय पर आरएफडी मसौदे 2014–15 का प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	–	–	06.3.2014	–	–
	2012–13 हेतु परिणामों का समय पर प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	–	–	02.5.2014	–	–
* मंत्रालय/विभाग की आंतरिक दक्षता/अनुक्रियाशीलता/सेवा डिलिवरी में सुधार लाना	सिटिजन/क्लाइंट चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का %	%	–	–	95	–	–
	शिकायत निपटान–तंत्र के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का %	%	–	–	95	–	–
	12वीं योजना की प्राथमिकताओं के साथ ताल–मेल बिठाने के लिए विभागीय रणनीति के अद्यतित करना	रणनीति का समय से अद्यनीकरण	दिनांक	–	–	17.9.2013	–	–
* प्रशासनिक सुधार	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए योजना चलाना	कार्यान्वयन का %	%	–	–	95	–	–
	अनेमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 को कार्यान्वित करना	कार्यान्वयन का %	%	–	–	95	–	–
	इलोवेशन एक्शन प्लान (आईएजी) को कार्यान्वित करना	प्राप्त लक्ष्यों का %	%	–	–	95	–	–
	दूसरी एआरसी सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग का कोर और नॉन–कोर क्रियाकलापों को अभिज्ञात करना	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	–	–	15.10.2013	–	–

* अनिवार्य उद्देश्य

परिच्छेद 4:

सफलता संकेतकों की परिभाषा और विवरण एवं प्रस्तारित मापक कार्य प्रणाली

क्र.सं.	सफलता सूचकांक	विवरण	परिभाषा	मूल्यांकन	सामान्य टिप्पणियां
1	(1.1.1) संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	40 लाख नये नवीनीकरण यह मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति संपूर्ण देश के कक्षा I से X तक पढ़ने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को कवर करती है।	स्कूल जाने वाले अपने बच्चे को स्कूल भेजने, स्कूली शिक्षा पर वित्तीय भार को कम करने तथा स्कूली शिक्षा पूर्ण करने में अपने बच्चों को सहायता देने में प्रयास को बनाए रखने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है	40 लाख नये + नवीनीकरण	इस योजना के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए अभिज्ञात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त इस योजना में डीबीटी व्यवहार्थ नहीं है क्योंकि योजना में 75:25 है। यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना है। डीबीटी के अंतर्गत योजना शुरू करने में ब्रॉडबैंड पैंठ भी मुद्दों को प्रस्तुत करते हैं
2	(1.2.1) संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	यह मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कक्षा XI से एम.फिल, पीएच.डी तक के लिए है। तथापि, मंत्रालय स्नातकोत्तर तक के सभी पाठ्यक्रमों को योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में सीमित करने हेतु मौजूदा ईएफसी में विचार कर रहा है क्योंकि एम.फिल एवं पीएच.डी पाठ्यक्रम मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत शामिल है।	अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रदान करता है ताकि उन्हें उच्च शिक्षा हेतु बेहतर अवसर उनके उच्च शिक्षा में प्राप्ति की दर को बढ़ाना तथा रोजगार क्षमता बढ़े।	5 लाख + नवीनीकरण	यह योजना ऑनलाईन छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणली (ओएसएमएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है तथा संस्तुत विद्यार्थियों को भुगतान राज्यों द्वारा एनईएफटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित किया जाता है। डीबीटी को लाभार्थी के बैंक खाते के साथ अंकित आधार संख्या के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करना है।
3	(1.3.1) संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	यह मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसयायिक पाठ्क्रमों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।	अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित गरीब एवं मेधावी विद्यार्थियों को व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए उन्हें सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं	60,000 नये + नवीनीकरण	डीबीटी
4	(1.4.1) संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	एम.फिल तथा पीएच.डी जैसे उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना	एम.फिल तथा पीएच.डी जैसे उच्च शिक्षा के लिए अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों को एकीकृत पाँच साल की अध्येतावृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।	756 नया	योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। युजीसी ऑनलाईन द्वारा आवेदन आमंत्रित तथा चयनित विद्यार्थियों को भुगतान केनरा बैंक के माध्यम से बैंक पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक के खाते में सीधे तथा बैंक खाते के साथ आधार संख्या अंकित विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से किया जाता है।
5	(1.5.1) अध्येतावृत्तियों की संख्या	निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना अभ्यर्थियों को नौकरियां ढूंढने की तैयारी में तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश में मदद करने के लिए है।	(i) सरकारी तथा निजी क्षेत्र में नौकरी हेतु प्रतिस्पर्थी परीक्षा तथा (ii) स्नातक/स्नातकोत्तर के तकनीकी/व्यावसायिक पाठक्रम में प्रवेश हेतु विशेष कोचिंग/प्रशिक्षण प्रदान करना।	6000 अभ्यर्थियों	योजना कोचिंग/प्रशिक्षण में लगे विश्वविद्यालययों तथा स्वायत्त निकायों सहित सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के संस्थानों मे माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
6	(1.6.1) एजेंसी के अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति				
7	(1.7.1) पुनःसंरचित बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को जारी करना				

8	(1.8.1) योजना की मंजूरी के पश्चात दिशानिर्देशों को जारी करना	संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वरा आयोजित प्राथमिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को सहायता	संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वरा आयोजित प्राथमिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग प्रदान करना	800 अभ्यर्थियों	योजना राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र क्षेत्र योजना होगी
9	(3.1.1) लाभार्थियों की संख्या				
10	(3.2.1) तिमाही के अंत तक 30 दिनों के भीतर तिमाही रिपोर्ट का समय से प्रस्तुतीकरण				
11	(3.3.1) तिमाही के अंत तक 30 दिनों के भीतर तिमाही रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना				
12	(3.4.1) छमाही के अंत तक 45 दिनों के भीतर अर्धवार्षिक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना				
13	(3.5.1) छमाही के अंत तक 45 दिनों के भीतर अर्धवार्षिक रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना				
14	(3.6.1) कौशल प्रदत्त व्यक्तियों की संख्या				
15	(4.1.1) राज्य वक्फ बोर्डों की संख्या	राज्य जहां "राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखें का कंप्यूटरीकरण" योजना के अंतर्गत केन्द्रकृत कंप्यूटिंग सुविधा (सीसीएफ) की स्थापना किया जाना है: 1. आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड 2. गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड 3. झारखंड राज्य वक्फ बोर्ड 4. दादरा नगर हवेली वक्फ बोर्ड 5. यू.पी. शिया वक्फ बोर्ड		5 राज्य वक्फ बोर्ड	
16	(4.2.1) दिशा–निर्देशों को जारी करना				
17	(4.2.2) बजट अनुभाग के निमुक्ति का %				

परिच्छेद 5:
अन्य विभागों से विशिष्ट निष्पादन मांग

संस्था का प्रकार	राज्य	संगठन के प्रकार	संगठन का नाम	संगत सफलता सूचकांक	इस संगठन से आपकी क्या आवश्यकताएं हैं	इस जरूरत का औचित्य	कृपया इस संगठन से आपकी आवश्यकता की मात्रा निर्धारित करें	कया होगा यदि आपकी जरूरतें पूरी नहीं की जाती है
केंद्र सरकार		विभाग	वित्तीय सेवायें विभाग	(3.2.1) तिमाही के अंत में 30 दिनों के भीतर तिमाही रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतीकरण (3.3.1) तिमाही के अंत में 30 दिनों के भीतर तिमाही रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतीकरण (3.4.1) छमाही के अंत में 45 दिनों के भीतर अर्धवार्षिक रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतीकरण (3.5.1) छमाही के अंत में 45 दिनों के भीतर अर्धवार्षिक रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतीकरण	डेटा	रिपोर्टों के संकलन हेतु	प्रत्येक तिमाही के दौरान पीएसएल	समय पर रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकती है

परिच्छेद 6:
विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय का निष्कर्ष/प्रभाव	इस निष्कर्ष को प्रभावित करने के लिए संयुक्त रूप से निम्नलिखित विभाग/मंत्रालय जिम्मेवार	सफलता संकेतक	यूनिट	वित्तीय वर्ष 11/12	वित्तीय वर्ष 12/13	वित्तीय वर्ष 13/14	वित्तीय वर्ष 14/15	वित्तीय वर्ष 15/16
1. अल्पसंख्यकों के लिए 'मानव विकास सूचकांक' (एचडीआईएमआईएन) को विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, जो कि टास्क फोर्स द्वारा पूर्व में सुझाये गये सभी निष्कर्षों की जगह ले लेगा।	पीएमडी अल्पसंख्यकों के लिए एचडीआईएमआईएन तैयार करने हेतु उचित तंत्र/अभिकरण को तलाशने के लिए विश्व बैंक/यूएनडीपी के अधिकारियों और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।	अल्पसंख्यकों के लिए मानव विकास सूचकांक का विकास (एचडीआईएमआईएन)	अभी विकसित किया जाना है।					

कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	भार	कार्रवाई	सफलता संकेतक	यूनिट	भार	लक्ष्य/मानदंड मूल्य					उपलधि	कार्य निष्पादन		
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	पर्याप्त	अपर्याप्त		रॉ स्कोर	भारित स्कोर	एचपीसी द्वारा यथा अनुमोदित
						100%	90%	80%	70%	60%				
(1) अल्पसंख्यक समुदायों का शैक्षणिक सशक्तीकरण	34.00	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियों को मंजूरी देना	संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या लाखों में	15.00	27	25	23	21	19	77.94	100.0	6.0	77.94
		मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों को मंजूरी देना	संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या लाखों में	13.00	5.25	4.80	4.40	4.20	3.80	8.90	100.0	6.0	8.94
		मेरिट–सह–साधन योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों को मंजूरी देना	संस्वीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या हजारों में	4.00	20	18	16	14	12	100.4	100.0	6.0	100.4
		निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना के अंतर्गत कोचिंग के लिए सहायता	लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	2.00	5760	5184	4608	4032	3456	9997	100.0	5.0	9997
		अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत अध्येतावृत्तियां	अध्येतावृत्तियों की संख्या	संख्या	4.00	756	680	574	452	326	756	100.0	6.0	756
		छात्रवृत्ति योजना के संबंध में मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट	अभिकरण की अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट प्राथमिकता	दिनांक	2.00	16.1.2012	01.2.2012	29.2.2012	15.3.2012	01.3.2012	29/11/2013	100.0	2.0	29/11/2013
		कक्षा IX में पढ़ने वाली छात्राओं को साईकिल की मंजूरी	पुनः संरचित बहु– क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों को जारी करना	संख्या	1.00	–	–	–	–	–	0	लागू नहीं	लागू नहीं	0
		सिविल सेवा परीक्षाओं के प्रारंभिक उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए कोचिंग कलासेस हेतु वित्तीय सहायता	योजना की स्वीकृति के बाद दिशा–निर्देश जारी करना	संख्या	2.00	800	720	640	560	480	483	60.38	1.21	483
(2) अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों नगरों एवं गांवों में क्षेत्र विकास	35.00	बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पुनः संरचना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन	पुनः संरचित बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के दिशा–निर्देश को जारी करना	दिनांक	10.00	15.7.2013	15.8.2013	15.9.2013	15.10.2013	15.11.2013	12/07/2013	100.0	10.0	12/07/2013
		राज्य सरकारों से योजना	मंत्रालय द्वारा	करोड़ रु0 में	13.00	1250	1150	1000	900	800	1466.98	100.0	13.0	1466.98

		प्रस्तावों का अनुमोदन	अनुमोदित राशि											
		अनुमोदन पर पुनः संरचित बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियां	बजट अनुमान 2013–14 के उपयोग का प्रतिशम	बजट आबंटन का प्रतिशत	6.00	95	85	80	75	70	99.97	100.0	6.0	99.97
		राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पुनः संरचित बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयुक्त निधियां	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वरा प्रयुक्त राशि	करोड़ रु0 में	6.00	800	750	700	650	600	364.48	0.0	0.0	364.48
(3) अल्पसंख्यक समुदायों का सामाजिक –आर्थिक सशक्तिकरण	8.00	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास	लाभार्थियों की संख्या	संख्या	3.00	38000	35000	30000	27000	23000	60875	100.0	3.0	60875
		सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को तिमाही प्रतिवेदन समय पर भेजे जाने	तिमाही के अंत में 30 दिनों के भीतर तिमाही रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतीकरण	संख्या	1.00	4	3	2	1	0	3	90.0	0.9	3
		प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को तिमाही प्रतिवेदन भेजे जाने	तिमाही के अंत में 30 दिनों के भीतर तिमाही रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतीकरण	संख्या	1.00	4	3	2	1	0	3	90.0	0.9	3
		प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम तथा सच्चर समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में सीओएस/मंत्रिमंडल सचिवालय को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन समय पर भेजे जाने	छमाही के अंत में 45 दिनों के भीतर अर्धवार्षिक रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतीकरण	संख्या	1.00	2	1	0	0	0	1	90.0	0.9	1
		प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम तथा सच्चर समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में सीओएस/मंत्रिमंडल सचिवालय को अर्धवार्षिक प्रतिवेदन समय पर भेजे जाने	छमाही के अंत में 45 दिनों के भीतर अर्धवार्षिक रिपोर्ट का समय पर प्रस्तुतीकरण	संख्या	1.00	2	1	0	0	0	1	90.0	0.9	1
		कौशल विकास पहल	कौशल प्रदत्त व्यक्तियों की संख्या	संख्या	1.00	6000	5400	4800	4200	3600	20164	100.0	1.0	20164
(4) संस्थागत सुदृढ़ीकरण	8.00	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	दिशा–निर्देशों को जारी करना	संख्या	4.00	5	4	3	2	1	2	70.0	2.8	2

		– केन्द्रीय कंप्यूटिंग सुविधा केन्द्रों का निर्माण पूरा करना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना।												
		राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	दिशा–निर्देशों को जारी करना	दिनांक	2.00	01.9.2013	15.9.2013	30.9.2013	15.10.2013	31.10.2013		लागू नहीं	लागू नहीं	
			बजट अनुमादन निर्मुक्ति का प्रतिशत	प्रतिशत (%)	2.00	100	90	80	70	60	27.28	0.0	0.0	27.28
* आरएफडी प्रणाली का प्रभावी कार्य करना	3.00	अनुमोदन के लिए समय पर आरएफडी मसौदे 2014–15 का प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	2.0	05.3.2014	06.3.2014	07.3.2014	08.3.2014	11.3.2014	04/03/2014	100.0	2.0	04/03/2014
		2012–13 हेतु परिणामों का समय पर प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.0	01.5.2013	02.5.2013	03.5.2013	06.5.2013	07.5.2013	01/05/2034	100.0	1.0	
* मंत्रालय/विभाग की आंतरिक दक्षता/अनुक्रियाशीलता/सेवा डिलिवरी में सुधार लाना	6.00	सिटिजन/क्लाइंट चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का %	%	2.0	100	95	90	85	80		लागू नहीं	लागू नहीं	
		शिकायत निपटान–तंत्र के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का %	%	2.0	100	95	90	85	90		लागू नहीं	लागू नहीं	
*प्रशासनिक सुधार	6.00	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए योजना चलाना	कार्यान्वयन का %	%	1.0	100	95	90	85	80	80	60.0	0.6	80
		अनेमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 को कार्यान्वित करना	कार्यान्वयन का %	%	2.0	100	95	90	85	80		लागू नहीं	लागू नहीं	
		[illegible]		दिनांक	2.0	15/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	21/05/2014		लागू नहीं	लागू नहीं	
		दूसरी एआरसी सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग का कोर और नॉन–कोर क्रियाकलापों को अभिज्ञात करना		दिनांक	1.0	24/03/2014	25/03/2014	26/03/2014	27/03/2014	28/03/2014	24/01/2014	100.0	1.0	24/01/2014
* आंतरिक दक्षता/अनुक्रिया शीलता में सुधार लाना	2.00	12वीं योजना की अग्रताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए विभागीय कार्यनीति को अद्यतित करना।	कार्यनीति का समय से अद्यतनीकरण	दिनांक	2.0	10/09/2013	17/09/2013	24/09/2013	01/10/2013	08/10/2013	10/09/2013	100.0	2.0	27/09/2013
* आर्थिक जवाबदेही ढांचे का अनुपालन	1.00	नियंत्रक एवं महालेखाकार के लेखा पैराओं पर एटीएनएस का यथासमय	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट	%	0.25	100	90	80	70	60	100	100.0	0.25	100

सुनिश्चित करना		प्रस्तुत करना	प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित दिनांक (4 महीने) के अंतर्गत प्रस्तुत किए एटीएनएस का प्रतिशत											
		पीएसी रिपोर्टों पर पीएसी को एटीआर का यथासमय प्रस्तुतीकरण	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तारीख (6 महीने) के अंतर्गत प्रस्तुत किए एटीआर का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60	100	100.0	0.25	100
		दिनांक 31.03.2012 से पहले संसद में प्रस्तुत नियंत्रक एवं महालेखाकार के रिपोर्ट के लेखा पैरा पर लंबित एटीएनएस का समय से पूर्व निपटारा	वर्ष के दौरान निपटाए गए लंबित एटीएन का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60	100	100.0	0.25	100
		दिनांक 31.03.2012 से पहले संसद में प्रस्तुत पीएसी रिपोर्टों पर लंबित एटीआर का समय से पूर्व निपटारा	वर्ष के दौरान निपटाए गए लंबित एटीएन का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60	100	100.0	0.25	100

* अनिवार्य उद्देश्य

कुल सामासिक स्कोर : 79.21

पीएमडी सामासिक : 77.7

अनुलग्नक-I

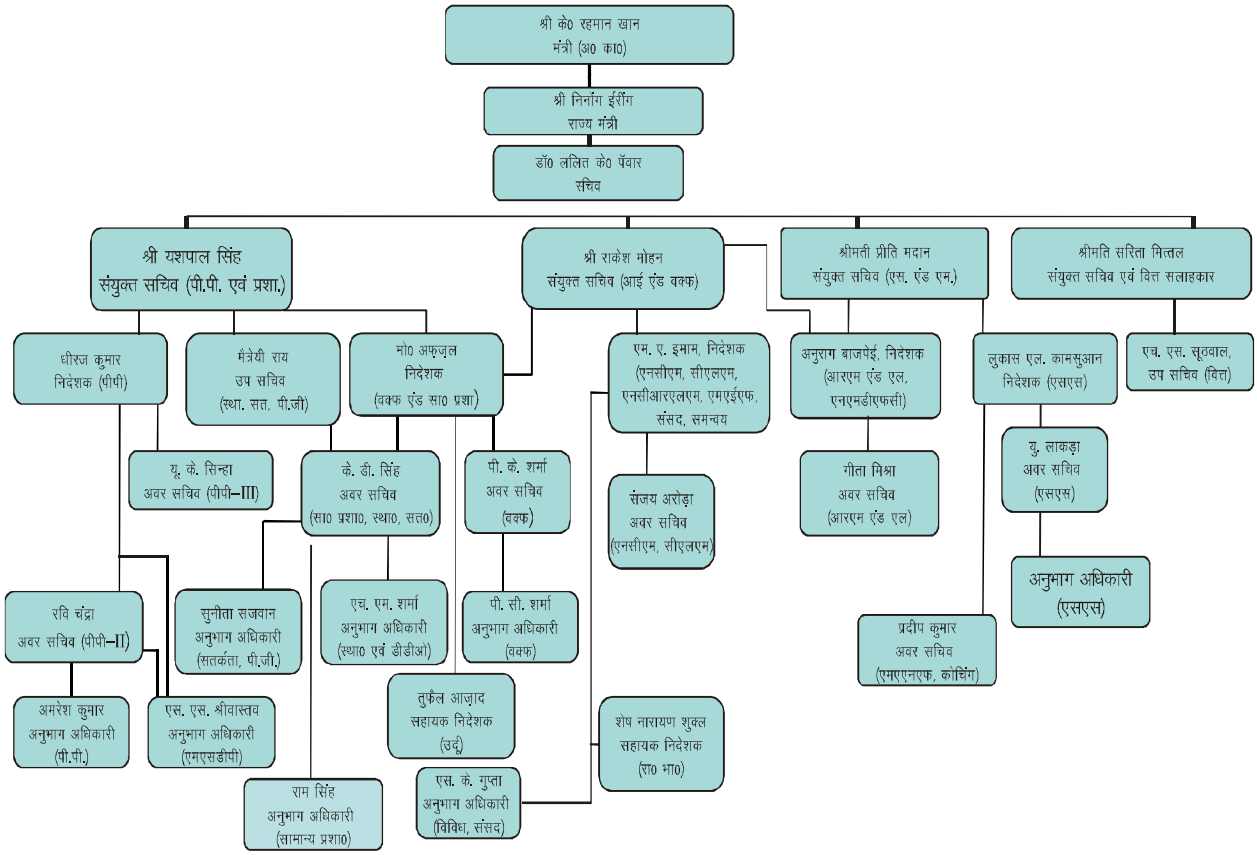
श्री के0 रहमान खान
मंत्री (अ0 क0)
श्री निर्नांग ईर्रींग
राज्य मंत्री
डॉ0 ललित के0 पँवार
सचिव
श्री यशपाल सिंह
संयुक्त सचिव (पी.पी. एवं प्रशा.)
श्री राकेश मोहन
संयुक्त सचिव (आई एंड वक्फ)
श्रीमती प्रीति मदान
संयुक्त सचिव (एस. एंड एम.)
श्रीमति सरिता मित्तल
संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार
धीरज कुमार
निदेशक (पीपी)
मैत्रेयी राय
उप सचिव
(स्था. सत. पी.जी)
मो0 अफ़ज़ल
निदेशक
(वक्फ एंड सा0 प्रशा)
एम. ए. इमाम, निदेशक
(एनसीएम, सीएलएम,
एनसीआरएलएम, एमएईएफ,
संसद, समन्वय
अनुराग बाजपेई, निदेशक
(आरएम एंड एल,
एनएमडीएफसी)
लुकास एल. कामसुआन
निदेशक (एसएस)
एच. एस. सूतवाल,
उप सचिव (वित्त)
यू. के. सिन्हा
अवर सचिव (पीपी–III)
के. डी. सिंह
अवर सचिव
(सा0 प्रशा0, स्था0, सत0)
पी. के. शर्मा
अवर सचिव
(वक्फ)
संजय अरोड़ा
अवर सचिव
(एनसीएम, सीएलएम)
गीता मिश्रा
अवर सचिव
(आरएम एंड एल)
यु. लाकड़ा
अवर सचिव
(एसएस)
रवि चंद्रा
अवर सचिव (पीपी–II)
सुनीता सजवान
अनुभाग अधिकारी
(सतर्कता, पी.जी.)
एच. एम. शर्मा
अनुभाग अधिकारी
(स्था0 एवं डीडीओ)
पी. सी. शर्मा
अनुभाग अधिकारी
(वक्फ)
अनुभाग अधिकारी
(एसएस)
प्रदीप कुमार
अवर सचिव
(एमएएनएफ, कोचिंग)
अमरेश कुमार
अनुभाग अधिकारी
(पी.पी.)
एस. एस. श्रीवास्तव
अनुभाग अधिकारी
(एमएसडीपी)
तुफैल आज़ाद
सहायक निदेशक
(उर्दू)
शेष नारायण शुक्ल
सहायक निदेशक
(रा0 भा0)
राम सिंह
अनुभाग अधिकारी
(सामान्य प्रशा0)
एस. के. गुप्ता
अनुभाग अधिकारी
(विविध, संसद)

अनुलग्नक-II

31.03.2014 के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का पदधारिता विवरण

क्र. सं.	पद/वेतन बैंड/ग्रेड वेतन/ग्रुप	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	सचिव/₹80,000/– निर्धारित/ ग्रुप 'ए'	01	01	00
2.	संयुक्त सचिव/ग्रे.वे. ₹10000/– ग्रुप 'ए'	03	03	00
3.	निदेशक/उप सचिव/ग्रे.वे. ₹8700/–/7600/ ग्रुप 'ए'	07	07	00
4.	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)/ग्रे.वे. 7600/–	01	00	01
5.	अवर सचिव/ग्रे.वे. ₹6600/–/ग्रुप 'ए'	10	09	01
6.	सहायक निदेशक/ग्रे.वे. ₹5400/–/ ग्रुप 'ए'	03	00	03
7.	अनुसंधान अधिकारी/ग्रे.वे. ₹5400/–/ ग्रुप 'ए'	01	00	01
8.	सहायक निदेशक (राजभाषा)/ग्रे.वे. ₹5400/–/ ग्रुप 'बी'	01	01	00
9.	अनुभाग अधिकारी/ग्रे.वे. ₹4,800/–/ ग्रुप 'बी'	08	07	01
10.	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ग्रे.वे. ₹7600/– ग्रेड 'ए'	01	01	00
11.	प्रधान निजी सचिव 6600/–	03	01	02
12.	सहायक/ग्रे.वे. ₹4600/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	10	07	03
13.	वरिष्ठ अनुसंधान अन्वेषक/ग्रे.वे. ₹4200/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	04	01	03
14	वरिष्ठ अन्वेषक/ग्रे.वे. ₹4200/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	04	00	04
15.	लेखाकार/ग्रे.वे. ₹4200/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	01	00	01
16.	निजी सचिव/ग्रे.वे. ₹4800/–/ ग्रुप 'बी'	04	03	01
17.	आशुलिपिक ग्रेड 'सी'/ग्रे.वे. ₹4600/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	07	07	00
18.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक/ग्रे.वे. ₹4600/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	01	01	00
19.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक/ग्रे.वे. ₹4200/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	03	02	01
20.	आशुलिपिक ग्रेड 'डी'/ग्रे.वे. ₹2400/–/ ग्रुप 'सी'	05	03	02
21.	उच्च श्रेणी लिपिक/ग्रे.वे. ₹2400/–/ ग्रुप 'सी'	01	00	01
22.	स्टाफ कार चालक/ग्रे.वे. ₹1900/–/ ग्रुप 'सी'	02	02	00
23	चपरासी ग्रेड/ग्रे.वे. ₹1800/–/ ग्रुप 'डी'	14.	06	08
24	सहायक निदेशक (उर्दू)/ग्रे.वे. ₹5400/– ग्रुप 'बी'	01	01	00
25.	वरिष्ठ अनुवादक (उर्दू)/ग्रे.वे. ₹4600/–/ ग्रुप 'बी' (अ0रा0)	01	00	01
26.	टाइपिस्ट (उर्दू)/ग्रे.वे. ₹1900/–/ ग्रुप 'सी'	01	00	01
योग :		**98**	**63**	**35**

अनुलग्नक-III

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) परिव्यय, वर्ष 2013–14 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय के योजना/कार्यक्रम–वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	बारहवीं योजना परिव्यय	बजट अनुमान 2013–14	संशोधित अनुमान 2013–14	वास्तविक व्यय 2013–14 (अनंतिम)
क.	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं**				
1.	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के लिए सहायता–अनुदान	500.00	160.00	160.00	160.00
2.	अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध योजना	120.00	25.00	23.76	23.68
3.	एनएमडीएफसी की इक्विटी में अंशदान	600.00	120.00	39.60	0.00
4.	अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और विकास योजनाओं का मूल्यांकन	220.00	45.00	42.42	42.42
5.	एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) को सहायता–अनुदान	10.00	2.00	2.00	2.00
6.	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना	75.00	15.00	14.74	11.96
7.	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	430.00	90.00	50.11	50.02
8.	राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	17.00	3.00	3.00	2.98
9.	विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज में आर्थिक सहायता	10.00	2.00	0.66	0.00
10.	लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना	10.00	2.00	0.66	0.41
11.	कौशल विकास संबंधी पहलें	60.00	17.00	17.00	16.99
12.	संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता	18.00	3.00	1.96	1.95

13.	राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण	35.00	7.00	1.93	1.91
14.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति	1580.00	270.00	268.62	260.00
15.	चुनिंदा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	5788.00	1250.00	958.53	958.23
16.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	5000.00	950.00	982.30	963.79
17.	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	2850.00	548.50	542.53	515.76
18.	सचिवालय (सूचना प्रौद्योगिकी)		1.50	1.20	1.13
	सकल योग (क+ख)	**17323.00**	**3511.00**	**3111.01**	**3013.23**
	* (i) पिछड़ों के रूप में चिन्हित 251 ऐसे नगरों/शहरों में से 100 अल्पसंख्यक बहुल नगरों/शहरों में शिक्षा संवर्धन की योजना (ii) एमसीबी/एमसीडी द्वारा अनाच्छादित गांवों के लिए ग्राम विकास कार्यक्रम (iii) एमसीडी में जिला स्तर के संस्थान को सहायता और (iv) 9वीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त साईकिल जिन्हें एमएसडीपी के साथ आमेलित कर दिया गया है, के लिए आबंटन सहित।				

अनुलग्नक-IV

अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों को वर्ष 2013–14 (31.03.2014 तक) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और समुदायवार संवितरित मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियां

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मुस्लिम		ईसाई		सिक्ख		बौद्ध		पारसी		योग		पुरूष	महिला	महिला का %	स्वीकृत धनराशि (करोड़ ₹ में)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि				
1	आंध्र प्रदेश	147400	320238	24800	14085	600	407	600	193	18	26	173418	334949	158414	176535	52.71	62.39
2	अरूणाचल प्रदेश	400		4200		55		3000		18		7673	0			#DIV/0!	
3	असम	174000	232335	20800	9070	400	53	1000	509	18	0	196218	241967	110970	130997	54.14	39.21
4	बिहार	289600	65536	1200	112	400	14	400	1	18	0	291618	65663	46046	19617	29.88	
5	छत्तीसगढ़	8600	15453	8400	2005	1400	2375	1400	363	18	0	19818	20196	9580	10616	52.56	4.87
6	गोवा	2000	1742	7601	6575	55	2	36	0	120	0	9812	8319	3626	4693	56.41	0.63
7	गुजरात	97000	352647	6000	2036	1000	251	400	776	120	46	104520	355756	175473	180283	50.68	37.87
8	हरियाणा	25800	9796	600	76	24800	5908	200	0	18	0	51418	15780	9047	6733	42.67	
9	हिमाचल प्रदेश	2600	2631	200	8	1600	885	1600	53	18	0	6018	3577	1791	1786	49.93	0.70
10	जम्मू और कश्मीर	143400	104975	400	233	4400	6875	2400	1564	18	0	150618	113647	59623	54024	47.54	17.43
11	झारखंड	78800	22933	23000	3671	1800	90	200	0	18	0	103818	26694	12949	13745	51.49	4.53
12	कर्नाटक	136400	354959	21200	48360	400	403	8400	748	18	41	166418	404511	188274	216237	53.46	43.40
13	केरल	166000	544865	127691	339708	55	55	36	36	18	18	293800	884682	406649	478033	54.03	67.01
14	मध्य प्रदेश	81200	107814	3600	535	3200	1080	4400	77	18	1	92418	109507	57747	51760	47.27	10.85
15	महाराष्ट्र	216800	525335	22400	13341	4600	5075	123000	238875	476	2551	367276	785177	384929	400248	50.98	56.49
16	मणिपुर	4000	3979	15599	9253	55	0	36	0	18	0	19708	13232	6559	6673	50.43	4.64
17	मेघालय	2000	1107	34399	22714	55	4	36	0	18	0	36508	23825	10155	13670	57.38	3.50
18	मिजोरम	200	189	16400	89501	55	0	1600	5055	18	0	18273	94745	46680	48065	50.73	23.00
19	नागालैंड	800	254	37799	25538	55	0	36	0	18	0	38708	25792	12596	13196	51.16	6.24
20	ओडिशा	16200	28267	19000	10241	400	8	200	95	18	0	35818	38611	18543	20068	51.97	3.04
21	पंजाब	8000	19626	6200	7441	307240	326356	800	89	18	37	322258	353549	212320	141229	39.95	70.44
22	राजस्थान	101000	243168	1600	435	17400	36450	200	46	18	1	120218	280100	145663	134437	48.00	31.66
23	सिक्किम	200	0	800	1027	55	0	3201	2758	18	0	4274	3785	1814	1971	52.07	0.71
24	तमिलनाडु	73200	206036	79800	200288	200	0	200	0	18	0	153418	406324	205479	200845	49.43	40.68
25	त्रिपुरा	5400	7200	2200	0	55	0	2000	4	18	0	9673	7204	3323	3881	53.87	0.82
26	उत्तर प्रदेश	649000	1254870	4400	461	14400	5599	6400	1436	18	16	674218	1262382	727293	535089	42.39	259.35
27	उत्तराखंड	21400		600		4400		200		18		26618	0			#DIV/0!	
28	पश्चिम बंगाल	427200	1836656	10800	21740	1400	1294	5200	9471	18	0	444618	1869161	906952	962209	51.48	169.36
29	अंडमान एवं निकोबार	600	168	1600	68	55	0	36	0	18	0	2309	236	102	134	56.78	0.05
30	चंडीगढ़	800	3132	200	242	3000	3345	36	2	18	0	4054	6721	3517	3204	47.67	0.75
31	दादर एवं नगर हेवली	200	152	200	15	55	0	36	0	18	0	509	167	86	81	48.50	0.04
32	दमन एवं द्वीव	200	487	55	7	55	0	36	0	120	0	466	494	226	268	54.25	0.14
33	दिल्ली	34200	33732	2800	377	11800	1979	600	8	18	0	49418	36096	16444	19652	54.44	3.67
34	लक्षद्वीप	1200		55		55		36		18		1364	0			#DIV/0!	
35	पुडूचेरी	1200	902	1400	439	55	0	36	0	18	0	2709	1341	598	743	55.41	0.23
	योग	2917000	6301184	507999	829602	405610	398508	167997	262159	1394	2737	4000000	7794190	3943468	3850722	49.41	963.70

अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों को वर्ष 2013–14 (31.03.2014 तक) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और समुदायवार संवितरित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मुस्लिम		ईसाई		सिक्ख		बौद्ध		पारसी		योग		पुरूष	महिला	महिला का %	स्वीकृत धनराशि (करोड़ ₹ में)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि				
1	आंध्र प्रदेश	18142	18651	3053	574	74	17	74	4	2		21345	19246	7419	11827	61.45	12.36
2	अरूणाचल प्रदेश	60		628		8		451		3		1150	0			#DIV/0!	
3	असम	26248	27618	3138	264	60	29	151	20	3	1	29600	27932	16270	11662	41.75	19.17
4	बिहार	35649	34368	148	33	49	25	49	56	2	3	35897	34485	17826	16659	48.31	18.20
5	छत्तीसगढ़	1063	2087	1038	200	173	465	173	59	2		2449	2811	995	1816	64.60	1.52
6	गोवा	245	36	929	88	7		5		15		1201	124	31	93	75.00	
7	गुजरात	11926	32268	738	660	123	37	49	11	15	3	12851	32979	17779	15200	46.09	17.75
8	हरियाणा	3186	710	74	3	3062	796	25		2		6349	1509	880	629	41.68	0.30
9	हिमाचल प्रदेश	324	225	25	5	199	112	199	11	2		749	353	135	218	61.76	0.06
10	जम्मू और कश्मीर	17655	22828	49	36	542	2505	296	90	2	2	18544	25461	12346	13115	51.51	15.74
11	झारखंड	9715	10044	2836	1487	222	32	25	18	2		12800	11581	5556	6025	52.02	6.71
12	कर्नाटक	16795	45101	2612	6594	49	3	1035	71	2	2	20493	51771	19432	32339	62.47	29.39
13	केरल	20425	37147	15712	32471	7	2	5	21	2	2	36151	69643	29224	40419	58.04	21.68
14	मध्य प्रदेश	9972	10437	442	118	393	276	540	31	2	1	11349	10863	3488	7375	67.89	7.34
15	महाराष्ट्र	26678	55845	2757	1255	566	307	15129	2818	59	4	45189	60229	24465	35764	59.38	38.72
16	मणिपुर	609	2822	2374	5015	8	1	6	15	3		3000	7853	3955	3898	49.64	5.79
17	मेघालय	301	59	5182	111	8		6		3		5500	170	67	103	60.59	0.10
18	मिजोरम	30	4	2468	664	8		241	1	3		2750	669	253	416	62.18	1.52
19	नागालैंड	121	19	5713	211	8		6		3		5851	230	160	70	30.43	0.20
20	ओडिशा	1990	3166	2334	138	49	5	25	71	2		4400	3380	1679	1701	50.33	2.42
21	पंजाब	984	2936	763	439	37793	73176	98	25	2	1	39640	76577	27609	48968	63.95	41.38
22	राजस्थान	12434	27616	197	96	2142	5517	25	21	2	9	14800	33259	19206	14053	42.25	22.97
23	सिक्किम	31	2	122	103	8	1	487	204	3		651	310	110	200	64.52	0.21
24	तमिलनाडु	9017	20658	9831	34447	25	1	25	42	2	4	18900	55152	18906	36246	65.72	30.19
25	त्रिपुरा	810	661	330	2	8		300	2	3		1451	665	484	181	27.22	0.42
26	उत्तर प्रदेश	79849	162671	541	398	1772	2322	786	346	2	46	82950	165783	56432	109351	65.96	129.90
27	उत्तराखंड	2653	580	75	10	545	183	25	1	2		3300	774	405	369	47.67	
28	पश्चिम बंगाल	52643	191311	1331	1966	173	193	641	1840	2	21	54790	195331	115782	79549	40.73	90.87
29	अंडमान एवं निकोबार	130	2	347	3	12		8		4		501	5	2	3	60.00	0.01
30	चंडीगढ़	177	159	45	5	666	125	8	1	4		900	290	96	194	66.90	0.07
31	दादर एवं नगर हेवली	39	19	39	6	11		8		3		100	25	16	9	36.00	0.01
32	दमन एवं द्वीव	43	25	12	1	12		8		25		100	26	9	17	65.38	0.02
33	दिल्ली	2630	646	215	1	907	33	46		1		3799	680	298	382	56.18	0.41
34	लक्षद्वीप	264		12		12		8		4		300	0			#DIV/0!	
35	पुडुचेरी	89	156	103	145	4		3		1		200	301	140	161	53.49	0.12
योग		**362927**	**710877**	**66213**	**87549**	**49705**	**86163**	**20966**	**5779**	**189**	**99**	**500000**	**890467**	**401455**	**489012**	**54.92**	**515.56**

वर्ष 2013–14 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित छात्रों को मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के तहत निर्धारित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार और समुदाय–वार लक्ष्य (केवल 60,000 नई छात्रवृत्तियों के लिएं) और उपलब्धि (नए और नवीकरण दोनो)

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मुस्लिम		ईसाई		सिक्ख		बौद्ध		पारसी		योग		पुरूष	महिला	महिला का %	वित्तीय आबंटन (करोड़ ₹ में)	स्वीकृत धनराशि (करोड़ ₹ में)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि					
1	आंध्र प्रदेश	2211	1421	372	69	9	2	9	0	0	0	2601	1492	966	526	35.25	4.00E+07	4.25
2	अरूणाचल प्रदेश	6		63	1	0		45		0		114	1		1	0	19490	0
3	असम	2610	3544	312	134	6	17	15	15	0	0	2943	3710	2873	837	22.56	1.00E+08	10.69
4	बिहार	4344	6391	18	6	6	9	6	11	0		4374	6417	5560	857	13.36	2.00E+08	17.86
5	छत्तीसगढ़	129	177	126	86	21	64	21	12	0	0	297	339	169	170	50.15	9.00E+06	0.91
6	गोवा	30	22	114	86	0		0		3		147	108	58	50	46.3	3.00E+06	0.26
7	गुजरात	1455	2448	90	136	15	15	6	3	3	5	1569	2607	1352	1255	48.14	6.00E+07	6.28
8	हरियाणा	387	444	9	7	372	414	3	0	0	0	771	865	678	187	21.62	2.00E+07	2.28
9	हिमाचल प्रदेश	39	63	3	3	24	74	24	13	0		90	153	75	78	50.98	5.00E+06	0.45
10	जम्मू और कश्मीर	2151	2160	6	1	66	147	36	9	0	0	2259	2317	1510	807	34.83	6.00E+07	5.54
11	झारखंड	1182	1670	345	32	27	32	3	2	0	0	1557	1736	1488	248	14.29	5.00E+07	4.9
12	कर्नाटक	2046	4516	318	926	6	9	126	75	0	0	2496	5526	2957	2569	46.49	1.00E+08	14.63
13	केरल	2490	8336	1917	7266	0	0	0	0	0	0	4407	15602	8120	7482	47.96	4.00E+08	40.11
14	मध्य प्रदेश	1218	1201	54	61	48	79	66	6	0	0	1386	1347	517	830	61.62	4.00E+07	3.61
15	महाराष्ट्र	3252	6191	336	629	69	131	1851	160	12	2	5520	7113	4727	2386	33.54	2.00E+08	18.43
16	मणिपुर	60	158	234	361	0	0	0	0	0	0	294	519	267	252	48.55	2.00E+07	2
17	मेघालय	30	32	516	674	0		0		0		546	706	342	364	51.56	2.00E+07	2.13
18	मिजोरम	3	3	246	90	0	0	24	4	0		273	97	66	31	31.96	4.00E+06	0.36
19	नागालैंड	12	5	567	1001	0	0	0	0	0	0	579	1006	565	441	43.84	3.00E+07	3.02
20	ओडिशा	243	493	285	82	6	9	3	22	0		537	606	436	170	28.05	2.00E+07	1.77
21	पंजाब	120	186	93	99	4620	10936	12	10	0	0	4845	11231	5298	5933	52.83	2.00E+08	23.48
22	राजस्थान	1515	2371	24	6	261	390	3	2	0	0	1803	2769	2236	533	19.25	7.00E+07	6.66
23	सिक्किम	3	0	12	23	0	0	48	123	0	0	63	146	72	74	50.68	4.00E+06	0.4
24	तमिलनाडू	1098	2894	1197	2252	3	0	3	3	0		2301	5149	2824	2325	45.15	1.00E+08	13.88
25	त्रिपुरा	81	131	33	5	0	0	30	2	0		144	138	110	28	20.29	5.00E+06	0.48
26	उत्तर प्रदेश	9735	16494	66	67	216	348	96	28	0	5	10113	16942	7905	9037	53.34	4.00E+08	43.83
27	उत्तराखंड	321	483	9	8	66	81	3	0	0	0	399	572	450	122	21.33	2.00E+07	1.55
28	पश्चिम बंगाल	6408	10159	162	125	21	64	78	158	0	0	6669	10506	9007	1499	14.27	3.00E+08	28.29
29	अंडमान एवं निकोबार	9	6	24	3	0		0		0		33	9	5	4	44.44	275400	0.03
30	चंडीगढ़	12	12	3	1	45	19	0		0		60	32	18	14	43.75	1.00E+06	0.14
31	दादर एवं नगर हेवली	3		3		0		0		0		6	0			0		0
32	दमन एवं द्वीव	3	7	0		0		0		3		6	7	5	2	28.57	210000	0.02
33	दिल्ली	513	417	42	7	177	188	9	1	0	0	741	613	423	190	31	1.00E+07	1.44
34	लक्षद्वीप	18		0		0		0		0		18	0			0		0
35	पुडूचेरी	18	31	21	16	0		0		0		39	47	20	27	57.45	1.00E+06	0.13
योग		**43755**	**72466**	**7620**	**14263**	**6084**	**13028**	**2520**	**659**	**21**	**12**	**60000**	**1.00E+05**	**61099**	**39329**	**39.16**	**######**	**259.84**

अनुलग्नक-VII

"नई रोशनी" के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के दौरान वित्त पोषित संगठनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला प्रशिक्षुओं की संख्या	पहली किस्त के रूप में निर्मुक्त राशि (रु0 में)	दूसरी किस्त के रूप में निर्मुक्त राशि (रु0 में)
1	आंध्र प्रदेश	2650	4723935	-
2	अरूणाचल प्रदेश	375	536625	-
3	असम	3400	6300570	71550
4	बिहार	750	1073250	-
5	छत्तीसगढ़	375	536625	-
6	दिल्ली	1125	1967625	71550
7	गुजरात	375	536625	59760
8	हरियाणा	250	357750	-
9	हिमाचल प्रदेश	125	178875	-
10	जम्मू एवं कश्मीर	500	715500	-
11	झारखंड	1100	1917540	-
12	कर्नाटक	2050	3105270	499635
13	केरल	625	1037475	-
14	मध्य प्रदेश	4925	7362495	1556145
15	महाराष्ट्र	2000	2862000	270675
16	मणिपुर	3000	4364550	2201940
17	नागालैंड	250	357750	-
18	ओडिशा	1375	1967625	186030
19	पंजाब	1250	2504250	-
20	राजस्थान	2625	3756375	1093050
21	तमिलनाडु	1200	2117880	128790
22	उत्तर प्रदेश	25475	47628188	6317940
23	उत्तराखंड	1875	2683125	1941615
24	पश्चिम बंगाल	3200	5623830	-
योग		**60875**	**104215733**	**14398680**
सीपीएमयूएल को वेतन		934980		
सकल योग		**60875**	**119549393**	

अनुलग्नक-VIII

प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन योजना के अंतर्गत वर्ष 2013–14 के दौरान कार्यशालाएं/संगोष्ठियों/सम्मेलनों के आयोजन हेतु संगठनों की राज्य–वार सूची जिन्हें निधियां जारी की गई हैं।

क्रम सं.	राज्य	संगठन के नाम	स्वीकृत राशि (रु0 में)	जारी राशि (रु0 में)
1	आंध्र प्रदेश	विजन – रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	1,25,000/-	112500/-
2		सोसाइटी फॉर सोशल ट्रांसफारमेश्न	1,25,000/-	112500/-
3		वनिता ज्योति महिला संगम	1,25,000/-	112500/-
4		गौतमी फाउंडेशन	1,25,000/-	112500/-
5		अन्नदाता	1,25,000/-	112500/-
6		अल–अकबर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी	1,25,000/-	112500/-
7	अरूणाचल	यूथ एकशन फॉर सोशल वेलफेयर (वाईएएसडब्ल्यू)	1,25,000/-	112500/-
8	प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश आर्ट एंड कल्चर इको टूरिज्म सोसाइटी (एपीसीईटीएस)	1,25,000/-	112500/-
9	असम	आदर्श–समाज कल्याण समिति	1,25,000/-	112500/-
10		ग्लोबल हेल्थ एंड एजुकेशन सेंटर (जीएचईसी)	1,25,000/-	112500/-
11		सर्बागीण उन्नयन समिति, लरकुची	1,25,000/-	112500/-
12		पणिगांव ओम प्रकाश दिनोदिया कॉलेज	1,25,000/-	112500/-
13		एनई ट्रेड प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट काउंसिल	1,25,000/-	112500/-
14		डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी	1,25,000/-	112500/-
15		ग्लोबल हेल्थ इम्यूनाईजेशन एंड पॉपूलेशन कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन	1,00,000/-	90,000/-
16		असम राजिक कृषक समन्वय समिति	1,25,000/-	112500/-
17		ग्राम युवा जागृत समिति : असम	1,25,000/-	112500/-
18		सुहाना फाउंडेशन	1,25,000/-	112500/-
19		अजमल फाउंडेशन	1,25,000/-	112500/-
20		नार्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ह्यूमन रिसोर्स	1,25,000/-	112500/-
21		इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एन्टरप्रोनयूरशिप	1,25,000/-	112500/-
22		नोर्थ ईस्ट इंजीनियरस एंड कंसल्टेंट्स	1,25,000/-	112500/-
23	बिहार	उमा सेवा संस्थान	1,00,000/-	90,000/-
24		उजन ग्रामीण विकास समिति	1,25,000/-	112500/-
25		सहयोग सोशल एंड वेल्फेयर सोसाइटी, पटना – बिहार	1,25,000/-	112500/-
26		विकास विहार	1,25,000/-	112500/-
27	दिल्ली	हरियाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट	1,25,000/-	112500/-
28		ग्रोपियस सोशल वेलफेयर सोसाइटी	1,25,000/-	112500/-
29		ऑल इंडिया कनफेडरेशन फॉर वूमेन्स एमपावरमेंट थ्रू एजुकेशन	1,25,000/-	112500/-
30		सोसाइटी फॉर कोज ऑफ पीपल्स एमपावरमेंट (स्कोप)	1,25,000/-	112500/-
31		असरः द इम्पैक्ट	1,00,000/-	90,000/-
32		बेसिक फाउंडेशन	1,25,000/-	112500/-
33		ऐग्रीकच्लरल फाइनेंस को–ओपरेशन लिमिटेड	2,00,000/-	1,80,000/-
34	हरियाणा	रूरल इंडिया यूथ क्लब	1,25,000/-	112500/-
35		अखिल भारतीय ह्यूमन एसोसिएशन	1,25,000/-	112500/-
36		जनहित सेवा समिति	1,25,000/-	112500/-
37	झारखंड	सोसाइटी फॉर इनोवेटीव रूरल डेवलपमेंट	1,25,000/-	112500/-
38		विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं ग्रामोद्योग प्रसार समिति	1,25,000/-	112500/-
39		प्रिया सेवा सदन	1,25,000/-	112500/-
40	कर्नाटक	एवीके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स	1,25,000/-	112500/-

41	मध्य प्रदेश	बी एम एजुकेशन सोसाइटी	3,75,000/-	3,37,500/-
42	मणिपुर	द रूरल मेडिकल एंड हेल्थ केयर सेंटर	1,25,000/-	1,12,500/-
43		सांगई फाउंडेशन	1,25,000/-	1,12,500/-
44		रिवाईवल फाउंडेशन – रीफाउंड	1,25,000/-	1,12,500/-
45		इंटीग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल ऑरगनाईजेशन	1,25,000/-	1,12,500/-
46		(एनईबीआरडीए) नार्थ ईस्ट बायो–ईकोनॉमिक रूरल डेवलपमेंट एकटीविटिज	1,25,000/-	1,12,500/-
47	मेघालय	यूनिवर्सिटी ऑफ साईन्स एंड टेकनोलॉजी, मेघालय	2,50,000/-	2,25,000/-
48	नागालैंड	सेंट जोसफस कॉलेज	1,25,000/-	1,12,500/-
49	पंजाब	यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, चंडीगढ़	1,25,000/-	1,12,500/-
50	राजस्थान	विल एंड वे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट	1,25,000/-	1,12,500/-
51		सृजन संस्थान	1,25,000/-	1,12,500/-
52		गुरूकृपा लोकसेवा संस्थान	1,25,000/-	1,12,500/-
53		यूजीसी सेंटर फॉर वूमेंस स्टडीज (मोहनलाल सुखरिया यूनिवर्सिटी)	1,25,000/-	1,12,500/-
54		शिव चरन माथुर सोशल पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट	1,25,000/-	1,12,500/-
55	सिक्किम	सिक्किम यूनिवर्सिटी, सिक्किम	1,25,000/-	1,12,500/-
56	तमिलनाडू	अन्नामलाई यूनिवर्सिटी (मैनेजमेंट विंग)	1,25,000/-	1,12,500/-
57		अन्नामलाई यूनिवर्सिटी (इकोनोमिक विंग)	1,25,000/-	1,12,500/-
58	उत्तराखंड	हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर रूरल एवेकनिंग (एचआईआरए)	75,000/-	67,500/-
59		रूरल लिटिगेशन एंड एंटाईटलमेंट केंद्र	1,25,000/-	1,12,500/-
60		ईदारा शबेब ईस्लामी	1,25,000/-	1,12,500/-
61	पश्चिम बंगाल	बगनान ह्यूमन रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी	1,25,000/-	1,12,500/-
62		एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	2,50,000/-	2,25,000/-
63		ईस्लामिक एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन	1,25,000/-	1,12,500/-
64		बज बज युनाईटेड सोशल डेवलपमेंट वेलफेयर सोसाइटी	1,25,000/-	1,12,500/-
65	उत्तर प्रदेश	आवाम शांति एवं हेल्थ एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी	1,25,000/-	1,12,500/-
66		स्वर्णिम संस्थान	1,25,000/-	1,12,500/-
67		युवा कल्याण समिति	1,25,000/-	1,12,500/-
68		महिला कल्याण समिति	1,25,000/-	1,12,500/-
69		अवध सेवा संस्थान	1,25,000/-	1,12,500/-
70		रिजनल आर्टीसन एंड फीमेल ईस्टेब्लिसमेंट सेंटर	1,25,000/-	1,12,500/-
71		नेहरू युवा केंद्र, बाराबंकी	1,25,000/-	1,12,500/-
72		प्रेमलता मंजू तिवारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय समिति	1,25,000/-	1,12,500/-
73		सद्भावना समिति	1,25,000/-	1,12,500/-
74		ग्रामीण सेवा संस्थान	1,25,000/-	1,12,500/-
75		यू. पी. स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड	1,25,000/-	1,12,500/-
76		बंधाना फाउंडेशन	1,25,000/-	1,12,500/-
77		साईं सेवा संस्थान	1,25,000/-	1,12,500/-
78		एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्थ इन इंडिया	1,25,000/-	1,12,500/-
79		स्वामी ग्राम समाज सेवा संस्थान (एसजीएसएसएस)	1,25,000/-	1,12,500/-
80		मानव सेवा समिति	1,25,000/-	1,12,500/-
81		अलामा इकबाल एजुकेशनल सोसाइटी	1,00,000/-	90,000/-
82		मौलाना आजाद मेमोरियल सोसाइटी	1,25,000/-	1,12,500/-
83		सरोज जन कल्याण संस्थान	1,25,000/-	1,12,500/-
84		प्रगति पथगामिनी	1,25,000/-	1,12,500/-
85	उत्तर प्रदेश	सामाजिक अनुसंधान एवं मानव विकास संस्थान	1,00,000/-	90,000/-
86		उमंग सेवा संस्थान	1,25,000/-	1,12,500/-
87		श्याम कवि लोक कल्याण संस्थान	1,25,000/-	1,12,500/-
88		सोसाइटी फार वालंटेरी एकशन्स एंड रिसर्च	1,25,000/-	1,12,500/-
89		डेवलपमेंट सर्विसेस इंटरनेशनल	1,25,000/-	1,12,500/-
90		साहस फाउंडेशन	1,25,000/-	1,12,500/-
91		आधारशिला सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास संस्थान	1,25,000/-	1,12,500/-

92		जन कल्याण एवं विकास समिति	1,25,000/-	1,12,500/-
93		सोशल एंड लिटरेसी डेवलपमेंट एसोसिएशन	1,25,000/-	1,12,500/-
94		राहिणी वैज्ञानिक एवं सामाजिक संस्थान	1,25,000/-	1,12,500/-
95		नवादा ग्रामोद्योग विकास समिति	1,25,000/-	1,12,500/-
96		नैचुरल रिसोर्स केयर सोसाइटी	1,25,000/-	1,12,500/-
97		राम प्यारे शिक्षा एवं कृषि जन कल्याण समिति	1,25,000/-	1,12,500/-
98		सत्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी (तुंगनाथ ऐजुकेशन सोसाइटी)	1,25,000/-	1,12,500/-
99		ग्राम विकास समिति	1,25,000/-	1,12,500/-
100		पायोनीर फाउंडेशन	1,00,000/-	90,000/-
101	उत्तर प्रदेश	श्री हंस शैक्षणिक एवं सेवा संस्थान	62,000/-	55,800/-
102		ग्राम विकास संस्थान	1,25,000/-	1,12,500/-
103		इंडियन सोशल सोसाइटी	1,25,000/-	1,12,500/-
104		श्रीजन	62,000/-	55,800/-
105		नवचेतना महिला कल्याण समिति	1,25,000/-	1,12,500/-
106		आचार्य जी महा समिति (यू.पी.)	1,25,000/-	1,12,500/-
107		बहिन	1,25,000/-	1,12,500/-
108		एस. पी. ग्राम विकास एवं ग्रामोद्योग संस्थान	1,25,000/-	1,12,500/-
109		रफत फाउंडेशन	1,00,000/-	90,000/-
110		आईएनएस मेमोरियल सोसाइटी	1,25,000/-	1,12,500/-
111		वीनस विकास संस्थान	1,25,000/-	1,12,500/-
112		सूर्या विकास समिति	1,25,000/-	1,12,500/-
113		पूर्वांचल विकास संस्थान	1,00,000/-	90,000/-
114		सपोर्ट फॉर इम्पलीमेंटेशन एंड रिसर्च	1,25,000/-	1,12,500/-
115		फ्रेंड्स यूथ क्लब	1,25,000/-	1,12,500/-
116		अंशिका ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	1,25,000/-	1,12,500/-
117	मंत्रालय	सेंट्रल वक्फ़ काउंसिल	10,00,000/-	9,00,000/-
118		मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन	10,00,000/-	9,00,000/-
	योग		**1,65,11,000/-**	**1,48,59,90/-**

अनुलग्नक-IX

प्रचार सहित विकास से जुड़ी योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए योजना

वर्ष 2013–14 के दौरान विभिन्न एजेंसियों/संगठनों को निर्मुक्त निधियों के ब्यौरे

क्रम सं0	घटक	एजेंसी/संगठन के नाम	उद्देश्य	स्थान	निर्मुक्त धनराशि ₹ में
1	**मीडिया**	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	प्रिंट विज्ञापन; डिजिटल सिनेमा के माध्यम से मल्टी मीडिया अभियान, निजी एफएम चैनल, प्रदर्शनी वैन, एलसीडी, होर्डिंग/फ्लेक्स आदि और वेबसाइट	पूरे भारत में	190000000
		ऑल इंडिया रेडियो (भारतीय प्रसारण निगम)	योजनाओं/कार्यक्रमों पर जिंगल्स और ऑडियो स्पॉट प्रसारण	पूरे भारत में	77074617
		दूरदर्शन (भारतीय प्रसारण निगम)	योजनाओं/कार्यक्रमों पर टीवी कमिर्शियल/वीडियो स्पॉट्स	पूरे भारत में	51511723
		दूरदर्शन (भारतीय प्रसारण निगम)	डीडी उर्दू पर वृत्त–चित्र का प्रसारण		202248
		राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)	डिजिटल सिनेमा	–	20000000
		राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)	वीडियो स्पॉट्स, भाषा रूपांतर, वीडियो स्पॉट्स को डब करना, रेडियो जिंगल्स, ऑडियो स्पॉट्स तथा प्रायोजित रेडियो कार्यक्रमों को तैयार करना	–	23654948
		निर्माण एडवर्टाइजिंग प्रा0 लि0, नई दिल्ली	विज्ञापनों हेतु पांच रचनाएं	–	154629
		काका एडवेरटाईजिंग एजेंसी	विज्ञापनों हेतु सात रचनाएं	–	224914
		विविध इंडिया	विज्ञापनों हेतु दो रचनाएं		55267
		पेनोरामा टेलिविजन प्राइवेट लिमिटेड (ईटीवी उर्दू)	ईटीवी उर्दू चैनल पर वृत्त–चित्र का निर्माण तथा प्रसारण		14831520
		इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ओर्गनाइजेशन (आईटीपीओ)	आईआईटीएफ, 2013 में भागीदारी		1685400
		के. एस. एन्टरप्राईसेस	(क) पुस्तिकाओं का मुद्रण (ख) पुस्तिकाओं/पैम्फलैट का मुद्रण	–	578025 443169
		इंडिया आफसेट प्रेस	(क) कैलेंडरों का मुद्रण (ख) पत्रिकाओं का मुद्रण	–	2491000 4900000
		एनएमडीएफसी	(i) सुरजकुंड क्राफ्ट मेला, 2014 में भागीदारी (ii) ऋण मेला	–	3500000 882000
	सकल योग	–	–	–	**392189460**

वर्ष 2013–14 के दौरान (31.03.2014 तक) सावधि ऋण और लघु ऋण की योजनाओं के अंतर्गत जेंडर–वार वित्तीय व वास्तविक उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

योजना का नाम	वित्तीय उपलब्धि (करोड़ रु0 में)			वास्तविक उपलब्धियां*			
				ईकाईयों/लाभार्थियों की संख्या			
	पुरूष*	महिला *	योग	पुरूष*	महिला *	योग	महिला लाभार्थियों का %
सावधि ऋण	131.63	70.88	202.5	13857	7461	21318	**35%**
लघु ऋण	12.30	110.66	122.96	5465	49183	54648	**90%**
योग	**143.92**	**181.54**	**325.46**	**19322**	**56645**	**75966**	
* अनंतिम							

अनुलग्नक-XI

2013–14 के दौरान (31.03.2014 तक) सावधि ऋण और लघु ऋण की योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में वित्तीय व वास्तविक उपलब्धियां

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाख रु0 में	लाभार्थियों की सं0
1	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0
2	असम	0.00	0
3	मणिपुर	0.00	0
4	मेघालय	0.00	0
5	मिजोरम	0.00	0
6	नागालैंड	496.00	849
7	सिक्किम	0.00	0
8	त्रिपुरा	900.00	948
	योग	**1396.00**	**1797**

		आबंटन 2013-14		संचयी वितरण	
क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाख रु0 में	लाभार्थियों की सं0	लाख रु0 में	लाभार्थियों की सं0
1	अरूणाचल प्रदेश	0	0	2.25	42
2	असम	3000	8245	1302.00	9453
3	मणिपुर	400	1100	205.86	2195
4	मेघालय	0	0	3.60	62
5	मिजोरम	400	1098	4128.02	13332
6	नागालैंड	900	1286	8163.30	19741
7	सिक्किम	0	0	0.00	0
8	त्रिपुरा	900	948	2163.21	3104
	योग	**5600.00**	**12677**	**15968.24**	**47929**

अनुलग्नक-XII

2013–14 के दौरान (31.03.2014 तक) सावधि ऋण और लघु ऋण की योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार वित्तीय उपलब्धियां		
क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि लाख रु0 में
1	आंध्र प्रदेश	0.00
2	असम	0.00
3	बिहार	0.00
4	चंडीगढ़	0.00
5	छत्तीसगढ़	0.00
6	दिल्ली	0.00
7	गुजरात	0.00
8	हिमाचल प्रदेश	350.00
9	हरियाणा	150.00
10	जम्मू एवं कश्मीर	1500.00
11	झारखंड	0.00
12	केरल	7300.00
13	कर्नाटक	1850.00
14	मध्य प्रदेश	0.00
15	महाराष्ट्र	0.00
16	मणिपुर	0.00
17	मिजोरम	0.00
18	नागालैंड	496.00
19	ओडिशा	0.00
20	पंजाब	700.00
21	पोंडीचेरी	300.00
22	राजस्थान	4000.00
23	तमिलनाडु	2000.00
24	त्रिपुरा	900.00
25	उत्तर प्रदेश	0.00
26	उतरांचल	0.00
27	पश्चिम बंगाल	13000.00
	योग	**32546.00**

अनुलग्नक-XIII

2013–14 के दौरान (31.03.2014 तक) सावधि ऋण और लघु ऋण की योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार वास्तविक उपलब्धियां		
क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	0
2	असम	0
3	बिहार	0
4	चंडीगढ़	0
5	छत्तीसगढ़	0
6	दिल्ली	0
7	गुजरात	0
8	हिमाचल प्रदेश	368
9	हरियाणा	667
10	जम्मू एवं कश्मीर	1579
11	झारखंड	0
12	केरल	16162
13	कर्नाटक	1947
14	मध्य प्रदेश	0
15	महाराष्ट्र	0
16	मणिपुर	0
17	मिजोरम	0
18	नागालैंड	849
19	ओडिशा	0
20	पंजाब	738
21	पॉंडीचेरी	825
22	राजस्थान	4211
23	तमिलनाडु	6854
24	त्रिपुरा	948
25	उत्तर प्रदेश	0
26	उतरांचल	0
27	पश्चिम बंगाल	40818
	योग	**75966**

अनुलग्नक-XIV

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान
वर्ष 2013–14 के दौरान संस्वीकृत सहायता अनुदान के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य–वार क्र.सं.	गैर–सरकारी संगठन का नाम व पता	स्वीकृति वर्ष	सहायता अनुदान का प्रयोजन	स्वीकृत सहायता अनुदान (लाख रु. में)
		आन्ध्र प्रदेश			
1	1	अल–अमीन एजुकेशनल सोसायटी, डी. सं. 5–9–29/1, रहमतपुर, हिन्दुपुर – 515201, जिला – अनंतपुर (आध्रं प्रदेश) दूरभाष : 09346823873	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
2	2	वज़ीर खान मेमोरियल एजुकेशनल सोसायटी, एमआईजी–27, आर.के. नगर कॉलोनी, इलेक्ट्रीकल रेवेन्यू ऑफिस के सामने, जिला श्रीकाकुलम–532001 (आंध्र प्रदेश)	2013–14	बी.एड. कॉलेज भवन का विस्तार	1500000
3	3	दारूल उलूम अशरफिया एजुकेशनल सोसायटी, मार्फत अशरफिया उच्च प्राथमिक स्कूल, कोल्लमपल्ली, नारायनपेट, जिला. महबूबनगर, आध्रं प्रदेश (दूरभाषः 9848667861, 9440867482)	2013–14	स्कूल भवन का निर्माण	1000000
				योग	**3500000**
		असम			
4	1	मुल्लागंज स्टडीज एंड कल्चरल सेंटर, पोस्ट–मुल्लागंज बाजार, जिला करीमगंज–788719 (असम)	2013–14	उच्च माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
5	2	एजुकेशन रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट फाऊंडेशन, सेन्ट्रल आईटी कॉलेज, ब्लॉक–बी, डॉ. आर पी रोड, दिसपुर गुवाहाटी, टी.के.वी. इलेक्ट्रिक विंग, जिला. कामरूप – 781006	2013–14	100 बिस्तर वाले बालिका छात्रावास भवन का निर्माण	3000000
6	3	ग्लोबल फ्रेंडशिप सोसायटी, गांव लोगांव, डाक. सोलमरी, थानाः रूपाही, वाया – हैबरगांव, जिला. नगांव – 782002 (असम) (दूरभाषः 9954041671, 9864363363)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
7	4	असम राजिक कृषक समन्वय समिति, गांव. बेलगुड़ी नातुन बाजार, वाया हायबरगांव, डाकः सोलमरी, जिला – 782002 (असम) दूरभाषः 9864763449)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
				योग	**6500000**
		बिहार			
8	1	न्यू होराईजन एजुकेशनल एण्ड साइंटिफिक एक्सेस ट्रस्ट, मार्फत न्य होराइजन स्कूल, 3, भिखनपुर, जिला. भागलपुर – 812001 (बिहार) (दूरभाषः 0641–2424837, 981023940)	2013–14	बालक छात्रावास भवन का निर्माण	3000000
9	2	हजरत अली वेलफेयर मिशन, होली फैमिली मिशन स्कूल कैम्पस, गांव. हमजापुर, डाक. शेरघटी, जिला. गया – 824211 (बिहार) दूरभाषः 06326242006, 09471898786, 08809869501	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
				योग	**4000000**
		गुजरात			
10	1	गोरवा मुस्लिम एजुकेशनल सोसायटी, मदरसा भवन, प्रथम तल, बस स्टैंड के पास, गोरवा, जिला. वड़ोदरा – 390016	2013–14	हाई स्कूल भवन का निर्माण	2000000
11	2	तनजीम समिति, मुल्लावाड, जिला. पाटन – 384265	2013–14	हाई स्कूल भवन का निर्माण	2000000
12	3	मोहनदास गांधी एजुकेशन ट्रस्ट, टी.क्यू. मंगरौल, नियर ओल्ड बस स्टेशन, जिला. जूनागढ़ – 362225 (गुजरात)	2013–14	हाई स्कूल भवन का निर्माण	2000000
13	4	लोकहित एजुकेशन एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, स्टेशन रोड, कंजारी, टी.क्यू. नडियाड, जिला. खेड़ा – 387325 (गुजरात) (9898494473)	2013–14	मिडिल स्कूल भवन का विस्तार	1500000
14	5	मदरसा मोईनुल इस्लाम ट्रस्ट, मदरसा कैंपस, मोतिवाहोरवाड, हिम्मत नगर, जिला. साबरकांठा – 383001 (गुजरात) (दूरभाष : 02772–242934, 222696, 9825070411, 9426040793)	2013–14	स्कूल भवन का विस्तार	1000000

15	6	अरोमा एजुकेशनल एंड वेल्फेयर ट्रस्ट, मार्फत अरोमा प्राईमरी एंड सेकेन्डेरी स्कूल, एटी एवं पोस्ट भगल (जगाना), टीक्यू. पालनपुर, जिला. बनसकांठा– 385001 (गुजरात) (दूरभाष : 9824032999)	2013–14	स्कूल भवन का निर्माण	1000000
16	7	दधल एजुकेशन डिस्पंसरी वाटर वर्क्स ट्रस्ट, मार्फत एम. आई. काजी मेमोरियल हाईयर सेकेन्डेरी स्कूल, एटी एवं पोस्ट दधल, टीक्यू. अंकलेश्वर, जिला. भरूच – 393001 (गुजरात) (दूरभाष : 02646–220002, 9879392931)	2013–14	स्कूल प्रयोगशाला हेतु कंप्यूटरों की खरीद	2500000
17	8	विकलांग विकास मंडल ट्रस्ट, मार्फत सहयोग हायर सेकेंडेरी स्कूल, एटी पंचसिया, टीक्यू. वाकानेर, जिला. राजकोट – 363622 (गुजरात)	2013–14	30 बिस्तर वाले बालक छात्रावास भवन का निर्माण	1000000
				योग	**10750000**
		हरियाणा			
18	1	एस. के. एजुकेशन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, शहिद खान हाई स्कूल, गांव बिसरू, पोस्टः बिसरु, तहसील–पुनहाना, जिला मेवात–122508 (हरियाणा)	2013–14	हाई स्कूल भवन का निर्माण	2000000
19	2	रहमानिया एजुकेशन सोसाइटी, मार्फत जामिया सुभानिया हाई स्कूल, गुहाना रोड, बड़ा रिठात, जिला–मेवात (हरियाणा)	2013–14	हाई स्कूल भवन का निर्माण	2000000
20	3	अंजुमन आलिया अल–फलाह समिति, मार्फत आजाद नेशनल मॉडल स्कूल, इमाब नगर, डाक : नगीना, जिला : मेवात – 122108 (हरियाणा)	2013–14	30 बिस्तर वाले बालक छात्रावास भवन का निर्माण	1000000
21	4	आईडिया एजुकेशन सोसायटी, गांव – बिसरू, तहसीलः पुनहना, जिलाः मेवात – 122508 (हरियाणा)	2013–14	उच्च माध्यमिक स्कूल भवन का निर्माण	2000000
22	5	अजमत खान मेव शिक्षा समिति, मार्फत अजमत खान इंडियन पब्लिक हाई स्कूल, मलई, जिला. पलवल – 121103 (हरियाणा) (दूरभाष : 9991010878)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
23	6	नवाब शमसुद्दीन एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी, गांव. रनियाला फिरोजपुर, डाक. मंडीखेड़ा, ब्लॉक – एफ.पी झिरका, जिला. मेवात – 122108 (हरियाणा) (दूरभाषः 9991907191, 981351248)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
24	7	ग्रामीण विकास शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति, गांव. अगन, ब्लॉक – फिरोजपुर झिरका, जिला. मेवात – 122104 (हरियाणा) (दूरभाषः 9991304077)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1500000
25	8	कारी मो. सुलैमान एजुकेशनल सोसायटी, वीपीओ. मलब, तहसीलः नूँह, जिला. मेवात – 122107 (हरियाणा) (दूरभाषः 9813244683, 9813242786)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
26	9	हाजी हुसैना मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट, मार्फत नेशनल पब्लिक स्कूल, एटी एवं पोस्ट आकेरा, तहसीलः नूँह, जिला. मेवात – 122107 (हरियाणा) (दूरभाषः 9813625696)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
27	10	अबुल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, खारी शाहा चोखा, तहसील – पुनहाना, जिला. मेवात – 122508 (हरियाणा) (दूरभाषः 9813780466, 9991437402)	2013–14	हाई स्कूल भवन का निर्माण	2000000
28	11	ग्रामीण जन सेवा एवं शिक्षा समिति, मार्फत अनुपम पब्लिक स्कूल, पेमा रोड़, तहसील. पुनहाना, जिला. मेवात – 122508 (हरियाणा) (दूरभाषः 9813807885, 9812612462)	2013–14	मिडिल स्कूल भवन का निर्माण	1500000
29	12	रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सोसायटी, पिनांवन, तहसीलः पुनहाना, जिला. मेवात – 122508 (हरियाणा) (दूरभाषः 09813979786)	2013–14	उच्चतर स्कूल भवन का विस्तार	1500000
30	13	एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसायटी, मार्फत सनराईज पब्लिक स्कूल, गांव. सराय, डाक. खटेला, तहसील. होडल, जिला. पलवल – 121105 (हरियाणा) (दूरभाषः 9416001786 एंड 01275–207976)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
				योग	**18500000**
		जम्मू एवं कश्मीर			
31	1	दी एजुकेशनल ट्रस्ट, कश्मीर, औकाफ कॉम्प्लेक्स, आलमगरी बाजार, जदीबाल जिला–श्रीनगर–190011,	2013–14	हाई स्कूल भवन का निर्माण/विस्तार	1500000

		मार्फत इमामिया पब्लिक स्कूल, इचगाम, बडगाम (कश्मीर)			
32	2	हयूमन वेलफेयर ऑरगेनाईजेशन, मकान सं0 171, बालगार्डन, करन–नगर, जिला. श्रीनगर – 190010 (जम्मू एवं कश्मीर)	2013–14	वीटीसी/वीटीपी हेतु कंप्यूटर/मशीनरी/उपकरण की खरीद	500000
				योग	**2000000**
		झारखंड			
33	1	मिल्लत एजुकेशनल एंड वेल्फेयर सोसाइटी, मदरसा रोड, पोस्टः उनचारी, जिला. गढ़वा–822114 (झारखंड)	2013–14	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
34	2	धनबाद मोमिन वेलफेयर सोसायटी, वासेपुर, धनबाद – 826001 (झारखंड), दूरभाषः 09031995560	2013–14	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
35	3	महिला दस्तकारी विद्यालय, शमीमाबाद, डाकः इतकी, जिला. रांची – 835301 (झारखंड), (दूरभाषः 06529–227216, 7677751339, 96081 84976, 94311 69879)	2013–14	बालिका छात्रावास भवन का निर्माण	3000000
				योग	**6000000**
		कर्नाटक			
36	1	अल–हसनाथ एसोसिएशन, मार्फत अल–हसनथ उर्दू हाई स्कूल, हबीब नगर, जोरापुर पेठ, जन्नत मस्जिद के पास, जिला. बीजापुर–586101 (कर्नाटक)	2013–14	स्कूल भवन का निर्माण	2000000
37	2	अबु माइनोरिटी वुमेन मल्टीपरपज सोसाइटी एंड सोशल वेल्फेयर ट्रस्ट, मार्फत अबु प्राइवेट इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ओल्ड चदंकावाटे रोड, तालुका सिंदगी, जिला–बीजापुर (कर्नाटक)	2013–14	वीटीसी/आईटीआई भवन का विस्तार	1000000
38	3	गवन एजुकेशन सोसायटी, कादरिया ग्राऊंड, पटेल नगरी, जिला. बीदर – 585401 (कर्नाटक)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
39	4	रिलायंस एजुकेशन सोसायटी, तलिकोटी, जिला–बीजापुर–586214 (कर्नाटक), दूरभाषः 09448939511, 0903650994	2013–14	आईटीआई/वीटीसी भवन का निर्माण	1000000
40	5	अल–फुरकान एजुकेशन ट्रस्ट, मार्फत आईडियल पब्लिक स्कूल, आईडियल कैम्पस, बसव कल्याण, जिला. बिदर–585327 (कर्नाटक)	2013–14	हाईयर स्कूल भवन का विस्तार	1500000
41	6	हजरत अबु बकर एजुकेशन सोसायटी, 8–1–168, आऊट साईड शाह गंज, जिला. बिदर–585401 (कर्नाटक), दूरभाषः 08482–221348, 9448039940	2013–14	स्कूल भवन का विस्तार	1500000
42	7	अल–इमाम सोशल एंड रूरल एजुकेशन ट्रस्ट, नैशनल कॉलोनी, मुरदेश्वर, जिला. कारवार–581350 (कर्नाटक), दूरभाषः 094481 83076, 08358260324	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
				योग	**9000000**
		केरल			
43	1	इशा–अथुल इस्लाम ट्रस्ट, पोस्ट मंजेरी कॉलेज, जिला मलापुरम–676122 (केरल)	2013–14	बालिका छात्रावास भवन का निर्माण	1000000
44	2	अल मदरसाथूल–जाहरा इस्लामिक एंड आर्ट्स कॉलेज परिपालन कमेटी, तंगल पीडिका, पोस्ट–मोकेरी, जिला–कन्नूर–670692	2013–14	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
45	3	आइडियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, इमाकोन बिल्डिंग, पोस्टः चप्पनंगाडी, कोट्टक्कल, जिला. मलप्पुरम–675503 (केरल)	2013–14	बालिका छात्रावास भवन का निर्माण	1000000
46	4	मदिनु ससाकुआफथिल इस्लामिया, स्वलाथ नगर, मेलपुरो, जिला–मलप्पुरम–676514 (केरल)	2013–14	आईटीआई/आईटीसी हेतु उपकरणों की खरीद	800000
47	5	सलाहुद्दीन अयूबी एजुकेशनल कॉम्पलेक्स, पाराक्कुलम, पोस्ट – कल्लडथुर, जिला पालक्काड़–679552 (केरल)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
48	6	दारुल हिकम इस्लामिक सेंटर, पोस्ट–चेम्मानियोड, जिला–मल्लप्पुरम–679325 (केरल)	2013–14	बालिका छात्रावास भवन का निर्माण	1000000
49	7	डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट, मार्फत डॉ. जेड.एच.एम. भारतीय विद्या विहार सीनियर सेकेंड्री स्कूल, पोस्टः पनच्चिकावू, पेरून्ना वेस्ट, चंगानाचेरी, जिला कोट्टायम (केरल)	2013–14	बालिका छात्रावास भवन का निर्माण	1000000
50	8	इस्लामिक सर्वीस सोसायटी, डाकः पोन्याकुरूशी, पेरिन्तलमण्णा, जिला. मलप्पुरम – 679322 (केरल)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1500000

		(दूरभाषः 04933–222480, 226146, 221835)			
51	9	वनिमल क्रसेंट हाई स्कूल मैनेजिंग कमेटी, डाक. कोडियरा, कल्लाच्ची, जिला. कोषिक्कोउ– 673506 (केरल) (दूरभाषः 0496–2560320, 09446386470)	2013–14	विज्ञान/कंप्यूटर प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद	100000
52	10	पीपल्स वेलफेयर ट्रस्ट, मार्फत अजर इंग्लिश मीडियम स्कूल, डाक. तिरूरक्काड, जिला. मलप्पुरम – 679351 (केरल) (दूरभाषः 04933 239726)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
53	11	मौलाना आजाद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, पी. गंगाधरन रोड, मरून्नुकडा, पल्लुरूती, कोच्ची–6 (केरल) (दूरभाषः 0484–2236808,2234801)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
54	12	अल–फलाह ए.एम.एम. एजुकेशनल ट्रस्ट, मार्फत. अल–फलाह एएमएम इंग्लिश मीडियम स्कूल, कक्कीडिपुरम, डाक. आलंकोड, जिला. मलप्पुरम – 679585 (केरल) (दूरभाषः 0494–2659222, 2650620, 9995960967)	2013–14	स्कूल भवन का विस्तार	1000000
				योग	**11900000**
		मध्य प्रदेश			
55	1	फहमिदा जाफरी मेमोरियल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाईटी, 102, रयीन मार्केट, झुलन पीर रोड, विदिशा, मध्य प्रदेश–464001 (दूरभाषः 7592403818, 7592280530)	2013–14	मिडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
56	2	इकरा तालिमी इदारा, मार्फत. दरसगाह, इकरा हाई स्कूल, गांव एवं डाक घर. रकाई, तहसील. करैली, जिला. नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश – 462031 (दूरभाषः 9893558853)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
				योग	**1800000**
		महाराष्ट्र			
57	1	सय्यद शरिफुद्दीन शिक्षण एडं वेल्फेयर सोसाइटी, मार्फत उर्दू हाई स्कूल, पोस्ट–विहिगांव, तालुका अंजानगांव सुरजी, जिला अमरावती–444705 (महाराष्ट्र)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
58	2	सबरंग मल्टीपरपस एजुकेशन सोसाइटी, यशवंत कॉलेज के पीछे, डाक, तहसील एवं जिला. वर्धा, – 442001 (महाराष्ट्र)	2013–14	बालिका छात्रावास भवन का निमार्ण	1500000
59	3	मोहम्मदिया माईनारिटिजएजुकेशन सोसाइटी, विट्ठलवाड़ी, रेंदल, तालुका. हटकाननगेल, जिला–कोल्हापुर–416203 (महाराष्ट्र)	2013–14	स्कूल हेतु कम्प्यूटर/विज्ञान प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद	500000
60	4	महमूदा शिक्षण एवं महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्थान, 690–691, गोल्वा मार्ग, सदर बाजार, जिला. नागपुर – 440001 (एमएस)	2013–14	बालिका छात्रावास भवन का निर्माण	2000000
61	5	जुबैदिया एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसायटी, पटेल नगर, टीक्यू एवं जिलाः लातूर – 413512 (महाराष्ट्र)	2013–14	उच्च माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
62	6	युनाइटेड वेलफेयर एसोसिएशन, मार्फत मुम्बई उर्दू हाई स्कूल, अंधेरी युनाइटेड को–ओपरेटीव हाउसिंग सोसायटी, नूर मस्जिद के पास, गाँवदेवी डोंगरी, वी.पी. रोड, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई–400058 (महाराष्ट्र) (दूरभाषः 022–26280319, 9322822451)	2013–14	उच्च माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
63	7	उर्दू एजुकेशन सोसायटी, शिवाना, टीक्यू. सिल्लोद, जिला. औरंगाबाद–431132 (महाराष्ट्र) (दूरभाषः 9860988824, 09764202981)	2013–14	स्कूल के लिए विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपकरण एवं फरनीचर की खरीद	500000
64	8	अल–फलाह मल्टीपरपस एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसायटी, मार्फत सर सय्यद अहमद खान उर्दू जूनियर कॉलेज, अमदापुर, टीक्यूः चिकली, जिला. बुलधाना – 444301 (महाराष्ट्र) (दूरभाषः 9604415226, 9922476505)	2013–14	स्कूल भवन का निमार्ण	1500000
65	9	नागपुर मुस्लिम वेलफेयर सोसाईटी, मार्फत ताज बाबा नाईट हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज, मोमिनपुरा, जिला. नागपुर–440018 (महाराष्ट्र) (दूरभाषः 0712–2583262, 9372473808, 9325572626)	2013–14	उच्च माध्यमिक स्कूल भवन का निमार्ण	2000000
				योग	**12000000**

		पंजाब			
66	1	शहीद भगत सिंह चैरिटेबल एंड एजूकेशनल सोसायटी, गांव एवं पोस्ट – बेला, जिला. रोपड – 140111 (पंजाब) (दूरभाषः 01881–263320, 9855463320, 9478388450)	2013–14	स्कूल के लिए कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद	250000
				योग	**250000**
		उत्तर प्रदेश			
67	1	साबिर हुसैन समाज सेवा शिक्षा प्रसार समिति, गांव एवं पोस्टः शरीफ नगर, तहसील–ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद–244602 (उत्तर प्रदेश)	2013–14	बालक छात्रावास भवन का निर्माण	3000000
68	2	मरियम एजुकेशन एंड वेल्फेयर सोसाइटी, ग्राम – अहमदपुर, पोस्ट चीनी, तेहसील–सागरी, जिला–आजमगढ़–276121 (उत्तर प्रदेश)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
69	3	अब्दुल मोहित खान एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम–रुपईपुर, फरीदपुर, जिला–आजमगढ़–223225 (उत्तर प्रदेश)	2013–14	मिडल स्कूल भवन का विस्तार	800000
70	4	चौधरी शिक्षा प्रचार एवं प्रसार समिति, ग्राम–मनकुआ, मकसूदपुर, ब्लॉक–दिलारी, जिला–मुरादाबाद–244001 (उत्तर प्रदेश)	2013–14	मिडल स्कूल भवन का विस्तार	800000
71	5	जनाब हमीद खान पहलवान शिक्षा प्रसार एवं जन कल्याण समिति, आजाद नगर बकेवार, जिला–इटावा–206124 (उत्तर प्रदेश)	2013–14	मिडल स्कूल भवन का विस्तार	800000
72	6	सईद सालार एजुकेशन सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्ट–थनवला, तहसील–बिल्लारी, जिला–मुरादाबाद–202411 (उत्तर प्रदेश)	2013–14	मिडल स्कूल भवन का विस्तार	800000
73	7	चौधरी हबीब खान एजुकेशनल चेरिटेबल सोसाइटी, ग्राम एवं पोस्टः हर्रा, तहसील–सरधाना, जिला–मेरठ–250344 (उत्तर प्रदेश)	2013–14	प्राइमरी स्कूल भवन का विस्तार	1000000
74	8	बाबा शिक्षा सेवा संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट–कुनवाखेड़ा, तहसीलः कायमगंज, जिला–फर्रूखाबाद–209502 (उत्तर प्रदेश)	2013–14	प्राइमरी स्कूल भवन का विस्तार	600000
75	9	सर इकबाल पब्लिक स्कूल, दोमानपुरा (वेस्ट), मऊनाथ भंजन, जिला–मऊ–275101 (उत्तर प्रदेश)	2013–14	मिडल स्कूल भवन का विस्तार	1000000
76	10	एम.एन. पब्लिक एजुकेशनल एंड वेल्फेयर सोसाइटी, अहमद कम्पाउंड, मुंदरवा रोड, सेमरियावान बाजार, जिला–संत कबीर नगर–272126 (उत्तर प्रदेश)	2013–14	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
77	11	उस्मान बिन अफ्फान एजूकेशनल एंड टेक्नीकल सोसाइटी, पोस्ट बिदपुर, जिला सिद्धार्थ नगर, मार्फत उस्मानिया गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल, गांव लेदवा, पोस्ट बिर्दपुर, जिला–सिद्धार्थ नगर (उत्तर प्रदेश)	2013–14	जूनियर हाई स्कूल भवन का निर्माण	1500000
78	12	एम. ए. पब्लिक स्कूल समिति, ग्राम काजीपुरा, तहसील–वाज़िक, जिला मुरादाबाद–244001 (उत्तर प्रदेश)	2013–14	बालक छात्रावास भवन का निर्माण	1000000
79	13	किसान समाज कल्याण शिक्षा समिति, मार्फत एल.बी.जे. हाई स्कूल, पोस्टः भगवंत नगर, ग्रामः हकीमगंज, तहसील–स्वर, जिला–रामपुर–244924 (उत्तर प्रदेश)	2013–14	मिडल स्कूल भवन का विस्तार	800000
80	14	महिला हितकारी समिति, 'एल' ब्लॉक तिराहा, हुमायूँ नगर, हापुड़ रोड, जिला. मेरठ–250002 (उत्तर प्रदेश)	2013–14	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
81	15	एम.वाई.सैफी एजूकेशनल सोसायटी, मोहल्ला– कटरा मंडी, धनौड़ा, जिला. जे.पी. नगर – 244231 (उत्तर प्रदेश)	2013–14	बी.एड. कॉलेज भवन का निर्माण	1500000
82	16	सैफी नाज एजूकेशनल सोसायटी, मोहल्ला– दरबार खुर्द, झदखेदी रोड, टाऊन – केराना, जिला. शामली–247774	2013–14	प्राथमिक स्कूल भवन का विस्तार	600000
83	17	एवरग्रीन पब्लिक स्कूल समिति, आर्यापुरी, इकबालपुरा, केराना, जिला. शामली–247774 (उत्तर प्रदेश)	2013–14	मिडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
84	18	हकीकुल्ला चौधरी अल्पसंख्यक शिक्षा समिति, ग्राम एवं पोस्ट– धरीघाट पोखरा, तहसील – मनकपुर, जिला– गोंडा (उत्तर प्रदेश)	2013–14	100 बिस्तर वाले बालिका छात्रावास का निर्माण	3000000
85	19	एच. ए. रब एजुकेशनल एंड चैरिटेबल सोसाईटी, जुम्मनपुरा, कोपागंज, जिला. मऊ – 275305 (उत्तर प्रदेश)	2013–14	100 बिस्तर वाले बालिका छात्रावास का निर्माण	3000000
86	20	तालिमी मजलिस, मार्फत सरवर मॉटिसरी जूनियर हाई स्कूल, 473/41, कश्याना–ए–रहमत, खादरा सीतापुर रोड, जिला. लखनऊ–226020 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 9793608843)	2013–14	मिडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000

87	21	अब्बासिया एजूकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, मार्फत फिजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गांव एवं डाकघरः ताजपुर, देहमा, तहसीलः यूसुफपुर, मोहम्मादाबाद, जिला. गाजीपुर –233228 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 9452406786, 9621055786)	2013–14	उच्च माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
88	22	फाऊंडेशन फॉर एजूकेशनल रिसर्च, डेवलपमेंट एण्ड एक्शन, एन.पटवारी बाइपास, बरौली रोड, अलीगढ़ – 202001 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 9897140360, 9837432004)	2013–14	मिडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
89	23	इकरा एजूकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी,, गांव. सलरपुर, विकास खण्ड हरगांव, जिला. सीतापुर – 261135 उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 09452889484, 09452380164, 09452380167)	2013–14	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	800000
90	24	एम.बी.आर. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (मकबूलन बेगम राजपूत इंटर कॉलेज) पिलखाना, तहसीलः कायमगंज, जिलाः फरूखाबाद–205302 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 09758430225)	2013–14	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
91	25	जामिया अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान, गंगरी (सिस्वा मुंशी), डाक घरः पीपीरपती तिवारी, जिला. महाराजगंज–273 303 (दूरभाषः 055232 45218, 09838953821)	2013–14	स्कूल फर्नीचर की खरीद	100000
92	26	हीरा एजूकेशनल सोसायटी, टीक्यू एंड पीओः तामबौर–लहरपुर, जिला. सीतापुर– 261208 (उत्तर प्रदेश) (05862–257437, 09918997745)	2013–14	प्राथमिक स्कूल भवन का विस्तार	500000
93	27	आईडियल एजूकेशनल सोसायटी, न्यू कॉलोनी, नियर संतोषी माता मंदिर, पीरबतावन, जिला. बाराबंकी–225001 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 05248–227551, 9415141120)	2013–14	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
94	28	नूर–उल–उलूम एजूकेशनल सोसायटी, जी–2, ड्रीम होम, एस.एस. नगर, जिला. अलीगढ़–202002 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 9319096230, 9760291130)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
95	29	कादिर–उल–उलूम, माफर्त अल–कादिर उच्चतर माध्यमिक स्कूल, मंडी किशन पास साड़ी, संभल, जिला. भीम नगर – 244302 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 9927076191)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
96	30	कलाम एजूकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, 995/1–ए, कम्पाउंड, नन्दन पुरा, जिला. झांसी – 284003 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 9453908111)	2013–14	वीटीसी का विस्तार तथा उपकरण, मशिनरी, टूल्स फर्नीचर की खरीद	1000000
97	31	रायसूद्दीन मुस्लिम एजूकेशनल सोसायटी, बस स्टैंड उमरी कलान, जिला. मुरादाबाद – 244227 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 9411872431)	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000
98	32	चिल्ड्रन होली पब्लिक शिक्षा समिति, फ्रेंडस कॉलोनी, कोठी सं. 60 के पास, टुंडला, जिला. फिरोजाबाद – 283204 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 9456090659)	2013–14	प्राथमिक स्कूल भवन का निर्माण	1000000
99	33	ककर शिक्षा समिति, मार्फत यामीन मेमोरियल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, गांव एंव डाक घरः टिटरो, जिला. सहारनपुर –247343 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 9760156734)	2013–14	प्राथमिक स्कूल भवन का विस्तार	800000
100	34	इस्लामिक वेलफेयर सोसायटी, मार्फत एम.ए. शोएब आईटीआई, जामिया बिल्डिंग, रेलवे क्रासिंग के समीप, सीपा, डाक. शीतला चौकिया, जिलाः जौनपुर–222001 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 05452–263103, 264982, 09415349761)	2013–14	50 बालक छात्रावास का निर्माण	1500000
101	35	फातिमा एजूकेशनल, सोशल एण्ड वेल्फेयर सोसायटी, गांव एवं पोस्ट, इटावा, जिला सिद्धार्थ नगर – 272192 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 09839197207, 09415582331)	2013–14	मिडिल स्कूल भवन का विस्तार	1500000
102	36	अल्पसंख्यक अकसा शिक्षा समिति, एसडीएम कोर्ट के पास, कस्बा बिसलपुर, जिला. पिलीभीत–262 201 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 0983729355)	2013–14	उच्चतर स्कूल भवन का विस्तार	1500000
103	37	अकील शिक्षा प्रसार, समिति, सिरोली रोड, अजीज पुर, चनोली, आगरा–282001 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः)	2013–14	मिडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
104	38	रेडिएंस मॉटिसरी स्कूल समिति, कस्बा एवं पोस्ट टमबोर, जिला. सीतापुर – 261208 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 094503	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार	1000000

		74833, 098383 47721)			
105	39	पब्लिक शिक्षा संस्थान, कस्बा एवं पोस्ट टमबोर, जिला. सीतापुर – 261208 (उत्तर प्रदेश) 09838266223, 09455157916	2013–14	प्राथमिक स्कूल भवन का विस्तार	600000
106	40	हबीबिया ग्राम विकास संस्था, जलालाबाद, तहसील नजीबाबाद, जिला. बिजनौर (उत्तर प्रदेश) दूरभाषः 01341–230087	2013–14	प्राथमिक स्कूल भवन का विस्तार	600000
107	41	सर सय्यद वेलफेयर सोसायटी, गांव डुंदपुर, पोस्ट असफपुर, जिला. बदायूं – 243632 (उत्तर प्रदेश) 09927666793	2013–14	मिडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
108	42	डॉ0 इस्लाम मजीद इस्लामिया एसोसिएशन, टाउन भरगेन, जिला. कासगंज (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 09997358381)	2013–14	बी.एड. कॉलेज भवन का विस्तार	1500000
109	43	फैज मेमोरियल सोशल वेलफेयर एजूकेशन सोसायटी, गांधी मूर्ति के पास, स्टेशन रोड, मोहल्ला पीरगढ़, अमरोहा – 244221 (उत्तर प्रदेश)	2013–14	मिडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
110	44	नौशाबा मेमोरियल महिला कल्याण एवं शिक्षा विकास समिति, गांवः कतई, डाकघरः गजरौला, जिला. जे.पी. नगर – 244235 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 9012846239)	2013–14	बालक छात्रावास का निर्माण	3000000
111	45	बक्शिश एजूकेशनल सोसायटी, मार्फत बारिक डिग्री कॉलेज, सिहली खद्दर (दिलरी) जिला. मुरादाबाद – 244001 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 9927165143)	2013–14	बालिका छात्रावास का निर्माण	3000000
112	46	जमीर विकास सेवा संस्थान, अम्बेडकर कॉलोनी, सौरव रोड़, कृष्ण नगर, मथुरा (उत्तर प्रदेश) दूरभाषः	2013–14	हाई स्कूल भवन का विस्तार (जमीरूद्दीन मेमोरियल हायर सेकेन्डरी स्कूल, जहांगीर नगर, फतेहपुर)	1000000
113	47	नथन इंग्लिश स्कूल समिति, बस स्टैंड के सामने, राय बरेली – 229001 (उत्तर प्रदेश) दूरभाषः 09336000652	2013–14	मिडिल स्कूल भवन का विस्तार तथा स्कूल के लिए कंप्यूटर/फर्नीचर की खरीद	1000000
114	48	बाल कल्याण जन सेवा समिति, गांव अरसल परसल, डाक एंव तहसील स्वार, जिला. रामपुर – 244924 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 073510 27204, 096394 65742)	2013–14	प्राथमिक स्कूल भवन का विस्तार	600000
115	49	मुस्लिम ऐजूकेशनल सोसायटी, नगर निजामाबाद, आजमगढ़ – 276 206 (उत्तर प्रदेश) दूरभाषः 094158 38754, 099361 84104	2013–14	मिडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
116	50	मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन, गांव एवं पोस्ट बारा, जिला. गाजीपुर – 232 325 (उत्तर प्रदेश) दूरभाषः	2013–14	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
117	51	धनोरा वेलफेयर सोसायटी, गांव धनोरा मुरादनगर, डाकघरः काकसराय, जिला. अमरोहा – 244221 (उत्तर प्रदेश) दूरभाषः 0997581 92814	2013–14	मिडिल स्कूल भवन का विस्तार	800000
118	52	द ऐजूकेशनल सोसायटी, फतेहपुर, जिला. मऊ – 275101 (उत्तर प्रदेश) दूरभाषः 098192 29446, 096541 34144	2013–14	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
119	53	खुमरा बिरादरी एजूकेशनल मदरसा, खुमरूल उलूम सोसायटी, मोहल्ला – अफगनान, जिला. जे.पी. नगर – 242221 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 9258443692)	2013–14	प्राथमिक स्कूल भवन का विस्तार	600000
120	54	मुस्लिम एंग्लो वरनाकुलर एजूकेशनल एसोसिएशन, मार्फत एम.ए.एच. इंटर कॉलेज, मोहल्लाः बारबराहना, जिला. गाजीपुर – 233 001 (उत्तर प्रदेश) (दूरभाषः 0548–2221193, 9415889980)	2013–14	उच्चतर माध्यमिक स्कूल भवन का विस्तार	1500000
				योग	**64200000**
				कुल–योग	**150400000**
			शब्दों में	**पन्द्रह करोड़ चार लाख केवल**	

अनुलग्नक-XV

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान

31.03.2014 तक स्वीकृत सहायता–अनुदान का राज्यवार सारांश

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर–सरकारी संगठनों की संख्या	स्वीकृत राशि (₹ में)
1	अंडमान	3	35000
2	आंध्र प्रदेश	75	1183550
3	अरूणाचल प्रदेश	1	30000
4	असम	24	371000
5	बिहार	40	649718
6	छत्तीसगढ़	1	25000
7	दिल्ली	12	93555
8	गोवा	3	53000
9	गुजरात	79	1111618
10	हरियाणा	45	585100
11	हिमाचल प्रदेश	1	10000
12	जम्मू एवं कश्मीर	17	246420
13	झारखंड	13	218000
14	कर्नाटक	106	1511068
15	केरल	92	1481000
16	मध्य प्रदेश	48	518280
17	महाराष्ट्र	181	2379585
18	मणिपुर	19	266000
19	मेघालय	2	30000
20	नागालैंड	4	68500
21	ओडिशा	8	47620
22	पंजाब	7	64170
23	राजस्थान	20	310500
24	तमिलनाडु	32	480782
25	उत्तराखंड	13	166000
26	उत्तर प्रदेश	548	6268560
27	पश्चिम बंगाल	29	401400
	योग	**1423**	**1859642620**
शब्दों में	**एक सौ पचासी करोड़ छियानब्बे लाख बयालीस हजार छह सौ बीस**		

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान
(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)
छात्रवृत्ति स्वीकृति के राज्य/राशि–वार सार (2003–04 से 2013–14)

(राशि लाख रु0 में)

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		योग	
		छात्राओं की सं0	राशि	छात्राओं की सं0	राशि	छात्राओं की सं0	राशि	छात्राओं की सं0	राशि	छात्राओं की सं0	राशि	छात्राओं की सं0	राशि	छात्राओं की सं0	राशि	छात्राओं की सं0	राशि	छात्राओं की सं0	राशि	छात्राओं की सं0	राशि	छात्राओं की सं0	राशि	छात्राओं की सं0	राशि
1	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	4	0.4	0	0	0	0	0	0	1	0.12	2	0.24	0	0	0	0	7	0.84	14	1.6
2	आंध्र प्रदेश	53	5.3	110	11	145	14.5	111	11.1	223	26.76	828	99.36	1072	128.64	924	110.88	903	108.36	1323	158.76	1851	222.12	7543	896.78
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.24	0	0	0	0	2	0.24
4	असम	2	0.2	81	8.1	131	13.1	115	11.5	128	15.36	419	50.28	346	41.52	429	51.48	487	58.44	717	86.04	1546	185.52	4401	521.54
5	बिहार	2	0.2	178	17.8	221	22.1	342	34.2	342	41.04	680	81.6	1159	139.08	1425	171	1490	178.8	2642	317.04	3442	413.04	11923	1415.9
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.12	2	0.24	0	0	0	0	0	0	18	2.16	7	0.84	28	3.36
7	छत्तीसगढ़	8	0.8	9	0.9	12	1.2	2	0.2	2	0.24	0	0	2	0.24	13	1.56	5	0.6	4	0.48	40	4.8	97	11.02
8	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.36	6	0.72	0	0	1	0.12	0	0	4	0.48	14	1.68
10	गोवा	0	0	8	0.8	6	0.6	0	0	0	0	0	0	3	0.36	5	0.6	3	0.36	2	0.24	2	0.24	29	3.2
11	गुजरात	0	0	505	50.5	77	7.7	391	39.1	147	17.64	623	74.76	709	85.08	610	73.2	604	72.48	877	105.24	1168	140.16	5711	665.86
12	हरियाणा	8	0.8	5	0.5	0	0	4	0.4	2	0.24	7	0.84	7	0.84	28	3.36	16	1.92	42	5.04	35	4.2	154	18.14
13	हिमाचल प्रदेश	4	0.4	0	0	0	0	4	0.4	0	0	0	0	1	0.12	1	0.12	0	0	0	0	1	0.12	11	1.16
14	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	319	31.9	34	3.4	21	2.1	55	6.6	21	2.52	25	3	7	0.84	10	1.2	33	3.96	179	21.48	704	77
15	झारखंड	2	0.2	40	4	62	6.2	65	6.5	119	14.28	670	80.4	691	82.92	556	66.72	539	64.68	718	86.16	1025	123	4487	535.06
16	कर्नाटक	31	3.1	137	13.7	838	83.8	122	12.2	127	15.24	355	42.6	913	109.56	546	65.52	1015	121.8	1488	178.56	2014	241.68	7586	887.76
17	केरल	80	8	150	15	159	15.9	229	22.9	462	55.44	2884	346.08	2402	288.24	2338	280.56	2318	278.16	3330	399.6	4760	571.2	19112	2281.08
18	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मध्य प्रदेश	17	1.7	70	7	64	6.4	134	13.4	123	14.76	371	44.52	217	26.04	400	48	483	57.96	731	87.72	975	117	3585	424.5
20	महाराष्ट्र	53	5.3	147	14.7	406	40.6	165	16.5	336	40.32	1390	166.8	1570	188.4	1394	167.28	1476	177.12	2230	267.6	2928	351.36	12095	1435.98
21	मणिपुर	11	1.1	11	1.1	12	1.2	1	0.1	2	0.24	19	2.28	14	1.68	11	1.32	43	5.16	41	4.92	114	13.68	279	32.78
22	मेघालय	0	0	0	0	2	0.2	2	0.2	1	0.12	3	0.36	1	0.12	4	0.48	4	0.48	6	0.72	10	1.2	33	3.88
23	मिजोरम	0	0	2	0.2	13	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1.5
24	नागालैंड	8	0.8	0	0	0	0	11	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1.8	2	0.24	6	0.72	42	4.66
25	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7	0.7	50	5	48	4.8	26	2.6	51	6.12	72	8.64	171	20.52	228	27.36	228	27.36	332	39.84	422	50.64	1635	193.58
26	ओडिशा	12	1.2	30	3	13	1.3	12	1.2	24	2.88	49	5.88	41	4.92	43	5.16	39	4.68	87	10.44	165	19.8	515	60.46
27	पुद्दुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.12	6	0.72	10	1.2	15	1.8	4	0.48	20	2.4	56	6.72
28	पंजाब	4	0.4	14	1.4	15	1.5	0	0	13	1.56	8	0.96	83	9.96	1685	202.2	215	25.8	167	20.04	150	18	2354	281.82
29	राजस्थान	2	0.2	41	4.1	76	7.6	135	13.5	162	19.44	408	48.96	470	56.4	561	67.32	636	76.32	680	81.6	923	110.76	4094	486.2
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	34	3.4	120	12	91	9.1	21	2.1	122	14.64	990	118.8	1188	142.56	1176	141.12	1230	147.6	1802	216.24	2509	301.08	9283	1108.64
32	त्रिपुरा	0	0	0	0	3	0.3	3	0.3	2	0.24	1	0.12	0	0	3	0.36	0	0	2	0.24	0	0	14	1.56
33	उत्तर प्रदेश	174	17.4	452	45.2	727	72.7	1598	159.8	1016	121.92	839	100.68	2518	302.16	3676	441.12	3909	469.08	5791	694.92	7939	952.68	28639	3377.66
34	उत्तराखंड	6	0.6	11	1.1	14	1.4	7	0.7	6	0.72	35	4.2	38	4.56	32	3.84	38	4.56	77	9.24	191	22.92	455	53.84
35	पश्चिम बंगाल	116	11.6	291	29.1	398	39.8	325	32.5	545	65.4	1386	166.32	1416	169.92	1219	146.28	1976	237.12	2010	241.2	2728	327.12	12408	1466.36
	योग	634	63.4	2781	278.1	3571	357.1	3846	384.6	4011	481.32	12064	1447.68	15070	1808.4	17326	2079.12	17700	2124	25156	3018.72	35159	4219.08	137318	16261.52

ANNUAL REPORT
2013-14

Ministry of Minority Affairs
Government of India

Web-site : www.minorityaffairs.gov.in

Contents

Chapter No.	Chapter Title	Page No.
	Executive Summary	1
1	Introduction	3
2	Prime Minister's New 15-Point Programme for the Welfare of Minorities	7
3	Sachar Committee Report and follow-up action	13
4	Scheme of Multi-Sectoral Development Programme (MsDP)	23
5	Pre-Matric Scholarship Scheme	27
6	Post-Matric Scholarship Scheme	29
7	Merit-cum-means based Scholarship Scheme	31
8	Maulana Azad National Fellowship	33
9	Naya Savera - Free Coaching and Allied Scheme	35
10	Nai Uddan	37
11	Padho Pradesh	39
12	Scheme for Leadership Development of Minority women	41
13	Research/Studies, Monitoring and Evaluation of Development Schemes including Publicity	43
14	Implementation of Minorities welfare programmes/ schemes in North-Eastern States and Sikkim	47
15	Skill Development Initiative for Minorities	49
16	Scheme for Containing Population Decline of Parsis in India	51
17	Grant-in-aid Scheme to State Channelising Agencies of National Minorities Development and Finance Corporation	53
18	Commissioner for Linguistic Minorities	55
19	National Commission for Minorities	57
20	Waqf Administration and Central Waqf Council	59
21	Durgah Khwaja Saheb Ajmer	69
22	National Minorities Development and Finance Corporation	71
23	Maulana Azad Education Foundation	77
24	Gender Specific Issues and Gender Budgeting	79
25	Right to Information Act, 2005	81
26	Government Audit	83
27	Result-Framework Document, Citizen's Client's Charters and Grievance Redressal mechanism	85
	Annexure I to XVI	109-135

Execuitve Summery

Achievements of the Ministry of Minority Affairs during 2013-14

- ₹ 11.86 crore have been release to 425 Organisations in 24 States for imparting leadership training to 60875 minority women under the "Scheme for Leadership Development of Minority Women".
- Memorandum of Understanding between Ministry of Minority Affairs and the National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC) was laid in the Lok Sabha on 22.08.2013 and in the Rajya Sabha on 19.8.2013.
- ₹ 325.46 crore released to 75,966 beneficiaries under term loan and micro finance by NMDFC.
- 77.94 lakh number of pre-metric scholarship awarded and ₹ 963.79 crore released. 49.41% of the scholarship was released for girl students.
- 8.90 lakh number of post metric scholarship awarded and ₹ 515.76 crore released. 54.92% of the scholarship was released for girl students.
- 1,00,428 merit cum means scholarships awarded and ₹ 260.00 crore released.
- The Ministry launched a toll free helpline named 'KIIIDMAT' (1800-11-2001) in Aug '2013 to give information about the schemes / Programmes of the Ministry.

CHAPTER - 1

INTRODUCTION

1.1 The Ministry of Minority Affairs was carved out of Ministry of Social Justice & Empowerment and created on 29th January, 2006 to ensure a more focused approach towards issues relating to the notified minority communities namely Muslim, Christian, Budhist, Sikhs, Parsis and Jain. The mandate of the Ministry includes formulation of overall policy and planning, coordination, evaluation and review of the regulatory and development programmes for the benefit of the minority communities.

VISION AND MISSION

1.2 The vision of this Ministry is empowering the minority communities and creating an enabling environment for strengthening the multi-racial, multi-ethnic, multi-cultural, multi-lingual and multi-religious character of our nation.

1.3 The mission is to improve the socio-economic conditions of the minority communities through affirmative action and inclusive development so that every citizen has equal opportunity to participate actively in building a dynamic nation. To facilitate an equitable share for minority communities in education, employment, economic activities and to ensure their upliftment.

1.4 Shri K. Rahman Khan and Shri Ninong Ering held the charge of the Minister of Minority Affairs and Minister of State for Minority Affairs respectively. The Secretary of the Ministry is assisted by three Joint Secretaries and a Joint Secretary & Financial Adviser (additional charge). The Ministry has a sanctioned strength of 98 Officers/ Staff and 63 officers/ staff were in position as on 31.03.2014. The Organizational Chart of the Ministry is given at **Annexure-I** and the Incumbency Statement is at **Annexure-II**. While many of the multifaceted tasks of the Ministry are undertaken by it directly, it is supported by the officer /organizations under its administrative control.

1.5 There were initially 7 welfare schemes for the minorities. Subsequently, new welfare schemes were launched by the Ministry, and at present 17 schemes are being implemented by the Ministry. This resulted into significant increase of work load. The Ministry was created with the sanctioned strength of 98 against which 63 officers/ staff are in position. The work load of the Ministry has increased but the shortage of staff continued. To cope up with the increased load of work and to ensure proper implementation of various schemes, the Ministry has engaged on contract, outsourced basis Consultants, Jr. Consultants, Sr. Associates, Jr. Associates, Programme Support Coordinators, Programme Support Assistants, Stenographers, Data Entry Operators and Peons on need basis.

ALLOCATION OF BUSINESS

1.6 Subjects allocated to this Ministry as per Second Schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 are:-

(i) Overall policy, planning, coordination, evaluation and review of the regulatory and development programmes of the minority communities.

(ii) All matters relating to minority communities except matters relating to law and order.

(iii) Policy initiatives for protection of minorities and their security in consultation with other Central Government Ministries and State Government.

(iv) Matters relating to Linguistic Minorities and of the Office of the Commissioner for Linguistic Minorities.

(v) Matters relating to National Commission for Minorities Act.

(vi) Work relating to the Evacuee Waqf properties under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) (since repealed).

(vii) Representation of the Anglo-Indian community.

(viii) Protection and preservation of non Muslim shrines in Pakistan and Muslim shrines in India in terms of the Pant-Mirza Agreement of 1955, in consultation with the Ministry of External Affairs.

(ix) Questions relating to the minority communities in neighboring countries, in consultation with the Ministry of External Affairs.

(x) Charities and charitable institutions, charitable and religious endowments pertaining to subjects dealt with in the Department.

(xi) Matters pertaining to the socio-economic, cultural and educational status of minorities, minority organizations, including the Maulana Azad Education Foundation.

(xii) The Waqf Act, 1995 (43 of 1995) and Central Waqf Council.

(xiii) The Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955).

(xiv) Funding of programmes and projects for the welfare of minorities, including the National Minorities Development and Finance Corporation.

(xv) Employment opportunities for minorities in the Central and State public sector undertakings, as also in the private sector.

(xvi) Formulation of measures relating to the protection of minorities and their security in consultation with other concerned Central Ministries and State Governments.

(xvii) National Commission for Socially and Economically Backward Sections among Religious and Linguistic Minorities.

(xviii) Prime Minister's new 15-Point Programme for Minorities.

(xix) Any other issue pertaining to the minority communities.

USE OF OFFICIAL LANGUAGE

1.7 The Ministry issue all important orders/ notifications etc. bilingually. The Ministry observed the Hindi fortnight from the 1st to 15th September, 2013. Several competitions were organized during the fortnight and the prizes were also distributed. The first meeting of Hindi Salahkar Samiti under the chairmanship of Hon'ble Minister of Minority Affairs was conducted on 05.08.2013. Meetings of Official Language implementation committee have also been organized under the chairmanship of Joint Secretary.

VIGILANCE UNIT

1.8 Shri Y. P. Singh, Joint Secretary, acted as part-time Chief Vigilance Officer (CVO) of the Ministry and also acts as a link between the Ministry and the Central Vigilance commission (CVC). The CVO looks after the vigilance work in addition to his normal duty as Joint Secretary (Policy, Planning & Administration) in the Ministry.

1.8.1 The CVO is entrusted with the following tasks :

- All vigilance and disciplinary matters relating to the Ministry.
- Scrutiny of complaints as and when received and taking appropriate action thereon.
- Enquiry/ investigation/ inspection and follow up action on the same.
- Coordinating with the Central Vigilance Commission and furnishing of comments of the Ministry to CVC on investigation reports and complaints etc. as and when asked for.
- Obtaining advice from CVC as and when required.
- Identification of sensitive areas prone to corruption and transferring of officers in such positions from time to time, thus promoting preventive vigilance.
- Augment integrity, efficiency and transparency in the functioning of the Government.

1.8.2 During the period 2013-2014, three (3) complaints were received, out of which one case has been closed and the rest two (2) are under process. In addition, four (4) earlier cases were also closed. Further, Vigilance Clearance has been issued to 53 officials during the period under report.

1.8.3 Actions to be undertaken by the Vigilance Section:

- To keep surveillance on identified areas of sensitive nature.
- May undertake surprise vigilance inspections in the Ministry.

NATIONAL INTEGRATION WEEK

1.9 The Ministry observed the Quami Ekta (National Integration Week) from 19th to 25th November, 2013 to foster the spirit of patriotism, communal harmony and integration.

BUDGET

1.10 An outlay of ₹ 17,323 crore has been allocated to this Ministry for the various Plan schemes/ programmes in the Twelfth Five Year Plan (2012-17). Plan budget provision of ₹ 3,511 crore was made in the Budget Estimates 2013-14, which was reduced in the Revised Estimates for 2013-14 to ₹ 3,111 crore. A non-plan provision of ₹ 19.98 crore was made in the Budget Estimates for the year 2013-14, which was reduced to ₹ 19.84 crore in the Revised Estimates 2013-14. A statement showing the plan scheme/ programme-wise Twelfth Plan outlay, Budget Estimates, Revised Estimates and the actual expenditure during the year 2013-14 is at **Annexure-III.**

CHAPTER - 2

PRIME MINISTER'S NEW 15 POINT PROGRAMME FOR THE WELFARE OF MINORITIES

2.1 The Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities was announced in June, 2006. It provides programme specific interventions, with definite goals which are to be achieved in a specific time frame. The objectives of the programme are: (a) Enhancing opportunities for education; (b) Ensuring an equitable share for minorities in economic activities and employment, through existing and new schemes, enhanced credit support for self-employment, and recruitment to State and Central Government jobs; (c) Improving the conditions of living of minorities by ensuring an appropriate share for them in infrastructure development schemes; and (d) Prevention and control of communal disharmony and violence.

2.2 An important aim of the new programme is to ensure that the benefits of various government schemes for the under privileged reach the disadvantaged sections of the minority communities. In order to ensure that the benefits of these schemes flow equitably to the minorities, the new programme envisages location of a certain proportion of development projects in minority concentration areas. It also provides that, wherever possible, 15% of targets and outlays under various schemes should be earmarked for the minorities.

2.3 The target group of the programme consists of the eligible sections among the minorities notified under Section 2(c) of the National Commission for Minorities Act, 1992, viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians. Recently, Jains have been notified as minority community vide notification dated 27.01.2014. In States, where one of the minority communities notified under Section 2(c) of the National Commission for Minorities Act, 1992 is, in a majority, the earmarking of physical/ financial targets under different schemes will be only for the other notified minorities. These States/ UTs are Jammu & Kashmir, Punjab, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Lakshadweep.

2.4 The progress of implementation of the programme is monitored by each of the Ministries/ Departments concerned on a monthly basis. At the Central level, Ministry of Minority Affairs reviews the overall progress on a quarterly basis with the Nodal officers of other Ministries. The progress is reviewed once in six months by the Committee of Secretaries, and thereafter, are port is submitted to the Union Cabinet. The Cabinet has already reviewed the progress of implementation six times since the new programme was launched in June, 2006. As envisaged in the guidelines, the States/ UTs are required to constitute the State Level Committees to monitor the progress. Similar mechanism has also been envisaged at the district level.

2.5 The list of schemes included in the New 15 Point Programme, which are amenable to earmarking, is as under:-

- Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme by providing services through Anganwadi Centres {Ministry of Women & Child Development}.
- Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) {Ministry of Human Resources Development}.
- Aajeevika {Ministry of Rural Development}.
- Swarnajayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY) {Ministr of Housing & Urban Poverty Alleviation}
- Upgradation of Industrial Training Institutes (ITIs) {Ministry of Labour & Employment}
- Bank credit under priority sector lending {Department of Financial Services}
- Indira Awas Yojana (IAY) {Ministry of Rural Development}

Physical progresses under these schemes during 2013-14 are given below:-

S. No.	Name of the Scheme and Ministry/Dept. Concerned	Achievement (Physical)
1.	Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)D/o School Education & Literacy.	
(i)	No. of primary schools constructed	274
(ii)	No. of upper primary schools constructed.	39
(iii)	No. of additional classrooms constructed.	120
(iv)	No. of new primary schools opened.	131
(v)	No. of new upper primary schools opened.	19
(vi)	No. of teachers sanctioned.	120
2.	Below Poverty Line (BPL) families assisted under Indira Awas Yojana (IAY)-M/o Rural Development.	3,06,154
3.	Beneficiaries assisted under Swarn Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY), M/o Housing & Urban Poverty Alleviation (HUPA)	
(i)	Individual enterprises Urban Self-Employment Programme (USEP):	
	• Total no. of minority urban poor assisted to set up individual micro-enterprises: 10,470	

	• Community-wise segregated data for minority communities (achievement % of the respective minority community w.r.t. total achievement for minorities under USEP: (a) Muslims : 81.54% (b) Sikhs : 1.70% (c) Christians : 11.32% (d) Buddhists : 5.26% (e) Parsis : 0.17 %	
(ii)	Assistance to Groups of Urban Poor Women under Urban Women Self-Help Programme (UWSP) • Total no. of minority beneficiaries covered through group micro enterprises under UWSP: 2,802 • Total no. of minority beneficiaries covered under revolving fund for Thrift & Credit Societies under UWSP: 27,533	
(iii)	Skill Training for Employment Promotion amongst Urban Poor (STEP-UP): • Physical : 77,443 • Community-wise segregated data for minority communities (achievement % of the respective minority community w.r.t. total achievement for minorities under STEP-UP: (a) Muslims : 83.25% (b) Sikhs : 0.55% (c) Christians : 13.06% (d) Buddhists : 3.13% (e) Parsis : 0.01%	
4.	Operationalisation of Anganwadi Centres under ICDS. M/o Women & Child Development	293

Financial Achievement during 2013-14 under the schemes where financial targets are earmarked:

S. No.	Name of the Scheme and Ministry/Dept. concerned	Achievement (₹ in crore)
1	Indira Awas Yojana (IAY): M/o Rural Development	1214.69
2	Swarn Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY): M/o Housing & Urban Poverty Alleviation (HUPA).	33.67
3	Upgradation of Industrial Training Institutes (ITIs) into Centres of Excellence: Ministry of Labour & Employment	7.24
4	Priority Sector Lending. D/o Financial Services (Cumulative achievement)	2,40,837.98

The percentage of Priority Sector Lending (PSL) to minorities out of total PSL has shown steady increase from 10.6% in 2007-08 to 16.09% during 2013-14. The achievement % of the respective minority community w.r.t. total achievement for minorities during 2013-14 under PSL is as under:

(a)	Muslims	:	44.31
(b)	Sikhs	:	24.58
(c)	Christians	:	21.87
(d)	Buddhists	:	2.06
(e)	Parsis	:	2.23
(f)	Jains	:	4.96

2.6 The achievements in 2013-14 under schemes included in the 15 Point Programme where the flow of funds/ benefits to development projects in minority concentration areas is monitored are given below:

S. No.	Name of the Scheme and Ministry/ Dept. concerned	Achievement (Financial) (Project cost sanctioned and number of cities/ towns covered having a substantial minority population)
1.	Basic Services for Urban Poor (BSUP): M/o Housing & Urban Poverty Alleviation (HUPA)	₹ 6813.03 crore (17cities)
2.	Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP), M/o HUPA	₹ 2237.06 crore (103 cities)
3.	Urban Infrastructure & Governance (UIG), M/o Urban Development (Cumulative achievement, up to June 2013)	₹ 9,476.71 crore (77 cities)
4.	Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT), M/o Urban Development. (Cumulative achievement, up to June, 2013)	₹ 2,725.24 crore (110 cities)
5.	National Rural Drinking Water Programme (NRDWP): M/o Drinking Water & Sanitation (DWS) (upto 31.12.2013)	₹ 1836.21 crore of the total sanctioned covering 6522 habitations in districts having substantial minority population.

2.7 The achievements in 2013-14 under schemes included in the 15 Point Programme as Special Initiatives for minority institutions/schools are given below:

S. No.	Name of the Scheme and Ministry / Dept. concerned	Achievement
1.	Scheme for Providing Quality Education in Madarsa (SPQEM): M/o Human Resource Development	Amount released ₹ 182.73 crore for 14859 Madarsa involving 35376 Teachers
2.	Infrastrurture Development in Minority Institutions (IDMI): M/o Human Resource Development	Amount released ₹ 24.99 crore for 229 Institutes

2.8 It has been reported by Department of Personnel and Training that during 2012-13, various Ministries/ Departments, 124 Central Public Sector enterprises (CPSEs), Public Sector Banks, Financial institutions, etc. have recruited 22,839 minority candidates, which works out to 6.91% of the total recruitment made.

2.9 The monitoring mechanism for implementation of Prime Minister's New 15 Point Programme has been strengthened. In 2009, the Government approves inclusion of two Members of Parliament from Lok Sabha and one Member of Parliament from Rajya Sabha, two Members of the Legislative Assembly to be nominated by the State Government in the State Level Committees for implementation of the Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities. However, one of the Members included in the State Level Committee from Lok Sabha and Legislative Assembly should have been elected from any of the minority concentration districts in those states which have minority concentration districts (MCDs). In respect of District Level Committee for implementation of the Prime Minister's new 15 Point Programme, besides one Member of Parliament from Rajya Sabha representing the State to be nominated by the Central Government, all Members of Parliament and all Members of Legislative Assembly representing the district would be included in the District Committee.

CHAPTER - 3

SACHAR COMMITTEE REPORT AND FOLLOW UP ACTION

A High Level Committee, constituted under the Chairmanship of Justice (Retired) Rajinder Sachar to gather data/ information for preparation of a comprehensive report on the social, economic and educational status of the Muslim community of India submitted its report on 17th November, 2006. The Government took several decisions on the recommendations of the Sachar Committee and the status of implementation of the decisions taken by the various Ministries/ Departments concerned is as under:

3.1 Department of Financial Services:

(i) All public sector banks have been directed to open more branches in districts having a substantial minority population. During 2013-14, 1,589 new branches have been opened. As on 31.03.2014, a total of 19,119 bank branches are operating in minority concentration districts (MCDs).

(ii) RBI revised its Master Circular on 1st July, 2013 on priority sector lending (PSL) for improving credit facilities to minority communities. As on 31.03.2014, ₹ 2,40,837.98 crore, which is 16.09% of total PSL, was provided to minorities.

(iii) District Consultative Committees (DCCs) of lead banks are regularly monitoring the disposal and rejection of loan applications for minorities.

(iv) To promote micro-finance among women, 6,04,698 accounts have been opened for minority women with ₹ 4,439.39 crore as micro-credit.

(v) All public sector banks are organizing awareness campaigns in blocks/ districts/ towns with substantial minority population. During 2013-14, 8,764 awareness campaigns were organized in such areas.

(vi) Lead Banks have organized 4,585 entrepreneurial development programme in blocks/ districts/ towns with substantial minority population during 2013-14 and the number of beneficiaries is 1,04,630 and an amount of ₹ 219.98 crore was financed to the beneficiaries.

3.2 Ministry of Human Resource Development:

A multi-pronged strategy to address the educational backwardness of the Muslim community, as brought out by the Sachar Committee, has been adopted, as given below:-

a) Under the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) scheme, criteria of educationally backward blocks has been revised with effect from 1st April 2008 to cover blocks with less than 30% rural female literacy and in urban areas with less than national average of female literacy. So far, 543 out of 555 KGBVs sanctioned in MCDs, have been operationalised.

b) Scheme for universalization of access to quality education at secondary stage called Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) has been approved. The scheme envisages preference to minority concentration areas in opening of Government schools. State Governments have been advised to accord priority to setting up of new / upgraded schools in minority concentration areas while appraising proposals under this scheme. Since inception, out of a total of 10,229 New Secondary schools sanctioned in the country, 1,160 have been sanctioned in MCDs and 864 of these have become functional.

c) One model degree college each would be set up in 374 Educationally Backward Districts (EBDs) of the country. Out of 374 EBDs, 67 are among identified minority concentration districts. During 2013-14, against national achievement of 44 model colleges, 11 new model degree colleges have been set up with an expenditure of ₹ 24.80 crore.

d) Under the scheme of Sub-mission on Polytechnics, at the national level 291 districts are targeted for financial assistance, out of which 57 Districts are Minority Concentration Districts (MCDs). Cumulatively, from 2009 till 31.03.2014, ₹ 2,113.69 crore was released for 291 polytechnics at the national level, out of which ₹ 336.78 crore (15.93% of total fund released) was released for 55 polytechnics in the MCDs.

e) Preference is given by the University Grants Commission for provision of girls' hostels in universities and colleges in the areas where there is concentration of minorities especially Muslims. During 2013-14, 47 women hostels have been sanctioned with an expenditure of ₹ 6.314 crore.

f) The Area Intensive & Madarsa Modernisation Programme has been revised and bifurcated into two schemes. A Scheme for Providing Quality Education in Madarsas (SPQEM) had been launched in the Eleventh Five-Year Plan. It contains attractive provisions for better teachers' salary, increased assistance for books, teaching aids and computers and introduction of vocational subjects, etc. During 2013-14, an amount of ₹ 182.73 crore has been released under this scheme for assisting 14,859 Madarasas and 35,376 teachers. The other scheme, which provides financial assistance for Infrastructure Development of Private aided/ unaided Minority Institutes (IDMI), has also been launched in the Eleventh Five-Year Plan. During 2013-14, an amount of ₹ 24.99 crore has been released under IDMI for assisting 229 institutes.

g) For subsequent access to higher education, the Certificates issued by the State Madarsa Boards, whose Certificates and qualifications have been granted equivalence by the

corresponding State Boards, would be considered equivalent by the Central Board of Secondary Education (CBSE), Council of Board of School Education in India (COBSE) or/ and by any other school examination board. From 2005 to 31.07.2013, the National Commission for Minority Educational Institutions (NCMEI) has issued 8,419 Certificates granting minority educational institutions.

h) Academies for professional development of Urdu medium teachers have been set up at three Central Universities namely, Aligarh Muslim University, Jamia Milia Islamia University, New Delhi and Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. 5,092 Urdu teachers have been trained and an amount of ₹ 4 crore has been sanctioned for each of the universities by the UGC during the 11th Five Year Plan.

i) Under the revised scheme, financial assistance is given for appointment of Urdu teachers in a Government school in any locality where more than 25% of the population is from Urdu speaking community. The financial assistance would be based on the prevailing salary structure of Urdu teachers employed with schools of the State Government. Honorarium is also admissible to part-time Urdu teachers. During 2012-13, an amount of ₹ 1.3 crore was released to the Government of Punjab for the salary of 42 Urdu Teachers. The scheme has been further revised as per which the Government of India would provide financial assistance for appointment of Urdu teachers, where 15 or more students in a class opt for it.

j) The States/ UTs have been advised to undertake community based mobilization campaigns in areas having a substantial population of Muslims. Saakshar Bharat is being implemented in 372 districts out of 410 eligible districts where adult female literacy is 50% or below as per 2001 Census. Out of 88 districts with substantial Muslim population, 61 districts have been covered under Saakshar Bharat.

k) Jan Shikshan Sansthans (JSSs) are envisaged in the revised schemes. At present, JSSs are imparting vocational training in 33 out of the 88 districts with substantial muslim population in the country. The coverage of minorities under JSSs programme was to the extent of 12.31% as on 31.10.2013. During 2013-14, out of 1,16,911 enrollment, 14,065 belong to minorities.

l) The mid-day meal scheme has been extended to all areas in the country from the year 2008-09 and also covers upper primary schools. Blocks with a concentration of Muslim population are being covered under this scheme. Independent evaluation of the Scheme has affirmed a positive educational, nutritional and social impact of the Scheme.

m) All State Governments/ UT administrations have been advised for using existing school buildings and community buildings as study centres for school children.

n) National Council of Educational Research and Training (NCERT) has prepared text books for all classes in the light of the National Curriculum Framework-2005 (NCF). Twenty one

States have revised their curriculum as per the NCF 2005 while one State are in the process of doing so. Ten States/ UTs are following NCERT syllabus while 3 UTs have adopted textbooks of neighboring States or NCERT textbooks.

o) Thirty five universities have started centers for studying social exclusion and inclusive policy for minorities and scheduled castes and scheduled tribes. UGC has established 2328 Equal Opportunity Cells for Minorities SC/ ST/ OBCs in 23 Central Universities, 114 State Universities, 12 Deemed Universities and 2179 Colleges and ₹ 46.07 crore released during the 11th Five Year Plan.

3.3 Ministry of Minority Affairs:

(a) An expert group constituted to study and recommends the structure and functions of an Equal Opportunity Commission (EOC), submitted its report on 13th March, 2008, the concept of diversity index has been subsumed in the EOC. The draft Bill for EOC was formulated in consultation with the Ministry of Law & Justice and the draft bill has been approved by the Cabinet in its meeting held on 20.02.2014. Further action for introduction of the Bill in Parliament is underway.

(b) The Waqf (Amendment) Bill, 2010 as passed by the Lok Sabha was referred to Select Committee of the Rajya Sabha on 31st August, 2010. The Report of the Select Committee of the Rajya Sabha on the Waqf (Amendment) Bill, 2010 was placed on the Table of the Rajya Sabha on 16th December, 2011. Waqf (Amendment) Bill has been passed by both the Houses of Parliament and the Waqf Amendment Act 2013 has come into force, w.e.f. 1st November, 2013.

(c) The Government has incorporated National Waqf Development Corporation (NAWADCO) with an authorized capital of ₹ 500 crore. The contribution of NMDFC in the authrised share capital will be 49%, CWC 9% and 42% by individual waqf institutions and the public.

(d) The Government has accorded 'in-principle' approval for restructuring of National Minorities Development and Finance Corporation (NMDFC). A consultancy firm which was appointed to study and work out the details for restructuring of NMDFC submitted its Reports which were examined in the Ministry. A Committee comprising Secretary (Minority Affairs) and Officers of RBI, NABARD finalized the proposal for restructuring of NMDFC. Based on the recommendation of this Committee, the proposal to restructure NMDFC is under consideration.

(e) An inter-ministerial Task Force constituted to devise an appropriate strategy and action plan for developing 338 identified towns having substantial minority population, has submitted its report on 8th November, 2007. The concerned Ministries/ Departments have been advised to give priority to these 338 towns in the implementation of their schemes. The

following were the broad recommendations of the Inter-ministerial Task Force:

(1) The identified deficiencies in educational and health infrastructure are to be attended on priority by Deptt. of School Education & Literacy, Deptt. of Higher Education, Min. of Women & Child Development, Min. of Labour & Employment and Min. of Health & Family Welfare.

(2) The identified deficiencies in basic civic amenities are to be attended on priority by Min. of Urban Development and M/o of Housing & Urban Poverty Alleviation.

(3) Percentage of priority sector lending to minorities to be stepped up to 15% by 2010 by the Deptt. of Financial Services. Ministries/Departments were advised suitably.

(f) Three scholarship schemes for minority communities namely, Pre-matric scholarship from class-I to X, Post-matric scholarship from class XI to PhD and Merit-cum-means based scholarship for technical and professional courses at under-graduate and post-graduate levels have been launched. Under these schemes, during 2013-14 funds of ₹ 1339.55 crore have been released for awarding 87.85 lakh scholarships. Further, a fellowship scheme called Maulana Azad National Fellowship scheme for M.Phil and Ph.D. scholars has been under implementation. 756 fresh fellowships plus 3,020 renewals of previous cases have been released for ₹ 50 crore in 2013-14, through University Grants Commission.

(g) Under the schemes of MAEF, during 2013-2014, 120 NGOs have been given grants-in-aid of ₹ 15.04 crores for infrastructure development of educational institutions and 35159 scholarships were awarded with the expenditure of ₹ 42.19 crores to meritorious girls in classes-XI and XII.

(h) A revised Coaching and Allied scheme was launched in 2006-07. Against the target of 6000 candidates for 2013-14, financial assistance has been given to 9997 students/ candidates belonging to minority communities incurring an expenditure of ₹ 23.66 crores.

(i) Multi-sectoral Development Programme (MsDP) was launched in 90 identified minority concentration districts in 2008-09. Plans of 90 minority concentration districts with Central share of ₹ 3,734 crore was approved and ₹ 2,935.30 crore released to State Governments and Union Territory Administrations during the Eleventh Plan. During 2012-13, approvals have been given to the district plans for ₹ 1109.74 crore and ₹ 646.42 crore was released to the States/ UTs for 90 MCDs.

The Government has approved the restructuring of Multi-sectoral Development Programme for implementation during 12th Plan. The unit of planning has been changed from districts to blocks/ towns/ cluster of villages. 710 blocks and 66 towns have been identified for implementation during the 12th Five Year Plan. During 2013-14, projects of ₹ 1466.98 crore were approved and an amount of ₹ 958.23 crore has been released as on 31.03.2014.

3.4 Ministry of Statistics and Programme Implementation:

A National Data Bank, to compile data on the various socio-economic and basic amenities parameters for socio-religious communities, has been set up in the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI). 97 tables on population (Census 2001 and Census 2011) have been uploaded on the website of the MoSPI.

3.5 Planning Commission:

(a) An autonomous Assessment & Monitoring Authority (AMA), to analyze data collected for taking appropriate and corrective policy decisions, was set up in the Planning Commission. Since the term of the AMA ended on 15th January, 2011, the Planning Commission has reconstituted the AMA and the newly reconstituted AMA formed three Working Groups. All the three Working Groups have submitted their report. Meanwhile the term of the AMA has been extended up to 30.06.2014.

(b) A three-tier institutional structure for skill development was functioning till May, 2013 at the Central level involving the Prime Minister's National Council on Skill Development (PMNCSD), National Skill Development Co-Ordination Board (NSDCB) under the Planning Commission and the National Skill Development Corporation (NSDC). However, as per a decision of the Union Cabinet the PMNCSD, NSDCB and O/o Adviser to PM on Skill Development has been subsumed in the National Skill Development Agency (NSDA). The NSDA is an autonomous body under the M/o Finance and has been set up inter alia, to coordinate and harmonize the Skill Development efforts of the Government and the Private Sector to achieve the skilling targets of the 12th Plan and beyond and endeavor to bridge the Social, Regional, Gender and Economic Divide.

3.6 Department of Personnel and Training:

(a) Department of Personnel & Training has developed training modules for sensitization of government officials for the welfare of minorities. These modules have been sent to the Central/ State Training Institutes for training.

(b) State Governments and Union Territory Administrations have been advised by Department of Personnel & Training for posting of Muslim police personnel in Thanas and Muslim health personnel and teachers in Muslim concentration areas.

DoPT has issued instructions to Ministries of HRD, Home Affairs and Health & Family Welfare for issuing necessary guidelines regarding posting of Muslim police personnel in Thanas and Muslim health personnel and teachers in Muslim concentration areas. In response, suitable circulars have been issued by MHA, Ministry of Health and Ministry of Family Welfare and M/o HRD in this regard.

Department of Personnel and Training has reported that during 2012-13, various Ministries/ Departments, 124 Central Public Sector enterprises (CPSEs), Public Sector Banks, Financial institutions, etc. have recruited 22,839 minority candidates, which works out to 6.91% of the total recruitments made.

3.7 Ministry of Home Affairs:

(a) A High Level Committee, set up to review the Delimitation Act, has considered the concerns expressed in the Sachar Committee report regarding anomalies with respect to reserved constituencies under the delimitation schemes and submitted its Report.

The Delimitation Act as suggested by the High level Committee was considered by a Group of Ministers and the same was placed before the Cabinet. On the basis of the decision of the Cabinet, the Delimitation (Amendment) Ordinance 2008 was promulgated which was later replaced by the Delimitation Act, 2008.

(b) A Working Group in the National Advisory Council (NAC) drafted a Bill titled "Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice & Reparations) Bill, 2011". The NAC sent the Bill to Ministry of Home Affairs on 25.07.2011. The same was examined and subsequently a new Bill titled "The Prevention of Communal Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2013" was prepared, which was approved by the Cabinet on 16.12.2013. Notice was given in the Rajya Sabha on 20.01.2014 for introduction of the Bill titled "The Prevention of Communal Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2014" in the winter session of Parliament. However, the House, after discussion in the Rajya Sabha on 05.02.2014, deferred its introduction. The Bill titled "The Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Bill, 2005" which was pending in the Rajya Sabha has been withdrawn on 05.02.2014.

3.8 Ministry of Urban Development and Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation:

(i) For facilitating the flow of funds under the Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM), Urban Infrastructure & Governance (UIG), Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT), Integrated Housing & Slum

Development Programme (IHSDP) and Basic Services for Urban Poor (BSUP) to towns and cities, having a substantial concentration of minority population, necessary steps have been taken to ensure that Detailed Project Reports (DPRs) for such towns and cities include adequate provisions for minorities.

(a) Under UIG, ₹ 9,476.71 crore has been sanctioned for 77 cities having substantial minority population.

(b) Under UIDSSMT, ₹ 2,725.24 crore has been sanctioned for 110 towns having substantial minority population.

(c) Under IHSDP, projects costing ₹ 2237.06 crore are for 103 towns having substantial minority population have been sanctioned.

(d) Under BSUP, ₹ 6813.03 crore has been sanctioned for 17 towns.

(ii) Governments of Andhra Pradesh, Bihar, Maharashtra, Jharkhand Uttar Pradesh, Karnataka, Punjab, Chhatisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Lakshadweep, Chandigarh, Puducherry and Kerala have given exemption to Waqf Board properties from Rent Control Act, while Arunachal Pradesh, Daman & Diu and Nagaland have informed that no Waqf property exists in these States.

3.9 Ministry of Labour and Employment:

An Act has been passed by the Parliament for providing social security to workers in the un-organized sector, which, inter- alia, includes home based workers.

3.10 Ministry of Culture:

Meetings of circles of Archeological Survey of India have been held with State Waqf Boards to review the list of waqf properties which are under the Archeological Survey of India. The list of Waqf properties which are centrally protected has been prepared by Archeological Survey of India (ASI) and circulated to the concerned authorities with the direction to hold meetings with respective State Waqf Boards. The Ministry of Culture is holding regular meeting viz., Central Waqf Council to review the list of Waqfs under the ASI. The last such meeting was held in 07.01.2013.

3.11 Ministry of Health and Family Welfare:

Dissemination of information regarding health and family welfare schemes is being undertaken in regional languages in minority concentration areas.

3.12 Ministry of Panchayati Raj & Ministry of Urban Development

Ministry of Urban Development have informed that the following States/ UTs have taken action for improving the representation of minorities in local bodies- Andhra Pradesh, Chandigarh, Daman & Diu, Haryana, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Orissa, Tamil Nadu, West Bengal and Lakshadweep. Andaman Nicobar Islands Administration informed that no community has been declared as minority community in Islands either on religious or linguistic grounds. However, the present council consists of member belonging to minority communities who has been elected in normal course of municipal election. Arunachal Pradesh has not constituted Urban Local Bodies (ULB) so far. The Government of Chhattisgarh is considering the matter. There is no representation of minorities in ULB in Goa.In Himachal Pradesh there is no provision in HP municipal Acts for representation of minorities in ULB.

M/o Panchyati Raj has issued requisite advisory letter to all the State Governments for improving representation of minorities in local bodies on the lines of the initiative taken by the Andhra Pradesh government.

3.13 Ministry of Information & Broadcasting:

The Ministry of Information & Broadcasting has been regularly releasing features of various themes associated with minority welfare covering issues such as scholarship schemes and initiatives taken in pursuance of the Sachar Committee Report.

SCHEME OF MULTI-SECTORAL DEVELOPMENT PROGRAMME (MSDP)

A. An Overview:

4.1 The Multi-sectoral Development Programme (MsDP) was conceived as an area development programme as a follow up action on the Sachar Committee recommendations. It is a Centrally Sponsored Scheme (CSS) launched in the year 2008-09 in the Minority Concentrations Districts (MCDs). It is an area development initiative to address the development deficits in minority concentration areas by creating socio-economic infrastructure and providing basic amenities.

4.2. Identification of Minority Concentration Districts (MCDs) during 11th Plan: Religion-specific socio-economic indicators at the district level:

(i) literacy rate;

(ii) female literacy rate;

(iii) work participation rate; and

(iv) female work participation rate; and

Basic amenities indicators at the district level –

(i) percentage of households with pucca walls;

(ii) percentage of household with safe drinking water;

(iii) percentage of household with electricity; and

(iv) percentage of households with water closet latrines.

4.3 Minorities: Communities notified as minority communities under Section 2 (c) of the National Commission for Minorities Act, 1992 are being treated as minorities for purpose of MsDP.

B. Restructuring of MsDP in 12th Five Year Plan:

4.4 The Government has approved the restructuring of Multi-sectoral Development Programme for its implementation in 12th Five Year Plan. The Programme has been restructured to make it more effective & more focused on the targeted minorities. In the restructured MsDP the unit area of planning has been changed to blocks/ towns instead of district for sharper focus on the minority concentration areas. The programme has now identified 710 Bocks & 66 towns for implementation during 12th Plan. Further, clusters of contiguous minority concentration villages would also be identified, for implementation of MsDP during 12th Plan.

4.5 Identification of Minority Concentration Blocks/Towns (MCBs/MCTs) and Cluster of Villages:

(i) Minority Concentration Blocks (MCBs): Blocks with a minimum of 25% minority population falling in the backward districts selected on the basis of backwardness parameters adopted during 11th Five Year Plan, has been be identified as the backward Minority Concentration Blocks (MCBs). In case of 6 States, where a minority community is in majority, a lower cut-off of 15% of minority population, other than that of the minority community in majority in that State/ UT, has been adopted. In selected blocks, the villages having higher minority population would be given priority for creation of the village level infrastructures/ assets. A total of 710 such minority concentration blocks falling in 155 backward districts have been identified on the basis of data from Census 2001. However, this would be subject to availability of data of 2011 census and those areas which consequently become eligible even after implementation of the restructured programme will be covered.

(ii) Minority Concentration Towns (MCTs): Towns/ cities with a minimum of 25% minority population (in case of 6 States/ UTs, 15% of minority population, other than that of the minority community in majority in that State/ UT) having both socio-economic and basic amenities parameters below national average, has been identified as Minority Concentration Towns/ Cities for the implementation of the programme. A total of 66 minority concentration towns of 53 districts falling outside the MCDs, have been identified for the implementation of the programme. These towns/ cities were also identified as more backward towns by a Task Force on Implications of the Geographical Distribution of Minorities in India (headed by Prof. Bhalchandra Mungekar). This programme intents to intervene only for the promotion of education, including skill and vocational education for empowering the minority in town/ cities.

(iii) Cluster of minority concentration villages falling outside the identified minority concentration blocks: Within the blocks of backward districts not selected as MCBs, cluster of contiguous minority concentration villages (having at least 50% minority population) would be identified. In case of hilly areas of North Eastern States, such villages having minority's population of 25% may be identified. Cluster of about 500 villages which are falling outside the minority concentration blocks are to be selected.

C. Monitoring Mechanism:

4.6 The District and State Level Committees for 15 Point Programme is responsible for monitoring the implementation of this programme at the district and State level respectively. At the Centre, the Empowered Committee also serves as the Oversight Committee to monitor the programme. The progress under this programme is also reviewed by the Committee of Secretaries (COS) along with the review of 15 Point Programme once in six months and then reported to the Cabinet along with the PM's New 15 Point Programme. The progress is also monitored by the PMO on a Quarterly basis.

4.7 The Ministry of Minority Affairs also reviews the progress of this programme through regular conferences of the Secretaries of States/ UTs. The Ministry also conducts regional conferences with the district officials and State level officials to review the progress under the programme. Apart from this, video conferences are held with the district and State officials as a measure of constant follow up the implementing officials. Further, communications have been sent from Minister, (MA) and Secretary, MA to the Chief Ministers and Chief Secretaries to sensitise them on the important issues pending with their States.

D. Status of Implementation of MsDP:

I. During 11th Plan:-

(a) Financial progress: Out of the total allocation of ₹ 3780 crore for this programme during 11th Five Year Plan, approval to plans/ projects with central share of ₹ 3733.90 crore (99% of allocation) have been given and ₹ 2935.93 crore have been released to the States/ UTs. As per reports received, the State Governments have utilized ₹ 2301.90 (78.40%) crore for different projects out of the total fund released to them.

(b) Physical Progress:

S.No.	Name of the Projects	Unit Sanctioned	Unit Completed	Work in Progress
1	IAY	301221	212801	39672
2	Health centres	2537	1786	367
3	Aganwadi centres	27595	18388	5082
4	Drinking water supply	35775	21881	2766
5	Additional class rooms	13508	7916	2721
6	School building	660	356	258
7	Industrial training institute	72	3	31
8	Polytechnic institute	31	0	22
9	Solar Lantern/ Solar Light	30314	13488	3941
10	Hostels	334	69	168

II. During 12th Plan:-

(a) Financial progress: Out of the total allocation of ₹ 5775 crore for this programme during 12th Five Year Plan, approval to plans/ projects with central share of ₹ 2576.72 crore have been given and ₹ 1599.50 crore have been released to the States/ UTs till 31.03.2014.

(b) **Physical Progress:** The total number of projects taken up under MsDP during 12th Five Year Plan include IAY houses-34522, Health centres-1108, Aganwadi centres-6938, Hand Pumps-16358, Drinking Water Facility-5023, Additional class rooms-7248, School building-432, Industrial training institute-45, Polytechnic institute-13, Hostels-311, Free Bicycle-1700 and Skill Training - 28386.

CHAPTER - 5

PRE-MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME

5.1 The Pre-matric scholarship scheme for students belonging to the Minority Communities was approved on 30th January, 2008. This Scheme was launched on 1st April, 2008 as a Centrally Sponsored Scheme (CSS) on a 75:25 fund sharing ratio between the Centre and States Union Territories are provided 100% assistance under the Scheme. It is implemented through the State Governments/ Union Territory Administrations. Students with not less than 50% marks in the previous final examination, whose parents'/ guardians' annual income does not exceed Rs. 1.00 lakh, are eligible for award of the Pre-matric scholarship under the Scheme.

5.2 An outlay of ₹ 5000.00 Crore has been provided in the XII Five Year Plan to award 414.50 Lakh scholarships and renewals during the plan period (2012-17). 30% of scholarships have been earmarked for girl students. An amount of ₹ 963.70 crore was released and 77.94 lakh scholarships were awarded during the year 2013-14 upto 31.03.2014. Of this 54.92% scholarships catered to girl students.

5.3 It has been a constant endeavour of the Ministry to improve transparency in implementing the Scholarship Scheme. For this purpose, Frequently Asked Questions (FAQs) pertaining to the Scholarship Scheme have been uploaded on the website of the Ministry indicating the Scheme. Similarly, the lists of scholarships awarded in States/ UTs are being uploaded on their websites. Hyperlinks have been provided to the websites of the States/ Union Territories on the Ministry's website i.e. www.minorityaffairs.gov.in . The information on the Ministry's websites is regularly updated. To assist students, a helpline has been established which remains functional during office hours.

5.4 The state-wise, community-wise achievement both physical and financial may be seen at **Annexure-IV.**

CHAPTER - 6

POST-MATRIC SCHOLARSHIP SCHEME

6.1 The scheme of Post-matric scholarship for students belonging to the minority communities was launched in November, 2007 as a Centrally Sponsored Scheme (CSS) with 100% central funding and is implemented through the State Government/ Union Territory Administrations. Scholarship is awarded for studies in India in a government higher secondary school/ college including residential government higher secondary school/ college and eligible private institutes selected and notified in a transparent manner by the State Government/ Union Territory Administration concerned. Students with not less than 50% marks in the previous year's final examination, whose parents'/ guardians' annual income does not exceed ₹ 2.00 lakh are eligible for award of scholarship. 30% of scholarships have been earmarked for girl students. In case sufficient numbers of girl students are not available, then eligible boy students are to be given these scholarships.

6.2 An outlay of ₹ 2850.00 crore has been provided in the 12th Five Year Plan to award 25 lakh Fresh scholarships and Renewals during the plan period (2012-17). An amount of ₹ 515.56 crore has been released to award 8.91 lakh scholarships during the year 2013-14 (upto 31.03.2014). Of this 54.92% catered to girl students.

6.3 The state-wise, community-wise achievement both physical and financial is at **Annexure-V.**

MERIT-CUM-MEANS BASED SCHOLARSHIP SCHEME

7.1 The Merit-cum Means Scholarship Scheme is a Centrally Sponsored Scheme launched in 2007. It is being implemented through State Governments/ Union Territory Administrations. The entire expenditure is being borne by the Central Government. Scholarships are available for pursuing professional and technical courses, at under-graduate and post-graduate levels, in institutions recognized by appropriate authority. Under the scheme 60,000 scholarships are proposed to be awarded every year in addition to the renewals.

7.2 30% of these scholarships are earmarked for girl students, which may be utilized by eligible boy students, if an adequate numbers of eligible girl students are not available.

7.3 85 institutes for professional and technical courses have been listed in the scheme. Eligible students from the minority communities admitted to these institutions are reimbursed full course fee. A course fee of ₹ 20,000/- per annum is reimbursed to students studying in other institutions.

7.4 To be eligible, a student should have secured admission in any technical or professional institution, recognized by an appropriate authority. In case of students admitted without a competitive examination, students should have secured not less than 50% marks. The annual income of the family from all sources should not exceed ₹ 2.50 lakh.

Achievement:

7.5 The financial and physical achievement since the inception of the Scheme and 31st March, 2014 are as under:

Year	Target	No. of Scholarships actually sanctioned				Amount (₹ in crore)
		Fresh	Renewal	Total	Scholarship released to female students (%)	
2007-08 (launched)	20000	17258	0	17258	5009 (29.02%)	40.90
2008-09	35000	17099	9096	26195	8660 (33.06%)	64.73
2009-10	42000	19285	16697	35982	11684 (32.47%)	97.51
2010-11	55000	19518	21538	41056	14077 (34.29%)	108.75
2011-12	55000	19505	22929	42476	15640 (36.82%)	115.72
2012-13	60000	49842	18254	68096	23991 (35.23%)	181.21
2013-14*	60000	69377	31051	100428	39329 (39.16%)	**259.84**
Total	**327000**	**211884**	**119565**	**331491**		**868.66**

** Figures as on 31st March 2014. Detailed State-wise/ community-wise achievement is at **Annexure- VI.***

CHAPTER - 8

MAULANA AZAD NATIONAL FELLOWSHIP

8.1 The Maulana Azad National Fellowship (MANF) for Minority Students was approved on 1st August, 2009. This scheme was launched on 11th April, 2009 as a Central Sector Scheme (CSS). Scheme is implemented through University Grants Commission (UGC). 100% Central Assistance is provided under the Scheme. The objective of the Maulana Azad National Fellowship is to provide five year fellowships in the form of financial assistance to students from notified minority communities, as notified by the Central Government to pursue higher studies such as M.Phil and Ph.D. The Fellowship covers all Universities/Institutions recognized by the University Grants Commission (UGC). The Fellowship under the Maulana Azad National Fellowship for Minority students is on the pattern of University Grants Commission (UGC) Fellowship awarded to research students pursuing regular and full time M.Phil and Ph.D. courses In order to qualify for the award of JRF/ SRF the UGC norms would be applicable at pre-M.Phil and pre-Ph.D stage, respectively, including the minimum score of 50% at post graduate level. The income ceiling of the parents/ guardian of the candidate for Maulana Azad National Fellowship for Minority students will be ₹ 2.5 lakh per annum.

8.2 An outlay of ₹ 430 Crores has been provided in the XII Five Year Plan to award 3780 fresh fellowships and renewals during the plan period (2012-17). 30% of fellowships have been earmarked for girl students. An amount of ₹ 66.00 Crore was released during 2012-13 and 754 fresh fellowships were awarded. During 2013-14, ₹ 50.00 Crore was released for awarding 756 fresh fellowships to the minority candidates along with renewals.

8.3 It has been a constant endeavor of the Ministry to improve transparency in fellowships schemes. For this purpose, Frequently Asked Questions (FAQs) and help to fill online application pertaining to fellowship scheme has been uploaded on the website of the UGC. Similarly, the list of fellowships awarded by UGC is being uploaded on its website i.e. www.ugc.ac.in.

CHAPTER - 9

NAYA SAVERA - FREE COACHING AND ALLIED SCHEME

9.1 The "Free Coaching and Allied Scheme for the candidates belonging to minority communities" was launched by this Ministry w.e.f. 17.7.2007. It was modified w.e.f. 16.10.2008 for a wider coverage and further new component was added.

9.2 The objective of the scheme is to enhance skills and knowledge of students and candidates from minority communities to get employment in Government Sector/ Public Sector Undertaking, jobs in private sector, and admission in reputed institutions in technical and professional courses at under-graduate and post-graduate levels.

9.3 Under the Scheme, financial assistance is provided to coaching institute in Government and private sector for imparting free coaching to candidates belonging to minority communities.

9.4 To avail benefits under this scheme candidates/ students should belonging to minority communities. The annual income of parents/ guardians from all sources should not exceed ₹ 3.00 lakh. Candidates/ students should have the requisite educational qualifications for coaching training course they want to persue.

New Component

9.5 A new component under Free Coaching & Allied Scheme has been added from 2013-14 for focused preparation of Minority Students at classes 11 & 12 with Science (Physics, Chemistry, Biology and/ or Mathematics. The Scheme has been launched on pilot basis for about 900 students @ 100 or more students per Centre in 10 States/ UTs, viz Uttar Pradesh, Bihar, Assam, West Bengal, Maharashtra, Karnataka, Tamilnadu, Kerala & Andhra Pradesh and Delhi. More States/ UTs may be covered in later years as per scheme guidelines and availability of funds. This component of the scheme is implemented through Schools/ Colleges/ Institutes having the facility of Hostel accommodation separately for Boys and Girls and running regular classes of XIth and XIIth with Science and affiliated with the CBSE/ ICSE or State Education Boards.

9.6 An outlay of ₹ 63 crore was provided in the Eleventh Five Year Plan (2007-12) with a target to cover 24760 students/ candidates under the scheme. Against this, the achievement during the Eleventh Plan was 54.60 crore for 27876 students/ candidates. During 2012-13, an amount of ₹ 13.99 crore was released to 83 Coaching Institutes for imparting coaching to 6716 candidates. In financial Year 2013-14, an amount of ₹ 23.66 crore was released to 116 Coaching Institutes for imparting coaching to 9997 candidates. This includes the release of Grants in Aid to two Institutes for imparting focused preparation of Class XI & XII with Science subjects for 400 students.

9.7 All information pertaining to this Scheme is available on the website of this Ministry at www.minorityaffairs.gov.in.

9.8 The Table given below indicates types of coaching and financial assistance provided under the Scheme.

Sl No.	**Type of Coaching/ Training / remedial Coaching**	**Coaching/ Training / remedial Coaching fee**	**Amount of Stipend per month**
1.	Group 'A' Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of ₹ 20,000/ -	₹ 3000/ - for outstation candidates. ₹ 1500/ - for local candidates
2.	Group 'B' & 'C' Services	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of ₹15,000/ -	-Do-
3.	Entrance examination for technical/ professional courses	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of ₹ 20,000/ -	-Do-
4.	Coaching/ Training for jobs in Private Sectors	As fixed by the institute, subject to a maximum ceiling of ₹ 20,000/ -	-Do-
5.	Focused Preparation for Class XI and XII with science New Component	Subject to maximum ceiling of ₹ 1 Lakh per candidates per annum	Not applicable

CHAPTER - 10

NAI UDAAN

SUPPORT FOR MINORITY STUDENTS CLEARING PRELIMS CONDUCTED BY UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, STAFF SELECTION COMMISSION, STATE PUBLIC SERVICE COMMISSIONS ETC.

10.1 The objective of the Scheme is to provide financial support to the minority candidates clearing prelims conducted by Union Public Service Commission, Staff Selection Commission and State Public Service Commissions to adequately equip them to compete for appointment to Civil Services in the Union and the State Governments and to increase the representation of the minority in the Civil Services by giving direct financial support to candidates clearing Preliminary Examination of Group A and B (Gazetted and non-Gazetted posts of Union Public Service Commission (UPSC); State Public Service Commissions (SPSCs) and Staff Selection Commission (SSC) etc.

10.2 Total family income of the candidates from all sources should not exceed ₹ 4.5 lakh per annum. The financial support can be availed by a candidate only once. The candidate will not be eligible to benefit from any other similar Scheme of the Central or State Governments/ UT Administrations.

10.3 Every year up to a maximum of 800 candidates will be given financial support under the scheme throughout the country on fulfilling the eligibility criteria. Selection of the candidates will be based on merit in case of receipt of more number of applications against the earmarked number of slots for any particular community. The rate of financial assistance will be maximum Rs. Fifty thousand only(₹ 50,000/- for Gazetted Post; and ₹ 25,000/- for Non- Gazetted Post) as support to the minority candidates who have cleared the Prelims conducted by Union Public Service Commissions; Staff Selection Commissions or State Public Service Commissions etc for Group 'A' and 'B' Civil Services.

10.4 During the year 2013-14, approx 1,94.75 lakh was released for providing financial assistance to 483 candidates who cleared Prelims conducted by UPSC/ SSC and States Public Service Commission. The Budget allocation for 2014-15 is ₹ 4.00 Crore. The physical target for 2014-15 is 800 Candidates.

CHAPTER - 11

PADHO PARDESH

SCHEME OF INTEREST SUBSIDY ON EDUCATIONAL LOANS FOR OVERSEAS STUDIES FOR THE STUDENTS BELONGING TO THE MINORITY COMMUNITIE

11.1 The objective of the Scheme is to award interest subsidy to meritorious students belonging to economically weaker sections of notified minority communities so as to provide them better opportunities for higher education abroad and enhance their employability. The interest subsidy under the scheme shall be available to the eligible students only once, either for Masters or Ph.D levels. The student should have secured admission in the approved courses at Masters, M.Phil or Ph.D levels abroad for the courses. Total income from all sources of the employed candidate or his/ her parents/ guardians in case of unemployed candidate shall not exceed ₹ 6.00 lakh per annum. One beneficiary from a family and one time award. 30% of the benefit under the scheme will be reserved for female candidates.

11.2 Interest payable by the students availing of the education loans of the IBA for the period of moratorium (i.e. course period, plus one year or six months after getting job, whichever is earlier) as prescribed under the Education Loan Scheme of the IBA, shall be borne by the Government of India. After the period of mporatorium is over, the interest on the outstanding loan amount shall be paid by the student, in accordance with the existing Educational Loan Scheme as may be amended from time to time. The Candidate will bear the Principal installments and interest beyond moratorium period.

11.3 The Budget allocation for 2014-15 is ₹ 4.00 Crore. The physical target for 2014-15 is 100.00 Candidates. Students from Jain community will also be eligible for this Scheme from 2014-15.

SCHEME FOR LEADERSHIP DEVELOPMENT OF MINORITY WOMEN

12.1 The Ministry has started implementation of a new scheme "NaiRoshni" for Leadership Development of Minority Women from 2012-13 with the objective to empower and instill confidence among minority women including their neighbours from other communities living in the same village/ locality, by providing knowledge, tools and techniques for interacting with Government systems, Banks and other institutions at all levels.

12.2 The leadership training modules invariably cover issues and rights of women, relating to education, employment, livelihood etc. under the Constitution and various Acts; opportunities, facilities and services available under schemes and programmes of the Central Government and State Government in the fields of education, health, hygiene, nutrition, immunization, family planning, disease control, fair price shop, drinking water supply, electricity supply, sanitation, housing, self-employment, wage employment, skill training opportunities, crimes against women etc.

12.3 The scheme is implemented through Non-Governmental Organizations.

12.4 During 2012-13, Ministry has supported training of 36950 women in 12 States with an amount of ₹10.45 Crore.

12.5 During 2013-14, Ministry aims to train 40,000 women with an amount of ₹ 15.00 Crore. Till 31-03-2014, ₹ 11.96 Crore has been sanctioned for training of 60, 875 women in 24 States **(Annexure-VII).**

The details of Budget Estimates (B.E.), Revised Estimates (R.E.) and funds released so far during 2013-14 are as follows:

(₹ in crore)

Financial Year	B.E.	R.E.	Expenditure (as on 31.03.2014)
2013-14	15.00	12.80	11.96

12.6 The scheme has been received by the minority communities with great enthusiasm and there is huge demand of it from all States/ Union Territories.

CHAPTER - 13

RESEARCH / STUDIES, MONITORING AND EVALUATION OF DEVELOPMENT SCHEMES INCLUDING PUBLICITY

13.1 Ministry of Minority Affairs under the Central Sector Scheme 'Scheme of Research/ Studies, Monitoring and Evaluation of Development Schemes including Publicity' provides professional charges to those institutions/ organizations which have expertise and are willing to undertake purposeful studies on the problems, issues and requirement of notified minorities including baseline survey/ surveys and also carrying out concurrent monitoring on the implementation of various schemes undertaken for minorities.Financial support is also extended to organization(s) for holding Workshop/ Seminar/ Conference provided the theme of workshop/ seminar/ conference has direct relevance to the mandate of the Ministry. The scheme also covers Information, Education and Communication (IEC) component including multi-media campaign by using print media, electronic media, outdoor publicity, etc. for dissemination of information to generate awareness relating to programmes, schemes and initiatives undertaken for notified minorities.

13.2 During 2013-14, 141 workshops/ seminars on awareness issues have been funded in various States **(Annexure-VIII).**

13.3 Following studies which were commissioned during 2012-13 have been completed:

a) Evaluation & Impact assessment of Pre-matric, Post-matric and Merit-cum-Means Scholarships through Research and Development Initiative (RDI), New Delhi.

b) Evaluation & Impact assessment of Maulana Azad National Fellowship through Central University of Hyderabad.

13.4 Multi-media campaign is the regular feature of the Ministry throughout the year. During 2013-14, 28 print advertisements have been released through DAVP. Details of languages of print advertisements released during 2013-14 are as follows:

Languages	2013 -14 (till 31 -03-2014)
Hindi	2063
English	765
Urdu	1861
Vernaculars	1227
Total	**5916**

13.5 During 2013-14, five Radio jingles/ spots of 40/ 35 seconds duration on the themes viz. PM's New 15 Point Programme (Overarching Theme), Pre-matric scholarship, Post-matric Scholarship, Merit-cum-means Scholarship and Free Coaching and Allied scheme for candidates belonging to minority communities, were broadcast on All India Radio (AIR) network in Hindi and nine vernacular languages viz. Assamese, Bengali, Punjabi, Marathi, Gujarati, Malayalam, Tamil, Kanada and Telugu. These have also been aired on Private FM Channels across India. The details of broadcast are as follows:

Year	Channels	Duration	No. of Days	Dates
2013-14	37 Vividh Bharti stations, 24 FM Channels, National News and 190 primary and local Radio Channels	35/40 seconds	130 days	5th June, 2013 to 12th Oct, 2013

13.6 During 2013-14 (till 31-03-2014), five television commercials (TVCs) on the themes viz. PM's New 15 Point Programme (Overarching Theme), Pre-matric scholarship, Post-matric Scholarship, Merit-cum-means Scholarship and Free Coaching and Allied Scheme for candidates belonging minority communities were telecast on Doordarshan Network including Regional and North East Kendras in Hindi and nine vernacular languages viz. Assamese, Bengali, Malayalam, Tamil, Kanada, Telugu, Punjabi, Marathi and Gujarati. The details are as follows:

Year	Channels	Duration	No. of Days	Dates
2013-14 (till 31-03-2014)	DD-I, DD-News, DD-Bharti, DD-Urdu, DD-Sports, North East Kendras and Regional Kendras	30/40 seconds	180 days	10th July, 2013 to 5th Feb, 2014

13.7 During 2013-14, production of new Audio-spots/ jingles (60 seconds each) and sponsored radio programmes (SRPs) of 15 minutes each on 12 schemes of the Ministry, and production of Video Spots (60 seconds each) on 11 Schemes of the Ministry has been completed by NFDC.

13.8 In the last financial quarter, Media campaign on Private Radio FM channels including AIR FM Channels launched with 12 new Audio Spots/ jingles.

13.9 Media campaign on Private TV channels launched with 11 new TV Commercials in February, 2014.

13.10 During 2013-14, TV Commercials were telecast through digital cinema in 2046 theatres across India including 73 theatres in North East.

13.11 A 16 minutes documentary highlighting Ministry's schemes/ programmes was telecast nationwide on ETV-Urdu and DD-Urdu channels.

13.12 Outdoor Publicity: During 2013-14, Ministry has also publicized its schemes/ programmes through Hoardings at vantage points and Social Messages on Tickets/ Business Passes etc. in India International Trade Fair (IITF) held from 14.11.2013 to 27.11.2013 at Pragati Maidan, New Delhi.

13.13 Ministry along with NMDFC participated in SurajKund International Craft Fair from 1st February to 15th February, 2014. Ministry has publicized the schemes for minorities and NMDFC assisted minority artisans and Self Help Groups from various States/ UTs to showcase and market their products.

13.14 In addition to above, in the **"Bharat Nirman Campaign of Ministry of Information and Broadcasting"**, the programme of this Ministry namely Prime Minister's New 15 Point Programme for minorities has also been publicized.

13.15 The year-wise funds releasedduring 2012-13 and 2013-14 (upto 31.12.2013) of 12thFive Year Plan including projections for Annual Plan 2014-15 are given below:-

(₹ in crore)

Financial Year	Allocation		Expenditure
2013-14	**BE**	**RE**	
Media:	39.50	39.22	39.22
Research:	5.50	3.20	3.20
Sub-total	**45.00**	**42.42**	**42.42**

- The details of funds released during 2013-14 are at **Annexue-IX.**
- Ministry has organized Southern Regional Conference of NGOs for "Awareness of the Schemes and Programmes of the Ministry of Minority Affairs" was held at Bengaluru on 21.12.2013.
- A quarterly tri-lingual (Hindi, English and Urdu) magazine "Minority Today" and a Calendar of 2014 showcasing the Ministry's schemes/ programmes launched.
- A Pilot Project **"Minority Cyber Gram"** for Digital literacy of Minorities in collaboration with Digital Empowerment Foundation launched in PPP Mode at village Chandauli, District Alwar and Rajasthan.
- **"Nalanda Project",** a Faculty Development Program for Minorities' Higher Educational Institutions was launched on 03.03.2014 at India Islamic Cultural centre.

CHAPTER - 14

IMPLEMENTATION OF MINORITIES WELFARE PROGRAMMES/ SCHEMES IN NORTH-EASTERN STATES AND SIKKIM

14.1 The Ministry was allocated an outlay of ₹ 3,511 crore in B.E. 2013-14 for various plan schemes which was reduced to ₹ 3,111 crore in R.E. 2013-14.

The scheme-wise earmarked allocation for North Eastern States and Sikkim is given below:-

Sl. No	Name of Schemes	Amount Earmarked (₹ in Crore)	
		BE 2013-14	RE 2013-14
1	Free Coaching & Allied Schemes for Minorities	2.50	1.41
2	Grant-in-aid to State Channelising Agencies (SCA) engaged for implementation in NMDFC programme	0.20	0.20
3	Research/ studies , monitoring & evaluation of development Schemes, for Minorities including publicity (Professional Services)	0.30	0.30
4	National Fellowship for Students from the Minority Community	9.00	0.01
5	Computerization of records of State Waqf Boards	0.30	0.30
6	Scheme for Leadership Development of Minority Women	1.50	1.50
7	Pre-Matric Scholarships for Minorities	95.00	95.00
8	Post-Matric Scholarships for Minorities	55.00	53.29
9	Multi Sectoral Development Programme for Minorities in selected minority concentration districts	140.00	116.99
10	Merit-cum-Means scholarship for professional and technical courses of undergraduate and post-graduate	27.00	27.00
11	Contribution to the Equity of NMDFC	12.00	3.96
12	Interest subsidy on Educational loans for Overseas Studies	0.20	0.07
13	Skill Development Initiatives	2.00	2.00
14	Support for Students clearing Prelims conducted by UPSC, SSC, State Public Services	0.30	0.30
15	Strengthening of the State Waqf Boards	0.70	0.70
	Total	**346.00**	**303.03**

CHAPTER - 15

SKILL DEVELOPMENT INITIATIVE FOR MINORITIES

15.1 Ministry has launched an ambitious programme on 23rd September, 2013 with the brand name "Seekho aur Kamao (Learn & Earn)", the Skill Development of Minorities. The scheme will upgrade the Skills of the Minority youths in various modern/ traditional vocations depending upon their educational qualification, present economic trends and the market potential, which can earn them a suitable employment or make them suitably skilled to go for Self-employment.

15.2 Under the scheme, Modular Employable Skills (MES) approved by National Council of Vocational Training (NCVT) will be taken up. In addition, traditional skills being practiced by the minority communities will also be taken up for up-gradation and market linkages.

15.3 The scheme will guarantee minimum 75% employment of trained minority youths and out of them 50% will be in organized sector. The Ministry would ensure job letters from project implementing agencies at the end of training. Minimum 30% seats are reserved for minority girls/ women.

15.4 Post placement support to trained minority youths for 1 (one) year is mandatory for project implementing agencies.

15.5 A pilot project for 500 minority youths has already been launched in collaboration with IL&FS Skill Development Corporation at 5 (five) locations namely, Delhi, Kolkata (West Bengal), Bengaluru (Karnataka), Bernala (Punjab) and Shillong (Meghalaya).

15.6 Ministry through NMDFC has signed a MoU with Maruti Suzuki India Limited (MSIL) on imparting "Driver's Training to persons belonging to Minority Communities". A Drivers' training programme for 650 minority youths has been launched with MSIL on 17th November 2013 at Bengaluru.

15.7 Ministry so far has empanelled 33 quality Skill Development training providers in India, who are capable of ensuring the employment.

15.8 During 2013-14, Ministry aims to train 75,000 minority youths with an amount of about Rs. 150 Crore under three verticals namely, MsDP, Seekho aur Kamao scheme and Schemes of NMDFC. During 12th Five Year plan, the Ministry will spend about ₹ 700 Crores for skill training of about 3.50 lakh minority youths with assured employment.

SCHEME FOR CONTAINING POPULATION DECLINE OF PARSIS IN INDIA

16.1 The population of Parsis in India has declined from 1,14,000 in 1941 to 69,001 as per Census 2001. Some of the important causes for the decline in population are late and non-marriages, fertility decline, emigration, out-marriages and separation and divorces.

16.2 There was a demand from the members of Parsi community for Government intervention to arrest the declining trend and the Government of India (GoI) considered it necessary to intervene immediately to arrest the declining trend of Parsi population and reverse it to bring their population above the threshold level.

16.3 Therefore, a new important scheme for containing the population decline of Parsis in India with brand name "Jiyo Parsi" was launched by the Ministry of Minority Affairs on 23rd September, 2013. The objective of the scheme is to reverse the declining trend of Parsi population by adopting a scientific protocol and structured interventions, stabilize their population and increase the population of Parsis in India.

16.4 The scheme is a Central Sector Scheme with 100% funding. The scheme would be implemented through the Parzor Foundation and Bombay Parsi Panchayat in consultation with the local Anjumans and Panchayats of the Parsi community.

16.5 The target groups are the Parsi married couples of child bearing age who seek assistance under the scheme and adults/ young men/ women/ adolescent boys/ girls for detection of diseases resulting in infertility. (For screening of adolescent boys/ girls, written consent of parents/ legal guardians is mandatory).

16.6 The scheme envisages a two pronged approach for the arrest of population decline, i.e., (a) Advocacy and (b) Medical Assistance. Standard medical protocols for each target group will be followed in consultation with Ministry of Health and Family Welfare, GOI. Confidentiality regarding names and identity of the patients would be considered as of utmost importance.

16.7 ₹ 10 Crore have been earmarked for 12th Plan with ₹ 2 Crore for each financial year. During 2013-14 so far, ₹ 0.41 Crore have been sanctioned to Parzor Foundation for advocacy and outreach activities.

CHAPTER - 17

GRANT-IN-AID SCHEME TO STATE CHANNELISING AGENCIES OF NATIONAL MINORITIES DEVELOPMENT & FINANCE CORPORATION

17.1 The National Minorities Development and Finance Corporation implements its schemes through the State Channelising Agencies (SCAs). These agencies are nominated by the respective State Governments. The SCAs identify beneficiaries, channelize the lending and make recoveries from the beneficiaries. However, the most of the State Channelising Agencies have a very weak infrastructure leading to a weak delivery system. Consequently, the performance and the ambit of coverage of NMDFC may not improve unless the infrastructure of these agencies is improved.

17.2 The Ministry launched a scheme of Grants-in-Aid for improving the infrastructure of the SCAs during 2007-08. The Scheme has been revised for the 12th Plan period. Earlier the assistance under the Scheme was on matching basis, the central and the state Govt. contributing in the ratio of 90:10 but as per revised scheme, state share of 10% has been dispensed with and the scheme has been made 100% central sector scheme. The ceiling/limits of expenditure on various components of the scheme have been removed as this was proving to be a major bottleneck in utilization of funds by SCAs. The criterion of assistance which was earlier linked to minority population of the state/UT has been amended and in the modified scheme, grants-in-aid is provided to those SCAs which are performing well. The details of amount allocated and released by the Ministry for this scheme is as under:-

(₹ in crore)

Year	BE	RE	Amount released by this Ministry
2007-08	10.00	10.00	10.00
2008-09	5.00	2.30	0.00
2009-10	2.00	2.00	2.00
2010-11	4.00	4.00	3.83
2011-12	2.00	2.00	1.35
2012-13	2.00	0.60	0.00
2013-14	2.00	2.00	2.00

CHAPTER - 18

COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES

18.1 The Office of the Commissioner for Linguistic Minorities (CLM) was established in July, 1957, in pursuance of the provision of Article 350-B of the Constitution, which came into existence as a result of the Constitution (7 Amendment) Act, 1956 consequent upon the recommendations of the States Reorganization Commission. Article 350-B envisages investigation by CLM of all matters relating to the safeguards provided for the linguistic minorities in India under the Constitution and reporting to the President upon these matters at such intervals as the President may direct, and the President cause all such reports to be laid before each House of Parliament and sent to the Government/Administrations of States/ UTs concerned. The CLM has its headquarters at Allahabad with three Zonal Offices at Belgaum, Chennai and Kolkata. The CLM interacts with States/UTs on all the matters pertaining to the issue concerning implementation of the Constitutional and nationally agreed Safeguards provided to linguistic minorities. 49th Report of the Commissioner for Linguistic Minorities for the period July, 2011 to June, 2012 was laid on the table of the Lok Sabha and Rajya Sabha on 22-08-2013 and 19-08-2013 respectively.

18.2 CONSTITUTIONAL SAFEGUARDS FOR LINGUISTIC MINORITIES

Under the Constitution of India, certain safeguards have been granted to the religious and linguistic minorities. Articles 29 and 30 of the Constitution seek to protect the interests of minorities and recognize their right to conserve their distinct language, script or culture and to establish and administer educational institutions of their choice. Article 347 makes provision for presidential direction for official recognition of any language spoken by a substantial proportion of the population of a State or any part thereof for such purpose as the President may specify. Article 350 gives the right to submit representation for redress of grievances to any authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union/ States. Article 350 A provides for instruction in the mother tongue at the Primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups. Article 350-B provides for a Special Officer designated as Commissioner for Linguistic Minorities to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under the Constitution.

CHAPTER - 19

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES

19.1 In January, 1978, Government of India, vide an executive order, set up a "Minorities Commission" to safeguard the interests of minorities. With the enactment of the National Commission for Minorities Act, 1992, the Minorities Commission became a statutory body and was renamed as the "National Commission for Minorities".

19.2 The first statutory commission was constituted on 17th May, 1993. The Government of India vide Notification dated 23rd October, 1993 notified five religious communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians (Parsis) as minority communities under Section 2 (c) of the NCM Act, 1992.

19.3 In terms of Section 3(2) of NCM Act, 1992, the Commission shall consist of a Chairperson, a Vice Chairperson and five members to be nominated by the Central Government from amongst persons of eminence, ability and integrity provided that five members including the Chairperson shall be from amongst the minority communities. In accordance with Section 4 (1) of the NCM Act, 1992, each member including the Chairperson shall hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

19.4 The main functions of the Commission are to evaluate the progress of the development of minorities, monitor the working of the safeguards provided in the Constitution and in laws enacted by the Central Government/ State Governments, for the protection of the interests of minorities and look into specific complaint regarding deprivation of the rights of minorities. It also causes studies, research and analysis to be undertaken on the issues relating to socio-economic and educational development of minorities and make recommendations for the effective implementation of the safeguards for the protection of the interests of minorities.

19.5 The present Commission consists of the following persons:-

1.	Shri Naseem Ahmad	Chairman
2.	Ms. Mabel Rebello	Member
3.	Prof. Farida Abdullah Khan	Member
4.	Shri Praveen Davar	Member
5.	Shri Keki N Daruwala	Member
6.	Shri T Namgyal Shanoo	Member
7.	Dr. Ajaib Singh	Member

19.6 The National Commission for Minorities, in accordance with Section 12 of the National Commission for Minorities Act, 1992, prepares and submits its Annual Report to the Ministry. In accordance with Section 13 of the NCM Act, 1992, the Annual Report of the Commission, together with a Memorandum of Action Taken on the recommendations contained therein, in so far as they relate to the Central Government, and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such recommendation, is to be laid before each House of Parliament. Recommendations pertaining to various State Governments/ UT Administrations are forwarded to them by NCM to take necessary action in accordance with Section 9(3) of the NCM Act, 1992.

19.7 Till the 31st December, 2013 fourteen(14) Annual Reports of erstwhile Minorities Commission for the period 1978-79 to 1992-93 and seventeen (17) Reports of the Statutory Commission for the years 1993-94 to 2009-10 have been laid in Parliamen. The first three Annual reports of the National Commission for Minorities, along with the Action taken Memoranda, were laid in both the Houses of Parliament before this Ministry was created. After the creation of this Ministry, fourteen Annual Reports along with Action Taken Memoranda on recommendations contained therein were tabled in Parliament.

19.8 State Governments of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhatisgarh, National Capital Region of Delhi, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Manipur, Rajasthan, Utter Pradesh, Uttaranchal, Tamil Nadu and West Bengal have set up statutory State Minorities Commissions. The State Governments of Punjab and Kerela have set up non-statutory Commissions. The Ministry has also requested the remaining State Governments/ Union Territory Administrations to set up such Commissions.

19.9 The Central Government has added Jain Community as a minority community in addition to the five minority communities already notified under Section 2 (c) of the National Commission for Minorities Act, 1992.

WAQF ADMINISTRARTION AND CENTRAL WAQF COUNCIL

20.1 Ministry of Minority Affairs is responsible for implementation of the Waqf Act, 1995, which came into force with effect from 1st Janurary, 1996. The Act extends to whole of India except the State of Jammu & Kashmir. However, there was a wide spread feeling that the Act had not proved effective in improving the administration of auqaf.

The Waqf Act, 1995 has been amended by the Wakf (Amendment) Act, 2013 to give more impetus for effective administration of auqaf (Waqf properties/ assets), and better protection, management and development of auquaf. The major amendments brought out are as under:

(i) The definition of Waqf has been modified allowing non-Muslim also to create waqf.

(ii) The Survey Commissioner shall be appointed within three months from the date of commencement of new Act and the survey is required to be completed within a period of one year.

(iii) The State Government, or as the case may be, the Board, shall furnish information to the Central Waqf Council on the performance of Waqf Boards in the State. The Central Waqf Council may also issue directives which shall be complied with by the concerned Board under intimation to the concerned State Government.

(iv) Any dispute arising out of a directive issued by the Council shall be referred to a Board of Adjudication to be constituted by the Central Government, to be presided over by a retired Judge of the Supreme Court or a retired Chief Justice of a High Court.

(v) Where the Waqf Board has not been established as required under Section 13 of the Act, such Board should be established by the State Government within six months from the date of commencement of the Waqf (Amendment) Act, 2013.

(vi) At least two members appointed on the Board shall be women.

(viii) A full time, CEO, who is a Muslim and not below the rank of Deputy Secretary, is required to be appointed in all State Waqf Board.

(viii) The District Magistrate or in his absence an Additional District Magistrate or Sub Divisional Magistrate of a district in the State would implement the decision of the Board which may be conveyed through the Chief Executive Officer and the Board may, wherever considers necessary, seek directions from the Tribunal for the implementation of its decision.

(ix) Alienation of waqf properties or taking possession of any movable or immoveable property being a waqf property without the prior sanction of the Board shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to two years. The offence committed is a cognizable and non-bailable offence.

(x) 'Sale', 'Gift', 'Mortgage', 'Exchange' and 'Transfer' of Waqf properties have been prohibited to curb alienation of waqf properties.

(xi) 'Lease' of waqf properties has been allowed for a period upto thirty years for commercial activities, education or health purpose with the approval by the State Government. The maximum period of lease of agricultural land is fixed for 3 years. Further, lease beyond 3 years is to be intimated to the State Government and it would become effective only after 45 days. The 'Lease' of Mosque, Dargah, Khanquah, Graveyard and Imambara has been prohibited.

(xii) A new section has been added providing that if any waqf property has been occupied by both government agencies, it shall be returned to the Board or the Mutawalli within a period of Six months from the date of the order of the Tribunal. The Government may, if the property is required for a public purpose, make an application for determination of the rent, or as the case may be, the compensation which would be decided by the Tribunal at the prevailing market value.

Thirty one States have constituted Waqf Boards under this Act, excluding J & K, which has its own Act.

20.2 NATIONAL WAQF DEVELOPMENT CORPORATION (NAWADCO)

Justice Sachar Committee (2006) as well as the Joint Parliamentary Committee (JPC) on Waqf recommended the establishment of a National Waqf Development Corporation by the Central Government to develop the waqf properties in the country and to use their income for the benefit of the Muslim Community.

National Waqf Development Corporation (NAWADCO) was incorporated on 31.12.2013 under the Companies Act, 1956 to develop waqf properties transparently and professionally, so as to ensure enhancement of their income for the benefit of the Muslim Community in accordance with the objectives of auqaf. The Corporation has an authorized Share Capital of ₹ 500 crore with initial paid up capital of ₹ 100 crore. NAWADCO would consist of Twelve (12) Directors. The share holding pattern is as under:

- National Minority Development Finance Corporation (NMDFC)- 49%.
- Central Waqf Council (CWC) - 9%
- Waqf Institutions and the Public - 42%

The main objectives of NAWADCO are as under:

- To act as a specialized financial and development institution to develop and provide financial service for the development of waqf properties, identify projects for commercial viability in order to enhance the income of waqf in the country by entering into joint venture with Mutawallis and State/ UT Waqf Boards.
- To arrange financial assistance independently or in association with any person, Government or any other agency whether incorporated or in the form of advances,

equity, refinance or in any other form to the Waqf institutions on the Islamic Sharia principle.

- To mobilize capital from investors and manage investment of these funds in the development of waqf properties in the country.
- To run a consultancy service for the development of waqf properties and would include providing consultancy to the State/ UT Waqf Boards and the Mutawallis in designing commercial complex, housing projects, etc. and to undertake execution of such projects whether by the Corporation or in collaboration with other agencies engaged in development of such projects.
- To provide advances for formulating schemes for the purpose of mobilizing resources and grant of advances for the development of waqf properties and to act as underwriters to issue stocks, shares and security of every denomination with companies who run on Sharia principles and are engaged wholly or partly in the development of financing of development of waqf properties or such like activities.
- To build educational infrastructure like schools, colleges and hospitals either on lease or in a joint venture with the State/ UT Waqf Boards and the Mutawallis.
- To act as an assets management company for Islamic mutual fund or to promote mutual fund with Sharia principle and invest such funds on the development of waqf properties and educational infrastructure.

SONIA GANDHI
United Progressive Alliance
NAWADCO
राष्ट्रीय वक़्फ़ विकास निगम लि.
का उद्घाटन

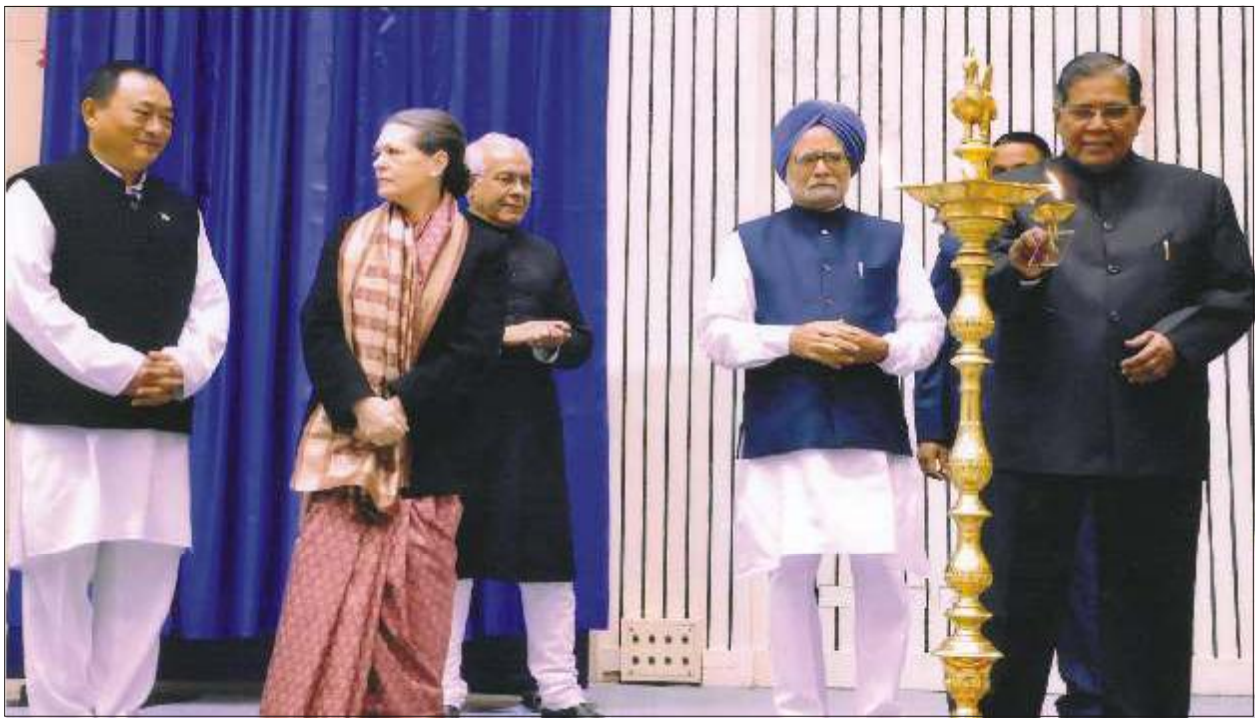

Inauguration of National Waqf Development Corporation Limited (NAWADCO) by the Hon'ble Prime Minister Dr. Manmohan Singh and the UPA chairperson Smt. Sonia Gandhi on 29.01.2014 at Vigyan Bhawan, New Delhi.

20.3 THE WAQF DIVISION IS IMPLEMENTING THE FOLLOWING THREE SCHEMES

(i) Scheme for computerization of the records of the State Waqf Boards:

The waqf properties are spread out all over the country but effective survey of waqf properties has not been carried out in most States. In order to streamline record keeping of the waqf lands, introduce transparency and social audit and to computerize various functions/ processes of the Waqf Boards and to develop a single web based centralized application, computerization of the records of State Waqf Boards with the help of Central financial assistance to these Boards, including that of J&K was recommended by Joint Parliamentary Committee on Waqf in its 9th Report. The proposal was approved on 25th November, 2009 and the Plan Scheme for computerization of records of SWBs was commenced from December, 2009.

The main objectives of the scheme are to streamline record keeping, introduce transparency and to computerise the functions/ process of the Waqf Boards. A Web-based software application for Waqf Management System of India (WAMSI) consists of the following modules has been functioning.

a) Properties Registration Management

b) Mutawalli Returns Management

c) Leasing of Properties Management

d) Litigations Tracking Management

The schemes of computerization are applicable uniformly across all the 30 State Waqf Boards including Waqf Board of Jammu & Kashmir. The project also encompasses a handholding support period of 2 years with minimal financial support to hire some computer personnel by State Waqf Boards to stabilize the new system and train Waqf Board officials. An amount of ₹ 16.18 crore has been released to the SWBs, CWC and NIC since the inception of the scheme which includes an amount of ₹ 2.98 crore during the year 2013-14 (up to 31.03.2014). The Central Computing Facility has been set up in 27 SWBs and data entry is in progress. About 2,98,032 waqf properties have been registered in the central data base, preparation for digitization of 1,15,913 waqf records has also been completed.

(ii) Scheme for Strengthening of State Waqf Boards (SWBs):

The JPC in its Ninth Report had recommended that the State Waqf Boards should be given central financial assistance as the present level of assistance provided by the State Governments is not only inadequate but also uneven. The primary responsibility of administration of auqaf vests with the State Governments. The State Governments are responsible to ensure that the State Waqf Boards function effectively.

The Plan scheme for strengthening of SWBs has been formulated to strengthen the Waqf Boards resulting a more transparent and accountable administration and management of their waqf properties and allow improvement in income generation attaining self-sufficiency. This would also help them in removal of encroachment from waft properties by strengthening their enforcement wing. The Central assistance would be provided during the 12th Plan period, i.e. during the period the State Waqf Boards are expected to become self-sufficient with surplus income generation. Further, such funds would be provided subject to certain conditions that will ensure that the functioning and institutional capacity of the State Waqf Boards improve their income generation and become self-sufficient. Improvement in their capabilities will facilitate enhancement in their income that will reduce, and over the period of time, eliminate their dependence on outside financial support. The scheme is to be implemented through CWC. Therefore, the Central assistance would be provided by the Ministry to CWC which in turn would release the funds to the SWBs for strengthening the legal & accounting section as well as for training & administrative cost of SWBs. The assistance will also be provided to strengthening the mechanism for removing illegal encroachment on waqf properties. During 2013-14, an amount of ₹ 191.00 lakh has been released to CWC which is the nodal agency for implementation of the scheme.

(iii) Scheme for the Development of Urban Waqf Properties:

Auqaf are permanent dedications of movable or immovable properties for purpose recognized by the Muslim law as pious, religious or charitable. Apart from their religious aspects, the auqaf are also instruments for social welfare as the benefits accrue to the needy in social and educational fields. However, majority of the auqaf in the country have a limited and almost static income. The result is that generally the Mutawallis (Managers of the auqaf) find it difficult to adequately fulfill the intention of waqf or the purposes for which these waqf are created. Most of the urban waqf lands have potential for development but the Mutawallis and even the Waqf Boards are not in a position to muster enough resources or construction of modern functional buildings on these lands.

With a view to improve the financial position of auqaf and the auqaf Boards and to enable them to enlarge the area of their welfare activity, the Central Government has been giving grant-in-aid to the Central Waqf Council since 1974-75 for the specific purpose of advancing financial assistance to Waqf Boards/ Waqf Institutions in the country for the development of their Urban Waqf properties.

The Central Waqf Council extends loan to SWBs/ Waqf Institutions for specific economically/ commercially viable development projects approved by the Council. These projects include construction or reconstruction of commercially viable buildings on waqf lands. The augmented income is utilized to enable the Waqf Boards/ waqf to strengthen their financial position and to widen their welfare and charitable activities. The whole purpose is intended to contribute to overall progress and development of the society.

The Government of India has released grant-in-aid amounting to ₹ 44.33 crore to CWC since 1974-75 which includes ₹ 268.00 lakh released during 2013-14 (up to 31.03.2014).

The amount released during 2013-14 is for the following projects:

(₹ in lakh)

S.No.	Name of the State	Amount
1.	Development Project of Masjid-e-Ummul Husnain, Indra Nagar, Bangalore, **Karnataka**	30.00
2.	Development project of Millath Social Welfare & Education Society, Betgeri Gadag, **Karnataka**	45.00
3.	Development project of Dr. Zakir Hussain Colony, Muslim Jamath, Mulgunda Naka, Gadag, **Karnataka**	33.00
4.	Development Project of Karnataka Millath Education Society, Channagiri, **Karnataka**	26.50
5.	Development project of Muslim Hostel, Saraswatipuram, **Karnataka**	03.00
6.	Development Project of Parekkulam Juma Masjid, Paripalana Committee, Tirur , Malapuram, **Kerala**	9.00
7.	Development project of Puthupally Shaikh Fareed Valiullah Makham, Meenachil, Erutupetta, Kottayam, **Kerala**	38.50
8.	Development Project of Koothayi Puthiya Juma-ath Palli, Tirur Dist. Malapuram, **Kerala**	39.00
9.	Development project of Hyderia Masjid Mohallu Committee, Ottapalam, **Kerala**	02.00
10.	Development project of Azizur Rehman Khan Waqf No. 19-A, Rampur, **Uttar Pradesh**	24.00
11.	Development project of Engineering College of Haryana Wakf Board, **Haryana**	10.00
12.	Development pr oject of Mahmuda Shiksha and Gramin Vikas Bahu Uddaishya Wakf Sanstha, Nagpur, **Maharashtra**	05.00
13.	Development project of Waqf Akhada Masjid Ujjain Gate Dewas Office - 268, A.B. Road, Dewas, **Madhya Pradesh**	03.00
	Total	**268.00**

20.4 CENTRAL WAQF COUNCIL

The Central Waqf council was set up as a Statutory Body in 1964 by the Government of India under the provisions of Section 8A of Wakf Act, 1954 (now read as sub-section 1 of the Section 9 of the Waqf Act, 1995) with the main objective to advise to the Government of India on matters pertaining to the working of the State Waqf Boards and proper administration of the auqaf in the Country. The Council has a Chairperson, who is the Union Minister in-charge of auqaf, presently Shri K. Rahman Khan, Minister of Minority Affairs, Government of India is the Chairperson of

Central Waqf Council. There are 20 other members of the Council from different categories as mentioned in the Waqf Act. The present council was constituted on 12.05.2011 for a period of five years.

The Office building of the Central Waqf Council is under construction by Central Public Works Department (CPWD) at Plot No. P-13 & P-14, Pushp Vihar, M.B. Road, New Delhi in an area of 1008 Sq. Meters allotted by the Ministry of Urban Development and is expected to be completed by 2014.

20.4.1 Regulatory Powers of Central Waqf Council:

The Waqf Act, 1995 has been amended and the Waqf (Amendment) Act, 2013 has come into force w.e.f. 1st November, 2013. Under the amended Act, the CWC has been given regulatory powers of issuing directives to the State Waqf Boards. The Council may obtain information from the State Governments or the Board on the performance of the Waqf Boards particularly on their financial performance, survey, maintenances of Waqf Deeds, Revenue Records, Encroachment of waqf property, Annual Report and Audit Reports in the manner and time as may be specified by the Council. The Council may issue directives to the SWBs under intimation to the concerned State Governments, if it is satisfied that there was prima facie evidence of irregularities or violation of the Act.

20.4.2 Minor Projects:

The scheme for the Development of urban waqf properties envisages repayment of loan and donation @ 4% on the outstanding loan. The repayment of loan forms revolving fund of the Council, which is again utilized for advancing loan to the minor projects upto ₹ 50.00 lakh. The Council has been encouraging the State Wakf Boards to undertake more developmental projects with a loan upto ₹ 50.00 lakh. Under the scheme, the Council has advanced a total loan amounting to ₹ 5.29 Crore to 91 projects.

During the period under report, the Council has sanctioned ₹ 25.00 lakh under the above scheme for the Development project of Pattihara Jumma Masjid, Ottapalam, Palakkad, and Kerala.

20.4.3 Educational Schemes:

The Central Waqf Council has been actively involved in carrying out the social and welfare obligations of the Community by undertaking various financial support programmes such as establishment and strengthening of ITIs and Vocational Training Centre by extending grant to the NGOs and Technical Institutions, financial assistance for developing Book Bank in school libraries etc. The programmes under the educational scheme are being financed out of the Education Fund of the Council.

During the year under report, a grant of ₹ 49.60 lakhs was sanctioned/ released for various programmes.

CHAPTER - 21

DURGAH KHAWAJA SAHEB, AJMER

21.1 The Durgah of Khawaja Moin-ud-din Chishti at Ajmer in Rajasthan is a waqf of international fame. The Durgah Khawaja Saheb Act, 1955, provides for the administration, control and management of the Durgah Endowment of the Durgah Khwaja Moinuddin Chishty (R.A). Under this Central Act, the administration, control and management of Durgah Endowment has been vested in a representative Committee known as the Durgah Committee.

21.2 Powers and Duties of the Durgah Committee

- To administer, control and manage the Dargah Endowment.
- To keep the building within the boundries of the Durgah Sharif and all buildings, houses and shops comprised in the Durgah Endowment in proper order and in a state of good repair.
- To receive all moneys and other income of the Durgah Endowment.
- To see that the Endowment funds are spent in the manner desired by the donors.
- To pay salaries, allowances and perquisites and make all other payments due out of, or charged on, the revenues or income of the Durgah Endowment.
- To determine the privileges of the Khadims and to regulate their presence in the Durgah by the grant of them licenses in that behalf, if the Committee thinks it necessary so to do.
- To determine the powers and duties of the Advisory Committee.
- To determine the functions and powers, if any, which the Sajjadanashin may exercise in relation to the Durgah.
- To appoint, suspend or dismiss servants of the Dargah Endowment.
- To make such provision for the education and maintenance of the indigent descendants of Khawaja Moin-ud-din Chishti and their families and the indigent Khadims and their families residing in India as the Committee considers expedient consistently with the financial position of the Durgah.
- To delegate to the Nazim such powers and functions as the Committee may think fit.
- To do all other such things as may be incidental or conducive to the efficient administration of the Durgah.

21.3 Management of Urs and Congregations

The Annual Urs in May, 2013 and Mini Urs (Muharram) in November, 2013 were arranged successfully. Infrastructural arrangements were made by the Durgah Committee, Government of Rajasthan and the district administration, Ajmer.

CHAPTER - 22

NATIONAL MINORITIES DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION (NMDFC)

22.1 National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) was incorporated on 30th September 1994, with an objective to promote economic and developmental activities for Backward Sections amongst Minorities. As per the National Commission for Minorities Act 1992, Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists, Jains and Parsis have been notified as Minorities in the country. To achieve its objective, NMDFC is providing concessional finance for self-employment activities to eligible beneficiaries belonging to Minority Communities having family income up to ₹ 81,000 p.a. & ₹ 1,03,000 p.a. in rural and urban areas respectively.

22.2 NMDFC has two channels to reach to the ultimate beneficiaries (i) through the State Channelising Agencies (SCAs) nominated by the respective State Governments / UT administrations and the other (ii) through Non Governmental Organizations (NGOs). Under the SCA programme the schemes of term loan, educational loan and micro financing are implemented for individual beneficiaries. The scheme of microfinance is also being implemented through NGOs.

22.3 The schemes and programmes of NMDFC were revised for implementation w.e.f. 1st April 2013. The revised norms of the schemes are as given below:

i. Credit Schemes

a. **Term Loans Scheme:** Under the scheme, Projects costing up to ₹ 10.00 Lakhs to the individual beneficiaries are financed. Funds for this purpose are made available to the SCAs at an interest rate of 3% for further loaning to the beneficiaries at 6%.

b. **Educational loans:** Under the scheme loans are made available to the SCAs at an interest rate of 1% for further loaning to the beneficiaries at 3% interest p.a. for pursuing professional and technical education. NMDFC provides up to ₹ 10.00 Lakhs (for courses within India) & up to ₹ 20.00 Lakhs (for courses abroad) to the eligible candidates belonging to Minority Communities.

c. **Micro Financing Scheme:** Under the scheme being implemented through SCAs as well as NGOs, an amount of ₹ 50,000 per member of the Self Help Group (SHG) is given to the SCAs / NGOs at an interest rate of 1% p.a. for on-lending to the members of the Self Help Groups at 7% p.a.

ii. Promotional Schemes

a. **Vocational Training Scheme:** NMDFC is implementing the scheme of vocational training wherein an amount of ₹ 2,000 per month per candidate is provided for short

term job oriented vocational training courses of maximum durations of six months. A stipend of ₹ 1,000 per month per candidate is also given.

b. **Marketing Assistance Scheme:** Under this scheme NMDFC considers providing the stall rent, reimbursement of Travelling cost and Daily allowance to the artisans through the SCAs for participation in the prominent marketing exhibitions.

c. **Skill Development Programme:** In order to impart employment oriented skills to its target groups in the Minority Concentration Districts (MCDs) of UP & Uttrakhand, where the SCAs are presently not able to deliver the desired results, NMDFC has awarded the work of skill development to a few training agencies, under the "Seekho aur Kamao" Scheme of the Ministry of Minority Affairs, being implemented by NMDFC. During the current financial year 2013-14, the Skill Development Programme has been launched in eight Minority Concentration Districts (MCDs) of Uttar Pradesh viz. Ghaziabad, Muzzafarnagar, Meerut, Saharanpur, Badaun, Bijnor, Bulandshahar & Baghpat and two MCDs of Uttrakhand viz. Hardwar and Udhamsingh Nagar.

The prominent feature of the scheme is that the training agencies have undertaken to provide placement to at least 80% of the successful candidates, out of which 50% would be placed in the organized sector.

d. **Driver Training Programme:** NMDFC has also launched the Driver Training Programme in association with the Maruti Suzuki India Ltd. A total of 3,900 candidates were sanctioned for training in the States of Karnataka (660), Gujarat (630), Haryana (510), Maharashtra (1290) and Uttar Pradesh (810) Rajasthan (330) Punjab (180) and Delhi (300).

22.4 To implement its programme, NMDFC has authorized Share Capital of ₹ 1500 Crores out of which, the share of Govt. of India is ₹ 975.00 Crores (65%) and the share of State Govts. is ₹ 390.00 Crores (26%) while the remaining ₹ 135.00 Crores (9%) is to be contributed by institutions / Individuals having interest in Minorities.

22.5 Govt. of India has so far contributed ₹ 975.00 Crores (100%) in the equity of NMDFC, while ₹ 226.51 Crores (58.08%) has been contributed by the various State Governments / UTs. An amount of Rs. 0.001 Crores has been contributed by Institutions / individuals having interest in Minorities.

22.6 Achievements:

a. As on 31/03/2014, NMDFC has given Term Loan assistance to **4,08,484** beneficiaries spread over 25 States and 3 Union Territories with an amount of **₹ 1883.20 Crores.** In the last financial year up to 31st March 2014, an amount of **₹ 202.50 Crores** has been disbursed to about **21,318 beneficiaries.**

b. Micro Financing is being implemented by NMDFC since 1998-99 initially through NGOs & later on SCAs were also involved in implementation. Till 31/03/2014, a total disbursement to the tune of ₹ **706.23 Crores** has been made under the micro financing scheme for **5,73,091** beneficiaries. In the last financial year 2013-14 up to 31st March 2014, **Micro-credit of ₹ 122.96 Crores** has been disbursed to SCAs for **54,648 beneficiaries.**

c. Till 31/03/2014, since inception NMDFC has disbursed a consolidated amount of **₹ 2589.43 Crores** benefitting **9,81,575 beneficiaries** under the above two programmes. During the current financial year till 31/03/2014 a consolidated amount of ₹ **325.46** Crores has been disbursed for assisting **75,996 beneficiaries.**

d. Under the skill development Programme sanctions for over 7,295 candidates have been issued with a total financial implication of ₹ 8.11 Cr. as detailed below. A statement showing the agency wise number of candidates along with the financial implication approved is as given below.

Amount in ₹ Cr.

Sr. No.	Institute Name	Total Candidates	Total Amount
1.	Ch. Ramesh Chand Charitable Trust (CRCCT), Ghaziabad	2,400	2.01
2.	NIIT Yuva Jyoti Ltd., (NYJ) Gurgaon	1,200	1.56
3.	RVS Rise Skill Solution Pvt. Ltd., (RVSRSS) New Delhi	1,200	0.98
4.	The Institute of Computer Accountants (ICA), Delhi.	600	1.07
5.	Pathbreakers Communications Pvt. Ltd.(PBCPL), New Delhi	900	0.72
6.	Tripura Minorities Cooperative Development Corporation (Indus Integrated Information Management)	720	1.12
7.	Islamia Institute of Technology Bengaluru	275	0.66
	Total	7,295	8.11

The Ministry of Minority Affairs has since released an amount of ₹ 2.25 Cr. under the "Seekho aur Kamao scheme. NMDFC has requested for release of balance amount of ₹ 5.86 Cr. from the Ministry of Minority Affairs.

22.7 Following performance charts are enclosed herewith:

i. NMDFC share capital allocation and contribution by Govt. of India.

ii. NMDFC – year wise beneficiaries assisted.

iii. NMDFC – year wise funds disbursed.

iv. Photographs of events during the year 2013-14.

v. Note on NMDFC programme in NE States and Gender issues.

vi. Statement showing gender wise break up of achievements during 2013-14 (up to 31/03/2014). **(Annexure-X)**

vii. Financial & physical achievements in NE Region. **(Annexure-XI)**

viii. State wise financial achievements during 2013-14 (up to 31/03/2014). **(Annexure-XII)**

ix. State wise physical achievements during 2013-14 (up to 31/03/2014). **(Annexure-XIII)**

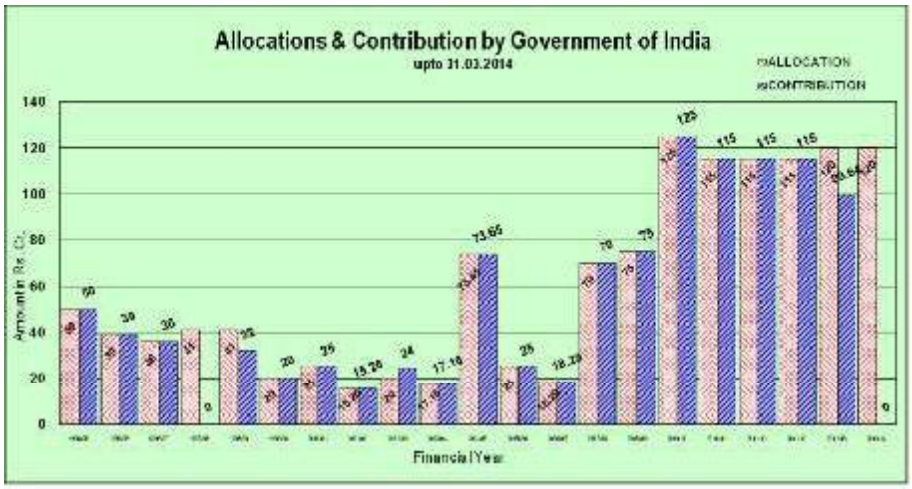

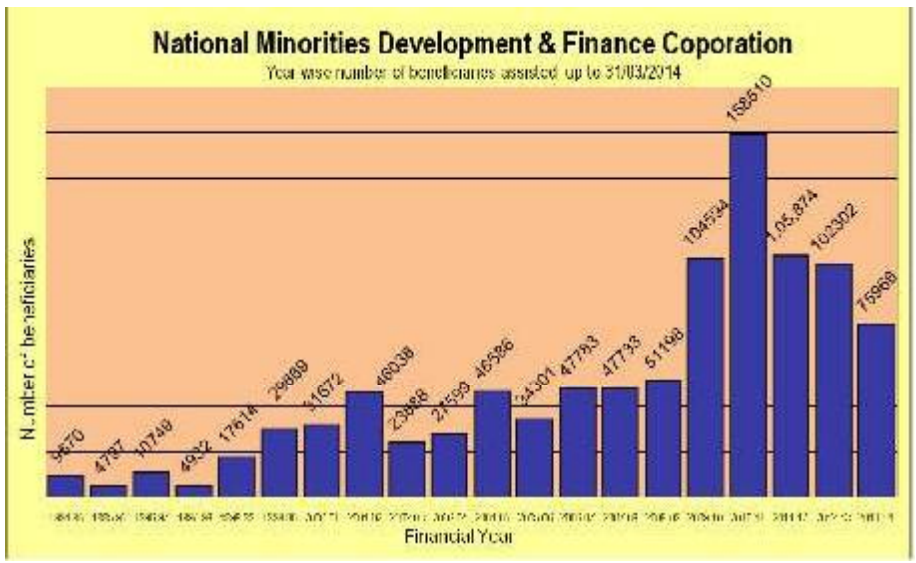

19th Foundation Day Programme of NMDFC was organized on 30th September 2013 in the Mirza Ghalib Hall, SCOPE Convention Center. Lodhi Road, New Delhi. The programme was chaired by Dr. Lalit K. Panwar, Secretary, Ministry of Minority Affairs, and Government of India

Releasing of the new Brochure with revised scheme guidelines of NMDFC & Posters of NMDFC on the occasion of 19th Foundation Day Programme of NMDFC.

IMPLEMENTATION OF NMDFC PROGRAMME IN NORTH EASTERN REGION

NMDFC gives special focus to availability of credit to the Minorities residing in North Eastern Region. NMDFC schemes are operational in the North Eastern States through SCA with the exception of Arunachal Pradesh, Meghalaya and Sikkim. Under Term Loan & Micro credit schemes, out of ₹ 2589.43 Crores provided to the minorities all over the country till 31/03/2014, the share of North Eastern States has been ₹159.68 Crores (6.16%) for 47,929 beneficiaries. In the current year out of total allocation of ₹ 563.00 Crores in the country, an allocation of ₹ 56.00 Crores (9.95%) has been made for the North Eastern Region and up to 31st March 2014, an amount of ₹ 13.96 Crores has been released to the SCAs in the NE region.

GENDER ISSUES UNDER NMDFC PROGRAMES

In view of the fact that women are the weakest link among minorities in the country, NMDFC provides special focus to the credit needs of women. It has been operating the micro financing scheme mainly focusing on poor minority women. The micro-financing scheme of NMDFC mainly aims on empowerment of women by way of meeting their credit needs in an informal manner through NGOs/ SHGs. NMDFC has so far (up to 31/03/2014) assisted around 5,73,091 beneficiaries with micro credit of ₹ 706.23 Crores, out of which over 90% of the beneficiaries are women.

MAHILA SAMRIDHI YOJANA

Further, NMDFC has introduced the Scheme of Mahila Samridhi Yojana which links micro credit to the women after training. Under this scheme, women are provided skill development training for duration of six months followed by requisite micro credit up to ₹ 50000 with an interest rate of 7% p.a. for starting their income generation activities

CHAPTER - 23

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

23.1 Introduction:

Maulana Azad Education Foundation is a voluntary, non-political, non-profit making social service organization established to promote education amongst the educationally backward minorities. It was registered as a Society under the Societies Registration Act, 1860 in July 1989.

23.2 Main Objective: The aim of the Foundation is to formulate and implement educational schemes and plans for benefit of the educationally backward minorities in particular and weaker sections in general.

23.3 Constitution of MAEF: The Hon'ble Minister of Minority Affairs is the Ex-Officio President, MAEF. There are 15 members in the General Body of MAEF which includes 06 Ex-Officio members and 09 members nominated by the President, MAEF. The management of its affairs is entrusted with its Governing Body which consists of 06 members including President, MAEF, Vice President, MAEF, Treasurer, MAEF and 03 members to be elected from amongst the members of General Body.

23.4 Resources of MAEF: The only source of its income is interest earned from investment of the Corpus Fund of MAEF.

Corpus Fund: Upto 2013-14 MAEF has received total Corpus Fund of ₹ 910 crore from the Govt. of India which is kept invested in fixed deposit with banks and interest earned thereon is utilized for implementation of educational schemes of MAEF. MAEF has also received ₹ 12 lakh as contribution towards its Corpus Fund from the HPCL, SAIL and IDBI Bank.

23.5 Existing Schemes : MAEF is implementing the following two main schemes:

23.5.1 Grant-in-aid to NGOs for infrastructure development of educational institutions; financial assistance as Grant-in-Aid is provided for:

- Construction/ Expansion of schools/ B.Ed. Colleges/ VTC/ ITI/ Polytechnic and Hostel buildings.
- Purchase of Science/ Computer lab equipments/ furniture.
- NGOs running for at least three years & managing recognized educational institutions with more than 50% minorities students can apply.
- Maximum ceiling limit is ₹ 30 lakh.

23.5.2 Maulana Azad National Scholarship to meritorious girl students belonging to minorities:

Scholarship is given @ ₹12,000/- per student (in two installments of ₹ 6,000 each) to the girl students belonging to minorities based on the following criterion:

- Passed 10th class with minimum 55% marks.
- Confirmed admission to class 11th class.
- Having Parents income less than Rupees one lakh per annum.
- Selection is made on merit basis based on State- wise quota.

A new scheme entitled Maulana Azad Sehat Scheme has been launched on 04.03.2014.

23.6 Achievements:

The schemes of MAEF have gained large popularity across the country. The MAEF is implementing its schemes directly without intervention of any intermediary agency. The benefits of its schemes have reached in almost every part of the country.

23.6.1 Grant-in-aid: Upto 31.03.2014, MAEF has sanctioned Grant-in-aid of ₹ 185.96 crore to 1423 NGOs spread over 27 States/ UTs. Out of this, the Foundation has sanctioned ₹ 15.04 crore to 120 NGOs during the current financial year i.e., 2013-14 (upto 31.03.2014). State-wise summary of Grant-in-aid sanctioned by MAEF upto 31.03.2014 (since inception) and during the current financial year 2013-14 are enclosed at **Annexure – XIV & XV** respectively.

23.6.2 Scholarship: Upto 2013-14, MAEF has sanctioned Scholarship of ₹ 162.61 crore to 1,37,318 girl students spread in 32 States/ UTs under the scheme of Maulana Azad National Scholarship. State-wise summary of Scholarship sanctioned upto 2013-14 is enclosed at **Annexure – XVI.**

23.7 Vocational Training Centre for Women run by MAEF:

The Foundation is also running a Vocational Training Center for Women at Ajmeri Gate, Delhi where free training is provided to girls under various vocational courses like Cutting & Tailoring, Textile Designing, Beauty Culture, Arts & Crafts and Computers.

23.8 Future Programmes:

- Establishment of Maulana Azad Public Schools.
- Establishment of ITIs/ Vocational Training Centres.
- Establishment of Maulana Azad Chairs.
- Establishment of Libraries.
- Establishment of six Minority Universities.
- Expansion of Scholarship programme.
- Maulana Abul Kalam Azad Medical Aid Scheme.

CHAPTER - 24

GENDER SPECIFIC ISSUES AND GENDER BUDGETING

24.1 The Ministry has started implementation of a new scheme "Nai Roshni" for Leadership Development of Minority Women from 2012-13 with the objective to empower and instill confidence among minority women including their neighbours from other communities living in the same village/ locality, by providing knowledge, tools and techniques for interacting with Government systems, Banks and other institutions at all levels.The leadership training modules invariably cover issues and rights of women, relating to education, employment, livelihood etc. under the Constitution and various Acts; opportunities, facilities and services available under schemes and programmes of the Central Government and State Government in the fields of education, health, hygiene, nutrition, immunization, family planning, disease control, fair price shop, drinking water supply, electricity supply, sanitation, housing, self-employment, wage employment, skill training opportunities, crimes against women etc. The scheme is implemented through Non-Governmental Organizations. During 2012-13, Ministry has supported training of 36950 women in 12 States with an amount of ₹10.45 Crore. During 2013-14, Ministry aims to train 40,000 women with an amount of ₹ 15.00 Crore. Till 31-03-2014, ₹ 11.96 Crore has been sanctioned for training of 60, 875 women in 24 States.

24.2 Keeping in view the fact of women being the weakest section among minorities, special focus is extended to credit needs of women by NMDFC. The micro financing scheme of NMDFC mainly focuses on poor minority women aiming their empowerment by way of meeting their credit needs in an informal manner through Non-Government Organizations and Self Help Groups. Since inception till 31/03/2014, NMDFC has assisted 5,73,095 beneficiaries with micro credit of ₹ 706.22 Crore, out of which over 90% of the beneficiaries are women.

24.3 Mahila Samridhi Yojna

An exclusive Scheme of Mahila Samridhi Yojna links micro credit to the women after training. Under this scheme, women are provided skill development training for duration of six months followed by requisite micro credit up to ₹ 50,000/- with an interest rate of 7% per annum for stating their income generation activities.

CHAPTER- 25

RIGHT TO INFORMATION ACT 2005

25.1. In accordance with the provisions of Section 4(1) (b) of the Right to information Act, 2005 this Ministry has uploaded all the relevant information viz the Ministry's organizational set-up, functions and duties of its officers and employees, records and documents available in the Ministry, etc. in the Ministry's website www.minorityaffairs.gov.in. for information and guidance of the general public. This also provides information about the schemes, projects and programmes being implemented by the Ministry and its various organizations.

25.2. To promote greater transparency and accountability, all the details, Frequently Asked Questions (FAQ), statistics of achievements under each Scheme/ Programme implemented by the Ministry are hosted on the website of the Ministry and updated regularly. Under the various scholarship schemes, the State Governments display the lists of the names of students awarded scholarships on their websites to which a hyperlink is provided in the website of the Ministry. Further, under the MsDP, the States/ UTs submit photographs of the ongoing and completed works which are also hosted on the Ministry's website. The Ministry also has a dedicated helpline to provide information and address the doubts of beneficiaries about the schemes / programmes in the Ministry.

25.3. The Ministry of Minority Affairs has designated fourteen CPIOs and the eight 1st Appellate Authorities under this Act. In 2013-14 (up to 31st March, 2014), 900 RTI applications and 93 appeals (including online) under the RTI Act were received and disposed of. A quarterly Report of the status of RTI applications and appeals is also being uploaded on the website of the Central Information Commissioner.

25.4. "A screen shot showing the CPGRAMS link for grievance redressal mechanism of the Performance Management Division of the Cabinet Secretariat has been uploaded on the Ministry's website. All Responsibilities Centres (RCs) under the Ministry of Minority Affairs have given CPGRAMS link on their website. User ID Code and Password have been allocated to all RCs and the Ministry forwards grievances relating to the RCs electronically through CPGRAMS links. During 2013-14, a total of 361 (including 90 brought forward) grievances were received and 320 grievances were duly redressed."

CHAPTER- 26

GOVERNMENT AUDIT

26.1 Two draft paras in respect of Grant No.67 - Ministry of Minority Affairs for the year ending March, 2013 were received from Office of the Director General of Audit (Central Expenditure), New Delhi for comments. The present status is given in the table below:-

Sl. No.	Audit Para	Action Taken
1.	Non Utilization of entire provision	Draft audit paras have been sent to PP Division and IM Division. Despite repeated requests, their reply is still waited.
2.	Unrealistic budgetary Assumptions	

CHAPTER- 27

RESULTS-FRAMEWORK DOCUMENT, CITIZEN'S CLIENT'S' CHARTER AND GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

27.1. Pursuant to the announcement made in the President's address to both Houses of Parliament on 4th June 2009, the Prime Minister approved the outline of the Performance Monitoring and Evaluation System for the Government Departments on 11th September 2009.

According to this system, each Ministry / Department is required to prepare a Results Framework Document consisting of priorities set out by the Minister concerned, President's address and announcements, agenda as spelt out by the Government from time to time. This Ministry completed the preparation of its first RFD for the year 2009-10 on 30th November 2009. This was the beginning of an exercise to bring about transparency and accountability in the Government with a shift from "reducing quantity of government" to "increasing quality of government".

27.2. The Citizen's / Clients Charter of the Ministry for the year 2013-2014 which is Sevottam compliant and a mandatory requirement was prepared and uploaded on the Cabinet Secretariat's website on 29th May 2014. The RFD of the Ministry for the year 2014-15 has also been uploaded on the Cabinet Secretariat's website. As per the advice of Performance Management Division RFD of the year 2013-14 and corresponding achievement and composite score are as under

27.3. A screen shot showing the CPGRAMS link for grievance redressal mechanism of the Performance Management Division of the Cabinet Secretariat has been uploaded on the Ministry's website.

Government of India

R F D

(Results-Framework Document)
for

Ministry of Minority Affairs

(2013-2014)

Section 1:

Vision, Mission, Objectives and Functions

Vision

Empowering the minority communities and creating an enabling environment for strengthening the multi-cultural, multilingual and multi-religious character of our nation.

Mission

To improve the socio-economic conditions of the minority communities through affirmative action and inclusive development so that every citizen has equal opportunity to participate actively in building a vibrant nation. To facilitate an equitable share for minority communities in education, employment, economic activities and to ensure their upliftment.

Objectives

1. Educational Empowerment of Minority communities
2. Area Development in Minority Concentration Blocks, Towns and Villages
3. Socio-economic empowerment of Minority Communities
4. Institutional Strengthening

Functions

1. Policy functions.
2. Monitoring function through regular meetings; Conferences; review mechanism etc.
3. Developmental initiatives (Area Development; Leadership Development for Minority women, socio-economic Development though education)
4. Regulatory function (NCM Act, Wakf Act, Dargah Act.)

Section 2:
Inter se Priorities among Key Objectives, Success indicators and Targets

Objective	Weight	Action	Success Indicator	Unit	Weight	Target / Criteria Value				
						Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor
						100%	90%	80%	70%	60%
[1] Educational Empowerment of Minority communities	34.00	[1.1] Sanctioning of Pre-matric scholarships.	[1.1.1] Number of scholarships sanctioned	Number in lakhs	6.00	40	36	32	28	24
		[1.2] Sanctioning of Post-matric scholarships.	[1.2.1] Number of scholarships sanctioned	number in lakhs	6.00	5	4.5	4.0	3.5	3
		[1.3] Sanctioning of scholarships under Merit-cum-means scheme.	[1.3.1] Number of scholarships sanctioned	number in thousands	6.00	60	54	48	42	36
		[1.4] Assistance for coaching under Free Coaching and allied scheme.	[1.4.1] Number of beneficiaries	number of beneficiaries	5.00	6000	5400	4800	4500	4200
		[1.5] Fellowships under Maulana Azad National Fellowship for minority students.	[1.5.1] Number of Fellowships	number	6.00	756	750	745	740	735
		[1.6] Report on evaluation on scholarship scheme.	[1.6.1] Receipt of Final evaluation report of the agency.	Date	2.00	01/01/2014	15/01/2014	30/01/2014	15/02/2014	28/02/2014
		[1.7] Sanctioning of bicycles to girl students of Class IX.	[1.7.1] Issue of guidelines of restructured Multi Sectoral Development Programme	number	1.00	–	--	–	–	–
		[1.8] Financial assistance for coaching classes for students clearing prelims of Civil Services Examinations.	[1.8.1] Issue of guidelines after sanctioning of the scheme.	number	2.00	800	720	640	560	480
[2] Area Development in Minority Concentration Blocks,Towns and	35.00	[2.1] Restucturing of Multi Sectoral Development	[2.1.1] Issue of revised guidlines of	Date	10.00	15/07/2013	15/08/2013	15/09/2013	15/10/2013	15/11/2013

Section 2:
Inter se Priorities among Key Objectives, Success indicators and Targets

Objective	Weight	Action	Success Indicator	Unit	Weight	Target / Criteria Value				
						Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor
						100%	90%	80%	70%	60%
Villages		Programme and its approval by the competent authority.	restructured Multi Sectoral Devlopment Programme.							
		[2.2] Approval of Plan Proposals from State Governments	[2.2.1] Amount approved by the Ministry	Rs. in crore	13.00	1250	1150	1000	900	800
		[2.3] Release of funds to the States /UTs under restructured Multi Sectoral Development Programme on approval	[2.3.1] Percentage of utilization of BE 2013-14	Percentage of budget allocation	6.00	95	85	80	75	70
		[2.4] Utilization of funds under restructured Multi Sectoral Development Programme by State/UTs.	[2.4.1] Amount utilized by State/UTs	Rs in crore	6.00	800	750	700	650	600
[3] Socio-economic empowerment of Minority Communities	8.00	[3.1] Leadership development of minority women.	[3.1.1] Number of beneficiaries.	number	3.00	38000	35000	30000	27000	23000
		[3.2] Timely quarterly reports to be sent to the PMO on implementation of recommendations of the Sachar Committee..	[3.2.1] Timely submission of quarterly report within 30 days of the end of quarter.	number	1.00	4	3	2	1	0
		[3.3] Timely quarterly reports to be sent to the PMO on implementation of 15 PP.	[3.3.1] Timely submission of quarterly report within 30 days of the end of quarter.	number	1.00	4	3	2	1	0
		[3.4] Timely half yearly reports to be sent to COS/Cabinet Sectt. on	[3.4.1] Timely submission of half yearly report	number	1.00	2	1	0	0	0

Section 2:
Inter se Priorities among Key Objectives, Success indicators and Targets

Objective	Weight	Action	Success Indicator	Unit	Weight	Target / Criteria Value				
						Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor
						100%	90%	80%	70%	60%
		the implementation of the implementation of the PM's new 15 Point Programme and Sachar Committee recommendations.	within 45 days of the end of half year.							
		[3.5] Timely half yearly reports to be sent to COS/Cabinet Sectt. on the implementation of the implementation of the PM's new 15 Point Programme asnd Sachar Committee recommendations.	[3.5.1] Timely submission of half yearly report within 45 days of the end of half year.	number	1.00	2	1	0	0	0
		[3.6] Skill Development Initiative.	[3.6.1] Number of persons imparted skills.	number	1.00	6000	5400	4800	4200	3600
[4] Institutional Strengthening	8.00	[4.1] Computerization of records of State Waqf Boards—completion of Central Computing Facilities and imparting of training.	[4.1.1] Number of State Waqf Boards.	number	4.00	5	4	3	2	1
		[4.2] Strengthening of State Waqf Boards.	[4.2.1] Issue of guidlines.	Date	2.00	01/09/2013	15/09/2013	30/09/2013	15/10/2013	31/10/2013
			[4.2.2] Percentage release of B.E.	Percentage	2.00	100	90	80	70	60
* Efficient Functioning of the RFD System	3.00	Timely submission of Draft RFD 2014-15 for Approval	On-time submission	Date	2.0	05/03/2014	06/03/2014	07/03/2014	08/03/2014	11/03/2014
		Timely submission of Results for 2012-13	On-time submission	Date	1.0	01/05/2013	02/05/2013	03/05/2013	06/05/2013	07/05/2013

* Mandatory Objective(s)

Section 2:
Inter se Priorities among Key Objectives, Success indicators and Targets

Objective	Weight	Action	Success Indicator	Unit	Weight	Target / Criteria Value				
						Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor
						100%	90%	80%	70%	60%
* Improving Internal Efficiency/Responsiveness/ Transparency/Service delivery of Ministry/Department	6.00	Independent Audit of implementation of Citizens'/Clients' Charter (CCC)	% of implementation	%	2.0	100	95	90	85	80
		Independent Audit of implementation of Public Grievance Redressal System	% of implementation	%	2.0	100	95	90	85	90
		Update departmental strategy to align with 12th Plan priorities	Timely updation of the strategy	Date	2.0	10/09/2013	17/09/2013	24/09/2013	01/10/2013	08/10/2013
* Administrative Reforms	6.00	Implement mitigating strategies for reducing potential risk of corruption	% of implementation	%	1.0	100	95	90	85	80
		Implement ISO 9001 as per the approved action plan	% of implementation	%	2.0	100	95	90	85	80
		Implement Innovation Action Plan (IAP)	% of milestones achieved	%	2.0	100	95	90	85	80
		Identification of core and non-core activities of the Ministry/Department as per 2nd ARC recommendations	Timely submission	Date	1.0	01/10/2013	15/10/2013	30/10/2013	10/11/2013	20/11/2013

* Mandatory Objective(s)

Section 3:
Trend Values of the Success Indicators

Objective	Action	Success Indicator	Unit	Actual Value for FY 11/12	Actual Value for FY 12/13	Target Value for FY 13/14	Projected Value for FY 14/15	Projected Value for FY 15/16
[1] Educational Empowerment of Minority communities	[1.1] Sanctioning of Pre-matric scholarships.	[1.1.1] Number of scholarships sanctioned	Number in lakhs	25	64.50	40	70	–
	[1.2] Sanctioning of Post-matric scholarships.	[1.2.1] Number of scholarships sanctioned	number in lakhs	4.80	7.55	5.00	9.5	–
	[1.3] Sanctioning of scholarships under Merit-cum-means scheme.	[1.3.1] Number of scholarships sanctioned	number in thousands	20	68.1	60	85	–
	[1.4] Assistance for coaching under Free Coaching and allied scheme.	[1.4.1] Number of beneficiaries	number of beneficiaries	5184	6716	6000	6500	–
	[1.5] Fellowships under Maulana Azad National Fellowship for minority students.	[1.5.1] Number of Fellowships	number	756	754	756	756	–
	[1.6] Report on evaluation on scholarship scheme.	[1.6.1] Receipt of Final evaluation report of the agency.	Date	--	–	15/01/2014	–	–
	[1.7] Sanctioning of bicycles to girl students of Class IX.	[1.7.1] Issue of guidelines of restructured Multi Sectoral Development Programme	number	--	–	--	–	–
	[1.8] Financial assistance for coaching classes for students clearing prelims of Civil Services Examinations.	[1.8.1] Issue of guidelines after sanctioning of the scheme.	number	--	–	800	–	–

Section 3:
Trend Values of the Success Indicators

Objective	Action	Success Indicator	Unit	Actual Value for FY 11/12	Actual Value for FY 12/13	Target Value for FY 13/14	Projected Value for FY 14/15	Projected Value for FY 15/16
[2] Area Development in Minority Concentration Blocks,Towns and Villages	[2.1] Restucturing of Multi Sectoral Development Programme and its approval by the competent authority.	[2.1.1] Issue of revised guidlines of restructured Multi Sectoral Devlopment Programme.	Date	--	–	15/08/2013	–	–
	[2.2] Approval of Plan Proposals from State Governments	[2.2.1] Amount approved by the Ministry	Rs. in crore	--	–	1150	–	–
	[2.3] Release of funds to the States /UTs under restructured Multi Sectoral Development Programme on approval	[2.3.1] Percentage of utilization of BE 2013-14	Percentage of budget allocation	--	–	85	–	–
	[2.4] Utilization of funds under restructured Multi Sectoral Development Programme by State/UTs.	[2.4.1] Amount utilized by State/UTs	Rs in crore	--	–	750	–	–
[3] Socio-economic empowerment of Minority Communities	[3.1] Leadership development of minority women.	[3.1.1] Number of beneficiaries.	number	--	36950	20000	22000	–
	[3.2] Timely quarterly reports to be sent to the PMO on implementation of recommendations of the Sachar Committee..	[3.2.1] Timely submission of quarterly report within 30 days of the end of quarter.	number	--	03	3	3	–
	[3.3] Timely quarterly reports to be sent to	[3.3.1] Timely submission of quarterly report	number	--	03	3	3	–

Section 3:
Trend Values of the Success Indicators

Objective	Action	Success Indicator	Unit	Actual Value for FY 11/12	Actual Value for FY 12/13	Target Value for FY 13/14	Projected Value for FY 14/15	Projected Value for FY 15/16
	the PMO on implementation of 15 PP.	within 30 days of the end of quarter.						
	[3.4] Timely half yearly reports to be sent to COS/Cabinet Sectt. on the implementation of the implementation of the PM's new 15 Point Programme and Sachar Committee recommendations.	[3.4.1] Timely submission of half yearly report within 45 days of the end of half year.	number	--	01	1	1	–
	[3.5] Timely half yearly reports to be sent to COS/Cabinet Sectt. on the implementation of the implementation of the PM's new 15 Point Programme asnd Sachar Committee recommendations.	[3.5.1] Timely submission of half yearly report within 45 days of the end of half year.	number	--	0	1	1	–
	[3.6] Skill Development Initiative.	[3.6.1] Number of persons imparted skills.	number	--	0	3000	4000	–
[4] Institutional Strengthening	[4.1] Computerization of records of State Waqf Boards—completion of Central Computing Facilities and imparting of training.	[4.1.1] Number of State Waqf Boards.	number	4	3	5	5	–
	[4.2] Strengthening of State Waqf Boards.	[4.2.1] Issue of guidlines.	Date	--	–	15/09/2013	–	–
		[4.2.2] Percentage release of B.E.	Percentage	--	0	90	90	–

Section 3:
Trend Values of the Success Indicators

Objective	Action	Success Indicator	Unit	Actual Value for FY 11/12	Actual Value for FY 12/13	Target Value for FY 13/14	Projected Value for FY 14/15	Projected Value for FY 15/16
* Efficient Functioning of the RFD System	Timely submission of Draft RFD 2014-15 for Approval	On-time submission	Date	--	–	06/03/2014	–	–
	Timely submission of Results for 2012-13	On-time submission	Date	--	–	02/05/2013	–	–
* Improving Internal Efficiency/Responsiveness/ Transparency/Service delivery of Ministry/Department	Independent Audit of implementation of Citizens'/Clients' Charter	% of implementation	%	--	–	95	–	–
	Independent Audit of implementation of Public Grievance Redressal System	% of implementation	%	--	–	95	–	–
	Update departmental strategy to align with 12th Plan priorities	Timely updation of the strategy	Date	--	–	17/09/2013	–	–
* Administrative Reforms	Implement mitigating strategies for reducing potential risk of corruption	% of implementation	%	--	–	95	–	–
	Implement ISO 9001 as per the approved action plan	% of implementation	%	--	–	95	–	–
	Implement Innovation Action Plan (IAP)	% of milestones achieved	%	--	–	95	–	–
	Identification of core and non-core activities of the Ministry/Department as per 2nd ARC recommendations	Timely submission	Date	--	–	15/10/2013	–	–

* Mandatory Objective(s)

Section 4:
Description and Definition of Success Indicators and Proposed Measurement Methodology

Sl.No	Success indicator	Description	Definition	Measurement	General Comments
1	[1.1.1] Number of scholarships sanctioned	40 Lakhs Fresh + Renewal. This pre-matric scholarship covers minority students from class 1 to X throughout the country.	Award scholarships to send their school going children to school.lighten their financial burden on school education and sustain their efforts to support their children to complete school education.	40 lakh Fresh + Renewal	This scheme is not identified for Direct Benefit Transfer(DBT). Further DBT in this scheme is not feasible as the scheme is having 75:25. This is to be implemented through States/UTs. Braodband penetration also presents issues in taking the scheme under DBT.
2	[1.2.1] Number of scholarships sanctioned	This post metric scholarships for classes from XI onward and up to M.Phil and Ph.D. However, Ministry is considering to confine the courses under the scheme up to all PG courses in the present EFC as M.Phil and Ph.D courses are covered under Maulana Azad National Fellowship Scheme.	To meritorious students belonging to economically weaker sections of minority community so as to provide them better oppurtunities for higher education,increase their rate of attainment in higher education and enhance their employability.	5 Lakh + Renewal	The scheme is implemented through Online Scholarship Management System(OSMS) and transfer payment to the recommended students is made by the States through NEFT in the Bank account of the beneficiary.DBT is to ensure payment through Aadhaar Number seeded with bank account of beneficiary.
3	[1.3.1] Number of scholarships sanctioned	This Merit-cum-Means Scholarship scheme To encourage students to opt for technical and professional courses	To provide financial assistance to the poor and meritorious students belonging to minority communities to enable them to pursue professional and technical courses.	60,000 Fresh + Renewal	From this Year, the payment of Scholarship will be made through Direct Benefit Transfer(DBT) to all eligible beneficiaries having bank account seeded with Aadhar Number.The scheme is one of the schemes identified for

Section 4:
Description and Definition of Success Indicators and Proposed Measurement Methodology

Sl.No	Success indicator	Description	Definition	Measurement	General Comments
3	[1.3.1] Number of scholarships sanctioned	This Merit-cum-Means Scholarship scheme To encourage students to opt for technical and professional courses	To provide financial assistance to the poor and meritorious students belonging to minority communities to enable them to pursue professional and technical courses.	60,000 Fresh + Renewal	DBT
4	[1.4.1] Number of beneficiaries	Maulana Azad National Fellowship Scheme is to pursue higher studies such as M.Phil. and Ph.D.	To Provide integrated five year fellowships in the form of financial assistance to students from notified minority communities, to pursue higher studies such as M.Phil. and Ph. D.	756 Fresh	The scheme is implementing by University Grants Commission. The applications are invited by UGC online and payment to selected students is made through Canara Bank directly in the Bank account of students through bank portal as well as through DBT to the students having bank account seeded with Aadhar number
5	[1.5.1] Number of Fellowships	Free Coaching and Allied Scheme is to help candidates in preparation for seeking jobs and admission in higher studies of technical and professional courses.	To provide special coaching/ training for (i) competitive examination for job in Govt. as well as private sector and (ii) admission in Technical/ Professional course at graduation/ post graduation	6000 candidates	The scheme is implemented through institutes in government and private sectors including universities,deemed universities and autonomous bodies engaged in coaching/ training

Section 4:
Description and Definition of Success Indicators and Proposed Measurement Methodology

Sl.No	Success indicator	Description	Definition	Measurement	General Comments
6	[1.6.1] Receipt of Final evaluation report of the agency.				
7	[1.7.1] Issue of guidelines of restructured Multi Sectoral Development Programme				
8	[1.8.1] Issue of guidelines after sanctioning of the scheme.	Support for Minority students clearing prelims conducted by Union Public Service Commission,Staff Selection Commission,State Public Service Commission	To Provide special coaching to minority students clearing prelims conducted by Union Public Service Commission,Staff Selection Commission,State Public Service Commission	800 candidates	The scheme would be central sector scheme to be implemented through nationalised banks.
9	[3.1.1] Number of beneficiaries.				
10	[3.2.1] Timely submission of quarterly report within 30 days of the end of quarter.				

Section 4:
Description and Definition of Success Indicators and Proposed Measurement Methodology

Sl.No	Success indicator	Description	Definition	Measurement	General Comments
11	[3.3.1] Timely submission of quarterly report within 30 days of the end of quarter.				
12	[3.4.1] Timely submission of half yearly report within 45 days of the end of half year.				
13	[3.5.1] Timely submission of half yearly report within 45 days of the end of half year.				
14	[3.6.1] Number of persons imparted skills.				
15	[4.1.1] Number of State Waqf Boards.	States where the Centralised Computing Facility(CCF) is to be established under the scheme," "Computerization of records of State Wakf Boards" are as under: 1.Andhara Pradesh State Wakf Board 2.Gujarat State Wakf Board		5 State Wakf Board	

Section 4:
Description and Definition of Success Indicators and Proposed Measurement Methodology

Sl.No	Success indicator	Description	Definition	Measurement	General Comments
15	[4.1.1] Number of State Waqf Boards.	3.Jharkhand State Wakf Board 4.Dadra Nagar Haveili Wakf Board 5.U.P. Shia Wakf Board		5 State Wakf Board	
16	[4.2.1] Issue of guidlines.				
17	[4.2.2] Percentage release of B.E.				

Section 5 :
Specific Performance Requirements from other Departments

Location Type	State	Organisation Type	Organisation Name	Relevant Success Indicator	What is your requirement from this organisation	Justification for this requirement	Please quantify your requirement from this Organisation	What happens if your requirement is not met.
Central Government		Departments	Department of Financial Services	[3.2.1] Timely submission of quarterly report within 30 days of the end of quarter. [3.3.1] Timely submission of quarterly report within 30 days of the end of quarter. [3.4.1] Timely submission of half yearly report within 45 days of the end of half year. [3.5.1] Timely submission of half yearly report within 45 days of the end of half year.	data	for compilation of reports	PSL during each quarter	Report cannot be sent in time

Section 6:
Outcome/Impact of Department/Ministry

Outcome/Impact of Department/Ministry	Jointly responsible for influencing this outcome / impact with the following department (s) / ministry(ies)	Success Indicator	Unit	FY 11/12	FY 12/13	FY 13/14	FY 14/15	FY 15/16
1 The possibility of developing a 'Human Development Index' for minorities (HDIMIN) will be explored which will replace all the Outcomes earlier suggested by the Task.	The PMD will take the lead in arranging a meeting between the World Bank/ UNDP officials and the officials of the Ministry of Minority Affairs for finding suitable mechanism/agencies for preparing HDIMIN for minorities	Development of the Human Development Index for minorities (HDIMIN)	To be develope					

Performance Evaluation Report

Objective	Weight	Action	Success Indicator	Unit	Weight	Target / Criteria Value					Achiev-ement	Performance		
						Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor		Raw Score	Weigh-ted Score	As Approved by HPC
						100%	90%	80%	70%	60%				
1 Educational Empowerment of Minority communities	34.00	Sanctioning of Pre-matric scholarships.	Number of scholarships sanctioned	Number in lakhs	6.00	40	36	32	28	24	77.94	100.0	6.0	77.94
		Sanctioning of Post-matric scholarships.	Number of scholarships sanctioned	number in lakhs	6.00	5	4.5	4.0	3.5	3	8.90	100.0	6.0	8.90
		Sanctioning of scholarships under Merit-cum-means scheme.	Number of scholarships sanctioned	number in thousands	6.00	60	54	48	42	36	100.4	100.0	6.0	100.4
		Assistance for coaching under Free Coaching and allied scheme.	Number of beneficiaries	number of beneficiaries	5.00	6000	5400	4800	4500	4200	9997	100.0	5.0	9997
		Fellowships under Maulana Azad National Fellowship for minority students.	Number of Fellowships	number	6.00	756	750	745	740	735	756	100.0	6.0	756
		Report on evaluation on scholarship scheme.	Receipt of Final evaluation report of the agency.	Date	2.00	01/01/2014	15/01/2014	30/01/2014	15/02/2014	28/02/2014	29/11/2013	100.0	2.0	29/11/2013
		Sanctioning of bicycles to girl students of Class IX.	Issue of guidelines of restructured Multi Sectoral Development Programme	number	1.00						0	N/A	N/A	0
		Financial assistance for coaching classes for students clearing prelims of Civil Services Examinations.	Issue of guidelines after sanctioning of the scheme.	number	2.00	800	720	640	560	480	483	60.38	1.21	483
2 Area Development in Minority Concentration Blocks,Towns and Villages	35.00	Restucturing of Multi Sectoral Development Programme and its approval by the competent authority.	Issue of revised guidlines of restructured Multi Sectoral Devlopment Programme.	Date	10.00	15/07/2013	15/08/2013	15/09/2013	15/10/2013	15/11/2013	12/07/2013	100.0	10.0	12/07/2013
		Approval of Plan Proposals from State Governments	Amount approved by the Ministry	Rs. in crore	13.00	1250	1150	1000	900	800	1466.98	100.0	13.0	1466.98

Performance Evaluation Report

Objective	Weight	Action	Success Indicator	Unit	Weight	Target / Criteria Value					Achiev-ement	Performance		
						Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor		Raw Score	Weigh-ted Score	As Approved by HPC
						100%	90%	80%	70%	60%				
		Release of funds to the States /UTs under restructured Multi Sectoral Development Programme on approval	Percentage of utilization of BE 2013-14	Percentage of budget allocation	6.00	95	85	80	75	70	99.97	100.0	6.0	99.97
		Utilization of funds under restructured Multi Sectoral Development Programme by State/UTs.	Amount utilized by State/UTs	Rs in crore	6.00	800	750	700	650	600	364.48	0.0	0.0	364.48
3 Socio-economic empowerment of Minority Communities	8.00	Leadership development of minority women.	Number of beneficiaries.	number	3.00	38000	35000	30000	27000	23000	60875	100.0	3.0	60875
		Timely quarterly reports to be sent to the PMO on implementation of recommendations of the Sachar Committee..	Timely submission of quarterly report within 30 days of the end of quarter.	number	1.00	4	3	2	1	0	3	90.0	0.9	3
		Timely quarterly reports to be sent to the PMO on implementation of 15 PP.	Timely submission of quarterly report within 30 days of the end of quarter.	number	1.00	4	3	2	1	0	3	90.0	0.9	3
		Timely half yearly reports to be sent to COS/Cabinet Sectt. on the implementation of the implementation of the PM's new 15 Point Programme and Sachar Committee recommendations.	Timely submission of half yearly report within 45 days of the end of half year.	number	1.00	2	1	0	0	0	1	90.0	0.9	1
		Timely half yearly reports to be sent to COS/Cabinet Sectt. on the implementation of the implementation of the PM's new 15 Point Programme asnd Sachar	Timely submission of half yearly report within 45 days of the end of half year.	number	1.00	2	1	0	0	0	1	90.0	0.9	1

Performance Evaluation Report

Objective	Weight	Action	Success Indicator	Unit	Weight	Target / Criteria Value					Achiev-ement	Performance		
						Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor		Raw Score	Weigh-ted Score	As Approved by HPC
						100%	90%	80%	70%	60%				
		Committee recommendations.												
		Skill Development Initiative.	Number of persons imparted skills.	number	1.00	6000	5400	4800	4200	3600	20164	100.0	1.0	20164
4 Institutional Strengthening	8.00	Computerization of records of State Waqf Boards—completion of Central Computing Facilities and imparting of training.	Number of State Waqf Boards.	number	4.00	5	4	3	2	1	2	70.0	2.8	2
		Strengthening of State Waqf Boards.	Issue of guidlines.	Date	2.00	01/09/2013	15/09/2013	30/09/2013	15/10/2013	31/10/2013		N/A	N/A	
			Percentage release of B.E.	Percentage	2.00	100	90	80	70	60	27.28	0.0	0.0	27.28
* Efficient Functioning of the RFD System	3.00	Timely submission of Draft RFD 2014-15 for Approval	On-time submission	Date	2.0	05/03/2014	06/03/2014	07/03/2014	08/03/2014	11/03/2014	04/03/2014	100.0	2.0	04/03/2014
		Timely submission of Results for 2012-13	On-time submission	Date	1.0	01/05/2013	02/05/2013	03/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	01/05/2013	100.0	1.0	
* Transparency/Service delivery Ministry/Department	3.00	Independent Audit of implementation of Citizens'/Clients' Charter (CCC)	% of implementation	%	2.0	100	95	90	85	80		N/A	N/A	
		Independent Audit of implementation of Public Grievance Redressal System	% of implementation	%	1.0	100	95	90	85	80		N/A	N/A	
* Administrative Reforms	6.00	Implement mitigating strategies for reducing potential risk of corruption	% of implementation	%	1.0	100	95	90	85	80	80	60.0	0.6	80
		Implement ISO 9001 as per the approved action plan	% of implementation	%	2.0	100	95	90	85	80		N/A	N/A	

* Mandatory Objective(s)

Performance Evaluation Report

Objective	Weight	Action	Success Indicator	Unit	Weight	Target / Criteria Value					Achiev-ement	Performance		
						Excellent	Very Good	Good	Fair	Poor		Raw Score	Weigh-ted Score	As Approved by HPC
						100%	90%	80%	70%	60%				
		Identify, design and Implement major innovations.	Timely submission of Action Plan for enabling innovation	Date	2.0	15/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	21/05/2014		N/A	N/A	
		Identification of core and non-core activities of the Ministry/Department as per 2nd ARC recommendations	Timely submission	Date	1.0	24/03/2014	25/03/2014	26/03/2014	27/03/2014	28/03/2014	24/01/2014	100.0	1.0	24/01/2014
* Improving Internal Efficiency/Responsiveness.	2.00	Update departmental strategy to align with 12th Plan priorities	Timely updation of the strategy	Date	2.0	10/09/2013	17/09/2013	24/09/2013	01/10/2013	08/10/2013	10/09/2013	100.0	2.0	27/09/2013
* Ensuring compliance to the Financial Accountability Framework	1.00	Timely submission of ATNs on Audit paras of C&AG	Percentage of ATNs submitted within due date (4 months) from date of presentation of Report to Parliament by CAG .during the year.	%	0.25	100	90	80	70	60	100	100.0	0.25	100
		Timely submission of ATRs to the PAC Sectt. on PAC Reports.	Percentage of ATRS submitted within due date (6 months) from date of presentation of Report to Parliament by PAC .during the year.	%	0.25	100	90	80	70	60	100	100.0	0.25	100
		Early disposal of pending ATNs on Audit Paras of C&AG Reports presented to Parliament before 31.3.2012.	Percentage of outstanding ATNs disposed off during the year.	%	0.25	100	90	80	70	60	100	100.0	0.25	100
		Early disposal of pending ATRs on PAC Reports presented to Parliament before 31.3.2012	Percentage of outstanding ATRS disposed off during the year.	%	0.25	100	90	80	70	60	100	100.0	0.25	100

* Mandatory Objective(s)

Total Composite Score : 79.21

PMD Composite 77.7

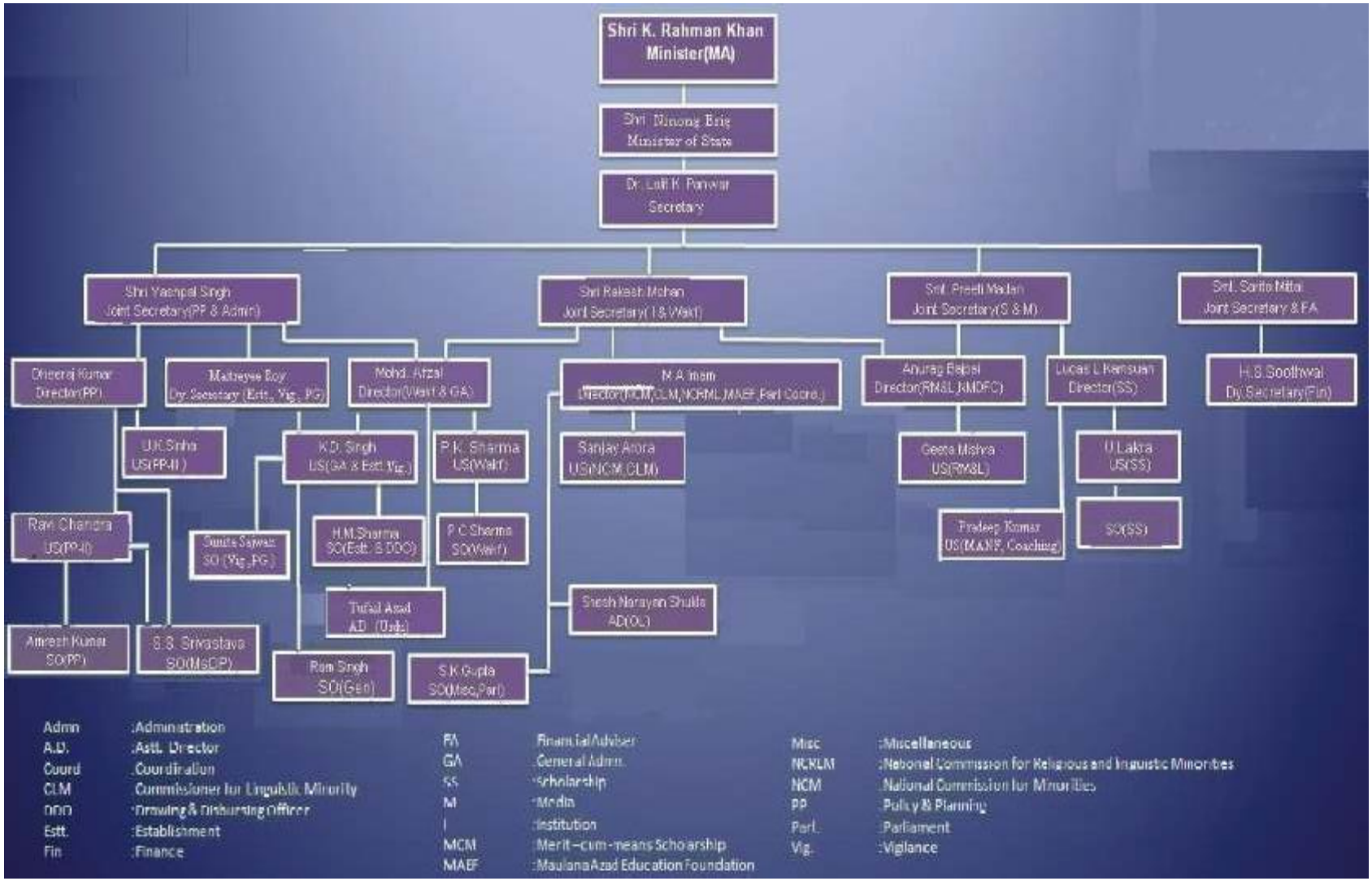

Annexure-I

Shri K. Rahman Khan
Minister(MA)
Shri Ninong Ering
Minister of State
Dr. Lalit K. Panwar
Secretary
Shri Yashpal Singh
Joint Secretary(PP & Admn)
Shri Rakesh Mohan
Joint Secretary(I & Wakf)
Smt. Preeti Madan
Joint Secretary(S & M)
Smt. Sarita Mittal
Joint Secretary & FA
Dheeraj Kumar
Director(PP)
Maitreyee Roy
Dy. Secretary (Estt., Vig., PG)
Mohd. Afzal
Director(Wakf & GA)
M.A. Imam
Director(NCM,CLM,NCRML,MAEF,Parl Coord.)
Anurag Bajpai
Director(RM&L,NMDFC)
Lucas L Kamsuan
Director(SS)
H.S.Soodhwal
Dy.Secretary(Fin)
U.K.Sinha
US(PP-II)
K.D. Singh
US(GA & Estt.Vig.)
P.K. Sharma
US(Wakf)
Sanjay Arora
US(NCM,CLM)
Geeta Mishra
US(RM&L)
U.Lakra
US(SS)
Ravi Chandra
US(PP-I)
Sunita Sajwan
SO (Vig.,PG)
H.M.Sharma
SO(Estt. & DDO)
P.C.Sharma
SO(Wakf)
Pradeep Kumar
US(MANF, Coaching)
SO(SS)
Tufail Azad
AD (Urdu)
Shesh Narayan Shukla
AD(OL)
Amresh Kumar
SO(PP)
S.S. Srivastava
SO(MsDP)
Ram Singh
SO(Gen)
S.K.Gupta
SO(Misc,Parl)
Admn :Administration
A.D. :Astt. Director
Coord :Coordination
CLM :Commissioner for Linguistic Minority
DDO :Drawing & Disbursing Officer
Estt :Establishment
Fin :Finance
FA :Financial Adviser
GA :General Admn.
SS :Scholarship
M :Media
I :Institution
MCM :Merit-cum-means Scholarship
MAEF :Maulana Azad Education Foundation
Misc :Miscellaneous
NCRLM :National Commission for Religious and linguistic Minorities
NCM :National Commission for Minorities
PP :Policy & Planning
Parl. :Parliament
Vig. :Vigilance

Annexure-II

Incumbency Statement of Ministry of Minority Affairs as on 31.03.2014

Sl No.	Post/ Pay Band/ Grade Pay/ Group	Sanctioned Strength	Working Strength	Vacancy
1.	SECRETARY/ Rs.80,000/- Fixed/ Gr. 'A'	01	01	00
2.	JOINT SECRETARY/ G.P. 10000/- / Gr. 'A'	03	03	00
3.	DIRECTOR/ DEPUTY SECRETARY/ G.P. 8700/- / 7600/- Gr. 'A'	07	07	00
4.	JOINT DIRECTOR (OL) GP: 7600/-	01	00	01
5.	UNDER SECRETARY/ G.P. 6600/-/ Gr. 'A'	10	09	01
6.	ASSISTANT DIRECTOR/ G.P. 5400/- / Gr. 'A'	03	00	03
7.	RESEARCH OFFICER/5400/- / Gr. 'A'	01	00	01
8.	ASSISTANT DIRECTOR (OFFICIAL LANGUAGE)/ G.P. 5400/- / Gr. 'B'	01	01	00
9.	SECTION OFFICER/ G.P. 4800/- / Gr. 'B'	08	07	01
10.	Sr. PPS G.P. 7600/- / Gr. 'A'	01	01	00
11.	PPS GP Rs.6600/-	03	01	02
12.	ASSISTANT/ G.P. 4600/- / Gr. 'B' (NG)	10	07	03
13.	SR. RESEARCH INVESTIGATOR/ G.P. 4200/- / Gr. 'B' (NG)	04	01	03
14.	SENIOR INVESTIGATORS/ G.P. 4200/- / Gr. 'B' (NG)	04	00	04
15.	ACCOUNTANT/G.P. 4200/- / Gr. 'B' (NG)	01	00	01
16.	PRIVATE SECRETARIES/ G.P. 4800/- / Gr. 'B'	04	03	01
17.	STENO GRADE 'C'/ PAG.P. 4600/- / Gr. 'B' (NG)	07	07	00
18.	SENIOR HINDI TRANSLATOR/ G.P. 4600/- /Gr. 'B' (NG)	01	01	00
19.	JUNIOR HINDI TRANSLATOR Rs.4200/-	03	02	01
20.	STENO GRADE 'D'/ G.P. 2400/- Gr. 'C'	05	03	02
21.	UDC. / G.P. 2400/ Gr. 'C'	01	00	01
22.	STAFF CAR DRIVER/ G.P. 1900/- / Gr. 'C'	02	02	00
23.	MTS/ G.P. 1800/- / Gr. 'D'	14.	06	08
24.	ASSISTANT DIRECTOR (URDU) G.P. 5400/- / Gr. 'B'	01	01	00
25.	Sr. TRANSLATOR (URDU) G.P. 4600/- / Gr. 'B' (NG)	01	00	01
26.	TYPIST (URDU) G.P. 1900/- / Gr. 'C'	01	00	01
	Total	**98**	**63**	**35**

Annexure-III

Statement Showing Scheme/ Programme-wise Twelfth Five Year Plan (2012-17) Outlay, Budget Estimates, Revised Estimates And Actual Expenditure During 2013-14

(₹ in crore)

	Name of Scheme/ Programme	Twelfth Plan Outlay	Budget Estimates 2013-14	Revised Estimates 2013-14	Actual Expenditure 2013-14 (Provisional)
1	Grant-in-aid to Maulana Azad Education Foundation	500.00	160.00	160.00	160.00
2	Coaching & Allied Scheme for Minorities	120.00	25.00	23.76	23.68
3	Contribution to the Equity of NMDFC	600.00	120.00	39.60	0.00
4	Research/ Studies, monitoring & evaluation of development schemes for Minorities including publicity	220.00	45.00	42.42	42.42
5	Grant-in-aid to State Channelizing Agencies (SCAs) engaged for implementation of NMDFC programme	10.00	2.00	2.00	2.00
6	Scheme for Leadership Development of Minority Women	75.00	15.00	14.74	11.96
7	Maulana Azad National Fellowship for minority students	430.00	90.00	50.11	50.02
8	Computerization of records of State Waqf Boards	17.00	3.00	3.00	2.98
9	Interest subsidy on Educational loans for Overseas Studies	10.00	2.00	0.66	0.00
10	Scheme for containing population decline of small Minorities	10.00	2.00	0.66	0.41
11	Skill Development Initiatives	60.00	17.00	17.00	16.99
12	Support for Students clearing Prelims conducted by UP"SC, SSC, State Public Services	18.00	3.00	1.96	1.95

13	Strengthening of the State Waqf Boards	35.00	7.00	1.93	1.91
14	Merit-cum-Means scholarship for professional and technical courses of undergraduate and post-graduate	1580.00	270.00	268.62	260.00
15	Multi-Sectoral Development Programme for Minorities in selected minority concentration districts	5788.00	1250.00	958.53	958.23
16	Pre-matric Scholarships for Minorities	5000.00	950.00	982.30	963.79
17	Post-matric Scholarships for Minorities	2850.00	548.50	542.53	515.76
18	Secretariat (Information Technology)		1.50	1.20	1.13
Grand Total (A+B)		**17323.00**	**3511.00**	**3111.01**	**3013.23**
	* Including the allocation for (i) Scheme for promotion of education in 100 minority concentration town/cities, out of 251 such town/ cities identified as backward (ii)Village Development Programme for Villages not covered by MCB/MCD (iii) Support to District Level Institution in MCDs and (iv) Free Cycle for Girls Students of Class IX which have been merged with MsDP.				

State/UT- wise & Community- wise distribution of Pre-matric scholarships for students belonging to the minority communities for the year 2013-14 (As on 31/03/2014)

S.No.	States/UTs	Muslim		Christian		Sikh		Buddhist		Parsi		Total		Male	female	% of female	Amount sanctioned (₹ in cr.)
		T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A				
1	Andhra Pradesh	147400	320238	24800	14085	600	407	600	193	18	26	173418	334949	158414	176535	52.71	62.39
2	Arunachal Pradesh	400		4200		55		3000		18		7673	0			#DIV/0!	
3	Assam	174000	232335	20800	9070	400	53	1000	509	18	0	196218	241967	110970	130997	54.14	39.21
4	Bihar**	289600	65536	1200	112	400	14	400	1	18	0	291618	65663	46046	19617	29.88	
5	Chhattisgarh	8600	15453	8400	2005	1400	2375	1400	363	18	0	19818	20196	9580	10616	52.56	4.87
6	Goa*	2000	1742	7601	6575	55	2	36	0	120	0	9812	8319	3626	4693	56.41	0.63
7	Gujarat	97000	352647	6000	2036	1000	251	400	776	120	46	104520	355756	175473	180283	50.68	37.87
8	Haryana**	25800	9796	600	76	24800	5908	200	0	18	0	51418	15780	9047	6733	42.67	
9	Himachal Pradesh	2600	2631	200	8	1600	885	1600	53	18	0	6018	3577	1791	1786	49.93	0.70
10	Jammu & Kashmir	143400	104975	400	233	4400	6875	2400	1564	18	0	150618	113647	59623	54024	47.54	17.43
11	Jharkhand	78800	22933	23000	3671	1800	90	200	0	18	0	103818	26694	12949	13745	51.49	4.53
12	Karnataka	136400	354959	21200	48360	400	403	8400	748	18	41	166418	404511	188274	216237	53.46	43.40
13	Kerala	166000	544865	127691	339708	55	55	36	36	18	18	293800	884682	406649	478033	54.03	67.01
14	Madhya Pradesh	81200	107814	3600	535	3200	1080	4400	77	18	1	92418	109507	57747	51760	47.27	10.85
15	Maharashtra	216800	525335	22400	13341	4600	5075	123000	238875	476	2551	367276	785177	384929	400248	50.98	56.49
16	Manipur	4000	3979	15599	9253	55	0	36	0	18	0	19708	13232	6559	6673	50.43	4.64
17	Meghalaya	2000	1107	34399	22714	55	4	36	0	18	0	36508	23825	10155	13670	57.38	3.50
18	Mizoram	200	189	16400	89501	55	0	1600	5055	18	0	18273	94745	46680	48065	50.73	23.00
19	Nagaland	800	254	37799	25538	55	0	36	0	18	0	38708	25792	12596	13196	51.16	6.24
20	Odisha	16200	28267	19000	10241	400	8	200	95	18	0	35818	38611	18543	20068	51.97	3.04
21	Punjab	8000	19626	6200	7441	3E+05	326356	800	89	18	37	322258	353549	212320	141229	39.95	70.44
22	Rajasthan	101000	243168	1600	435	17400	36450	200	46	18	1	120218	280100	145663	134437	48.00	31.66
23	Sikkim	200	0	800	1027	55	0	3201	2758	18	0	4274	3785	1814	1971	52.07	0.71
24	Tamil Nadu	73200	206036	79800	200288	200	0	200	0	18	0	153418	406324	205479	200845	49.43	40.68
25	Tripura	5400	7200	2200	0	55	0	2000	4	18	0	9673	7204	3323	3881	53.87	0.82
26	Uttar Pradesh	649000	1E+06	4400	461	14400	5599	6400	1436	18	16	674218	1262382	727293	535089	42.39	259.35
27	Uttarakhand	21400		600		4400		200		18		26618	0			#DIV/0!	
28	West Bengal	427200	2E+06	10800	21740	1400	1294	5200	9471	18	0	444618	1869161	906952	962209	51.48	169.36
29	Andaman & Nicobar	600	168	1600	68	55	0	36	0	18	0	2309	236	102	134	56.78	0.05
30	Chandigarh*	800	3132	200	242	3000	3345	36	2	18	0	4054	6721	3517	3204	47.67	0.75
31	Dadra & Nagar Haveli	200	152	200	15	55	0	36	0	18	0	509	167	86	81	48.50	0.04
32	Daman & Diu	200	487	55	7	55	0	36	0	120	0	466	494	226	268	54.25	0.14
33	Delhi	34200	33732	2800	377	11800	1979	600	8	18	0	49418	36096	16444	19652	54.44	3.67
34	Lakshadweep	1200		55		55		36		18		1364	0			#DIV/0!	
35	Puducherry*	1200	902	1400	439	55	0	36	0	18	0	2709	1341	598	743	55.41	0.23
Total:		3E+06	6E+06	507999	829602	4E+05	398508	167997	262159	1394	2737	4000000	7794190	3943468	3850722	49.41	963.70

T= Target A= Achievement

** Including Spill over cases of 2012- **Adjustment against previous year's unspent.*

State/UT- wise & community wise distribution of Post-matric Scholarships for Students belonging to the minority communities for the year 2013-14

Sl. No.	State/UT	Muslim		Christan		Sikh		Buddhist		Parsi		Total		No. of scholarships			Amount released (₹ in crore)
		T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	T	A	Male	Female	% age female	
1	Andhra Pradesh	18142	18651	3053	574	74	17	74	4	2		21345	19246	7419	11827	61.45	12.36
2	Arunachal Pradesh	60		628		8		451		3		1150	0			#DIV/0!	
3	Assam	26248	27618	3138	264	60	29	151	20	3	1	29600	27932	16270	11662	41.75	19.17
4	Bihar	35649	34368	148	33	49	25	49	56	2	3	35897	34485	17826	16659	48.31	18.20
5	Chhattisgarh	1063	2087	1038	200	173	465	173	59	2		2449	2811	995	1816	64.60	1.52
6	Goa	245	36	929	88	7		5		15		1201	124	31	93	75.00	
7	Gujarat	11926	32268	738	660	123	37	49	11	15	3	12851	32979	17779	15200	46.09	17.75
8	Haryana	3186	710	74	3	3062	796	25		2		6349	1509	880	629	41.68	0.30
9	Himachal Pradesh	324	225	25	5	199	112	199	11	2		749	353	135	218	61.76	0.06
10	Jammu & Kashmir	17655	22828	49	36	542	2505	296	90	2	2	18544	25461	12346	13115	51.51	15.74
11	Jharkhand	9715	10044	2836	1487	222	32	25	18	2		12800	11581	5556	6025	52.02	6.71
12	Karnataka	16795	45101	2612	6594	49	3	1035	71	2	2	20493	51771	19432	32339	62.47	29.39
13	Kerala	20425	37147	15712	32471	7	2	5	21	2	2	36151	69643	29224	40419	58.04	21.68
14	Madhya Pradesh	9972	10437	442	118	393	276	540	31	2	1	11349	10863	3488	7375	67.89	7.34
15	Maharashtra	26678	55845	2757	1255	566	307	15129	2818	59	4	45189	60229	24465	35764	59.38	38.72
16	Manipur	609	2822	2374	5015	8	1	6	15	3		3000	7853	3955	3898	49.64	5.79
17	Meghalaya	301	59	5182	111	8		6		3		5500	170	67	103	60.59	0.10
18	Mizoram	30	4	2468	664	8		241	1	3		2750	669	253	416	62.18	1.52
19	Nagaland	121	19	5713	211	8		6		3		5851	230	160	70	30.43	0.20
20	Odisha	1990	3166	2334	138	49	5	25	71	2		4400	3380	1679	1701	50.33	2.42
21	Punjab	984	2936	763	439	37793	73176	98	25	2	1	39640	76577	27609	48968	63.95	41.38
22	Rajasthan	12434	27616	197	96	2142	5517	25	21	2	9	14800	33259	19206	14053	42.25	22.97
23	Sikkim	31	2	122	103	8	1	487	204	3		651	310	110	200	64.52	0.21
24	Tamil Nadu	9017	20658	9831	34447	25	1	25	42	2	4	18900	55152	18906	36246	65.72	30.19
25	Tripura	810	661	330	2	8		300	2	3		1451	665	484	181	27.22	0.42
26	Uttar Pradesh	79849	162671	541	398	1772	2322	786	346	2	46	82950	165783	56432	109351	65.96	129.90
27	Uttarakhand	2653	580	75	10	545	183	25	1	2		3300	774	405	369	47.67	
28	West Bengal	52643	191311	1331	1966	173	193	641	1840	2	21	54790	195331	115782	79549	40.73	90.87
29	Andaman & Nicobar	130	2	347	3	12		8		4		501	5	2	3	60.00	0.01
30	Chandigarh	177	159	45	5	666	125	8	1	4		900	290	96	194	66.90	0.07
31	Dadra & Nagar Haveli	39	19	39	6	11		8		3		100	25	16	9	36.00	0.01
32	Daman & Diu	43	25	12	1	12		8		25		100	26	9	17	65.38	0.02
33	Delhi	2630	646	215	1	907	33	46		1		3799	680	298	382	56.18	0.41
34	Lakshadweep	264		12		12		8		4		300	0			#DIV/0!	
35	Puducherry	89	156	103	145	4		3		1		200	301	140	161	53.49	0.12
Total		**362927**	**710877**	**66213**	**87549**	**49705**	**86163**	**20966**	**5779**	**189**	**99**	**500000**	**890467**	**401455**	**489012**	**54.92**	**515.56**

T=Target; A=Achievement

State/UT- wise & Community- wise target (for fresh 60000 scholarships only) and achievement (both fresh & renewals) of Merit-cum means based scholarship scheme for students belonging to the minority communities for the year 2013-14

State/UT- wise & Community- wise target (for fresh 60000 scholarships only) and achievement (both fresh & renewals) of Merit-cum means based scholarship scheme for students belonging to the minority communities for the year 2013-14																		
S.No.	States/Uts	Muslim		Christian		Sikh		Buddhist		Parsi		Total		Male	female	% of female	Amount sanctioned	Amount sanctioned (₹ in Crore)
		T	A*	T	A*	T	A*	T	A*	T	A*	T	A*					
1	Andhra Pradesh	2211	1421	372	69	9	2	9	0	0	0	2601	1492	966	526	35.25	4.00E+07	4.25
2	Arunachal Pradesh	6		63	1	0		45		0		114	1		1	0	19490	0
3	Assam	2610	3544	312	134	6	17	15	15	0	0	2943	3710	2873	837	22.56	1.00E+08	10.69
4	Bihar	4344	6391	18	6	6	9	6	11	0		4374	6417	5560	857	13.36	2.00E+08	17.86
5	Chhattisgarh	129	177	126	86	21	64	21	12	0	0	297	339	169	170	50.15	9.00E+06	0.91
6	Goa	30	22	114	86	0		0		3		147	108	58	50	46.3	3.00E+06	0.26
7	Gujarat	1455	2448	90	136	15	15	6	3	3	5	1569	2607	1352	1255	48.14	6.00E+07	6.28
8	Haryana	387	444	9	7	372	414	3	0	0	0	771	865	678	187	21.62	2.00E+07	2.28
9	Himachal Pradesh	39	63	3	3	24	74	24	13	0		90	153	75	78	50.98	5.00E+06	0.45
10	Jammu & Kashmir	2151	2160	6	1	66	147	36	9	0	0	2259	2317	1510	807	34.83	6.00E+07	5.54
11	Jharkhand	1182	1670	345	32	27	32	3	2	0	0	1557	1736	1488	248	14.29	5.00E+07	4.9
12	Karnataka	2046	4516	318	926	6	9	126	75	0	0	2496	5526	2957	2569	46.49	1.00E+08	14.63
13	Kerala	2490	8336	1917	7266	0	0	0	0	0	0	4407	15602	8120	7482	47.96	4.00E+08	40.11
14	Madhya Pradesh	1218	1201	54	61	48	79	66	6	0	0	1386	1347	517	830	61.62	4.00E+07	3.61
15	Maharashtra	3252	6191	336	629	69	131	1851	160	12	2	5520	7113	4727	2386	33.54	2.00E+08	18.43
16	Manipur	60	158	234	361	0	0	0	0	0	0	294	519	267	252	48.55	2.00E+07	2
17	Meghalaya	30	32	516	674	0		0		0		546	706	342	364	51.56	2.00E+07	2.13
18	Mizoram	3	3	246	90	0	0	24	4	0		273	97	66	31	31.96	4.00E+06	0.36
19	Nagaland	12	5	567	1001	0	0	0	0	0	0	579	1006	565	441	43.84	3.00E+07	3.02
20	Orissa	243	493	285	82	6	9	3	22	0		537	606	436	170	28.05	2.00E+07	1.77
21	Punjab	120	186	93	99	4620	10936	12	10	0	0	4845	11231	5298	5933	52.83	2.00E+08	23.48
22	Rajasthan	1515	2371	24	6	261	390	3	2	0	0	1803	2769	2236	533	19.25	7.00E+07	6.66
23	Sikkim	3	0	12	23	0	0	48	123	0	0	63	146	72	74	50.68	4.00E+06	0.4
24	Tamil Nadu	1098	2894	1197	2252	3	0	3	3	0		2301	5149	2824	2325	45.15	1.00E+08	13.88
25	Tripura	81	131	33	5	0	0	30	2	0		144	138	110	28	20.29	5.00E+06	0.48
26	Uttar Pradesh	9735	16494	66	67	216	348	96	28	0	5	10113	16942	7905	9037	53.34	4.00E+08	43.83
27	Uttarakhand	321	483	9	8	66	81	3	0	0	0	399	572	450	122	21.33	2.00E+07	1.55
28	West Bengal	6408	10159	162	125	21	64	78	158	0	0	6669	10506	9007	1499	14.27	3.00E+08	28.29
29	Andaman & Nicobar	9	6	24	3	0		0		0		33	9	5	4	44.44	275400	0.03
30	Chandigarh	12	12	3	1	45	19	0		0		60	32	18	14	43.75	1.00E+06	0.14
31	Dadra & Nagar Haveli	3		3		0		0		0		6	0			0		0
32	Daman & Diu	3	7	0		0		0		3		6	7	5	2	28.57	210000	0.02
33	Delhi	513	417	42	7	177	188	9	1	0	0	741	613	423	190	31	1.00E+07	1.44
34	Lakshadweep	18		0		0		0		0		18	0			0		0
35	Puducherry	18	31	21	16	0		0		0		39	47	20	27	57.45	1.00E+06	0.13
	Total	**43755**	**72466**	**7620**	**14263**	**6084**	**13028**	**2520**	**659**	**21**	**12**	**60000**	**1.00E+05**	**61099**	**39329**	**39.16**	**######**	**259.84**

Annexure-VII

State/ UTs Wise List of Orgauization funded during 2013-14 under "Nai Roshni"

S. No.	States/ UTs	No. of Women Trainees	Amount Released as 1st Installment (in ₹)	Amount Released as 2nd Installment (in ₹)
1	Andhra Pradesh	2650	4723935	-
2	Arunachal Pradesh	375	536625	-
3	Assam	3400	6300570	71550
4	Bihar	750	1073250	-
5	Chhattisgarh	375	536625	-
6	Delhi	1125	1967625	71550
7	Gujarat	375	536625	59760
8	Haryana	250	357750	-
9	Himachal Pradesh	125	178875	-
10	Jammu & Kashmir	500	715500	-
11	Jharkhand	1100	1917540	-
12	Karnataka	2050	3105270	499635
13	Kerala	625	1037475	-
14	Madhya Pradesh	4925	7362495	1556145
15	Maharashtra	2000	2862000	270675
16	Manipur	3000	4364550	2201940
17	Nagaland	250	357750	-
18	Odisha	1375	1967625	186030
19	Punjab	1250	2504250	-
20	Rajasthan	2625	3756375	1093050
21	Tamil Nadu	1200	2117880	128790
22	Uttar Pradesh	25475	47628188	6317940
23	Uttarakhand	1875	2683125	1941615
24	West Bengal	3200	5623830	-
	Total	**60875**	**104215733**	**14398680**
	Salary to CPMUL		934980	
Grand Total		**60875**	**119549393**	

Annexure-VIII

State-wise list of Organizations to whom funds have been released for organizing Workshops/ Seminars/ Conferences during 2013-14 under the Scheme of Research/ Studies, Monitoring and Evaluation of Development Schemes including Publicity.

Sl. No.	State	Name of Organization	Amount Sanctioned (in ₹)	Amount Released (in ₹)
1	Andhra Pradesh	Vision – Rural Development Society	1,25,000/-	112500/-
2		Society for Social Transformation	1,25,000/-	112500/-
3		Vanitha Jyothi Mahila Sangam	1,25,000/-	112500/-
4		Gowthami Foundation	1,25,000/-	112500/-
5		Annadaatha	1,25,000/-	112500/-
6		Al- Akbar Education & Welfare Society	1,25,000/-	112500/-
7	Arunachal Pradesh	Youth Action for Social Welfare (YASW)	1,25,000/-	112500/-
8		Arunachal Pradesh Art and Culture Eco Tourism Society (APCETS)	1,25,000/-	112500/-
9	Assam	Adarsha –Samaj Kalyan Samity	1,25,000/-	112500/-
10		Global Health and Education Centre (GHEC)	1,25,000/-	112500/-
11		Sarbangin Unnayan Samittee, Larkuchi	1,25,000/-	112500/-
12		Panigaon Om Prakash Dinodia College	1,25,000/-	112500/-
13		NE Trade Promotion and Development Council	1,25,000/-	112500/-
14		Department of Persian, Guwahati University	1,25,000/-	112500/-
15		Global Health Immunization & Population Control Organization	1,00,000/-	90,000/-
16		Asom Rajik Krishak Samannay Samiti	1,25,000/-	112500/-
17		Gramya Yuva Jagrata Sammiti: Assam	1,25,000/-	112500/-
18		Suhana Foundation	1,25,000/-	112500/-
19		Ajmal Foundation	1,25,000/-	112500/-
20		North Eastern Development Council for Human Resource	1,25,000/-	112500/-
21		Indian Institute of Entrepreneurship	1,25,000/-	112500/-
22		North East Engineers and Consultants	1,25,000/-	112500/-
23	Bihar	Uma Seva Sansthan	1,00,000/-	90,000/-
24		Ujan Gramin Vikas Samiti	1,25,000/-	112500/-
25		Sahyog Social and Welfare Society, Patna-Bihar	1,25,000/-	112500/-
26		Vikas Vihar	1,25,000/-	112500/-
27	Delhi	Haryali Center for Rural Development	1,25,000/-	112500/-
28		Groupious Social Welfare Society	1,25,000/-	112500/-
29		All India Confederation For Women's Empowerment Through Education	1,25,000/-	112500/-
30		Society for Cause of People's Empowerment	1,25,000/-	112500/-

		(SCOPE)		
31		Asarr: The Impact	1,00,000/-	90,000/-
32		Basic Foundation	1,25,000/-	112500/-
33		Agricultural Finance Cooperation Limited	2,00,000/-	1,80,000/-
34	Haryana	Rural India Youth Club	1,25,000/-	112500/-
35		Akhil Bhartiya Human Association.	1,25,000/-	112500/-
36		Janhit SewaSamiti	1,25,000/-	112500/-
37	Jharkhand	Society for Innovative Rural Development	1,25,000/-	112500/-
38		Vigyan Prodyogiki Evam Gramodyog Prasar Samiti.	1,25,000/-	112500/-
39		Priya Sewa Sadan	1,25,000/-	112500/-
40	Karnataka	AVK Group of Institutions	1,25,000/-	112500/-
41	Madhya Pradesh	B M Education Society	3,75,000/-	3,37,500/-
42	Manipur	The Rural Medical and Health Care Centre	1,25,000/-	1,12,500/-
43		Sangai Foundation	1,25,000/-	1,12,500/-
44		Revival Foundation-Re found	1,25,000/-	1,12,500/-
45		Integrated Rural Development and Educational Organization	1,25,000/-	1,12,500/-
46		(NEBRDA) North East Bio-Economic Rural Development Activities	1,25,000/-	1,12,500/-
47	Meghalaya	University of Science & Technology, Meghalaya	2,50,000/-	2,25,000/-
48	Nagaland	St. Joseph's College	1,25,000/-	1,12,500/-
49	Punjab	University School of Open Learning, Chandigarh	1,25,000/-	1,12,500/-
50	Rajasthan	Will & Way Development Institute	1,25,000/-	1,12,500/-
51		Srijan Sansthan	1,25,000/-	1,12,500/-
52		Guru kripa LokSewa Sansthan	1,25,000/-	1,12,500/-
53		UGC Centre for Women's Studies (Mohan lal Sukhariya University)	1,25,000/-	1,12,500/-
54		Shiv Charan Mathur Social Policy Research Institute	1,25,000/-	1,12,500/-
55	Sikkim	Sikkim University, Sikkim	1,25,000/-	1,12,500/-
56	Tamil Nadu	Annamalai University (Management Wing)	1,25,000/-	1,12,500/-
57		Annamalai University (Economics Wing)	1,25,000/-	1,12,500/-
58	Uttrakhand	Himalayan Institute for Rural Awakening (HIRA)	75,000/-	67,500/-
59		Rural Litigation and Entitlement Kendra	1,25,000/-	1,12,500/-
60		Edara Shabeb eIslami	1,25,000/-	1,12,500/-
61	West Bengal	Bagnan Human Rural Development Society	1,25,000/-	1,12,500/-
62		Administrative Training Institute	2,50,000/-	2,25,000/-
63		Islamic Education Welfare Association	1,25,000/-	1,12,500/-
64		Budge Budge United Social Development Welfare Society	1,25,000/-	1,12,500/-

65	Uttar Pradesh	Aawam Shanti & Health Education Welfare Society	1,25,000/-	1,12,500/-
66		Swarnim Sansthan	1,25,000/-	1,12,500/-
67		Yuva Kalyan Samiti	1,25,000/-	1,12,500/-
68		Mahila Kalyan Samiti	1,25,000/-	1,12,500/-
69		Awadh Sewa Sansthan	1,25,000/-	1,12,500/-
70		Regional Artisan and Female Establishment Centre	1,25,000/-	1,12,500/-
71		Nehru Yuva Kendra, Barabanki	1,25,000/-	1,12,500/-
72		Premlata Manju Tiwari Poorva Madhyamik Vidyalay Samiti	1,25,000/-	1,12,500/-
73		Sadbhawna Samiti	1,25,000/-	1,12,500/-
74		Gramin Sewa Sansthan	1,25,000/-	1,12,500/-
75		U.P.State Social Welfare Board	1,25,000/-	1,12,500/-
76		Bandhana Foundation	1,25,000/-	1,12,500/-
77		Sai Sewa Sansthan	1,25,000/-	1,12,500/-
78		Association for Social Health in India	1,25,000/-	1,12,500/-
79		Swami Gram Samaj Sewa Sansthan (SGSSS)	1,25,000/-	1,12,500/-
80		Manav Sewa Samiti	1,25,000/-	1,12,500/-
81		Allama Iqbal Educational Society	1,00,000/-	90,000/-
82		Maulana Azad Memorial Society	1,25,000/-	1,12,500/-
83		Saroj Jan Kalyan Sansthan	1,25,000/-	1,12,500/-
84		Pragati Pathgamini	1,25,000/-	1,12,500/-
85	Uttar Pradesh	Samajik Anusandhanevam Manav Vikas Sansthan	1,00,000/-	90,000/-
86		Umang Sewa Sansthan	1,25,000/-	1,12,500/-
87		ShyamK avi Lok Kalyan Sansthan	1,25,000/-	1,12,500/-
88		Society for Voluntary Actions & Research	1,25,000/-	1,12,500/-
89		Development Services International	1,25,000/-	1,12,500/-
90		Sahas Foundation	1,25,000/-	1,12,500/-
91		Adharshila Samajik Even Sanskritik Vikas Santhan	1,25,000/-	1,12,500/-
92		Jan Kalyan Evam Vikas Samiti.	1,25,000/-	1,12,500/-
93		Social & Literacy Development Association	1,25,000/-	1,12,500/-
94		Rohini Vaigyanic Avam Samajik Sansthan	1,25,000/-	1,12,500/-
95		Navada Gramodhyog Vikas Samiti	1,25,000/-	1,12,500/-
96		Natural Resource Care Society	1,25,000/-	1,12,500/-
97		Ram Piyare Shiksha Avem Krishi Jan Kalyan Samiti	1,25,000/-	1,12,500/-
98		Satya College of Engineering & Technology (Tungnath Education Society)	1,25,000/-	1,12,500/-
99		Gram Vikas Samiti	1,25,000/-	1,12,500/-
100		Pioneer Foundation	1,00,000/-	90,000/-

101	Uttar Pradesh	Shree Hans Shaikshanik EvamSewa Sansthan	62,000/-	55,800/-
102		Gramya Vikas Sansthan	1,25,000/-	1,12,500/-
103		Indian Social Society	1,25,000/-	1,12,500/-
104		Srijan	62,000/-	55,800/-
105		Nav Chetna Mahila Kalyan Samiti	1,25,000/-	1,12,500/-
106		Acharya Je Maha Samiti (U.P.)	1,25,000/-	1,12,500/-
107		Bahin	1,25,000/-	1,12,500/-
108		SP Gramya Vikas evam Gramodhyog Sansthan	1,25,000/-	1,12,500/-
109		Rafat Foundation	1,00,000/-	90,000/-
110		INS memorial Society	1,25,000/-	1,12,500/-
111		Venus Vikas Sansthan	1,25,000/-	1,12,500/-
112		Surya Vikas Samiti	1,25,000/-	1,12,500/-
113		Purvanchal Vikas Sansthan	1,00,000/-	90,000/-
114		Support for Implementation and Research	1,25,000/-	1,12,500/-
115		Friend's Youth Club	1,25,000/-	1,12,500/-
116		Anshikha Gramodyog Sewa Sansthan	1,25,000/-	1,12,500/-
117	Ministry	Central Wakf Council	10,00,000/-	9,00,000/-
118		Maulana Azad Education Foundation	10,00,000/-	9,00,000/-
	Total		**1,65,11,000/-**	**1,48,59,90/-**

Annexure-IX

SCHEME FOR RESEARCH/STUDIES, MONITORING AND EVALUATION OF DEVELOPMENT SCHEMES INCLUDING PUBLICITY
Details of Funds Released to various Agencies/Organizations during 2013-14

Sl. No.	Component	Name of Agency/Organization	Purpose	Location	Amount Released in ₹
1	**Media**	Directorate of Advertising and Publicity (DAVP), Ministry of Information and Broadcasting	Print Ads; Multi-media Campaign through Digital Cinema, Private FM Channels, Exhibition Vans, LCDs, Hoardings/Flex etc. and Websites.	All over India	190000000
		All India Radio (Broadcasting Corporation of India)	Broadcast of Jingles and audio spots on schemes/ programmes	All Over India	77074617
		Doordarshan (Broadcasting Corporation of India)	TV Commercials/ video spots on schemes/ programmes	All over India	51511723
		Doordarshan (Broadcasting Corporation of India)	Broadcast of Documentary in DD Urdu	All over India	202248
		National Film Development Corporation (NFDC)	Digital Cinema	—	20000000
		National Film Development Corporation (NFDC)	Production of video spots, language versions, dubbing of video spots, radio jingles, audio spots and sponsored radio programmes.	—-	23654948
		Nirman Advertising Pvt. Limited, New Delhi	Five Creatives for advertisements	—	154629
		Kaka Advertising Agency	Seven Creatives for advertisements	—-	224914
		Vivid India	Two Creatives for advertisements	—-	55267
		Panorama Television Pvt. Ltd. (ETV Urdu)	Production and telecast of Documentary in ETV Urdu Channel	—	14831520
		India Trade Promotion Organization (ITPO)	Participation in IITF, 2013	—	1685400
		K.S. Enterprises	(a) Printing of Booklets (b) Printing of Booklets/ Pamphlets		578025 443169
		India Offset Press	(a) Printing of Calendars (b) Printing of Magazines		2491000 4900000
		NMDFC	(i) Participation in Surajkund Crafts Mela, 2014 (ii) Loan Melas		3500000 882000
	Grand Total	-	-	-	**392189460**

Annexure-X

STATEMENT SHOWING FINANCIAL & PHYSICAL ACHIEVEMENTS GENDER WISE UNDER THE SCHEMES OF TERM LOAN & MICRO CREDIT DURING 2013-14 (AS ON 31.03.2014)

NAME OF THE SCHEME	FINANCIAL ACHIEVEMENTS (₹ In Crores)			PHYSICAL ACHIEVEMENTS*			
				No. of Units/ beneficiaries			
	Men*	Women*	Total	Men*	Women*	Total	% of women beneficiaries
TERM LOAN	131.63	70.88	202.5	13857	7461	21318	**35%**
MICRO CREDIT	12.30	110.66	122.96	5465	49183	54648	**90%**
TOTAL	**143.92**	**181.54**	**325.46**	**19322**	**56645**	**75966**	
* Provisional							

FINANCIAL AND PHYSICAL ACHIEVEMENTS IN NORTH EASTERN REGION & SIKKIM UNDER THE SCHEME OF TERM LOAN AND MICRO CREDIT DURING 2013-14 (AS ON 31.03.2014)

Sl.No	State Union/ Territories	₹ in lakh	No. of Benf.s
1	Arunachal Pradesh	0.00	0
2	Assam	0.00	0
3	Manipur	0.00	0
4	Meghalaya	0.00	0
5	Mizoram	0.00	0
6	Nagaland	496.00	849
7	Sikkim	0.00	0
8	Tripura	900.00	948
	Total	**1396.00**	**1797**

		Allocations 2013-14		Cumulative Disbursements	
Sl.No	**State Union/ Territories**	**₹ in lakh**	**No. of Benf.s**	**₹ in lakh**	**No. of Benf.s**
1	Arunachal Pradesh	0	0	2.25	42
2	Assam	3000	8245	1302.00	9453
3	Manipur	400	1100	205.86	2195
4	Meghalaya	0	0	3.60	62
5	Mizoram	400	1098	4128.02	13332
6	Nagaland	900	1286	8163.30	19741
7	Sikkim	0	0	0.00	0
8	Tripura	900	948	2163.21	3104
	Total	**5600.00**	**12677**	**15968.24**	**47929**

Annexure-XII

STATE/ UT-WISE FINANCIAL ACHIEVEMENTS UNDER THE SCHEME OF TERM LOAN & MICRO CREDIT DURING 2013-14 (AS ON 31.03.2014)

Sl. No.	State/ Union Territories	Amt. ₹ in Lakhs
1	AP	0.00
2	ASSAM	0.00
3	BIHAR	0.00
4	CHANDIGARH	0.00
5	CHHATISGARH	0.00
6	DELHI	0.00
7	GUJARAT	0.00
8	HP	350.00
9	HARYANA	150.00
10	J&K	1500.00
11	JHARKHAND	0.00
12	KERALA	7300.00
13	KARNATAKA	1850.00
14	MADHYA PRADESH	0.00
15	MAHARASHTRA	0.00
16	MANIPUR	0.00
17	MIZORAM	0.00
18	NAGALAND	496.00
19	ORISSA	0.00
20	PUNJAB	700.00
21	PONDICHERRY	300.00
22	RAJASTHAN	4000.00
23	TAMIL NADU	2000.00
24	TRIPURA	900.00
25	UP	0.00
26	UTTRANCHAL	0.00
27	WEST BENGAL	13000.00
	T O T A L	**32546.00**

Annexure-XIII

STATE/UT-WISE PHYSICAL ACHIEVEMENTS UNDER THE SCHEMES OF TERM LOAN & MICRO CREDIT DURING 2013-14 (AS ON 31.03.2014)

Sl. No.	State/ Union Territories	No. of Beneficiaries
1	AP	0
2	ASSAM	0
3	BIHAR	0
4	CHANDIGARH	0
5	CHHATISGARH	0
6	DELHI	0
7	GUJARAT	0
8	HP	368
9	HARYANA	667
10	J&K	1579
11	JHARKHAND	0
12	KERALA	16162
13	KARNATAKA	1947
14	MADHYA PRADESH	0
15	MAHARASHTRA	0
16	MANIPUR	0
17	MIZORAM	0
18	NAGALAND	849
19	ODISHA	0
20	PUNJAB	738
21	PUDUCHERRY	825
22	RAJASTHAN	4211
23	TAMIL NADU	6854
24	TRIPURA	948
25	UP	0
26	UTTRAKHAND	0
27	WEST BENGAL	40818
	T O T A L	**75966**

Annexure-XIV

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

Details of Grant-in-Aid Sanctioned to NGOs in the Year 2013-14(Upto 31-03-14)

Sl. No.	State-wise Sl. No.	Name & Address of the NGOs	Year of Sanction	Purpose of Grant	Grant-in-Aid Sanctioned (₹ in Lakh)
		ANDHRA PRADESH			
1	1	Al-Ameen Educational Society, D.No.5-9-29/1, Rahmathpur, Hindupur -515 201, Distt. Ananthapur (AP) Ph: 093468 23873	2013-14	Expansion of High School bldg.	1000000
2	2	Vazir Khan Memorial Educational Society, MIG-27, R.K. Nagar Colony, Opp. Electrical revenue office, Distt. Srikakulam -532001 (AP)	2013-14	Expansion of B.Ed. College bldg.	1500000
3	3	Darul Uloom Ashrafia Educational Society, C/o Ashrafia Upper Primary School, Kollampally, Narayanpet, Distt. Mahbubnagar, Andhra Pradesh, (Ph: 98486 67861, 9440867482)	2013-14	Construction of School Bldg	1000000
				Total	**3500000**
		ASSAM			
4	1	Mullaganj Studies & Cultural Centre, PO: Mullaganj Bazar, Distt. Karimganj - 788 719 (Assam)	2013-14	Expansion of Hr. Sec. School bldg.	1500000
5	2	Education Research & Development Foundation, Central IT College, Block -B, Dr. R P Road, Dispur Guwahati, T.K.V. Electric Veng, Distt. Kamrup -781006	2013-14	Construction of 100 bedded girls hostel bldg.	3000000
6	3	Global Friendship Society, Vil. Lowgaon PO: Solmari, PS: Rupahi Via -Haibargaon, PO: Solmari, Distt. Nagaon -782002 (Assam) (Ph: 9954041671, 9864363363)	2013-14	Expansion of High School bldg.	1000000
7	4	Asom Rajik Krishak Samannay Samity, Vill. Beloguri Natun Bazar, Via -Haiborgaon, PO: Solmari, Distt. 782002 (Assam) (Ph: 9864763449)	2013-14	Expansion of High School bldg.	1000000
				Total	**6500000**
		BIHAR			
8	1	New Horizon Educa-tional & Scientific Access Trust, C/o New Horizen School, 3, Bhikhanpur, Distt. Bhagalpur -812001 (Bihar) (Ph: 0641 -2424837, 9801023940)	2013-14	Construction of boys hostel bldg.	3000000
9	2	Hazrat Ali Welfare Mission, Holy Family Mission School Cam-pus, Vill. Hamzapur, PO: Sherghati, Distt. Gaya - 824 211 (Bihar), Ph: 06326 242 006, 094718 98786, 088098 69501	2013-14	Expansion of High School bldg.	1000000
				Total	**4000000**
		GUJARAT			
10	1	Gorwa Muslim Education Society, Madarsa Bldg. First Floor, Near Bus Stand, Gorwa, Distt. Vadodara -390016	2013-14	Construction of High School bldg.	2000000
11	2	Tanzeem Committee, Mullawad, Distt. Patan - 384265 (Gujarat)	2013-14	Construction of High School bldg.	2000000
12	3	Mohandas Gandhi Education Trust, Tq. Mangrol, Near Old bus station, Distt. Junagad - 362225 (Gujarat)	2013-14	Construction of High school bldg.	2000000
13	4	Lokhit Education and Charitable Trust, Station Road, At. Kanjari, Tq. Nadiad, Distt. Kheda - 387325 (Gujarat) (9898494473)	2013-14	Construction of Middle School bldg.	1500000

14	5	Madarsa Moinul Islam Trust, Madarsa Campus, Near Motivahorwad, Himmat Nagar, Distt. Sabarkantha -383001 (Gujarat) (Ph: 02772 - 242934, 222696, 9825070411, 9426040793)	2013-14	Expansion of School bldg.	1000000
15	6	Aroma Education and Welfare Trust, C/o Aroma Primary & Sec. School, At. & Post: Bhagal (Jagana), Tq. Palanpur, Distt. Banaskantha -385001 (Gujarat) (Ph: 9824032999)	2013-14	Construction of school bldg.	1000000
16	7	Dadhal Education Dispensary Water Works Trust, C/o M.I. Kazi Meml. Hr. Sec. School, At & P.O. Dadhal, Tq. Ankhleshwar, Distt. Bharuch-393001 (Gujarat) (Ph: 02646-220002, 9879392931)	2013-14	Purchase of computers for the School's lab	250000
17	8	Viklang Vikas Mandal Trust, C/o Sahyog Hr. Sec. School, At. Panchasiya, Tq. Wakaner, Distt. Rajkot -363622 (Gujarat)	2013-14	Construction of 30 bedded Boys Hostel bldg.	1000000
				Total	**10750000**
		HARYANA			
18	1	S.K. Education & Welfare Society, Sahid Khan High School, Vill. Bisru, PO: Bisru, Tehsil Punhana, Distt. Mewat -122508 (Haryana)	2013-14	Construction of School bldg.	2000000
19	2	Rahmania Education Society, C/o Jamia Subhniya High School, Guhana Road, Bara Rithat, Distt. MEWAT (Haryana)	2013-14	construction of High School bldg.	2000000
20	3	Anjuman Alia Al-Falah Samiti, C/o Azad National Model School, Imam Nagar, PO: Nagina, Distt. Mewat -122108 (Haryana)	2013-14	Construction of 30 bedded Boys Hostel bldg.	1000000
21	4	Idea Education Society, Vill: Bisru, Tehsil: Punhana, Distt. Mewat -122508 (Haryana)	2013-14	Construction of Hr. Sec. School bldg.	2000000
22	5	Azmat Khan Meo Shiksha Samiti, C/o Azmat Khan Indian Public High School, Malai, Distt. Palwal -121103 (Haryana) (Ph: 9991010878)	2013-14	Expansion of High School bldg.	1000000
23	6	Nawab Shamsuddin Educational & Social Welfare Society, Vill. Raniyala Ferozepur, PO: Mandikhera, Block -F.P. Jhirka, Distt. Mewat -122108 (Haryana) (Ph: 9991907191, 981351248)	2013-14	Expansion of High School bldg.	1000000
24	7	Gramin Vikas Shiksha Evam Samaj Kalyan Samiti, Vill. Agon, Block - Ferozepur Jhirka, Distt. Mewat -122104 (Haryana) (Ph: 9991304077)	2013-14	Expansion of Hr. Sec. School bldg.	1500000
25	8	Qari Mohd. Suleman Educational Society, VPO: Malab, Tehsil -Nuh, Distt. Mewat -122107 (Haryana) (Ph: 9813244683, 9813242786)	2013-14	Expansion of High School bldg.	1000000
26	9	Haji Hussaina Memorial Educational Trust, C/o National Public School, At: & Po: Akera, Tehsil: Nuh, Distt. Mewat-122 107 (Haryana) (Ph: 9813625696)	2013-14	Expansion of High School bldg.	1000000
27	10	Abul Hassan Education & Walefare Society, Khari Shaha Chokha, Tehsil -Punhana, Distt. Mewat -122508 (Haryana) (Ph: 9813780466, 9991437402)	2013-14	Construction of High School bldg.	2000000
28	11	Gramin Jan Seva Avam Shiksha Samiti, C/o Anupam Public School, Pema road, Tehsil Punhana, Distt. Mewat -122508 (Haryana) (Ph: 9813807885, 9812612462)	2013-14	Construction of Middle School bldg.	1500000
29	12	Rural Education & Development Society, Pinangwan, Tehsil: Punhana, Distt. Mewat - 122 508 (Haryana), PH: 098139 79786	2013-14	Expansion of Hr. School bldg.	1500000

30	13	Educational And Social Welfare Society, C/o Sunrise Public School, Vill. Sarai, PO: Khatela, Teh. :Hodal Distt. Palwal -121105 Haryana (Ph: 94160 01786 & 01275-207976)	2013-14	Expansion of High School bldg.	1000000
				Total	**18500000**
		JAMMU & KASHMIR			
31	1	The Educational Trust, Kashmir, Auqaf Complex, Alamgari Bazar, Zadibal Distt. Srinagar -190011, C/o Imamia Public School, Ichgam, Budgam (Kashmir)	2013-14	Construction/ Expansion of High School bldg.	1500000
32	2	Human Welfare Organization, H. No. 171, Balgarden, Karan-Nagar, Distt. Srinagar - 190010 (J&K)	2013-14	Purchase of computers/machinary/tools/ equipment for VTC/VTP	500000
				Total	**2000000**
		JHARKHAND			
33	1	Millat Educational & Welfare Society, Madarsa Road, PO: Unchari, Distt. Garhwa -822114 (Jharkhand)	2013-14	Expansion of Hr. Sec. School bldg.	1500000
34	2	Dhanbad Momin Welfare Society, Wasseypur, Dhanbad - 826 001 (Jharkhand), Ph: 090319 95560	2013-14	Expansion of Hr. Sec. School bldg.	1500000
35	3	Mahila Dastkari Vidyalaya, Shamim-abad, PO: Itki, Distt. Ranchi -835301 (Jharkhand) (Ph: 06529 -227216, 7677751339, 96081 84976, 94311 69879)	2013-14	construction of Girls Hostel bldg.	3000000
				Total	**6000000**
		KARNATAKA			
36	1	Al-Hasnath Association, C/o Al-Hasanath Urdu High School, Habeeb Nagar, Jorapur Peth, Nr. Jannat Masjid, Distt. Bijapur -586101 (Karnataka)	2013-14	Construction of School bldg.	2000000
37	2	Abu Minority Women Multipurpose Society & Social Welfare Trust, C/o Abu Private Industrial Training Institute, Old Chandakavate Road, Tq. Sindagi, Distt. Bijapur (Karnataka)	2013-14	Expansion of VTC/ITI bldg.	1000000
38	3	Gawan Education Society, Quadria Ground, Patal Nagri, Distt. Bidar -585401 (Karnataka)	2013-14	Expansion of High School bldg.	1000000
39	4	Reliance Education Society, Talikoti, Distt. Bijapur - 586 214 (Karnataka), Ph: 094489 39511, 090365 0994	2013-14	Construction of ITI/ VTC bldg.	1000000
40	5	Al-Furqan Education Trust, C/o Ideal Public School, Ideal Campus, Basavakalyan, Distt. Bidar -585327 (Karnataka)	2013-14	Expansion of Hr. Sec. School bldg.	1500000
41	6	Hazrat Abu Bakar Education Society, # 8-1-168, Out Side Shah Gunj, Distt. Bidar-585401 (Karnataka) (Ph: 08482 -221348, 9448039940)	2013-14	Construction of School bldg.	1500000
42	7	Al-Iman Social and Rural Education Trust, National Colony, Murdeshwar, Distt. Karwar - 581 350 (Karnataka), Ph: 094481 83076, 08358 260324	2013-14	Expansion of High School bldg.	1000000
				Total	**9000000**
		KERALA			
43	1	Isha-Athul Islam Trust, Manjeri, Post Manjeri College, Distt. Malappuram (Kerala)	2013-14	construction of Girls Hostel bldg.	1000000
44	2	Al-Madrasathul-Zahra Islamic & Arts College Paripalana Committee, Thangalpeedika, PO: Mokri, Distt. Kannur -670 692 (Kerala)	2013-14	Expansion of Hr. Sec. School bldg.	1500000

45	3	Ideal Educational & Charitable Trust, Imacon Building, PO: Chappanangadi, Via Kottakkal, Distt. Malappuram - 675 503 (Kerala)	2013-14	construction of Girls Hostel bldg.	1000000
46	4	Ma'dinu Ssaquafathil Islamiyya, Swalath Nagar, Melmpuro Post, Malappuram - 676514	2013-14	Purchase of equipments for ITI/ITC	800000
47	5	Salahudeen Ayyoobi Educational Complex, Parakkulam, PO: Kalladathur, Distt. Palakkad - 679552 (Kerala)	2013-14	Expension of High School bldg.	1000000
48	6	Darul Hikam Islamic Centre, Chemmaniyode (Post), Distt. Malappuram (Kerala)	2013-14	construction of Girls Hostel bldg.	1000000
49	7	Dr. Zakhir Hussain Memorial Education Trust, C/o Dr. Z.H.M. Bharatiya Vidya Vihar Sr. Sec. School, PO: Panachikavu, Perunna West, Changanacherry, Distt. Kottayam (Kerala)	2013-14	Construction of Girls Hostel bldg.	1000000
50	8	Islamic Service Society, PO: Ponniakurssi, Perintalmanna, Distt. Malapurram -679322 (Kerala) (Ph: 04933 -222480, 226146, 221835)	2013-14	Expansion of B.Ed. College bldg.	1500000
51	9	Vanimal Crescent High School Managing Committee PO: Kodiyura, Via Kallachi, Distt. Kozhikode – 673 506 (Kerala), Ph: 0496-2560320, 094463 86470	2013-14	purchase of science/ computer lab equipments	100000
52	10	People's Welfare Trust, C/o Azhar English Medium School, PO: Tirurkad, Distt. Malappuram - 679 351 (Kerala). Ph: 04933 239726	2013-14	Expansion of High School bldg.	1000000
53	11	Maulana Azad Educational & Charitable Trust, P. Gangadharan Road, Marunnukada, Pallurothy, Kochi -6 (Kerala), Ph: 0484 2236808, 2234801	2013-14	Expansion of High School bldg.	1000000
54	12	Al-Falah A.M.M. Educational Trust, C/o Al-Falah AMM English Medium School, Kakkidippuram, PO: Alankode, Distt. Malappuram -679585 (Kerala) (Ph-0494-2659222, 2650620, 9995960967)	2013-14	Expansion of School bldg.	1000000
				Total	**11900000**
		MADHYA PRADESH			
55	1	Fehmida Jafri Memorial Education & Welfare Society, 102, Rayeen Market, Jhulan Peer Road, Vidisha, MP -464001 (Ph: 7592403818, 7592280530)	2013-14	Expansion of Middle School bldg.	800000
56	2	Iqra Talimi Idara, C/o Darsgah Iqra High School, Vill. & PO: Rakai, The. Kareily, Distt. Nursinghpur -462031 MP (Ph: 9893558853)	2013-14	Expansion of High School bldg.	1000000
				Total	**1800000**
		MAHARASHTRA			
57	1	Syed Shrifuddin Shikshan & Welfare Society, At. Post -Vihigaon, Tq. Anjangaon Surji, Distt. Amrawati -444705 (MS)	2013-14	Expansion of Middle School bldg.	1000000
58	2	Sabrang Multipur-pose Education Society, Behind Yashwant College, Laxmi Nagar, Wardha, Post, Tehsil & Distt. Wardha - 442 001 (MS)	2013-14	construction of Girls Hostel bldg.	1500000
59	3	Mohammadiya Minorities Education Society, Vitthalwadi, Rendal, Taq. Hatkanangale, Distt. Kolahpur -416203 (MS)	2013-14	Purchase of computers/ science lab equipments for School	500000

60	4	Mehmuda Shikshan & Mahila Gramin Vikas Bahuuddeshiya Sansthan, 690-691, Golcha Marg, Sadar Bazar, Distt. Nagpur -440001 (MS)	2013-14	construction of Girls Hostel Bldg.	2000000
61	5	Zubaidiya Education & Welfare Society, Patel Nagar, Tq. & Distt. Latur -413512 (MS)	2013-14	Expansion of Hr. Sec. School bldg.	1500000
62	6	United Welfare Association, C/o Mumbai Urdu High School, Andheri United Co-operative Housing Society, Nr. Noor Masjid, Gaondevi Dongri, V.P. Road, Andheri (West) Mumbai - 400058 (MS) (Ph: 022 -26280319, 9322822451)	2013-14	Expansion of Hr. Sec. School bldg.	1500000
63	7	Urdu Education Society, Shivana, Tq. Sillod, Distt. Aurangabad -431132 (MS), Ph: 98609 88824, 097642 02981	2013-14	Purchase of Science/ computer lab equipments & furniture for School	500000
64	8	Al-Falah Multipurpose Education & Welfare Society, C/o Sir Syed Ahmed Khan Urdu Jr. College, Amdapur, Taq: Chikali, Distt. Buldhana-444301 (MS) (Ph: 9604415226, 9922476505)	2013-14	Construction of School bldg.	1500000
65	9	Nagpur Muslim Welfare Society, C/o Taj Baba Night High School & Jr. College, Mominpura, Distt. -Nagpur -440018 (MS) (Ph: 0712-2583262, 9372473808, 9325572626)	2013-14	Construction of Hr. Sec. School bldg.	2000000
				Total	**12000000**
		PUNJAB			
66	1	Shaheed Bhagat Singh Charitable & Educational Society, Vill & Post -Bela, Distt. Ropar -140111 (Punjab) (Ph: 01881 -263320, 9855463320, 9478388450)	2013-14	Purchase of computer & lab equipments for school	250000
				Total	**250000**
		UTTAR PRADESH			
67	1	Sabir Hussain Samaj Sewa Shiksha Prasar Samiti, Vill. & Post Sharif Nagar, Tehsil Thakurdwara, Distt. Moradabad -244 602 (UP)	2013-14	Construction of Boys Hostel bldg.	3000000
68	2	Mariyam Educational & Welfare Society, Vill. Ahmedpur, PO: Chini, Tehsil -Sagri, Distt. Azamgarh -276121 (UP)	2013-14	Expansion of High School bldg.	1000000
69	3	Abdul Mohit Khan Educational Society, Rupaipur, Faridpur, Distt. Azamgarh (UP)	2013-14	Expansion of Middle school bldg.	800000
70	4	Choudhary Shiksha Prachar Avam Prasar Samiti, Vill. Mankua Maksoodpur, Block Dilari, Distt. Moradabad -244001 (UP)	2013-14	Expansion of Middle School bldg.	800000
71	5	Janab Hamid Khan Pahalwan Shiksha Prasar evam Jan Kalyan Samiti, Azad Nagar Bakewar, Distt. Etawa -206124 (UP)	2013-14	Expansion of Middle School bldg.	800000
72	6	Syed Salar Educational Society, Vill. & PO: Thanwla, Tehsil Billari, Distt. Moradabad - 202411 (UP)	2013-14	Expansion pf Middle School bldg.	800000
73	7	Choudhary Habib Khan Charitable Society, Vill. Harra, Tehsil Sardhana, Distt. Meerut - 250344 (UP)	2013-14	Expansion of Primary School bldg.	1000000
74	8	Baba Shiksha Sewa Sansthan, Vill: & PO: Kunwakheda, Tehsil: Kayamganj, Distt. Farrukhabad -209502 (UP)	2013-14	Expansion of Primary School bldg.	600000
75	9	Sir Iqbal Public School, Domanpura (West), Maunath Bhanjan, Distt. Mau -275101 (UP)	2013-14	Expansion of Middle School bldg.	1000000

76	10	M.N. Public Educational & Welfare Society, Ahmad Compound, Munderwa Road, Semriya-wan Bazar, Distt. Sant Kabeer Nagar -272126 (UP)	2013-14	Expansion of Hr. Sec. School bldg.	1500000
77	11	Usman Bin Affan Educational & Technical Society, At. & Post Bidpur, Distt. Siddharth Nagar, C/o Usmania Girls Jr. High School, Village Ledwa, Post Birdpur, Distt. Siddharth Nagar (UP)	2013-14	Constuction of Jr. High School bldg.	1500000
78	12	M. A. Public School Samiti, Vill. Kazipura, Tehsil -Wazik , Distt. Moradabad -244001 (UP)	2013-14	Construction of boys hostel bldg.	1000000
79	13	Kisan Samaj Kalyan Shiksha Samiti, C/o L.B.J. High School, Post: Bhagwant Nagar, Vill. Hakimganj, Tehsil Swar, Distt. Rampur - 244924 (UP)	2013-14	Construction of Middle School bldg.	800000
80	14	Mahila Hitkari Samiti, 'L' Block Tiraha, Humaun Nagar, Hapur Road, Distt. Meerut - 250002 (UP)	2013-14	Expansion of Hr. Sec. school bldg.	1500000
81	15	M.Y.Saifi Educational Society, Mohalla -Katra Mandi, Dhanaura, Distt. J.P. Nagar -244231 (UP)	2013-14	Construction of B.Ed. College bldg.	1500000
82	16	Saifi Naz Education Society, Mohalla -Darbar Khurd, Jhadkhedi Road, Town -Kerana, Distt. Shamli -247774	2013-14	Expansion of Primary School bldg.	600000
83	17	Evergreen Public School Samiti, Aryapuri, Iqbal-pura, Kerana Distt. Shamli -247774 (UP)	2013-14	Expansion of Middle School bldg.	800000
84	18	Hakikulla Chaudhri Alpsankhyak Shiksha Samiti, Gram & Post -Dharighat Pokhra, Tehsil -Mankapur, Distt. Gonda (UP)	2013-14	Construction of 100 bedded Girls hostel bldg.	3000000
85	19	H. A. Rab Educational and Charitable Society, Jummanpura, Kopaganj, Distt. Mau -275305 (UP)	2013-14	Construction of 100 bedded Girls hostel bldg.	3000000
86	20	Talimi Majlis, C/o Sarwar Montessori Jr. High School, 473/41, Kashyana-e-Rahmat, Khadra Sitapur Road, Distt. Lucknow -226020 (UP) (Ph: 9793608843)	2013-14	Expansion of Middle School bldg.	800000
87	21	Abbasiya Educational & Welfare Society C/o Fiza Uchchatar Mashyamik Vidhyalay, Vill: & PO: Tajpur Dehma, Tehsil -Yusufpur, Mohammad abad, Distt. Ghazipur -233228 (UP) (Ph: 9452406786, 9621055786)	2013-14	Expansion of Hr. Sec. School bldg.	1500000
88	22	Foundation for Education Research, Development and Action, N. Patwari Bypass, Barauli Road, Aligarh -202001 (UP) (Ph: 9897140360, 9837432004)	2013-14	Expansion of Middle School bldg.	800000
89	23	Iqra Education & Welfare Society, Vill: Salarpur, Vikas Khand Hargaon, Distt. Sitapur - 261 135 (UP) (Ph: 094528 89484, 094523 80164, 094523 80167)	2013-14	Expansion of Hr. Sec. School bldg.	800000
90	24	M.B.R. Uchatar Madhyamic Vidyalay (Maqboolan Begum Rajput Inter College), Pilakhana, Tehsil -Kayamganj, Distt. Farrukhabad -205302 (UP) Ph: 097584 30225	2013-14	Expansion of Hr. Sec. School bldg.	1500000
91	25	Jamia Alpsankhyak Shiksha Sansthan, Gangari, (Siswa Munshi), PO: Piparpati Tiwari, Distt. Maharajganj - 273 303, Ph:055232 45218, 098389 53821	2013-14	purchase of school furniture	100000
92	26	Hira Educational Society, Tq. & PO: Tambour - Laharpur, Distt. Sitapur -261208 (UP) (05862 - 257437, 099189 97745)	2013-14	Expansion of Primary School bldg.	500000

93	27	Ideal Educational Society, New Colony, Near Santoshi Mata Mandir, Peerbatawan, Distt. Barabanki -225001 (UP) (Ph: 05248-227551, 9415141120)	2013-14	Expansion of Hr. Sec. School bldg.	1500000
94	28	Noor-ul-Uloom Education Society, G-2, Dream Homes, S.S. Nagar, Distt. Aligarh -202002 (UP) (Ph: 9319096230, 9760291130)	2013-14	Expansion of High School bldg.	1000000
95	29	Qadeer-Ul-Uloom, C/o Al-Qadeer Hr. Sec. School, Mandi Kishan Dass Sari, Sambhal, Distt. Bheem Nagar -244302 (UP) (Ph: 9927076191)	2013-14	Expansion of High School bldg.	1000000
96	30	Kalam Educational & Welfare Society, 995/1 - A, Taj Compound, Nandanpura, Distt. Jhansi-284003 (UP) (Ph: 9453908111)	2013-14	Expansion of VTC and purchase of equipments, machinery, tools, funiture	1000000
97	31	Raisuddin Muslim Educational Society, Bus Stand Umri Kalan, Distt. -Moradabad -244227 (UP) (Ph: 9411872431)	2013-14	Expansion of High school bldg.	1000000
98	32	Children Holy Public Shiksha Samiti, Friends Colony, Near kothi No. 60, Tundla, Distt. Firozabad -283204 (UP) (Ph: 9456090659)	2013-14	Construction of Primary School bldg	1000000
99	33	Kakar Shiksha Samiti, C/o Yameen Memorial Public Jr. High School, Vill & PO: Teetro, Distt.Saharanpur -247343 (UP) (Ph: 9760156734)	2013-14	Expansion of Primary School bldg.	800000
100	34	Islamic Welfare Society, C/o M.A. Shoeb ITI, Jamia Building, Nr. Railway Crossing, Sipah, PO: Sheetla Chaukia, Distt. Jaunpur -222001 (UP), Ph: 05452 263103, 264982, 094153 49761	2013-14	construction of 50 boys hostel bldg.	1500000
101	35	Fatima Educational, Social and Welfare Society, Vill. & Post Itwa, Distt. Siddharth Nagar - 272 192 (UP), Ph: 098391 97207, 094155 82331	2013-14	Expansion of Middle School bldg.	1500000
102	36	Alpsankhyak Aqsa Shiksha Samiti, Nr. SDM Court, Qasba Bisalpur, Distt. Pilibhit - 262 201 (UP), Ph: 098372 93755	2013-14	Expansion of Hr. Sec. School bldg.	1500000
103	37	Aqeel Shiksha Prasar Samiti, Siroli Road, Azeezpur, Chanoli, Agra - 282 001 (UP), Ph:	2013-14	Expansion of Middle School bldg.	800000
104	38	Radiance Montessori School Samiti, Qasba & Post Tambor, Distt. Sitapur - 261 208 (UP), Ph: 094503 74833, 098383 47721	2013-14	Expansion of High School bldg.	1000000
105	39	Public Shiksha Sansthan, Qasba & Post Tambor, Distt. Sitapur - 261 208 (UP), 098382 66223, 094551 57916	2013-14	Expansion of primary school bldg.	600000
106	40	Habibiya Gram Vikas Sanstha, Jalalabad, Tehsil Najibabad, Distt. Bijnor (UP), Ph: 01341-230087	2013-14	Expansion of Primary school bldg.	600000
107	41	Sir Syed Welfare Society, Vill. Dundpur, Post Asafpur, Distt. Badaun - 243 632 (UP), 099276 66793	2013-14	Expansion of Middle School bldg.	800000
108	42	Dr. Islam Majeed Islamiya Association, Town Bhargain, Distt. Kasganj (UP), Ph: 099973 58381	2013-14	Expansion of B.Ed. College bldg.	1500000
109	43	Faiz Memorial Social Welfare Educational Society, Nr. Gandhi Murti, Station Road, Mohalla peergarh, Amroha - 244 221 (UP),	2013-14	Expansion of Middle School bldg.	800000
110	44	Naushaba Memorial Mahila Kalyan Evam Shiksha Vikas Samiti, Vill: Katai, PO: Gajraula, Distt. J.P. Nagar -244235 (UP) (Ph: 9012846239)	2013-14	Construction of boys hostel bldg.	3000000

111	45	Bakshish Educational Society, C/o Barik Degree College, Sihali Khaddar (Dilari) Distt. Moradabad -244001 (UP) (Ph: 9927165143)	2013-14	Construction of girls hostel bldg.	3000000
112	46	Zameer Vikas Sewa Sansthan, Ambedkar Colony, Saukh Road, Krishna Nagar, Mathura (UP), Ph:	2013-14	Expansion of High School bldg. (Zameerudin Mem. Hr. Sec. School, Jahangir Nagar, Fatehpur)	1000000
113	47	Nathan English School Samiti, Opp. Bus Stand, Raebareilly - 229 001 (UP), Ph: 093360 00652	2013-14	Expansion of Middle School bldg. & purchase of computers/ furniture for school	1000000
114	48	Bal Kalyan Jan Sewa Samiti, Village Arsal Parsal, Post & Tehsil Swar, Distt. Rampur - 244 924 (UP), Ph: 073510 27204, 096394 65742	2013-14	Expansion of primary school bldg.	600000
115	49	Muslim Educational Society, Nagar Nizamabad, Azamgarh - 276 206 (UP), Ph: 094158 38754, 099361 84104	2013-14	Expansion of Middle school bldg.	800000
116	50	Muslim Welfare Association, Village & Post Bara, Distt. Ghazipur - 232 325 (UP), Ph:	2013-14	Expansion of Hr. Sec. School bldg.	1500000
117	51	Dhanora Welfare Society, Village Dhanora Muradnagar, PO: Kaksarai, Distt. Amroha - 244 221 (UP), Ph: 097581 92814	2013-14	Expansion of Middle School bldg.	800000
118	52	The Educational Society, Fatehpur, Distt. Mau - 275 101 (UP), Ph: 098192 29446, 096541 34144	2013-14	Expansion of Hr. Sec. School bldg.	1500000
119	53	Khumra Biradri Educational Madarsa, Khumrul Uloom Society, Mohalla -Afganan, Distt. J.P. Nagar -242221 (UP) (Ph: 9258443692)	2013-14	Expansion of Primary School bldg.	600000
120	54	Muslim Anglo Vernacular Educational Association, C/o M.A.H. Inter College, Mohalla: Barbarahna, Distt. Ghazipur -233001, (UP) (Ph: 0548-2221193, 9415889980)	2013-14	Expansion of Hr. Sec. School bldg.	1500000
				Total	**64200000**
				Grand-Total	**150400000**
			In Words	**Fifteen Crore Four Lakh Only**	

Annexure-XV

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION

State-wise Summary of Grant-in-Aid sanctioned Upto 31-03-2014

Sl.No.	State/U.Ts	No. of NGOs	Amount (₹)
1	Andaman	3	3500000
2	Andhra Pradesh	75	118355000
3	Arunachal Pradesh	1	3000000
4	Assam	24	37100000
5	Bihar	40	64971800
6	Chattisgarh	1	2500000
7	Delhi	12	9355500
8	Goa	3	5300000
9	Gujarat	79	111161800
10	Haryana	45	58510000
11	Himachal Pradesh	1	100000
12	Jammu & Kashmir	17	24642000
13	Jharkhand	13	21800000
14	Karnataka	106	151106800
15	Kerala	92	148100000
16	Madhya Pradesh	48	51828000
17	Maharashtra	181	237958500
18	Manipur	19	26600000
19	Meghalaya	2	3000000
20	Nagaland	4	6850000
21	Orissa	8	4762000
22	Punjab	7	6417000
23	Rajasthan	20	31050000
24	Tamil Nadu	32	48078200
25	Uttrakhand	13	16600000
26	Uttar Pradesh	548	626856020
27	West Bengal	29	40140000
	TOTAL	**1423**	**1859642620**
In Words	**One Hundred Eighty Five Crore Ninety Six Lakh Forty Two Thousand Six Hundred Twenty Only**		

MAULANA AZAD EDUCATION FOUNDATION
(MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS, GOVT. OF INDIA)
Summary of State-wise/Amount-wise Sanction of Scholarship (2003-04 to 2013-14)

(Amount ₹ in Lakh)

Sl. No.	Name of State/UT	Scholarship Sanctioned Upto 2003-13																							
		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		TOTAL	
		No. of Girls	Amount	No. of Girls	Amount	No. of Girls	Amount	No. of Girls	Amount	No. of Girls	Amount	No. of Girls	Amount	No. of Girls	Amount	No. of Girls	Amount	No. of Girls	Amount	No. of Girls	Amount	No. of Girls	Amount	No. of Girls	Amount
1	ANDAMAN & NICOBAR	0	0	0	0	4	0.4	0	0	0	0	0	0	1	0.12	2	0.24	0	0	0	0	7	0.84	14	1.6
2	ANDHRA PRADESH	53	5.3	110	11	145	14.5	111	11.1	223	26.76	828	99.36	1072	128.64	924	110.88	903	108.36	1323	158.76	1851	222.12	7543	896.78
3	ARUNACHAL PRADESH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.24	0	0	0	0	2	0.24
4	ASSAM	2	0.2	81	8.1	131	13.1	115	11.5	128	15.36	419	50.28	346	41.52	429	51.48	487	58.44	717	86.04	1546	185.52	4401	521.54
5	BIHAR	2	0.2	178	17.8	221	22.1	342	34.2	342	41.04	680	81.6	1159	139.08	1425	171	1490	178.8	2642	317.04	3442	413.04	11923	1415.9
6	CHANDIGARH	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.12	2	0.24	0	0	0	0	0	0	18	2.16	7	0.84	28	3.36
7	CHATTISGARH	8	0.8	9	0.9	12	1.2	2	0.2	2	0.24	0	0	2	0.24	13	1.56	5	0.6	4	0.48	40	4.8	97	11.02
8	DADRA & NAGAR HAVELI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	DAMAN & DIU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.36	6	0.72	0	0	1	0.12	0	0	4	0.48	14	1.68
10	GOA	0	0	8	0.8	6	0.6	0	0	0	0	0	0	3	0.36	5	0.6	3	0.36	2	0.24	2	0.24	29	3.2
11	GUJARAT	0	0	505	50.5	77	7.7	391	39.1	147	17.64	623	74.76	709	85.08	610	73.2	604	72.48	877	105.24	1168	140.16	5711	665.86
12	HARYANA	8	0.8	5	0.5	0	0	4	0.4	2	0.24	7	0.84	7	0.84	28	3.36	16	1.92	42	5.04	35	4.2	154	18.14
13	HIMACHAL PRADESH	4	0.4	0	0	0	0	4	0.4	0	0	0	0	1	0.12	1	0.12	0	0	0	0	1	0.12	11	1.16
14	JAMMU &KASHMIR	0	0	319	31.9	34	3.4	21	2.1	55	6.6	21	2.52	25	3	7	0.84	10	1.2	33	3.96	179	21.48	704	77
15	JHARKHAND	2	0.2	40	4	62	6.2	65	6.5	119	14.28	670	80.4	691	82.92	556	66.72	539	64.68	718	86.16	1025	123	4487	535.06
16	KARNATAKA	31	3.1	137	13.7	838	83.8	122	12.2	127	15.24	355	42.6	913	109.56	546	65.52	1015	121.8	1488	178.56	2014	241.68	7586	887.76
17	KERALA	80	8	150	15	159	15.9	229	22.9	462	55.44	2884	346.08	2402	288.24	2338	280.56	2318	278.16	3330	399.6	4760	571.2	19112	2281.08
18	LAKSHADWEEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	MADHYA PRADESH	17	1.7	70	7	64	6.4	134	13.4	123	14.76	371	44.52	217	26.04	400	48	483	57.96	731	87.72	975	117	3585	424.5
20	MAHARASHTRA	53	5.3	147	14.7	406	40.6	165	16.5	336	40.32	1390	166.8	1570	188.4	1394	167.28	1476	177.12	2230	267.6	2928	351.36	12095	1435.98
21	MANIPUR	11	1.1	11	1.1	12	1.2	1	0.1	2	0.24	19	2.28	14	1.68	11	1.32	43	5.16	41	4.92	114	13.68	279	32.78
22	MEGHALAYA	0	0	0	0	2	0.2	2	0.2	1	0.12	3	0.36	1	0.12	4	0.48	4	0.48	6	0.72	10	1.2	33	3.88
23	MIZORAM	0	0	2	0.2	13	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1.5
24	NAGALAND	8	0.8	0	0	0	0	11	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1.8	2	0.24	6	0.72	42	4.66
25	NCT OF DELHI	7	0.7	50	5	48	4.8	26	2.6	51	6.12	72	8.64	171	20.52	228	27.36	228	27.36	332	39.84	422	50.64	1635	193.58
26	ORISSA	12	1.2	30	3	13	1.3	12	1.2	24	2.88	49	5.88	41	4.92	43	5.16	39	4.68	87	10.44	165	19.8	515	60.46
27	PONDICHERY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.12	6	0.72	10	1.2	15	1.8	4	0.48	20	2.4	56	6.72
28	PUNJAB	4	0.4	14	1.4	15	1.5	0	0	13	1.56	8	0.96	83	9.96	1685	202.2	215	25.8	167	20.04	150	18	2354	281.82
29	RAJASTHAN	2	0.2	41	4.1	76	7.6	135	13.5	162	19.44	408	48.96	470	56.4	561	67.32	636	76.32	680	81.6	923	110.76	4094	486.2
30	SIKKIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	TAMIL NADU	34	3.4	120	12	91	9.1	21	2.1	122	14.64	990	118.8	1188	142.56	1176	141.12	1230	147.6	1802	216.24	2509	301.08	9283	1108.64
32	TRIPURA	0	0	0	0	3	0.3	3	0.3	2	0.24	1	0.12	0	0	3	0.36	0	0	2	0.24	0	0	14	1.56
33	UTTAR PRADESH	174	17.4	452	45.2	727	72.7	1598	159.8	1016	121.92	839	100.68	2518	302.16	3676	441.12	3909	469.08	5791	694.92	7939	952.68	28639	3377.66
34	UTTARANCHAL	6	0.6	11	1.1	14	1.4	7	0.7	6	0.72	35	4.2	38	4.56	32	3.84	38	4.56	77	9.24	191	22.92	455	53.84
35	WEST BENGAL	116	11.6	291	29.1	398	39.8	325	32.5	545	65.4	1386	166.32	1416	169.92	1219	146.28	1976	237.12	2010	241.2	2726	327.12	12408	1466.36
	TOTAL	634	63.4	2781	278.1	3571	357.1	3846	384.6	4011	481.32	12064	1447.68	15070	1808.4	17326	2079.12	17700	2124	25156	3018.72	35159	4219.08	137318	16261.52

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत संगठन :–

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम), नई दिल्ली
2. केन्द्रीय वक्फ परिषद् (सीडब्ल्यूसी), नई दिल्ली
3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी), नई दिल्ली
4. राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (नावाडको), नई दिल्ली
5. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ), नई दिल्ली
6. दरगाह ख्वाज़ा साहेब, अजमेर
7. आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक, इलाहाबाद

Organisations under the Ministry of Minority Affairs:-

1. National Commission for Minorities (NCM), New Delhi
2. Central Waqf Council (CWC), New Delhi
3. National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC), New Delhi
4. National Waqf Development Corporation (NAWADCO), New Delhi
5. Maulana Azad Education Foundation (MAEF), New Delhi
6. Durgah Khawaja Sahab, Ajmer
7. Commissioner for Linguistic Minorities, Allahabad